

युग-युगीन राजस्थान

संपादक

सुखवीरसिंह गहलोत

हिन्दी साहित्य मन्दिर

जगदीशसिंह गहलोत मार्ग, जोधपुर

प्रकाशक —

ह्रिन्दी साहित्य मन्दिर
जगदीशसिंह गहलोत माग, जोधपुर

श्री जगदीशसिंह गहलोत शोध सस्थान, जोधपुर

प्रकाशन वर्ष — 1991

मूल्य — 60 00 रुपये

मुद्रक —

सन-साईन प्रिण्टर्स,
सिवाची गेट के अन्दर, जोधपुर

अनुक्रमणिका

- पूर्णिमा नवीनछात्र 1- 48 राजस्थान-इतिहास
निदेशक श्री जगदीशसिंह गहलोत
शोध सस्थान, जोधपुर लेखन का इतिहास
- सुखवीरसिंह गहलोत 49- 84 प्रागैतिहासिक एव
(पूर्व) आर ए एस
सचिव, जगदीशसिंह गहलोत
शोध सस्थान, जोधपुर
प्रागैतिहासिक राजस्थान
- जहूरखा सेह्वर 85-136 ऐतिहासिक राजस्थान
सह आचार्य, इतिहास विभाग
जोधपुर विश्वविद्यालय
- डॉ. रामसिंह सोलंकी 137-148 आधुनिक राजस्थान का
वरिष्ठ व्याख्याता, राजनीति
विज्ञान, राजकीय बागड
महाविद्यालय पाली
निर्माण

प्रस्तावना

यद्यपि राजस्थान में इतिहास लेखन की परम्परा अत्यन्त ही समृद्ध है किन्तु प्रारम्भ में इतिहासकारों का दृष्टिकोण आज से सबया भिन्न था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् तक राजस्थान के इतिहास को मध्यकालीन शौर्य बलिदान तक सीमित रखा गया। अतः जहाँ अग्रजों में इतिहास के पुनः लेखन की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है वहाँ राजस्थान के समग्र इतिहास के लेखन की आवश्यकता का अनुभव किया जाता रहा है। प्रस्तुत पुस्तक में राजस्थान के लगभग एक सौ वर्ष के इतिहास को समाहित करने का प्रयत्न किया गया।

पूर्वजन्म नवीनलाल ने न केवल आज तक के इतिहास लेखन का ही विवेचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया है बल्कि पद्यनाम जैसे इतिहासकारों का मूल्यांकन किया है जिनके सबंध में अभी तक कुछ भी नहीं लिखा गया। अद्योपात् प्रकाशित समस्त ग्रंथों की सूची के समावेश से निःसन्देह प्रस्तुत विवरण अत्यधिक मूल्यवान् हो गया।

अब तक प्रागैतिहासिक और आद्यैतिहासिक इतिहास को लिखने के प्रयास नगण्य ही हुए हैं। राजस्थान के सभी अंचलों की प्रागैतिहासिक एवं आद्यैतिहासिक सभ्यताओं का वर्णन प्रस्तुत कर इस क्षेत्र में राजस्थान के इतिहास से सम्बन्धित एक कमी को पूरा करने का प्रयास किया है।

राजस्थान के समूचे इतिहास को संक्षेप में प्रस्तुत करने का कठिन कार्य प्रसिद्ध साहित्य विद्वान् एवं इतिहासकार जहूरला मेहर द्वारा किया गया है। मडौर के प्रतिहार, पंचनी कथा की ऐतिहासिकता, राव जोधा, 1857 का स्वतन्त्रता सपना तथा राजस्थान में स्वतन्त्रता आंदोलन का इतिहास साधारण पाठकों व गहन अध्ययताओं के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होंगे।

डॉ० रामसिंह सोलंकी ने गहरी राजनीतिक सूझ से राजनीतिक गतिविधियों व राजस्थान के एकीकरण का वर्णन प्रस्तुत किया है। एकीकरण के विभिन्न चरण राजनीतिक ऊहापोह का प्रमाणिक विवरण, राजस्थान के विभिन्न राजवाडों को स्वीकृत किए गए प्रिवीपत आदि के वर्णन से प्रस्तुत विवरण भी अत्यन्त ही महत्वपूर्ण बन गया है।

भाषा है समग्र रूप से यह पुस्तक सभी अध्ययताओं के लिए एक समान रुचिकर सिद्ध होगी।

जगदीशसिंह गहलोत भाग,
जोधपुर (राज)
14 जनवरी, 1991

सुखवीरसिंह गहलोत

राजस्थान - इतिहास लेखन का इतिहास

तुम कौन थे, कसे रहे, अरु क्या तुम्हारा ज्ञान था ?
इतिहास बतलाता नहीं, कैसा तुम्हारा मान था ?

इतिहास शब्द इति+ह+आस से बना है, जिसका अर्थ है, ऐसा ही हुआ। इतिहास में घटनाओं का क्रमिक वर्णन तथा निश्चयात्मकता होती है। इसमें अतीतकालीन तत्वों की खोज तथा उनके प्राधार पर लिखे गये विवरणों का लेखा होता है। इतिहास बोध और इतिहास की जानकारी उस देश की संस्कृति का अभिन्न अंग होना है लेकिन हमारे देश में इतिहास रचना की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही यही धारणा रही है कि "मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है और हमें आगामी जन्म और परलोक को सुधारने की ओर ध्यान देना चाहिये। हमें इस जीवन और बीते दिनों में रुचि लेने में कोई लाभ नहीं है।" यो भारतीय प्राचीन साहित्य में इतिहास आद्यान, पुराण आदि शब्द मिलते हैं तथा रामायण, महाभारत आदि में इतिहास के तत्व मिलते हैं लेकिन उन्हें इतिहास अर्थ नहीं माना जा सकता है। आज जिन अर्थों में इतिहास को लिया जाना है उन अर्थों में भारत में इतिहास बहुत बाद में लिखा जाने लगा। मध्यकाल में जो भी इतिहास लिखे गये वे इतिहास कम और प्रशस्तियाँ ज्यादा थी। उनमें राजा, दरबार, युद्ध, पण्डितों आदि का ज्यादा वर्णन मिलता है। सामान्य आदिमियों के जीवन, उस समय की सामाजिक व आर्थिक दशा का नाममान का जिक्र हुआ है।

अठारहवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जब यहाँ अंग्रेजों का प्रभुत्व जमाने लगा तथा अविद्वत् सत्ता में अंग्रेज विद्वान यहाँ आने लगे तब उन्होंने यहाँ के इतिहास को नये दृष्टिकोण से लिखना आरम्भ किया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसमें उनका उद्देश्य स्वयं को उच्च आदर्शवान बतलाना, पूर्ववर्ती शासकों को हीन बतलाना, हिन्दू-मुसलमानों के बीच भेदभाव लाना, आदि था। फिर भी उन विदेशी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास तथा पुरातत्व की खोज में एक नये युग का सूत्रपात किया। सन् 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, एशिया के इतिहास, पुरातत्व, प्राचीन कला व साहित्य की खोज हेतु की गई। तब से ही राजस्थान के इतिहास, पुरातत्व आदि पर भी विस्तृत खोज आरम्भ हो गई।

कॉर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ में 1818 में पोलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्ति पाकर यहाँ के इतिहास के विषय में खोज आरम्भ कर दी थी। बाद में हाडौती, मारवाड़, सिरौही व जैसलमेर का भी पोलिटिकल एजेंट के रूप में काम 1822

तक वह देखते रहे। इस बीच उन्होंने राजस्थान के इतिहास के विषय में काफी सामग्री इकट्ठी कर ली और इसके फलस्वरूप 1829 में उन्होंने राजस्थान के इतिहास के रूप में 'अनाल्स एण्ड ऐण्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान' का पहला भाग 1829 में दूसरा भाग 1832 में प्रकाशित किया। उन्होंने उदयपुर से चम्बई जाते समय रास्ते के स्थानों का वर्णन डायरी के रूप में 'ट्रावल्स इन वेस्टर्न इण्डिया' लिखा जिसका प्रकाशन उनके स्वगवास के बाद 1839 में हुआ। इसमें उनके द्वारा देखे स्थानों व स्मारकों का सजीव चित्रण है। 'ग्रनाल्म एण्ड ऐण्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान,' में उनके द्वारा सग्रहित अभिलेखों, सिक्कों, वहियों, ख्यातों आदि के आधार पर लिखे मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, जयपुर व कोटा का इतिहास है। इस इतिहास के प्रकाशन पर राजपूतों के शौर्य, वलिदान और त्याग की ख्याति अग्र्य प्रान्तों व विदेशों में फैल गई। इस ग्रंथ के प्रकाशन से राजस्थान के इतिहास में और अधिक शोध होने लगी। इस ग्रंथ के आधार पर कई देशी व विदेशी इतिहासकारों ने अपने इतिहास ग्रंथ लिखे और लिखते जा रहे हैं।

उत्खनन कार्य

इतिहास के विनिर्माण के लिये आवश्यक है कि पृथ्वी की विभिन्न परतों या तहों में प्राप्त ध्वसावशेषों, कंकालों, जीवाश्मों, उपकरणों, स्मारकों, पुरालेखों, सिक्कों आदि का वैज्ञानिक रीति से अध्ययन और अनुसंधान करना। बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में (1921-22) सिन्धु सभ्यता के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि प्राचीन स्थलों को खोजा जा चुका था और तब भारत के इतिहास की ई पूव 2000 तक की जानकारी हो गई थी। अब यह अनुमान किया जाने लगा कि सिन्धु नदी के पूर्ववर्ती क्षेत्र— राजस्थान में भी ऐसी ही सभ्यता पनपी होगी और ऐसी सभ्यता के स्थलों की खोज होनी चाहिये।

सन् 1937 में के एन दीक्षित (भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक) ने जगदीशसिंह गहलोत की पुस्तक राजपूताने का इतिहास की प्रस्तावना में लिखा था— "भारत के इतिहास में राजपूताने का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मेरा यह विश्वास है कि भारत के इस परम चिताकर्षक भू-भाग में प्रागुत्तिहास काल की प्रचुर सामग्री विद्यमान है, जिसकी ओर इतिहास रसिकों का अभी तक ध्यान नहीं गया है। मुझे अपना यह विचार पूर्णरूप से युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि राजपूताने के अनेक भागों में विशेषतः जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर की मरुभूमि में, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के समकालीन प्रागैतिहासिक प्राचीन मानव सभ्यता तथा प्राचीन नगरों के अवशेष खोजने से अवश्य मिल सकते हैं।" दीक्षित ने इसी कारण जयपुर के शक्तिधर शर्मा तथा जोधपुर के जगदीशसिंह गहलोत को, जब अहीछत्रा (जिला बरेली, उत्तर प्रदेश) में खुदाई बड़े पैमाने पर करवाई, तब उनको भी प्रशिक्षण दिया ताकि वे भी अपने राज्यों में जाकर खुदाई करवा कर वहाँ के प्राचीन वैभव को, प्रकाश में ला सकें। जगदीशसिंह गहलोत की सेवाओं का लाभ, जोधपुर रियासत उठा नहीं सकी लेकिन राजस्थान के निर्माण-के बाद 1950 में

उनकी सेवाओं का उपयोग, जोधपुर-वीकानेर मण्डल के संग्रहालय व पुरातत्व विभाग के अधीक्षक के पद पर नियुक्त कर लिया गया।

डा वीलर ने 1944-48 तक महानिदेशक पद पर काम किया। तब उन्होंने खुदाई के काम के नये तरीके अपनाये। उन्होंने तब कई विश्वविद्यालयों के छात्रों को उत्खनन कार्य में प्रशिक्षण दिया। तब ही जोधपुर के महावीरसिंह गहलोत ने भी तक्षशीला (श्रव पाकिस्तान में) प्रशिक्षण प्राप्त किया। महावीरसिंह गहलोत प्रशिक्षित होते हुए भी, तत्कालीन सामन्ती शासन के कारण, पुरातत्व विभाग में कोई पद नहीं पा सके लेकिन उनके पुरातत्व ज्ञान का लाभ सभी जिज्ञासुओं को आज तक बराबर मिलता रहा है। रत्नचन्द्र अग्रवाल ने भी तब ही तक्षशीला में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। बाद में वह राजस्थान के पुरातत्व विभाग में नियुक्त होकर निदेशक पद से काम कर सेवा निवृत्त हुए। उन्होंने राजस्थान के कई क्षेत्रों — आहाड जोधपुरा, गणेश्वर, नोह आदि में उत्खनन कार्य करवाया जिससे राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल पर काफी प्रकाश पड़ा। राजस्थान के इतिहास तथा संस्कृति पर उनके विद्वतापूर्ण लेख भारत की सभी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में बराबर प्रकाशित होते रहे हैं। उनकी पुस्तक 'आर्कोलॉजिकल रिमेंस इन वेस्टर्न इण्डिया' में इनका अच्छा संग्रह है।

सन् 1947 में भारत का विभाजन हो जाने पर लगभग सभी आद्य ऐतिहासिक स्थल पाकिस्तान में चले गये और पाकिस्तान अपनी सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी बतलाने लगा। भारत में ज्यादातर पुरातात्विक स्थल मध्य काल के ही रहें गये। अतः भारत में आद्य-ऐतिहासिक स्थलों की खोज तेजी से की जाने लगी। यो प्रागैतिहास में अध्ययन, भारत में उन्नीसवीं सदी के अन्तिम वर्षों में आरम्भ हो गया था। सन् 1867 में बून्दी, टोक व जयपुर रियासतों में कई फरशे व बिदारणिया जियोलोजिकल सर्वे विभाग के हाकेट को मिली थी। बाद में कारलेइल को पापीण सगोरा तथा स्फटिक के फलक दौमा (जयपुर राज्य) व देवली (टोक राज्य) में मिले। दयाराम साहनी की बंराट की खुदाई में 1937-38 में दो चर्ट सत्क तथा चर्ट के कई क्रीड मिले जो सिन्धु घाटी के ताअपापाणकालीन स्थलों के समान थे।

1915-16 में लुगी पीओ तैस्सीतोरी (1888-1919) ने वीकानेर राज्य के गगानगर क्षेत्र में कई प्राकृतिक काल के स्थानों की खोज की थी। तैस्सीतोरी की खोजों का अनुसरण कर 1940 में सर आरिल स्टेइन ने गगानगर-भावलपुर क्षेत्र में प्रागैतिहासिक अवशेषों की खोज सरस्वती नदी के काठे में की थी और अपनी विस्तृत रपट 'एन आर्कोलोजिकल टूर अलाग द घघर हाकडा रिवर' तैयार की। इसके बाद हन्ना रोड और अमलानंद घोष ने कई स्थलों पर उत्खनन कार्य किये।

इन यत्रतत्र मिली सामग्रियों ने हसमुख धी साकलिया, मुन्नाराव, मुन्दरराजन, वी एन मिश्रा, वाचनकर, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, रत्नचन्द्र आदि की उत्खनन से ऐसे ही कई प्रागैतिहासिक स्थलों की खोजने की प्रेरित किया। इससे कई

प्रागैतिहासिक, आर्य ऐतिहासिक, ताम्रपाषाण व ऐतिहासिक काल के स्थान नोह, गिलुण्ड, भीनमाल, आहाड, मोहर, वागोर, तिलवाडा, गणेश्वर, जोधपुरा आदि प्रकाश में आये। बाद में काँटली और साहिबी नदी की उपत्यकाओं का सर्वेक्षण कर वहाँ 30 पुरातात्विक स्थलों की जानकारी प्राप्त कर पाषाण युग से लेकर ऐतिहासिक युग तक की सांस्कृतिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी मिली। इससे प्रागैतिहासिक व आद्यऐतिहासिक राजस्थान का इतिहास लिखा जा सका तथा यह स्पष्ट हो गया कि राजस्थान की प्रागैतिहासिक काल में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। दक्षिणपूर्वी राजस्थान में मानव वस्ति या एक लाख वर्ष पूर्व बस गई थी। राजस्थान के उत्तर पश्चिम में कालीबंगा (गंगा नगर जिला) में 2500 ई पूर्व में जो वस्ति थी वे सम्भवतः वैदिक आर्यों या ईरान में आये आर्यों की थी। विभिन्न स्थलों का विवरण हनारीड की रगमहल—स्वीडिश आर्कियोलोजिकल एक्स्पिडिशन टू इंडिया, एच डी साकलिया की एक्सकेवेन्शन एट आहाड, व 'आर्कोलोजी ऑफ राजस्थान' में पढ़े जा सकते हैं। दक्षिण पूर्व में आहाड व गिलुण्ड में भी बनास नदी के किनारे पर 2000 ई पूर्व में वस्ति बस गई थी। वे भी सम्भवतः आर्यों की थी। ये लोग तत्कालीन भीलों से ज्यादा विकसित थे। इस सम्बन्ध में वी एन मिश्रा का 'बुलेटिन ऑफ द डब्लूकेन कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट' में 'पेलियोलिथिक कलचर ऑफ वेस्टर्न राजपूताना,' अदरिस बनर्जी का 'आर्कोलोजिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इस्टर्न राजस्थान' तथा ह डी साकलिया की 'दी आर्कोलोजी ऑफ राजस्थान' पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं।

अभिलेख

धातु पत्थर, हाथी दाँत, बतन, मोहर आदि पर उद्भूत या उभार कर बनाए गए लेख अभिलेख कहलाते हैं। केवल पत्थर पर बनाए गए लेख शिलालेख कहलाते हैं। ताँबे की चट्ट का बना हुआ खण्ड या टुकड़ा जिस पर राजकीय अभिलेख उत्कीर्ण हो वह ताम्रपत्र लेख कहलाता है। किसी स्तम्भ पर उत्कीर्ण अभिलेख स्तम्भ लेख कहलाता है। कई राजाओं की प्रशस्तियाँ अंकित मिलती हैं। प्रशस्तियों में राजाओं की उपलब्धियों का प्रशंसायुक्त वर्णन होता है। कई कीर्ति स्तम्भ, विजय स्तम्भ, गोवर्धन स्तम्भ, सती स्तम्भ, मान प्रशस्ति, दान प्रशस्ति, मूर्ति लेख, मकबरो और मस्जिदों पर उत्कीर्ण आलेख भी मिलते हैं। इन अभिलेखों से तत्कालीन ऐतिहासिक अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। राजस्थान में ऐसे अभिलेख हजारों में हैं। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख निम्नलिखित हैं—

1 विजोलिया अभिलेख (वि स 1226) 93 श्लोकों का है। इसमें चौहान शासकों का वशानुक्रम तथा तत्कालीन सामाजिक व धार्मिक जीवन का उल्लेख है।

2 लूणवसदी प्रशस्ति (वि स 1287) में आबू के परमार शासकों और उनके मंत्री वस्तुपाल और उसके अनुज तेजपाल के विषय में जानकारी दी गई है। ऐसी ही जानकारी नेमीनाथ मंदिर प्रशस्ति में मिलती है।

3 मुधा पर्वत (जालोर जिला) प्रशस्ति वि स 1319 की है। इसमें

जालोर के शासक चाचिगदेव सोनगरा चौहान की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है।

4 रमिया की छत्री प्रशस्ति (वि स 1331) में मेवाड़ के बप्पा रावल से नरवर्मा तक के गुहिल वंशीय शासकों का वंशानुक्रम है तथा उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, व धार्मिक स्थिति के अध्ययन हेतु उपयोगी है।

5 अचलेश्वर मन्दिर (आवू) प्रशस्ति (वि स 1377) में चन्द्रावती, अर्जुन व शाकम्भरी के शासकों पर प्रकाश डाला गया है।

6 जैमलमेर के पाशवनाथ मन्दिर प्रशस्ति (वि स 1473) में जैसलमेर के शासक लक्ष्मणराज के काल की जानकारी है। समधिेश्वर मन्दिर (चित्तौड़ दुर्ग) प्रशस्ति (वि स 1485) में गुहिल वंशीय शासकों की उपलब्धियों का विवरण मिलता है। इसमें राजनीतिक व सामाजिक पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। रणरूपुर चौमुखा मन्दिर प्रशस्ति (वि स 1496) में मेवाड़ के शासकों का महाराणा कुम्भा तक का वंशानुक्रम है। तत्कालीन धार्मिक व सामाजिक स्थिति की भी अच्छी जानकारी मिलती है।

कीर्ति स्तम्भ चित्तौड़ प्रशस्तियाँ विभिन्न शिलालेखों पर उत्कीर्ण की गई थी। इनमें मेवाड़ के शासकों की वंशावली महाराणा कुम्भा तक देकर उनकी उपलब्धियों का वंशानुक्रम किया गया है। तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। बीकानेर दुर्ग प्रशस्ति (वि स 1650) में बीकानेर के संस्थापक नरेश राव बीका से महाराजा रायसिंह तक की उपलब्धियों का वंशानुक्रम किया गया है। बीकानेर राज्य के इतिहास के अध्ययन हेतु यह प्रशस्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। राजप्रशस्ति (वि स 1718) राज समुद्र तालाब पर 25 बड़ी बड़ी काले पत्थर की शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। यह भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें कुल 1106 श्लोक हैं। इसमें महाराणा राजसिंह द्वारा किये गये राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों का उल्लेख है। मेवाड़ के इतिहास के अध्ययन हेतु यह प्रशस्ति बड़ी उपयोगी है। यह प्रशस्ति पुस्तक रूप में साहित्य संस्थान उदयपुर द्वारा प्रकाशित की गई है। जो इसकी प्रतिलिपि वीरविनोद के अलावा एपीग्राफिया इण्डिका में प्रकाशित की गई है।

सन् 1834 में डॉ० राकीन तथा सार्जेंट दीन ने सीकर में हृषनाथ मन्दिर शिलालेख (वि स 1030) खोज निकाला। यह चौहानों के इतिहास को जानने के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कनिष्क, कार्लैयल, केप्टन बट, वनेल टांड आदि ने कई और शिलालेख खोज निकाले। इनके मूल पाठ व इनके अध्ययन हेतु 1872 में वर्गस द्वारा इण्डियन ऐण्टीक्वेरी का प्रकाशन आरम्भ किया गया। सन् 1877 में हल्सच द्वारा कॉर्पस इन्डोपनम इंडोकेरम सम्पादित होकर प्रकाशित हुआ जिसमें अशोक के अभिलेखों में बैराट का अभिलेख भी था। कॉर्पस के तीसरे भाग में बयाना का वि स 428 का विजयगढ़ यूप स्तम्भ शिलालेख तथा गगधर का वि स 480 का लेख भी प्रकाशित किया गया। इण्डियन ऐण्टीक्वेरी में राजस्थान

के कई महत्त्वपूर्ण शिलालेख, वि.स. 746 का शीतलेश्वर मन्दिर शिलालेख, 795 का बगसुवा मन्दिर शिलालेख, वि.स. 431 का नगरी शिलालेख आदि प्रकाशित हुए। मन् 1888 में 'इपिग्राफिया इण्डोका' का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया। इसमें अभिलेखों पर शोधपूर्ण लेख प्रकाशित होने लगे। राजस्थान के कई अभिलेखों को भी इसमें महत्व दिया गया। राजस्थान के प्राचीन इतिहास पर इस कारण नया प्रकाश पड़ा। बाद के वर्षों में कई स्थानों पर पुरातत्व सर्वेक्षण से विभिन्न राजवंशों के शिलालेख मिले। ऐसे अभिलेखों की सूची देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर द्वारा प्रकाशित 'द लिस्ट ऑफ इन्डियन इन्डिया' में मिलती है।

उपरोक्त अभिलेखों के अलावा भी कई अभिलेख हैं जो एपिग्राफिया इण्डिका, इन्डियन एण्टीक्वेयरी, वरदा, शोध पत्रिका, जनरल ऑफ रायल एशियाटिक सोसाइटी, जनरल ऑफ जगदीशसिंह गहलोत रिजर्व इस्टीमेट, आदि में प्रकाशित हो चुके हैं। योर्कई अभिलेख डॉ. भगवानलाल इन्द्रजी के 'गुजरात का प्राचीन इतिहास, भावनगर के रावन तख्तसिंह के 'भावनगर प्राचीन शोध संग्रह', विजयधम सूरी का 'प्राचीन लेख संग्रह' डॉ. फ्रेडरिक्स फनीटके 'गुला इमक्रिपान्म, सेमिल वेडल के 'जर्नी ऑफ लिटरेरी एण्ड आर्कियोलोजिकल रिमच इन नेपाल एण्ड नादन इण्डिया' मुनि जिन विजय के 'प्राचीन जैन लेख', पूणचन्द नाहर के 'जैन लेख संग्रह' (तीन जिल्दें), गुणवीरसिंह गहलोत, सोहन कृष्ण पुरोहित व नील कमल शर्मा के 'राजस्थान के प्रमुख अभिलेख', में दिये गये हैं। राजस्थान के प्राचीन अभिलेखों का सांस्कृतिक अध्ययन श्यामप्रसाद व्यास ने अपनी इसी नाम की पुस्तक में किया है। फारसी भाषा के जगदानर अभिलेख एपिग्राफिया इण्डो मोन्टेमिका, रिमचर, एपिग्राफिया इण्डिका परबिय एण्ड पश्चिम, एयुन रिपोर्ट्स ऑन इण्डियन एपिग्राफी में प्रकाशित हुए हैं।

पुरावस्तु

यम में यम 100 वर्ष पूर्व के प्राचीन बलात्मक व अलूत भवन, गुफाएँ, मस्तूएँ, पुरावस्तु रहताती है। प्राचीन स्मारक, या उनके अवशेष, मूर्तिया, भग्नावशेष, पुराने मण्डप, ऐतिहासिक महत्व के अवशेष आदि इतिहास जानने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। राजस्थान के बलात्मक पुरावस्तुओं ने इतिहास लेखकों को महत्व प्राप्त किया है। यहाँ के कुछ स्मारकों के विषय में सबसे पहले जानकारी हमें जेम्स पगुसन द्वारा मन् 1827 व 1847 के बीच दी गई थी। बाद में ब्राउन रिपोर्टों में प्राप्त हुआ है। मन् 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कनिष्क की अध्यक्षता में की गई। तब कनिष्क राजस्थान का दौरा कर कई महत्वपूर्ण स्थानों का सर्वेक्षण किया। तब ही 1864 में बराट अगे स्थापना की भी शुरु हुई। कनिष्क के निर्देश में बरगमैन ने 1871-73 में स्थापना की भी शुरु हुई। कनिष्क के निर्देश में बरगमैन तथा कनिष्क स्मारक का देखा गया मन् 1892-94 में राजस्थान के कई इतिहासिक तथा कलात्मक स्मारकों में शोध किया। उस समय परिष्कृत और सभ्यतावादी का परिचय उचित प्रदात करने में सहायता मिली। उस समय परिष्कृत और सभ्यतावादी का परिचय उचित प्रदात करने में सहायता मिली।

भारत सरकार ने 1881 में 'मेजर कॉन को प्राचीन स्मारकों का संरक्षण' नियुक्त किया। उसने प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिये काफी महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने 22 भागों में 'प्लिनिनेरी रिपोर्ट्स ऑन मोनुमेंट्स' प्रकाशित की। सन् 1881 में उसी के अन्तर्गत राजपूताना पर भी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें आबू, अजमेर, जयपुर, अलवर आदि के स्मारकों का उल्लेख है। कई महत्वपूर्ण इतिहासिक भवनों को संरक्षित घोषित किया गया तथा उनकी मरम्मत कराई गई। सन् 1904 में पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी के रूप में देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर की नियुक्ति की गई। उन्होंने राजस्थान के पुरातात्विक अवशेषों व स्मारकों का विस्तार से सर्वेक्षण किया। उनके द्वारा तैयार की गई रपटें 'प्रोप्रेस रिपोर्ट ऑफ द आर्कोलोजिकल सर्वे, वेस्टन सकल, पूना' में राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला व स्मारकों के अध्ययन के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने ही 1915-16 में नगरी (प्राचीन मध्यमिका) की खुदाई कराई थी जहाँ से ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से सातवीं शताब्दी तक के कई सिक्के, मूर्तियाँ, अभिलेख आदि मिले। जॉन मार्शल स्वयं ने 1933-34 में भण्डार की खुदाई करवाई तब गुप्त तथा प्रतिहार काल के कई अवशेष मिले। यहाँ अरब आक्रमणकारियों के 30 सिक्के भी मिले। मार्शल ने कई स्मारकों के संरक्षणों हेतु भी सुझाव दिये। ऐसे स्मारक अजमेर के महल, कणसुभा का शिव मन्दिर, रामगढ़ का माताजी का मन्दिर, शाहवाद की मस्जिद आदि हैं। दयाराम साहनी ने महा निदेशक पुरातत्व विभाग पद से 1935 में सेवानिवृत्त होने के बाद, जयपुर राज्य के वैंराट व साभर में खुदाई का कार्य कराया। तब वहाँ कई प्राचीन मूर्तियाँ व अवशेष मिले।

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, राजस्थान में प्राचीन स्मारक दुर्ग, राजमहल, हवेलियाँ, मन्दिर, छत्रियाँ आदि काफी सख्या में हैं। यहाँ के कलात्मक मन्दिर तथा उनमें स्थित मूर्तियों के विषय में फगु शन, बर्निगम, कारलवल, गैरिक, वर्गेंस, भण्डारकर आदि ने काफी लिखा। जेम्स फगुसन की पुस्तक 'द हिस्ट्री ऑफ इण्डियन एण्ड ईस्टर्न आर्किटेक्चर' (1870) कनिंघम तथा उसके दो सहायकों - कारलेवल तथा गैरिक ने राजस्थान के स्मारकों के विषय में अपनी रिपोर्ट (1872-1874) में काफी प्रकाश डाला लेकिन उन्होंने ज्यादा महत्व उन स्मारकों की लम्बाई चौड़ाई आदि देने में ही दिया। उनकी कला के विषय में ज्यादा नहीं लिखा। इस कमी को देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर ने पूरा किया। उन्होंने स्मारकों की कला के साथ मूर्तिकला पर भी काफी प्रकाश डाला। उनमें लगे शिलालेखों का भी उल्लेख करके उन स्मारकों से सम्बंधित कथा कहानियों का भी वर्णन किया। इस से उनके निर्माताओं के इतिहास का भी पता चलता है। उनकी महत्वपूर्ण रपटें - 'प्रोप्रेस रिपोर्ट ऑफ आर्कोलोजिकल सर्वे, वेस्टर्न सकल' कई मन्दिरों को प्रकाश में लाई हैं। इन मन्दिरों में स्थित मूर्तियाँ, शिला पट्टों, कलात्मक स्तम्भों व वल्लियों का भी प्रचुर मात्रा में वर्णन किया गया है। बाद के वर्षों में इनकी कला के विषय में यू.पी. शाह, एम. ए. डाक्री, कृष्णदत्त,

रत्न चन्द्र अग्रवाल, के वी सुदरराजन आदि ने काफी बारिकी से अध्ययन कर लेख लिखे। इनके लेखन से ममार को पता चला कि राजस्थान में स्थापत्य कला का अग्रवर्ग भण्डार है। राजस्थान के स्मारकों का विवरण जगदीशमिह गहलोट कृष्ण 'राजपूताना का इतिहास' में भी मिलता है। उनकी 'स्वतंत्रता-पूर्व राजस्थान' में भी स्थापत्य कला केन्द्रों का विवरण देखा जा सकता है।

मूर्तियाँ — पुरावस्तुओं में मूर्तियों का बड़ा महत्व है। ये मूर्तियाँ विभिन्न रंग के पत्थरों के अलावा तांबा, पीतल या अन्य धातु आदि से बनी मिलती हैं। कालीबंगा, आहाड आदि प्रागैतिहासिक युग की मूर्तियाँ पकी हुई मिट्टी की बनाई गई थीं। नोह, लालसोट, आभानेरी, कामवन, कोटा आदि से गुप्त काल की मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। चन्द्रावती (भारतपुराण), नागफणी (झुंजरपुर जिला) में भी गुप्त काल की कई मूर्तियाँ मिली हैं। गुप्तकाल के महामारु शली के कई मन्दिर मेवाड के अलावा, जालोर मण्डौर, अमभरा (झुंजरपुर जिला) आसिया आदि में बना इन मन्दिरों की मूर्तियाँ शिल्प की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। उदयपुर में जगत मन्दिर में उमामहेश्वर, वीणाधर शिव, कल्याणपुर की गणेशमूर्ति, पत्नू की सरस्वती प्रतिमा शिल्प के अच्छे उदाहरण हैं। डीडवाना से प्राप्त काले पत्थर से बनी विष्णु की मूर्ति आभानेरी की विष्णु मूर्ति, लोदरवा के जैन मन्दिर की गणेश मूर्ति, आसिया की सचियामाता की प्रतिमा धार्मिक सहिष्णुता को प्रदर्शित करती है। चित्तौड़ के कीर्ति स्तम्भ की मूर्ति तो स्पष्ट बतलाती है कि पन्द्रहवीं शताब्दी में मूर्तिकला का विकास अपने शिखर पर था। उदयपुर के जगदीश मन्दिर की मूर्ति भी बड़ी कलात्मक है। धातु की प्रतिमाएँ आबू, वनतगढ़, पिण्डवाडा आदि में देखी जा सकती हैं।

स्मारकों व प्राचीन स्थलों की राष्ट्रीय महत्ता का विचार कर इन का आरक्षित स्मारक, 'एण्टिक्वीटीज एण्ड हिस्टोरिकल मोनुमेण्ट्स एण्ड आर्कैलोजिकल साइट्स एण्ड रिमेम (डिकलेरेशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस) एक्ट 1951' के अन्तर्गत घोषित किया गया। भारत में ऐसे स्मारक ज्यादातर राजस्थान के ही थे। इन स्मारकों पर 'एशियेण्ट मोनुमेण्ट्स एण्ड आर्कैलोजिकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट 1959' लागू किया। राजस्थान में ऐसे स्मारक थे — चित्तौड़गढ़, कुम्भलगढ़, जैसलमेर व रणथम्भौर के दुर्ग, आभानेरी, हर्षनाथ, बिजोलिया, नागदा नगरी आदि के मन्दिर, जो अब केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में आ गये। प्राचीन महत्व के स्मारकों की सुरक्षा के लिये राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान मोनुमेण्ट्स एण्ड आर्कैलोजिकल साइट्स एण्ड एण्टिक्वीटीज एक्ट 1961', सन् 1964 से लागू किया।

यों कुछ रियासतों में भी स्वतंत्रतापूर्वक काल में ऐतिहासिक स्मारकों एवं पुरातत्व स्थलों के विषय में ध्यान बन चुके थे। जोधपुर में 'मारवाड एशियेण्ट मोनुमेण्ट्स प्रिजर्वेशन आर्डिनेंस' 1928 में बन गया था तथा उसके अन्तर्गत 20 स्मारक ऐतिहासिक व कलात्मक महत्व के घोषित हो चुके थे। जयपुर राज्य में

जयपुर ऐंशियेण्ट मानुमेण्टस प्रिजवेशन एक्ट' 1941 में बन गया था जिसके अन्तगत स्मारकों को सरकार ने संरक्षण तो दिया ही लेकिन वहां में किसी कलात्मक वस्तु या पुरातत्व महत्व की वस्तु हटाना भी अपराध माना गया था। इस कारण यहां के स्मारक व उनमें लगी मूर्तियां व शिलापट्ट इतिहास लिखने में काफी सहायक सिद्ध हुए।

चित्रकला—यहां के लोगों की प्राचीन काल से ही चित्रकला के प्रति रुचि रही है। मुवन्दरा की पहाड़ियों तथा अरावली पर्वत श्रृंखला में वी एस वाकणकर, व जगन नारायण श्रीवास्तव ने कई प्राचीन शैल चित्रों का पता लगाया है तथा अपने लेखों में व्योरा दिया है। इन चित्रों में मानव एवं जानवरों की आकृतियां काफी हैं। ये चित्र शिकार, पूजा पाठ, टोटका आदि से सम्बन्धित हैं। ज्यादातर चित्र लान, पीले और हरे रंग से चित्रित किये गये हैं। कालीबंगा, आहाड आदि की बुवाई से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर भी काली व सफेद रेखाओं, फूल पत्ती, एवं भोज पत्रों पर चित्रकारी बारहवीं शताब्दी के सचित्र ग्रथों पर मिलती है। ऐसे सचित्र ग्रथ जैसलमेर के जन भण्डार से प्राप्त हुये हैं। वहां कई चित्र पट्टिकाएँ हैं। इन पर जैन साधुओं, पशु पक्षी, पेड़ पोये आदि चित्रित हैं। अजमेर, पाली, आबू, आहाड, आदि ऐसे चित्रकारों के मुख्य केन्द्र थे। ग्यारहवीं पंद्रहवीं शताब्दी तक के सचित्र ग्रथों में निशीथचूर्ण, त्रिपट्टिशालाकापुरुष चरित्र, नेमिनाथ चरित्र, कथा महित्यगर कालक कथा, सुपासना चरियम्, रमिकाटक, गीत गोविन्द आदि हैं।

विभिन्न राजदरबारों में आश्रित चित्रकारों ने अपने अपने ढंग से चित्र बनाने आरम्भ किये। अतः विभिन्न चित्र शैलियों मेवाड शैली, जयपुर शैली, मारवाड शैली, बून्दी शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, नाथद्वारा शैली आदि का विकास हुआ। मारवाड शैली का उत्तराध्ययन सूत्र, पञ्चतंत्र, शुकनासिक चरित्र, जयपुर शैली के वारामासा, रागमाला, भागवत आदि के चित्र इनके उदाहरण हैं। नाथद्वारा की कलम में बने पुष्टि माग से प्रभावित श्रीनाथजी के चित्र तथा प्रकृति के चित्र बड़े सुन्दर हैं। इन चित्रों में राम, कृष्ण आदि की लीलाओं के अलावा समकालीन समाज के जीवन व दशन पर काफी प्रकाश पड़ता है। राजस्थान के चित्रों का व्यवस्थित अध्ययन डा आनन्द कुमार स्वामी ने आरम्भ किया था। उनके द्वारा सन् 1912 में राजपूत चित्रों पर लिखे लेख ने पश्चिम देशों में हलचल मचा दी और तब उनकी पुस्तक 'राजपूत पेंटिग्स' (दो भाग) 1916 में तथा 'केटलॉग ऑफ इण्डियन कलेक्शन इन द म्यूजियम ऑफ फाईन आर्ट्स बोस्टन (6 भाग)' 1926 में प्रकाशित हुई। तब उनकी राजपूत चित्रों पर विद्वत्तापूर्ण शोध को सार भर में सराहा गया। उन्होंने अपनी शोध में यह स्पष्ट कर दिया कि राजपूत शैली मुगल शैली से पूणतया भिन्न है तथा वह स्थानीय परम्परा के अनुरूप है। ओ सी गागुली ने उस शोध को आगे बढ़ाया और उन्होंने इस विषय में 'मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग' और 'रागस एण्ड

रागनीज' पुस्तके लिखी। हरमन गोट्स ने अपनी लिखित पुस्तक, 'ग्राट एण्ड आर्किटेक्चर ऑफ वीकानेर' में यह प्रतिपादित किया कि राजस्थानी चित्र शैली की और भी उपशैलियाँ — मारवाड़ी शैली, नागौर शैली, बीकानेर शैली आदि हैं। इस विषय में उन्होंने कई लेख विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय छायाति प्राप्त पत्र-पत्रिकाओं में लिखे। उनके लेख गुजराती शैली के चित्रों की राजस्थानी चित्र शैली की देन पर ज्यादा थे। डॉ. मोतीचंद्र ने पश्चिमी भारत के जैन ताम्र चित्रों के विषय में काफी लिखा। जैसलमेर के जैन ग्रंथ भण्डारों में चित्रित ग्रंथों के विषय में एस. एम. नवाब ने 'द ओल्डस्ट राजस्थानी पेण्टिंग्स फ्रॉम जैन भण्डारों' लिखकर राजस्थान में विभिन्न सग्रहों के विषय में लोगों की रुचि उत्पन्न कर दी। राजस्थानी चित्र शैलियों के विषय में राय कृष्णदास की 'भारतीय चित्र कला' तथा राम गोपाल विजयवर्गीय की 'राजस्थान चित्रकला' महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। बाद के वर्षों में प्रमोद चंद्र, यू. पी. शाह, वासुदेव शरण अग्रवाल, काल खलवाल, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव आदि ने राजस्थानी चित्र शैलियों पर कई लेख लिखे। इसके कारण देश विदेश में कई विद्वान राजस्थानी चित्र शैलियों की ओर आकर्षित हुए। कई पुस्तकें विशनगढ़ पेन्टिंग्स, मेवाड़ पेन्टिंग्स, बून्दी पेन्टिंग्स आदि पर भी लिखी गईं। इस प्रकार से इन चित्रों के सम्बन्ध में लिखी पुस्तकों से राजस्थान के सांस्कृतिक इतिहास को लिखने में काफी सहायता मिली है।

भित्तिचित्र — अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में काफी भित्तिचित्र बने। या इसके पहले भी मन्दिरों और राजप्रसादों में भित्तिचित्र बनते रहते थे। ऐसे चित्र चित्तौड़गढ़ के प्राचीन महलो, उदयपुर के महलो, अमेर के महलो, कोटा के भालमसिंह की हवेली, नाडोल के जैन मन्दिर, सूरजमल (भरतपुर) की छतरी आदि में बने हैं। ये चित्र आलागीला पद्धति से बनाये गये थे। जैसलमेर, बीकानेर शेखावाटी आदि की हवेलियाँ में भी कई भित्तिचित्र हैं। भित्तिचित्रों पर अचना कुलश्रेष्ठ की 'राजस्थान के भित्तिचित्र' उल्लेखनीय पुस्तक है।

सिक्के — ढला हुआ और निर्दिष्ट मूल्य का धातु का टुकड़ा, जिसका प्रयोग वस्तु विनिमय के लिए किया जाता है सिक्का कहलाता है। सिक्के के मूल्य वर्ग का निर्धारण और उसको जारी करने का अधिकार प्राधिकृत सघों या शासन में निहित होता है। सिक्के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं भौतिक जीवन पर काफी प्रकाश डालते हैं। इनके प्राप्ति स्थलों से काफी सीमा तक राज्यों के विस्तार का पता चलता है।

राजस्थान के प्राचीनतम सिक्कों में धातु के टुकड़ों पर विशिष्ट चिह्न टंकित होते थे और इस कारण आहत सिक्के कहलाते हैं।

सिक्कों के ढेर राजस्थान में काफी मात्रा में विभिन्न स्थानों पर मिले हैं। सन् 1871 में कार्लायल को नगर (उणियारा) में लगभग 6000 मालव सिक्के मिले थे जिससे बड़ा मालवों के आधिपत्य तथा उनकी समृद्धि का पता लगा है। सन् 1933 में

जयपुर जिले के भिकराय गाव के निकट सम्राट चन्द्रगुप्त के 39 सोने के सिक्के मिले थे। सन् 1938-39 में जब के एन परी ने रैड (टोक जिला) की खुदाई कराई थी तब भी वहाँ 3175 गंधिया सिक्के मिले थे। ये सिक्के मौर्य काल के थे। इनका विवरण 'रिपोर्ट ऑन द एक्मकेवेशन एट रैड' में मिलता है। सन् 1948 में वयाना में 1921 गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के मिले थे। ये सिक्के चन्द्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम आदि के हैं। इन सिक्कों के विषय में ए एस अल्लेकर ने 'केटलॉग, ऑफ द गुप्ता गोल्ड कॉइन्स इन द ययाना होड' में पूर्ण विवरण दिया गया है। अजमेर संग्रहालय के अधीक्षक यू सी भट्टाचार्य ने अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में पीपलाज गाव में मिले 3000 गंधिया सिक्कों के विषय में काफी लिखा है।

तत्कालीन राजपूताना की 'रियामतों के सिक्कों के विषय में ड ड वेव ने, 1893 में 'द करेमीज ऑफ दी हिन्दू स्टेट्स ऑफ राजपूताना' पुस्तक लिखी जो आज भी अद्वितीय मानी जाती है। कनिंघम ने 1894 में 'काइन्स ऑफ मेडोवियल इण्डिया' प्रकाशित की जिसमें भी राजपूताना के सिक्कों का विवरण दिया है। सिक्कों के विषय में तीन और पुस्तकें—ई थोमस की 'द नॉनिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ देहली' (1871), ई जे रेपसन की 'इण्डियन कॉइन्स' (1897) तथा वी ए स्मिथ की 'केटलॉग ऑफ कॉइन्स इन दि इण्डियन म्यूजियम कलकत्ता' (1906) भी हैं। मारवाड़ के सिक्कों पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक विश्वेश्वरनाथ रेऊ की 'कॉइन्स ऑफ मारवाड़' (1946) है जिसमें मारवाड़ क्षेत्र में मिले प्राचीन काल से वर्तमान काल तक के सिक्कों का प्रमाणिक विवरण है। इनमें आठवीं-नववीं सदी के अरब सिक्को जो मण्डोर व चोहटन में मिले थे, का विवरण है। जगदीशसिंह गहलोत ने अपने ग्रन्थ राजपूताना का इतिहास में सभी रियामतों के सिक्कों का सक्षिप्त विवरण दिया है। सिक्कों पर एक और पुस्तक ब्रजमोहनसिंह परमार द्वारा लिखित "युग-युगों में राजस्थान-सिक्कों के माध्यम से" काफी महत्वपूर्ण है।

संग्रहालय — संग्रहालय वह भवन है जहाँ कलात्मक वस्तुओं, विशिष्ट युगीन महत्वपूर्ण उपलब्धियों से सम्बद्ध उपकरणों या स्थायी महत्व की कलाकृतियों का सुरक्षित रूप से एकत्रित किया और व्यवस्थित रूप से प्रदर्शनाय रखा जाता है। सामान्य भाषा में इसे अजायबघर भी कहा जाता है क्योंकि जनसाधारण की दृष्टि में, वहाँ अनेकों विचित्र विलक्षण अद्भुत किन्तु कलात्मक वस्तुएँ देखने को मिलती हैं। संग्रहालयों की वस्तुओं के महत्व को आकने के लिए कभी कभी अनुकृतियों, चाटों, छात्राचित्रों आदि का भी प्रयोग किया जाता है। इनसे इतिहास लेखन में काफी सहायता मिलती है। यह हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान में जितने संग्रहालय हैं उतने किसी अन्य प्रांत में नहीं हैं। इन संग्रहालयों के अध्यक्ष के रूप में डा गौरीशंकर होराचन्द ओझा, प विश्वेश्वर नाथ रेऊ, श्री रत्नचंद्र अग्रवाल, श्री जगदीशसिंह गहलोत आदि जैसे इतिहासकारों ने काम किया है।

कला व पुरातत्व इतिहास के पूरक होते हैं। अतः कलात्मक व पुरातात्विक

वस्तुओं के संग्रहालयों से इतिहास लेखन में बड़ी सहायता मिली है। राजस्थान के युगयुगीन जीवन एवं संस्कृति के सम्बन्ध में इन संग्रहालयों में काफी सामग्री संग्रहित है। इन संग्रहालयों की विवरणात्मक पुस्तिकाएँ भी इतिहास शोधकों के उपयोग हेतु प्रकाशित की गई हैं। इन में उन संग्रहालयों की भूमितियों, अभिलेखा, चित्रों, कलात्मक वस्तुओं व हस्त कला के नमूनों पर काफी प्रकाश डाला गया है।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में जयपुर, वज्रपुर रियासतों में संग्रहालय स्थापित हुए। अतः 1886 में अलवट हॉल म्यूजियम जयपुर में तथा 1840 में विक्टोरिया हॉल म्यूजियम उदयपुर में खोला गया। इनमें इन रियासतों के विभिन्न क्षेत्रों से मिली प्राचीन वस्तुएँ, शिलालेख, सिक्के, मूर्तियाँ, पोशाकें, आदि, जो इतिहास व संस्कृति से सम्बन्धित थीं, रखी गईं। प्राचीन संग्रहालय के रूप में 1908 में राजपूताना संग्रहालय अजमेर में खोला गया। इसमें राजपूताना के विभिन्न क्षेत्रों की इतिहास व संस्कृति से सम्बन्धित वस्तुएँ रखी गई हैं। इस संग्रहालय के अध्यक्ष गौरी शंकर हीराचन्द शोभा नियुक्त किये गये जो लगभग 30 वर्ष तक उस पद पर काम करते रहे। जोधपुर में 1909 में कलात्मक तथा औद्योगिक वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई और उनको बाद में सुरक्षित रखने को "मारवाड़ औद्योगिक संग्रहालय" स्थापित किया गया जिसे 1914 में इतिहास सम्बन्धी वस्तुओं का संग्रहालय बना दिया गया, और 1917 में सरदार संग्रहालय नाम दे दिया गया। सन् 1914 में इसके अध्यक्ष विश्वेश्वर नाथ रेड्डी बनाये गये जो इस पद पर लगभग 30 वर्ष तक काम करते रहे। सन् 1936 में यह उम्मेद उद्यान के भवन में स्थानान्तरित किया गया जहाँ वह अब भी स्थित है। इस संग्रहालय में रत्नचन्द्र अग्रवाल, जगदीशसिंह गहलोत आदि इतिहासज्ञ व पुरातत्त्वान्वेषी ने अधीक्षक के रूप में काम करते इस संग्रहालय को काफी समृद्ध तथा आकर्षक बनाया।

लू पि तंसीतोरि ने 1915-16 में बीकानेर राज्य में कई कलात्मक तथा पुरातात्विक महत्व की वस्तुएँ इकट्ठी की जो प्रारम्भ में बीकानेर के लालगढ़ राजमहल में सुरक्षित रखी गई थी। महाराजा गंगासिंह ने इनको जनता के ज्ञान-वर्धन हेतु 1937 में गंगा गोलडन जुबली संग्रहालय बनवाकर स्थानान्तरित कर दिया। बाद में एक नया भवन 1954 में बनवाकर अन्तिम रूप में बड़ा संग्रहित किया गया। इसमें कई प्रकार की मूर्तियाँ, कलात्मक वस्तुएँ, चित्र आदि हैं। सन् 1915 में ही भालावाड़ के महाराजराणा भवानीसिंह ने भालावाड़ में एक संग्रहालय स्थापित किया जिसमें कई शिला लेख, मूर्तियाँ, शिलापट्ट आदि संग्रहित किये गये।

सन् 1940 में अलवर राज्य की पुस्तकशाला, सिलहखाना व तोपखाना की वस्तुएँ अलवर में एक संग्रहालय बनाकर प्रदर्शित की गईं। इसी वर्ष इसी प्रकार भरतपुर में भी सावजनिक पुस्तकालय में राज्य में मिले पुरावशेषों को संग्रहित किया गया। सन् 1944 में लोहागढ़ दुर्ग में अलग से राजकीय संग्रहालय स्थापित किया गया। कोटा व सीकर में संग्रहालय 1945 में स्थापित किए गये।

इस प्रकार राजस्थान के निर्माण तक कुल 12 संग्रहालय-अजमेर, जयपुर, अमेर अलवर, भरतपुर, कोटा, बू दी, झालावाड, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर व सीकर में थे। राजस्थान बनने के बाद झुगपुर आहोड़, आबू, मण्डौर, चित्तौड़गढ़ व पाली में नये संग्रहालय स्थापित किये गये। निजि सस्थातो में सागरिया (जिला, गगानगर) में भर छो राम संग्रहालय तथा पिलानी जिला झूझनू) में विडला संग्रहालय स्थापित किये गये।

पुरालेखागार—विशिष्ट प्रशासकीय निकाय के लिखित प्रलेख तथा उसकी प्रकाशित सामग्री जिसे अधिकृत रूप से, कार्यालय विशेष या पुरालेखागार में अभिरक्षा और भावी सदमें के लिए सुरक्षित रखा जाता है, पुरालेखागार कहलाता है। पुरालेखागार में रखे सामान्यत 40 वर्ष पुराने अभिलेखों को शोध आदि प्रयोजनों के लिए पाठक बिना किसी प्रतिबन्ध के देख व प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न रियासतों में न केवल प्रशासकीय प्रलेखों को व्यवस्थित रूप में रखा जाता था बल्कि पाण्डुलिपियों, ग्रंथों आदि का भी संग्रह किया जाता था। इनके अलावा ऐसे संग्रह न केवल विद्वानों बल्कि मन्दिरों, मठों, उपासकों, हवेलियों राजमहलों आदि में भी मिलते हैं। ऐसा अनुमान है कि सबसे बड़ी ग्रंथ सम्पदा राजस्थान में ही है। जैसलमेर का जिनभद्रसूरि ज्ञान भण्डार, बीकानेर का अनूप संस्कृत पुस्तकालय, जयपुर का पोथीखाना, जोधपुर का महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश उदयपुर का सरस्वती भण्डार विद्ययात ग्रन्थालय है।

डी आर भण्डारकर के ही बड़े भाई एस आर भण्डारकर ने 1905-06 में राजस्थान के कई राज्यों में संग्रहित प्राचीन ग्रंथों की खोज की। जैसलमेर के ज्ञान भण्डार तथा बीकानेर, नागौर, जयपुर, उदयपुर, किशनगढ़, अलवर आदि में कई महत्वपूर्ण पोथियाँ ढूँढ निकाली। इनका प्रकाशन उन्होंने अपनी 1907 की रिपोर्ट में किया। उन्होंने ही जैसलमेर के भाटी शामको के कई शिलालेखों का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में किया था। बाद में इनकी विद्वान लुगी पिजो तेस्सितोरी ने कई प्राचीन राजस्थानी ग्रंथों-राठौड़ पृथ्वीराज री वेलि क्रिमण रुकमणी री, छद राउ जइतसीरो वीठू सूजारोकेंद्री, वचनिका राठौड़ रतनसिंह जी री महेश दासोत री खिडिया जगा री कही, आदि को ढूँढा व उनका सम्पादन किया। इस विषय में उनकी पुस्तक 'ए डीस्कपटिव कैंटलॉग ऑफ वार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल मेनुस्क्रिप्ट्स' बड़ी महत्वपूर्ण है। तेस्सितोरी ने ही सर्वप्रथम यहाँ की भापा का नाम पुरानी गुजराती के स्थान पर पुरानी पश्चिमी राजस्थानी नाम दिया तथा इसकी पुष्टि में कई लेख लिखे। उन्होंने लगभग 4 वर्ष तक (1915-1919) जोधपुर व बीकानेर में खोज कार्य कर अपनी खोज 'जनल ऑफ द एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल (1915-18)' में 228 पृष्ठों में (छपी) प्रकाशित की। जगदीशसिंह गहलोत के शब्दों में 'तेस्सितोरी के राजस्थान के प्रति प्रेम तथा राजस्थानी के प्रति की गई सेवाएँ स्वर्णक्षरो में लिखी जानी चाहिए'।

दुःख की बात यह है कि वह 32 वर्ष की आयु में ही (1919 में) महाप्रान्त कर गये ।

राजस्थान के अन्य बड़े ग्रथागार हैं प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, निम्की शाखायें जयपुर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, चित्तौडगढ़ व कोटा में हैं । टोक में भरबी व फारसी ग्रन्थों का ग्रथालय है । इन ग्रथागारों में न केवल पुस्तक बल्कि कई प्राचीन पाण्डलिपियां, ऐतिहासिक दस्तावेज आदि हैं । राजस्थान के बाहर ऐतिहासिक प्रलेखों का सबसे बड़ा संग्रह दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार है । मध्यप्रदेश के सीवता मऊ में नटनागर शोध संस्थान में भी राजस्थान के इतिहास सम्बन्धि सामग्री डा. रजुवीर सिंह के मद्प्रयत्नों से एकत्रित है ।

प्राचीन ऐतिहासिक साहित्य—राजस्थान इतिहास लेखन के लिये मन्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी, फारसी, हिन्दी आदि की वृत्ति बड़ी उपयोगी है । इन वृत्तियों के रचयिता या तो राज्याश्रय प्राप्त थे या स्वतन्त्र सुभाष लिखने वाले थे । इन कृतियों में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक गतिविधियों, धार्मिक मान्यताओं, युद्ध प्रणाली आदि पर काफी प्रकाश पड़ता है । या युद्ध ग्रंथों में रचयिताओं द्वारा अपने आश्रयदाता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन तथा कुछ सुनो सुनाई वानों का उल्लेख कर देने में उन पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता फिर भी उनका ऐतिहासिक महत्व कम नहीं हो जाता है । आवश्यकता यह है कि इन ग्रन्थों का वैज्ञानिक ढंग से सम्पादन हो । तब ही इनका महत्व बढ़ेगा और इनका इतिहास लेखन हेतु पूर्णरूपेण उपयोग हो सकेगा ।

संस्कृत काव्य ग्रंथ इतिहास से सम्बन्धित संस्कृत की कृतियां मूलतः काव्य रूप में मिलती हैं । विभिन्न कवियों ने इतिहास विषयक काव्य ग्रंथों की रचना की । ऐसे काव्य ग्रंथ हैं—पद्मनाथ परिमल का नवमाहमाक चरित्र, कल्हण आदि का राजतरंगिणी, जयानक का पृथ्वीराज विजय, नयन चन्द्र का हम्मौर महाकाव्य, उदयराज का राजत्रिनोद महाकाव्यम्, विहारी का सधार्मासिंह महोदयम्, रघुनाथ का जगतसिंह काव्य, मोहन भट्ट का जगतसिंहाष्टक, जीवाधर का अमरमार, गगाराम भट्ट का हरिभूषण महाकाव्यम्, मदाशिव का राजरत्नाकर, लाल भट्ट का राजसिंह प्रभोवर्णनम्, मुकुन्द शान्त्रिय का राजसिंहाष्टक, रणछोड भट्ट का अमरकाव्यम्, वैकुण्ठ व्यास का अमरमिहाभिवेक काव्य, मंगल का अमरनाम रत्न काव्य, जगजीवन भट्ट का अजितोदय महाकाव्यम्, कृष्ण भट्ट का देशधर विलास महाकाव्यम्, सीताराम भट्ट का जयवदा महाकाव्यम्, शृण्णाराम भट्ट का कच्छवदा महाकाव्यम्, यमुनादत्त शास्त्री का वीरतरंग आदि । इन काव्य ग्रन्थों में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक पहलुओं पर काफी लिखा गया है तथा अनेक इतिहास लेखन हेतु उपयोगी हैं ।

जैन साहित्य—यह साहित्य मूलतः जैन तीर्थंकरों की महत्ता, जैन धर्म के आदिगणों की विरचना आदि से ही सम्बन्धित है लेकिन इनसे कई ऐतिहासिक

तथ्य भी मिलते हैं। जैन मुनि अपने ग्रंथों में तिथियाँ व सवत् अवश्य देते थे अतः उनके साहित्य से कई ऐतिहासिक घटनाओं की गुत्थियाँ खुल जाती हैं। ऐसी इतिहास सहायक पुस्तकें हैं - धनपाल रचित सत्यपुरम्, जिनपाल कृत चरतरगच्छ जिनेश्वर रचित कथाकोश, विजय सूरि का मान्तु ग मानवती रास, हेमरतन का गौरा वादल चरित्र, लक्ष्मणोदय का पद्मनी चरित्र चौपाई, जयचन्द्र जयविमल की सईवी आदि। इन पर समीक्षात्मक रूप में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तक वन्सुरचन्द कामलीवाल की 'राजस्थान के जैन सत व्यक्तित्व एवं कृतित्व' है।

राजस्थानी साहित्य इतिहास विषयक राजस्थानी कृतियाँ गद्य व पद्य दोनों में मिलती हैं। मध्यकाल में यहाँ जो अनेकानेक युद्ध हुए उनका काफी वर्णन राजस्थानी कृतियों में प्राप्त होता है। ज्यादातर रचनाकारों को राज्याश्रय प्राप्त था अतः उन्होंने अपने आश्रयदाता का अतिशयोक्तिपूर्ण यशोगान किया है लेकिन उनमें आँखोंदेखा ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण भी मिलता है। उनसे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक गतिविधियों, धार्मिक भावनाओं, युद्ध के तौर तरीकों आदि पर भी प्रकाश पड़ता है। ऐसी ऐतिहासिक गद्य कृतियाँ में ख्यात, वात, विगत, वशावली, हाल, हकीकत, याददास्त, वही आदि को ले सकते हैं। राजस्थानी पद्यकृतियों में रासो, विलास, प्रकास, रपन, वचनिका, वैलि, भमाल, झूलणा, निलोका, दवावैत, नीसाणी, मरस्या, दूहा, छंद आदि को ले सकते हैं। राजस्थानी साहित्य की इन ऐतिहासिक रचनाओं का सम्पादन होना चाहिये ताकि शोधार्थी उपयोगी सद्भद्र ढुङ्ग निम्नाल सके। तब ये और ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकेंगी।

प्रकास—किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों का नाम प्रकास रखा गया है। ये ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ऐसे प्रकास हैं—किशोरदास का राजप्रकास आशिषा मानसिंह का महायश प्रकास, कवियाँ करणीदान का सूरज प्रकास, रामदान तालस का भीमप्रकास, मोडा आशिया का पौख्रप्रकास, किशन सिढायच का उदयप्रकास, बटनावर का केहर प्रकास, कमजी दूधवाडिया का दीपक कुल प्रकास आदि।

ख्यातें - राजस्थान के इतिहास की सामग्री न केवल पद्य बल्कि गद्य में भी मिलती है। गद्य में यह सामग्री सत्रहवीं शताब्दी में कलमबद्ध की गई। यह साहित्य ख्यात, विगत, वात, हाल, हकीकत, वशावली, आदि के रूप में लिखा गया। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री ख्यातें हैं। ख्यातें प्राप्त, प्रसिद्ध, एवं लोकविश्रुत पुरुषों की जीवन घटनाओं का सग्रह ख्यात कहलाता है। ख्यात लेखकों में मुहणोत नैणसी, वाकीदास आशिया, दयालदास सिढायच और अजीतसिंह मेहता विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें मुहणोत नैणसी प्रमुख है।

राजस्थान के मध्यकालीन इतिहासकारों में मुहता नैणसी प्रमुख हैं जिसे

राजस्थान को अबुल फजल कहा जाता है। उसने अपनी 'ख्यात' में मारवाड़ का राजनैतिक इतिहास काफी विस्तार से दिया है। उसकी दूसरी पुस्तक 'मारवाड़ का परगना की विगत' है जिसमें मारवाड़ का राजनैतिक के साथ सामाजिक व आर्थिक इतिहास भी काफी मिलता है। बीकानेर के दयालदाम मिठायच (1798-1891) का नाम राजस्थानी ख्यातकारों में महत्वपूर्ण है। उसका सम्पूर्ण जीवन इतिहास लेखन और साहित्य सृजन में ही बीता। उसके द्वारा लिखित बीकानेर की राठोडा की ख्यात सुप्रसिद्ध है। उनके अन्य ग्रन्थ - देशदण्ड, बीकानेर की पट्टारों गावों की विगत, आर्यायान कल्पद्रुम व जस रत्नाकर हैं। उन्नीसवीं शती का वह अन्तिम परम्परिक ख्यातकार था। यो कुछ और भी ख्यात लिखी गई जिससे राजस्थान का इतिहास लिखने में काफी सहायता मिलती है। यथा मुदिदाड की ख्यात, कविराजा की ख्यात, जोधपुर राज की ख्यात आदि। सुप्रसिद्ध बाकीदास की ख्यात में लगभग 3000 फुटकर छोटी-छोटी बातों का संग्रह है। ये याददास्त के लिये लिखी गई थी अतः उसमें कोई नम नहीं है लेकिन यह संग्रह इतिहास से शोधकर्ताओं के लिए बड़ी उपयोगी।

जैसलमेर को अजीतसिंह मेहता ने राज्य का दीवान रहते अपने पुत्रों द्वारा संचित की गई इतिहास सामग्री के अनुसार ई सन् 1864 के लगभग 'जैसलमेर की ख्यात' लिखी जिसमें जैसलमेर के भाटी शामको का प्राचीन काल से ई सन 1864 तक का वृत्त है। इसमें प्रत्येक शासक के समय की कुछ मुख्य घटनाओं के सवत व तिथियाँ अंकित हैं। तत्कालीन लोकमान्यताओं, धारणाओं व सामाजिक आदर्शों का अच्छा चित्रण दिया है। इसी के आधार पर ई सन् 1891 में लिखमीच ने 'जैसलमेर की तबारीख' लिखी थी। इस प्रकार ख्यातकारों का राजस्थान इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। (ख्यातों के विशेष अध्ययन हेतु परिशिष्ट देखें।)

रासो-मध्यकालीन राजपूत शासकों ने विद्वानों और कवियों को अपने दरबार में उचित सम्मान दिया। वे राजाओं की प्रशंसा में काव्यों की रचना करते हुए उनके राजघरानों का भी विवरण लिखने लगे। इससे इन काव्यों में इतिहास की सामग्री मिलती है। ऐसे काव्यों को रासो कहा जाता है। रासो ग्रन्थ में चदरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल्ह का वीसलदेव रासो, कविया गोपालदास का 'मवस यश प्रकास या लावा रासो, दयालदास ब्रह्मदत्त का राणा रासो, नवाब अलफ खा उफ कवि जान का क्यामखाँ रासो, दौलत विजय का खुमाणरासो, गिरधर आसिया का सगत रासो, राव महेशदास का बिन्है रासो, कुम्भकण का रतन रासो हूगरसी का शत्रुकाल रासो, जोधराज का हम्मीररासो, जाचिक जीवण का प्रतापरसो, सीताराम रतु का जवानरासो आदि हैं।

(राजस्थानी ग्रन्थों में विशेष ग्रन्थ 'बान्हडदे प्रब व' व 'वस भास्कर' के लिये परिशिष्ट देखें।)

फारसी लव्वारीखें फारसी तवारीखो व दस्तावेजो का भी बड़ा महत्व है। ऐसी तवारिखो में सदरउद्दीन हसन निजामी की ताज-उल-मासिर, अमीर खुमरो की मिफता-हुल-फुतुह व खजाइनुल व फुतुह, शम्स सिराज अफीफ की तवारीख - ए - फीरोजशाही, शरफुद्दीन अली भाजदी का जफर नामा, अन्वास खा सेरवानी का तवारिख-ए-शेरशाही, जहीरुद्दीन बाबर का बाबरनामा, गुलबदन लिखित हुमायूँ नामा, अबुलफजल का अबरनामा, मुहम्मद कासिम हिन्दूशाह फरिस्ता का तवारीख-ए - फरिस्ता, निजामुद्दीन का तबकात-इ-अबकारी, अब्दुल कादिर वदायूनी का मुतखब-उ-तवारिख जहागीर का आत्मचरित्र तुजुक-ए-जहागीरी, काजिमी का पादशाहनामा, अब्दुल हमीद लाहोरी का पादशाहनामा, मुहम्मद गरिम का पादशाहनामा, इनायतखाँ का शाहजहाननामा खफीखा का मुन्तखब-उल-नवाब, मुहम्मद कामीम कृत आलमगीरनामा, ईश्वरदास नागर का फुतुहात इ-आलमगीरी इरादनखा का तवारीख-ए-इरादतखाना, खुशालचंद का तवारीख ए-मुहम्मदशाही, शिवदास लखनवी का मुनवर कलाम, अली मुहम्मद खा का मोरात-ए-अहमदी, मुहम्मद अलीखा अन्मारी का तवारीख-ई-मुज्जफरी, हरचरतदास का चहर गुलजार - ए - शुजाई, भुमावरनाल का अमीरनामा, ज्वालाप्रसाद का वारुफ-ए-राजपूताना, क लोराम कायस्थ का तवारीख-ए-राजस्थान, मुहम्मद उम्रेदुल्लाह फरहनी का तवारीख तुहुफ-ए-राजस्थान, के अनुवाद हिन्दी या अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। राजस्थान इतिहास लेखन हेतु ये बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। बादशाहों द्वारा जारी किये गये फरमानों, दरबार के अद्वारों आदि से भी राजस्थान के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है।

नये इतिहास ग्रन्थ—उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में विदेशी विद्वानों ने राजस्थान का इतिहास लिखने का प्रयास आरम्भ कर दिया था। राजस्थान के इतिहास के विषय में अति प्रसिद्ध ग्रन्थ बनल टॉड द्वारा लिखित 'अनाल्स एण्ड एण्टीक्वैटीज ऑफ राजस्थान' (82)-1832 के अलावा 'ट्रावल्स इन वेस्टर्न इण्डिया' (1839) उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में ही प्रकाशित हुए थे। सुनीतिकुमार चटर्जी ने टॉड के इतिहास को बंगाल की स्वतन्त्रता प्रेमी जनता के लिए नया महाभारत काव्य बतलाया है जिसको पढ़कर स्वतन्त्रता-प्रेमियों ने भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेना आरम्भ कर दिया। टॉड के इतिहास में वर्णित महाराणा प्रताप, राजसिंह, वीर दुर्गादास राठीड आदि वीर बंगालियों के स्वतन्त्रता नायक बन गये। बाद के वर्षों में मेजर स्ट्रैटन ने 'साट हिस्ट्री ऑफ कोटा स्टेट,' जे पी स्ट्रैटन ने 'चित्तौड़ एण्ड द मेवाड फेमिली', बनल जेम्स ब्रुक ने 'हिस्ट्री ऑफ जयपुर' सीवस ने 'नोटस ऑन जयपुर, जनरल साबास ने 'ए. मिसिंग चैप्टर ऑफ द इण्डियन म्युटिनी' आदि इतिहास ग्रन्थों की रचना की जिनके कारण विभिन्न रियासतों के राजाओं को अपने अपने राज्यों का इतिहास लिखवाने की रुचि जागृत हुई। कई रियासतों ने उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में इतिहास व पुरातत्व के अध्ययन हेतु इतिहास विभाग स्थापित किये। उदयपुर में महाराणा सज्जनसिंह ने मेवाड का इतिहास लिखाने हेतु 1877 में कवि-

राजा श्यामलदास को अपने इतिहास विभाग में नियुक्त किया, जिन्होंने काफी परिश्रम कर 1892 में वीरविनोद चार जिल्लों में 2 (68^६ छोटे वड़े पृष्ठों में) प्रकाशित किया। हममें न केवल मेवाड़ राज्य का बल्कि राजस्थान की अन्य रियासतों का भी संक्षेप में इतिहास था। श्यामलदास के सहायका में गौरीशंकर हीराचंद आभा भी थे। इतने विशाल ग्रंथ के तैयार हो जाने पर भी मेवाड़ के महाराणा न कुछ कारणवश इस ग्रंथ के वितरण पर रोक लगा दी और इस कारण यह ग्रंथ जनता के बीच स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही आ सका।

जोधपुर राज्य में भी 1888 में 'मारवाड़ का इतिहास' लिखाये जाने के लिये अलग से महकमा तवारीख खोला गया जिसमें मुन्शी देवीप्रसाद जैसे इतिहास प्रेमी विद्वान नियुक्त किये। उनका स्वगवास 1923 में हो गया। उन्होंने जयचन्द स राव तीडा तक तथा राव मालदेव व महाराजा जगन्नाथसिंह (प्रथम) के जीवन चरित्र प्रकाशित करवाये। (उन्होंने आमेर के राजा पृथ्वीराज में भगवन्दास तक का इतिहास और आमेर के महाराजा मानसिंह (प्रथम) का जीवन चरित्र, मेवाड़ के महाराणा मांगा में महाराणा प्रताप तक तथा बीकानेर के रावबीका से लेकर राव कल्याणमल तक के शासकों के जीवन चरित्र छत्रवाये थे)। तवारीख महकमा मारवाड़ द्वारा काफी परिश्रम करने के बाद 6 राजाओं की जीवनियाँ ही 1906 तक लिखी जा सकी। अतः महकमा तवारीख बंद कर दिया गया। एक नया इतिहास विभाग खोला गया और विश्वेश्वरनाथ रेऊ को अध्यक्ष नियुक्त किया गया जिन्होंने 1934 में 'मारवाड़ का इतिहास' प्रकाशित किया तथा बाद में विस्तृत रूप से 'मारवाड़ का इतिहास दो भागों में (1933 व 1940 में) प्रकाशित हुआ। बूंदी राज्य में सरकार की ओर से सूर्यमल मिश्रण ई सन् 1840 में इतिहास लिखने को नियुक्त किया गया जिन्होंने कविता में 'वश भास्कर' नामक ग्रंथ 4 भागों में रचा। इसमें एक लाख डिगल पद्यों में बूंदी राज्य का इतिहास, बूंदी राज्य की स्थापना से लेकर रावनारायणदास हाडा की मृत्यु तक है। बूंदी नरेश ने भी इस इतिहास ग्रंथ के प्रचार व प्रसार की स्वीकृति नहीं दी क्योंकि इसमें कई तथ्य राजा को उचित नहीं लगे। बाद में सूर्यमल के दत्तक पुत्र मुरारीदास ने पश्चातवर्ती राजाओं का इतिहास लिखकर 'वश भास्कर' के नाम से ई सन् 1899 में प्रकाशित किया। मुरारीदास ने जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिंह द्वितीय (1873-95) के जीवन पर 'जसवन्त यशोभूषण' लिखा। बीकानेर राज्य में मुन्शी सोहनलाल से 'तवारीख ई-राज श्री बीकानेर' लिखवाया गया। जैसलमेर राज्य में लक्ष्मीचन्द से 'तवारीख ई जैसलमेर' 1891 में तथा कोटा राज्य में मुन्शी मूलचंद से 'तवारीख ई राज्य कोटा' 1918 में तथा सिरौही राज्य में लखनू भाई भोमभाई देसाई से 'चौहान कुल बल्पद्रुम' 1927 में लिखवाया गया। बल्पद्रुम के दूसरे भाग में सिरौही के राजवंश-देवटा चौहानों का इतिहास है। तब ही अयेजी में मीताराम का सिरौही राज्य का इतिहास 1920 में प्रकाशित हुआ। गौरीशंकर हीराचंद आभा से भी सिरौही राज्य का इतिहास 1911 में राज्य में लिखवाया लेकिन उसकी ज्यादातर प्रतियाँ सिरौही दरवार में वितरित नहीं होने दी। वे प्रतियाँ अभी भी सिरौही दरवार

ने रोक रक्की है। जयपुर नरेश ने भी 'ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर' जदुनाथ सरकार से लिखवाया। यह इतिहास 1939 में तैयार हो गया था लेकिन महाराजा ने कुछ अंशों को अपने राजवंश के मान सम्मान के हित में, मही सम्झा अत उसका प्रकाशन नहीं होने दिया तथा काफी रकम जदुनाथ सरकार को देकर उसकी पाण्डुलिपी अपने पास रख ली। जोधपुर के नरेन्द्रसिंह ने भी अंग्रेजी में 'जयपुर राज्य का इतिहास' लिखा था जो भी महाराजा जयपुर ने अपने पास रख लिया जो बाद में 1962 में मथुरालाल शर्मा ने सरकार द्वारा लिखित 'हिस्ट्री ऑफ जयपुर स्टेट' को देख कर व इससे सहायता लेकर अपने नाम से प्रकाशित किया। सरकार की 'हिस्ट्री ऑफ जयपुर स्टेट' 1934 में प्रकाशित हुई जिसका सम्पादन डा. रघुवीरसिंह ने किया। कोटा राज्य ने भी मथुरालाल शर्मा से कोटा राज्य का इतिहास लिखवाया जो दो भागों में 1939 में प्रकाशित हुआ।

स्वतन्त्र प्रयास—रियासतों की ओर से राजकीय आश्रय में जब इतिहास लिखवाये जा रहे थे तब ही कई इतिहास लेखक अपने प्रयासों से इतिहास लिखने में लगे थे। इस कारण गौरी शंकर हीराचन्द्र ओझा ने 1928-1931 में उदयपुर राज्य का इतिहास प्रकाशित किया। बाद के वर्षों में उन्होंने डूंगरपुर (1936), बांसवाड़ा, (19 7) प्रतापगढ़ (1947), बीकानेर (1939-40) व जोधपुर राज्य (1938-1941) का इतिहास प्रकाशित किया। जोधपुर राज्य का इतिहास अमूर ही प्रकाशित कर पाये। महाराजा तट्टेसिंह के व उनके बाद के राजाओं का वर्तित अभी छपना है। जोधपुर राज्य का सम्पूर्ण इतिहास जगदीशसिंह गहलोत ने 1925 में प्रकाशित किया। इस प्रकार जोधपुर रियासत अपने प्रयासों में जहाँ विफल रही, जगदीशसिंह ने सफलता प्राप्त कर ली। बाद के वर्षों में उन्होंने राजस्थान की सम्पूर्ण रियासतों (19) व अजमेर मेरवाड़ का इतिहास लिखे। अर्थात् भाव के कारण अब तक 10 रियासतों के ही इतिहास - उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, करौली, जंसलमेर, बून्दी, कोटा, सिरोही, अलवर व जयपुर के ही इतिहास लगभग 1300 पृष्ठों में प्रकाशित हुए हैं। अपने अन्तिम दिनों (सितम्बर 1958) में उन्होंने यह महसूस किया कि उन्होंने जो कुछ परिश्रम पिछले 40 वर्षों में किया वह काफी फलप्रद व आर्थिक दृष्टि से हानिकारक रहा। ऐसा काम किसी साधन सम्पन्न व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा ही आरम्भ किया जाना चाहिये था। इसी कारण उनके ज्यादातर ग्रंथ अप्रकाशित ही रह गये। उनके प्रकाशन का प्रयास अब हो रहा है।

स्वतन्त्रता-पूर्व काल में राजस्थान तथा विभिन्न रियासतों का इतिहास लिखने वालों में मु. शी. देवीप्रसाद, रामनाथ रत्नू जगदीशसिंह गहलोत, रामकरण आसोपा, हरविलास शारदा, हनुमान शर्मा, भावरमल शर्मा आदि प्रमुख थे। मु. शी. देवीप्रसाद ने प्रतिहार वाउके का वि. स. 894 का तथा घटियाला का वि. स. 918 का शिलालेख खोज निकाला था जो उन्होंने 'मारवाड़ के प्राचीन अभिलेख' में प्रकाशित किया था। उन्होंने मीराबाई, राव मालदेव, राववीका, राव जैतसिंह,

आमेर के पृथ्वीराज, मेवाड के महाराणा रत्नसिंह व महाराणा उदयसिंह के जीवन चरित्र लिखे थे। उदू में 'तवारिख ई-मारवाड' भी लिखी थी लेकिन वह अभी तक प्रकाशित नहीं हो सका है। रामनाथ रत्नु ने 'इतिहास राजस्थान' लिखा लेकिन उसका प्रचार व प्रसार कम हो पाया। सन् 1925 में जगदीशसिंह गहलान का 'मारवाड राज्य का इतिहास' प्रकाशित हुआ जिसमें विभक्त राठीड राज्या (मालवा की रियासतों का भी) का भी इतिहास था। रामकरण आमोपा का 'मारवाड का मूल इतिहास' सन् 1931 में प्रकाशित हुआ। उन्होंने मारवाड का सक्षिप्त इतिहास प्रकाशित करने हेतु दधिमति पत्रिका में ई सन् 1927 से धारावाहिक छापना आरम्भ किया था लेकिन वह ई सन् 1689 तक का ही इतिहास लिख सके। आगे का छप नहीं सका और न वह पुस्तक रूप में प्रकाशित हो सका। अब वह इतिहासकारों तथा शोधकों के लिये अप्राप्य है। आसोपा ने कुछ जागीरों-नीमाज, आमोपा, ठिकानों के इतिहास भी लिखे। राजस्थानी ऐतिहासिक वाक्यों में राज रत्नाकर, वीरभाण के राजरूपक, करणीदान के सूरजप्रकाश तथा मुहम्मद नैणसी की ज्योता का भी सम्पादन हुआ। हरविलाम शारदा ने चौहानों की राजधानी अजमेर पर बड़ी विद्वतापूर्ण व प्रमाणिक इतिहास 'अजमेर-हिरटारिकल एण्ड डिस्क्रिप्टीव' (1911) लिखा। बाद में महाराणा कुम्भा (195), महाराणा सागा (1918) 'हम्मीर ऑफ रणथम्भौर' (1921) एम्परर वीमलदेव (1935) लिखा। भावरमल शर्मा ने सीकर का इतिहास (1927), खेतड़ी नरेश और विवेकानन्द (1927) राजा अजीतसिंह का जीवन चरित्र (1940) लिखा। हरदत्त व्यास ने जसतमेर का इतिहास (1920) तथा हनुमान शर्मा ने जयपुर का इतिहास (1924) लिखा।

राजस्थान का एकीकृत इतिहास लिखने वालों में पृथ्वीसिंह मेहता का 'हमारा राजस्थान' (1950) तथा रघुवीरसिंह का पूर्व आधुनिक राजस्थान (1951) मुख्य हैं। दोनों इतिहासकारों की कृतियाँ आज भी अनेक इतिहास प्रकाशित हो जाने पर भी प्रमाणिक मानी जाती हैं। भारत में प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में राजस्थान की देन के सम्बन्ध में नाथूराम खडगावत की पुस्तक 'रोल ऑफ राजस्थान इन 1857' एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तक है। उन्होंने राजस्थान के स्वतन्त्रता आन्दोलन पर भी पाण्डुलिपि तैयार की लेकिन वह अभी तक राजस्थान सचिवालय में ही प्रकाशन का इतजार कर रही है। सन् 1857 के विद्रोह के विषय में एक और पुस्तक प्रकाश व्यास ने 'राजस्थान का स्वतन्त्रता संग्राम' लिखी। सम्पूर्ण राजस्थान का सम्पूर्ण इतिहास लिखने वालों में सुखवीरसिंह गहलोत का राजस्थान का सक्षिप्त इतिहास (1969) गोपीनाथ शर्मा का राजस्थान का इतिहास (1971) बी एम दीवाकर का राजस्थान का इतिहास आदि हैं। आधुनिक राजस्थान का इतिहास 1988 में एम एस जैन के द्वारा लिखा गया है जो एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तक है। मेवाड के इतिहास पर रामवल्लभ सोमानी ने हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ (1967) तथा लेटर मेवाड (1986) प्रकाशित की हैं। इनकी एक और पुस्तक 'महाराणा कुम्भा' 1974 में प्रकाशित हुई। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान का इतिहास लिखवाये जाने को 1959 में एक समिति बनाई गई थी। अब तक

केवल एक भाग 1966 में 'राजस्थान ग्र द एजेज' प्रकाशित हो सका है। शेष दो भाग अभी तक प्रकाशित नहीं हो सके हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 43 वर्षों में राजस्थान के इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों व कार्यों के विषय में काफी अध्ययन व शोध हो रहा है। कई शोध ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। कई विश्वविद्यालयों में शोध कार्य हो रहा है। कई विश्वविद्यालयों के शोधकों व शोध मस्थानों में विद्वानों के राजस्थान के इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर भाषण होते रहते हैं तथा उनका प्रकाशन भी होता है। न केवल राजनतिक इतिहास बल्कि मूल खातों व तत्कालिन दस्तावेजों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक इतिहास पर भी काफी लिखा जा रहा है। (इनका विवरण परिशिष्ट 3 में देखें)।

राजस्थान पुरालेखागार में संप्रहित सामग्री राजस्थान के इतिहास लेखन कार्य हेतु भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। डॉ. हुकर्मिह भाटी के शब्दों में 'यहां गिलालेख ताम्रमत्र, व्याते, वाते, पट्टे परवाने, काव्य ग्रन्थ आदि इतनी विपुल मात्रा में उपलब्ध है कि इन सबका सम्पादन व प्रकाशन भी सहज सम्भव नहीं है फिर भी आधारभूत महत्वपूर्ण ग्रन्थों का सम्पादन और प्रकाशन का कार्य यथा शीघ्र हो जाये तो इस समस्या का समाधान हो सकता है।' भारतीय इतिहास में राजस्थान के वैशिष्ट्यपूर्ण इतिहास के अन्तर्गत यहां के राजवंशों की गौरवपूर्ण गाथाओं से पृष्ठ के पृष्ठ भरे हुए हैं।' आशा यह की जाती है कि शीघ्र ही संपूर्ण राजस्थान का प्रामाणिक इतिहास विस्तृत रूप से प्रकाशित हो सकेगा।

हे अतीत, तूम्हें हृदय आभार।

कथा कथो, कथा कथो ॥

—रविन्द्रनाथ टैगोर



दो महत्वपूर्ण ग्रन्थ

१. कान्हडदे प्रबन्ध—आचार्य जिनविजय मुनि के अनुसार 'महाकवि पद्मनाभ रचित महाकाव्य 'कान्हडदे प्रबन्ध' राजस्थान के चौहान कुल शिरोमणि वीर काहडदे के स्वधर्म और स्वदेश की रक्षा के निमित्त अनुपम बलिदान की कीर्ति कथा है। यह काव्य विशुद्ध धर्म-प्रेम, उन्नत राष्ट्र प्रेम, उत्तम सदाचार प्रेम और सात्विक सत्य प्रेम का एक प्रशस्त पुण्यस्रोत है। यह काव्य प्रबन्ध प्रायः शुद्ध ऐतिहासिक काव्य है। इसमें वर्णित घटनाये बहुत अग्रे इतिहास समर्थित है। प्राचीन राजस्थानी किरा प्राचीन गुजराती भाषा की यह एक सर्व श्रेष्ठ कृति है।'

'पद्मनाभ जालोर निवासी था तथा चौहान नरेश अखयराज का राजकवि था। अखयराज कान्हडदे की पाचवी पिढी में था। अखयराज की प्रेरणा से कवि ने वि.स. 1512 (ई.स. 1455) में इन काव्य की रचना की। वह बहुश्रव कवि तथा इतिहास का अच्छा जानकार था। उसे समाज का तथा राजदरबार के रीतिरिवाजों का भी अच्छा ज्ञान था। यह काव्य देवनागरी लिपि में प्राचीन राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। इसमें कान्हडदे की कथा इस प्रकार दी है—

नवकोटि मारवाड में कनकाचल पर्वत की तलहटी में बसे जालोर के सोनगर चौहान सामंतसिंह (ई.स. 1282-1305) के पुत्र कान्हडदे (ई.स. 1200-1314) व मालदेव थे। ज्येष्ठ पुत्र काहडदे अपने पिता को प्रशासन में ई.स. 1296 में सहयोग देने लगा। यह समय बड़ा उथल-पुथल का था। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी (ई.स. 1296-1316) इस समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जीतने में लगा था। उस समय गुजरात का शासक सारंगदे (तास्तव में कण बरेना) था। उसका प्रधान मंत्री माधव ब्रह्मण किमी कारणवश राजा से नाराज होकर अलाउद्दीन के पास चला गया और उसने सुल्तान को गुजरात पर आक्रमण करने हेतु उबसाया। अतः अलाउद्दीन ने गुजरात को जीतकर सोमनाथ के मंदिर को नष्ट करने का निश्चय किया। सुल्तान ने गुजरात जाने के लिये जालोर नरेश से, उसने राज्य में होकर अनुमति मागी लेकिन कान्हडदे ने यह संदेश भेजकर मना कर दिया कि तुम्हारी सेना हमारे गांवों को नष्ट करती, लोगों को बंदी बनाती, स्त्रियों की इज्जत लेती, ब्रह्मणों को परेशान करती और गांवों की हत्या करती जावेगी और यह हमारे धर्म के विरुद्ध होने से हम आपको अनुमति नहीं दे सकते हैं। अलाउद्दीन इस कारण नाराज हो गया लेकिन तब चुप रहा और अपनी सेना (ई.स. 1299 में) मेवाड़ होकर भेज दी। गुजरात में सोमनाथ पाटण का मंदिर,

तोड़ दिया गया। गुजरात से लोटते समेत मुस्लिम सेना न जालार का रास्ता लिया। जालोर के चौहान यह जानकर क्रोधित हो उठे कि वह सेना सोमनाथ से महादेव की मूर्ति के साथ कंकड़ों हिन्दू स्त्री-पुरुषों को बन्दी बनाकर ले जा रहे थे। जालोर से 18 मील दूर सिराणा गाव में खिलजी सेना ने पडाव किया ही था कि कान्हडदे के सामन्त जैता देवडा ने शत्रु सेना पर भी आक्रमण कर उनके कुछ सरदारों को मौत के घाट उतार दिया लेकिन उनका सेनापति उलुघखा बच निमला। चौहानों ने बन्दियों को छुड़वा दिया और महादेव की मूर्ति के पांच कंकड़ों को अपने कब्जे में लेकर उनको सोरठ (प्रभास) बागड, आबू, जावालिपुर (जालोर व अपने महल के बाग में स्थापित कर दिया। इस काय से कान्हडदे की कीर्ति सर्वत्र फैल गई।

अलाउद्दीन अगले सात वर्षों तक विभिन्न म्यानों की विजय में लगा रहा। इस समय में उसने रणथम्भौर (1299-1300) चित्तौड़ (1303) आदि को जीत लिया। सन् 1305 में पूरी तैयारी कर उसकी सेना जालोर पहुँच गई। अब अलाउद्दीन के सेनापति नाहर मलिक ने कान्हडदे को बड़ी चालाकी से अपना मित्र बना लिया तथा उसे सुल्तान के दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी कर लिया। कान्हडदे मित्रभाव से दिल्ली चला गया लेकिन उसने यह देखा कि वहाँ एक राजपूत नरेश का स्वाभिमान से रहना कठिन है। कवि के अनुसार दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन की शाहजादी पोरोजा, कान्हडदे के राजकुमार वीरमद को देखकर मोहित हो गई और अपने पिता को स्पष्ट कह दिया कि वह पूव जन्म से ही वीरमदे की पत्नी है। सुल्तान ने हारकर वीरमदे से विवाह करने हेतु कहा लेकिन वह टगल गया। उधर कान्हडदे सुल्तान की वह गर्वोक्ति सहन नहीं कर सका जब उसने यह शेखी पधारी कि भारत का कोई नरेश उसका सामना नहीं कर सकता है। कान्हडदे सुल्तान को यह कहकर जालोर चला गया कि वह सुल्तान का सामना करेगा और यदि वह विफल रहा तो मृत्यु का आर्तिगन कर लेगा। इस प्रकार अलाउद्दीन व कान्हडदे के बीच सघर्ष आरम्भ हो गया। खिलजी सेना जालोर के लिये रवाना हो गई। रास्ते में कान्हडदे के भतीजे शीतलदे, जो सिवाणा का शासक था, को सिवाणा से घेर लिया। सात वर्ष के संघर्ष के बाद अलाउद्दीन की सेना ने सिवाणा दुर्ग पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने में मुख्य हाथ एक देशद्रोही भायला परमार का था। दुर्ग की स्त्रियों ने जौहर किया। शीतलदे 1303 की 9 सितम्बर को मारा गया। सुल्तान ने सिवाणा का नाम खैराबाद रख दिया।

खिलजी सेना ने बाद में बाडमेर, सत्यपुर (सावोर), व भीनमाल आदि पर अधिकार कर लिया ताकि कान्हडदे को बाहर से कोई सहायता नहीं मिल सके तथा कान्हडदे भयभित्त हो जावे। कान्हडदे की सेना भी शांत नहीं रही और उसने गुरिल्ला युद्ध द्वारा शत्रु को परेशान करना आरम्भ कर दिया। एक बार उन्होंने खिलजी सेना के घाणसा पडाव पर यकायक हमला कर भीनमाल में गिरफ्तार किये

गये ब्राह्मणों को छुड़वा लिया। बाद में जब जालोर के ये सैनिक स्नान कर रहे थे तब खिल्जी सेना उनपर दृष्ट पड़ी और लगभग 4000 सैनिकों को मार डाला।

उधर दिल्ली में शाहजादी पीरोजा ने बादशाह से निवेदन किया कि वह जालोर पर कब्जा न करे व सेना वापस बुला लेवे। उसने अपने पिता को बतलाया कि जालोर का दुर्ग बड़ा सुदृढ़ है—और उममें अन्न व पानी का काफी सग्रह है। कान्हडदे, व उसके भाई मालदेव के बीच राम-लक्ष्मण—जैसा प्रेम है। सुल्तान ने पीरोजा की बात नहीं मानी और उसने एक लाख सैनिक जालोर भेज दिये। सेना के साथ शाहजादी की धाय ददा सनावर को भेजा ताकि वह वीरमदे का जीवित पकड़वा देवे अन्यथा उसका कटा सिर ले आवे। यह सेना भेड़ता होकर सुदूरी पहुँची। रास्ते में मालदेव व वीरमदे की सेना ने रोका। लेकिन शत्रु सेना आगे बढ़ती ही गई और जालोर दुर्ग को घेर लिया। चौहानों की सेना गुरिल्ला युद्ध से मुस्लिम सेना को परेशान करती रही। खिल्जी सेनापति कमालुद्दीन फिर भी डटा रहा और उसने दुर्ग के सैनिकों को पहुँचने वाली रमद को रुकवा दिया। दुर्ग के जल स्रोत भी समाप्त हो गये। फिर भी कान्हडदे डटा रहा। अभाग्यवश कान्हडदे का एक सामन्त वीका दहिया शत्रु सेनापति द्वारा दिये लालच में आ गया और उसने उसे दुर्ग का एक छिपा मार्ग, जो असुरक्षित था, बतला दिया। उस रास्ते से शत्रुसेना दुर्ग में प्रवेश कर गई। वीका की पत्नी हीरादेवी को अपने पति की इस करतूत का पता लगा तो उमने उसकी हत्या कर दी और कान्हडदे को यह सूचना दे दी लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। कान्हडदे निराश हो गया था क्योंकि उसके कई वीर सामंत—जेता देवडा, काधल, जैता उलीचाँ, लूणकरण मोल्हन अजुन बाडवाल आदि मारे जा चुके थे। खिल्जी सेना दुर्ग में प्रवेश कर कान्हडदेस्वामी के मन्दिर तक पहुँच गई थी। यह देखकर कान्हडदे ने दुर्ग की 1584 स्त्रियों को जौहर करने दिया और अपनी अंतिम लडाईं की तैयारी कर ली। वीरमदे का राजतिलक किया गया। कान्हडदे के मरिया धारण कर शत्रु सेना पर दृष्ट पड़ा और वि. स. 1368 की वैसाख सुदी पचमी बुधवार (ई. सन् 1311 की 24 अप्रैल) को वीर गति को प्राप्त हुआ। वास्तव में पचमी को बुधवार न होकर शनिवार था। अतः यह तिथि सही नहीं है। वास्तविक तिथि वि. स. 1371 की ज्येष्ठ (मई 1914) है। इस प्रकार जालोर के मोनगरो का राज्य समाप्त हो गया।

वीरमदे 8 दिन ही राज कर सका। वह शत्रु सेना द्वारा पकड़ लिया गया लेकिन उसने अपने पेट में बटार भोक कर आत्म हत्या कर ली। इस युद्ध में सभी राजपूत सैनिक मारे गये। शत्रुसेना का भी दमवा भाग ही बचा। चार लाख शत्रु सैनिक मारे गये। ददा सनावर वीरमदे का सिर रत्नजटित पीजरे में सुर्गाघट द्रव्यों में रखकर दिल्ली ले गई। वह सिर सोने के थाल में रखकर शाहजादी के सामने रखा गया लेकिन वह सिर शाहजादी को देखते ही पीछे की ओर फिर गया। शाहजादी ने अपने माना पिता से अनुमति लेकर वीरमदे के साथ चिता में बठी और इस प्रकार उमका दाह सत्कार कर दिया गया। बादशाह ने 8-माह तक शोक मनाया।

कवि पद्मनाथ ने यह काव्य कान्हडदे की मृत्यु के लगभग 140 वर्ष बाद रचा अतः इसमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य सही नहीं है। गुजरात आक्रमण के समय गुजरात का राजा कण वधेला था तथा अलाउद्दीन ने माधव के उकसाने पर गुजरात पर आक्रमण नहीं किया था। सोमनाथ मन्दिर की मूर्ति तोड़कर सीधी दिल्ली भेजी गई थी अतः उसके टुकड़े विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया जाना सही नहीं है। शाहजादी पीरोजा का वीरमदे पर मोहित होना तथा बादशाह से अनुमति लेकर वीरमदे के सिर के साथ सतो होना भी मानने योग्य नहीं है। जालोर दुर्ग पर कब्जा मई 1314 में हुआ था, न कि अप्रैल 1311 में। सिवाणा दुर्ग पर भी कब्जा सितम्बर 1308 में हुआ था। सिवाणा का घेरा सात वर्ष चलना व जालोर दुर्ग का घेरा 8 वर्ष चलना सही नहीं है। ये सब कवि कल्पनाएँ हैं।

कान्हडदे प्रबन्ध एक ऐतिहासिक काव्य है। उसका भौगोलिक वर्णन काफी सही है। उसमें तत्कालीन समाज का सजीव व विस्तृत वर्णन मिलता है। मेरुतु ग' की 'विचार श्रेणी' जिन प्रथम सूत्रिका 'विविध तीर्थ कल्प' व 'मुहणोत नरणी' की छायात कान्हडदे प्रबन्ध की मुख्य मुख्य ऐतिहासिक बातों का समर्थन करते हैं। डा. दशरथ शर्मा ने भी अपनी रचनाओं में मुख्यतः 'राजस्थान ग्रू द एजेज' में इस ग्रन्थ के आधार पर तत्कालीन समाज का वर्णन किया है। प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी का यह उच्च श्रेणी का काव्य है।

२. वश भास्कर—महाकवि सूर्यमल्ल मिश्रण (1815-1868) रचित वशभास्कर राजस्थान का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है जिसने राजस्थानी जनता को काफी प्रभावित किया है। डा. आलमशाह खान के शब्दों में 'धुवा मरुवीरो ने उसमें अपने रक्त का रंग देखा तो रमणियों ने जोहर की ज्वाला के दर्शन किये तो वृद्धजनों ने मूँछों पर हाँथ धरे और बालवृन्द केशरिया रंग का जादू समझने लगा। राजाओं ने उसके परायण से राजत्व समझा, पण्डित-शास्त्रियों ने नीति और शास्त्र गुना, कलावन्तों ने कलाएँ जानी, कवि आचार्य साहित्य की परख में समर्थ बने और राजस्थान के इतिहास-प्रणेताओं ने तो इसे आधार बनाकर चलने में ही सिद्धि देखी। इस प्रकार वश भास्कर काव्य और इतिहास के रूप में ही नहीं अपितु भारतीय ज्ञान परम्पराओं के समृद्ध कोष और राजस्थानी सभ्यता सङ्गति के स्मारक-ग्रन्थ के रूप में प्रख्यात है।'

महाग्रन्थ वृन्दी नरेश महारावराजा रामसिंह के आदेश से तयार किया गया। इसकी रचना ई. सन् 1840 से 1856 के बीच 16 वर्षों में हुई। इसमें चौहान वंश की हडि शाखा के लगभग 200-राजाओं, जो वृन्दी राज्य से सम्बन्धित थे, का इतिहास है। य. इसमें, राजस्थान और भारतवर्ष का-इतिहास प्रमगव्य लिखा गया है। इसमें सृष्टि की रचना से लेकर ई. सन् 1833 तक का-इतिहास है। तत्कालीन वृन्दी नरेश रामसिंह ने जब इस ग्रन्थ में लिखे अक्षर सुने तो सूर्यमल्ल से कहा कि "आपने मेरे बापदादा, परदादा आदि के जो दोष लिखे हैं उनको पटकर तो


मैंने जैसे तैसे मन्त्र किया परन्तु ग्रहने दोषों के लिए नहीं कर सकता।" सूर्यमल्ल ने उत्तर दिया कि 'जब सबके दोष लिखे गये हैं तो आपके भी लिखे जावेंगे।' इस पर महारावराज ने कहा कि 'ऐसे लिखने से तो नहीं लिखना अच्छा है।' यह सुनकर स्पष्टवादी व सत्यवादी मिथराने उसी दिन से वश भास्कर की रचना बन्द कर दी। यों सूर्यमल्ल इस ग्रंथ को दो ग्रंथों, 12 अशो (विभागों) और 1000 मयूखों में रचना चाहता था लेकिन वह 212 मयूखों में 6 राशियों की रचना कर, उत्तरायण में सातवीं राशि लिखकर आठवीं राशि पूरी नहीं कर पाया। आठवीं राशि के अन्तगत रामसिंह का चरित्र वर्णित कर रहा था तब ही इसकी रचना बन्द करनी पड़ी। सूर्यमल्ल के मरणोपरांत उसके पुत्र मुरारिदान से साठे आठ मयूख लिखवाकर महारावराज ने इस राशि की पूर्ति करवाई तथा उसे महारावर जान एक गाव भी देकर पुरष्कृत किया।

वशभास्कर हिन्दी का अत्यन्त बड़ा ग्रंथ है। अधूरा होते हुए भी यह लगभग 2500 मुद्रित पृष्ठों का है। सक्षिप्त टीका सहित इसके पृष्ठों की संख्या 4368 तक पहुँची है। कवि ने यह ग्रंथ 4 लेखकों को बिठलाकर टिकटेशन पद्धति से लिखवाया था। इन लेखकों को प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक सूर्यमल्ल के साथ रहना पड़ता था और जब भी कवि की इच्छा होती वह लिखवाने लग जाता था। सूर्यमल्ल मद्य ज्यादा पीते थे। मद्योन्माद के फलस्वरूप कवि कहीं कहीं ऐतिहासिक सत्यों की बड़ी भूलें कर जाते थे।

वशभास्कर में बूढ़ी के हाडा वश के नरेशों का चरित्र चित्रण वशानुक्रम में किया गया है। डा आलमशाह खान के अनुसार 'इसमें किसी एक युग के राजा का चरित्राख्यान करते हुए उसके अन्तगत ही प्रसंगवश अन्य गौण पात्रों का समावेश हो गया है। जहाँ आवश्यक समझा है, वहाँ अत्याय गौण पात्रों का वर्णन विस्तार से कर दिया गया है। तथा मालवी भीम, बख्शवाह जयसिंह, राठीठ जसवत सिंह, तिसौठ के एताघिन राणा आदि।'

यह ग्रंथ विजुद्ध काव्यकृति अथवा ऐतिहासिक काव्य न होकर एक काव्यमय इतिहास है और सूर्यमल्ल इतिहास का कवि। उमराव उद्देश्य केवल काव्यरचना ही नहीं रहा बल्कि विविध राजवर्गों का इतिहास लिखना भी रहा। उमने इन इतिहास ज्ञान के विशयकोष के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके लिखने में उमने पुराण रामायण, महाभारत, भोजप्रवाच, तयारीय फट्ठरिस्ता, अन्नबरनामा, राजस्थानी मेघनों की पुस्तक आदि का उपयोग किया है। बूढ़ी के कार्यालयों और बरना भागों की पुस्तकों में बहुत ध्यानबीन कर लिखा है। जहाँ में जा सामग्री मिली उमने उगको बिना ऐतिहासिक परख किये हुए उसे ज्यादातर ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया। डा गो ही घोभा ने उमने लिये लिखा है, 'कवि ने उग गणन तब इतिहास लिखने में विनियोग कोत्र की हो, ऐसा पाया नहीं जाता। कवि का शब्द कविता की ओर ही रहा है। प्राचीन इतिहास की शुद्धि की ओर नहीं।' डा आलमशाह खान ने इस विषय में लिखा है कि 'जहाँ तक इतिहास की

शुद्धि' का प्रश्न है, उसने जो ऐतिहासिक सामग्री दी है उससे अधिक की आशा उससे हम कर भी नहीं सकते क्योंकि उस युग में इतिहास के साधन आज की तरह प्रचुर नहीं थे और न ही उस दिशा में कोई विशेष खोज ही हो पाई थी तथापि उसने उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही अपने मूल निर्धारण करने का प्रयास किया था।" डा. कानूनगो का कथन है कि 'वश' भास्कर का सबसे अधिक महत्व ऐतिहासिक सामग्री का विशाल सकलन है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह ग्रन्थ 'पृथ्वीराज रासो' से भी अधिक महत्वपूर्ण है व साहित्यिक दृष्टि से उन्नीसवीं शताब्दी के महाभारत की गणना में रखा जा सकता है। वास्तव में वशभास्कर एक काव्ययुगम इतिहास है जो पुराणों की परम्परा में लिखा गया और जिसमें राजवंशों का ही विगद वर्णन किया जाता था। कवि के समय तक इतिहास लेखन की वैज्ञानिक प्रवृत्ति, जिसमें कि ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण करके सत्य घटनाओं की खोज की जाती है, का आरम्भ नहीं हुआ था। सब कुछ विचार करते यही लिखना उचित है कि इससे ऐतिहासिक तथ्यों का अपूर्व सकलन है। इन ग्रंथों में तत्कालीन धार्मिक विश्वासों, सामाजिक रीतिरिवाजों, उत्सवों व त्यौहारों का का भी काफी विवरण मिलता है। कोई भी इतिहास शोधक इस ग्रन्थ की उपेक्षा नहीं कर सकता है। डॉ. आलमशाह खान के शब्दों में वश भास्कर को 'ऐतिहासिक वृत्तात् सम्पन्न एक सहिता ग्रन्थ कहे तो कोई अत्युक्ति न होगी।



ख्यातें

ख्यात शब्द संस्कृत के शब्द प्रख्यात का अपभ्रंश है। ख्याता में प्रतिष्ठ व्यक्तियों के जीवन तथा उनके कायकलापो तथा उनके काल की घटनाओं का विवरण रहता है। विभिन्न राजवंशों, रियासतों व ठिकानों के बारे में इनसे जानकारी मिलती है। राजस्थान की प्रसिद्ध ख्यातें हैं—मुहणीत नैणसी की ख्यात बाकीदास की ख्यात, दयालदाम की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात, जैसलमेर की ख्यात, मुदिदाड की ख्यात, राठीडा की ख्यात, आदि। राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध ख्यातकार हैं—मुहणीत नैणसी, बाकीदास और दयालदास।

१. **खुल्लुगौल नैणसी** (ई सन् 1619—1670)—वह जोधपुर के दीवान जयमल का ज्येष्ठ पुत्र था तथा 27 वर्ष की आयु में राज्य सेवा में नियुक्त हो गया। शीघ्र ही वह देश दीवान बनकर जोधपुर के महाराजा जसवतसिंह का प्रतिविश्वसनीय अधिकारी बन गया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वह महाराजा का कोषभाजन बन गया और उसे तग आकर आत्महत्या करनी पड़ी। उसने 1643 से ही इतिहास लेखन विषयक सामग्री इकट्ठी करना आरम्भ कर दिया था तथा स्वातः सुखाय लेखन काय किया। वह भारत भर के तत्कालीन राजपूत राजवंशों का क्रमबद्ध इतिहास लिखना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने विभिन्न राजपूत राजवंशों से सम्बन्धित ऐतिहासिक आधार सामग्री का सङ्कलन किया। वह मारवाड़ के सभी परगनों का क्रमबद्ध विस्तृत व्योरा भी लिखना चाहता था। इसके लिये उसने परगनों के पञ्चवर्षीय (1658-1662) सर्वेक्षण करवाये। जाधपुर परगने का सर्वेक्षण करते उसने मारवाड़ के शासकों का इतिहास भी तैयार करवाया। उसने प्राचीन स्तम्भ लेख, देवली लेख, ताम्रपत्र, पुरानी वशाबलियों, पट्टे आदि तथा प्राचीन ग्रन्थ पचाग आदि भी इकट्ठी करवाये। इस प्रकार उसने इतिहास लिखने के लिये काफी प्रामाणिक आधार सामग्री इकट्ठी कर ली। अन्य विश्वसनीय सूत्रों से भी इतिहास की जानकारी प्राप्त की और उन्हीं के आधार पर उसने अपने इतिहास ग्रन्थ लिखे। उसके द्वारा रचित इतिहास ग्रन्थ है—(1) मुहणीत नैणसी की ख्यात, और (2) मारवाड़ के परगनों की विगत।

मुहणीत नैणसी की ख्यात—इसका रचना काल सन् 1643 से 1666 तक का है। इसमें सामग्री का काफी सङ्कलन किया गया था लेकिन 1666 में वद हो जाने के कारण वह उसे व्यवस्थित नहीं कर सका। किसी एक शासक का विवरण भी एक स्थान पर सङ्ग्रहित नहीं कर सका और न उसे ठीक ढंग से क्रमबद्ध ही कर

सका। इस प्रकार यह ख्यात अव्यवस्थित और अपूर्ण है। ख्यात की मूल प्रति भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उसके अनुसार इसमें राजस्थान तथा सामान्य रूप से गुजरात, मालवा आदि के इतिहास सम्बन्धी सामग्री का संग्रह है। राठौड़, गुहिलोत, चौहान, भाटी आदि राजवंशों व उनकी खासों का विस्तृत वर्णन है। चौहानों और भाटियों का तो काफी विस्तार से विवरण दिया गया है। चौदहवीं शताब्दी के बाद के राजपूतों के राजनैतिक इतिहास के लिये यह ख्यात फारसी ग्रंथों से भी अधिक महत्व की है। विभिन्न रियासतों की भूगोल की भी जानकारी दी गई है। इस प्रकार यह ख्यात सम्बन्धित रियासत के इतिहास के लिये महत्वपूर्ण पूरक आधार ग्रंथ है। - इस ख्यात की सत्यता तथा यथार्थता की सभी लेखकों ने प्रशंसा की है। - एक इतिहासकार के रूप में भारतीय साहित्य को नैणसी की देन सबया अनुपम है।

मारवाड़ रा परगना री विगत में नैणसी ने जोधपुर, मेडता, जंतारण, फलोधी, सीवागा, सोजत तथा पोकरण के ऐतिहासिक विवरण लिखे। पोकरण के 86 गावों में से 61 गावों का ही विवरण लिख सका और तब (1666) ही वह पदच्युत होकर कंद हो गया। अतः 25 गावों के विवरण अपूर्ण रह गये। विगत में परगनों के गावों की सूची, जातियों की सूची और प्रत्येक गाव का वि.स. 1715 से 1719 तक का पंच वर्षीय सर्वेक्षण विवरण दिया गया है। विभिन्न परगनों के ऐतिहासिक विवरणों में परगना जोधपुर का विवरण बहुत ही विस्तृत रूप से दिया है। जोधपुर के परगने के विवरण में राठौड़ राजघराने का प्रमाणिक इतिहास विस्तार से दिया है। परगनों के कस्बों की आवादी, वहाँ के जन जीवन, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व आर्थिक व्यवस्था आदि पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। तत्कालीन राजस्व व्यवस्था और साधनों पर भी काफी लिखा गया है। प्रसंगवश राजपूतों की शाखाओं—चौहान, साखला, कच्छवाहा, देवडा आदि का भी यथावर्णन दिया गया है। इस प्रकार 'मारवाड़ रे परगना री विगत' मध्यकालीन मारवाड़ के राजनैतिक इतिहास के अलावा धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास के लिये बड़ा महत्वपूर्ण प्राथमिक आधार ग्रंथ है। मुन्शी देवीप्रसाद ने नैणसी को राजस्थान का अबुलफजल बतलाया है। कालीकारजन कानूनगो ने उसे अबुल फजल से भी अधिक योग्य बतलाया है। नैणसी अबुलफजल की भाँति राज्य आश्रित इतिहासकार नहीं था। उसका इतिहास संयोजन अबुलफजल की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक और प्रभावशाली था। उसका लेखन अबुलफजल से ज्यादा स्पष्ट, निष्पक्ष तथा सत्यता के निकट था। उसने संतुलित इतिहास तटस्थ होकर लिखा लेकिन अबुल फजल ऐसा नहीं कर सका। नैणसी का योगदान अपूर्व है तथा इसी कारण बीसवीं शताब्दी के इतिहासकारों ने अपने इतिहास लेखन में नैणसी के ग्रंथों से बराबर सदाभ लिये हैं। इस प्रकार राजस्थान इतिहास लेखन में नैणसी के ग्रंथ अमूल्य आधार ग्रंथ हैं।

बाकीदास आछिया (ई.सन्. 1781—1383)—वह जोधपुर के

महाराजा मानसिंह के दरबार में महाराजा के बहुत निकट के निजी व्यक्तियों में से था। उसने काव्य सज्जन के अलावा इतिहास लेखन भी किया। उसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना उसकी ख्यात है जो वास्तव में ऐतिहासिक टिप्पणी सग्रह कही जानी चाहिये। इसमें लगभग 300 फुटकर वाते हैं जो एक पक्ति से लेकर 6 पक्ति तक हैं। ये सब नोट्स के रूप में याददास्त के लिए लिखी गईं। उसका कोई श्रम नहीं है। कई दुवारा भी लिखी गई है। स्पष्ट है कि जब भी किसी ने कोई बात बतलाई या उसे याद आई उसे लिख दिया। इस सग्रह की कई बातें बड़ी उपयोगी व महत्वपूर्ण हैं। कई ऐसी बातें हैं जो अन्यत्र नहीं मिलती हैं। कई राजाओं के जन्म और मृत्यु की तिथियाँ भी दी गई हैं। कई ऐतिहासिक पुरुषों के ननिहाल, सतति, रानियाँ आदि की भी जानकारी दी गई है। कई बातें यहाँ के लोगों के सांस्कृतिक जीवन को भी उजागर करती हैं। कई बातें भौगोलिक विषयों पर भी हैं।

इन बातों से राजस्थान के इतिहास के अलावा मरहटो, सिक्खों, मुसलमानों, अंग्रेजों आदि के विषय में कई ऐतिहासिक सूचनाएँ प्राप्त होती हैं। मारवाड़ के अलावा मेवाड़, डूंगरपुर, कच्छ गुजरात मालवा आदि राज्यों के इतिहास विषयक बातें मिलती हैं। राजदरबारी होने हुए भी बाकीदास एक निर्भक्त तथा स्पष्टवादी लेखक था। उसके अंग्रेजों के विरुद्ध होने तथा उसकी देशभक्ति होने का भी उसकी कृतियों से पता चलता है। उसकी ख्यात राजस्थान के इतिहास को अमूल्य देन है।

दयालदास सिंहाय्य (ई सन् 1798-1891) - वह बीकानेर के महाराजा मानसिंह का राजदरबारी था। बीकानेर नरेश को इस बात का बड़ा दुख था कि कर्नल टॉड ने बीकानेर राजवंश को राजस्थान के राज्यों में द्वितीय श्रेणी का माना था। वह चाहते थे कि टॉड के इस कथन को झूठलाया जावे। इस कारण महाराजा ने दयालदास को बीकानेर राज्य का इतिहास लिखने का आदेश दिया। दयालदास ने तीन ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे - बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात, देश दर्पण और आयुधान कल्पद्रुम। इनके अतिरिक्त पवार वंश दर्पण, बीकानेर के पट्टा के गावों की विगत, जम रत्नाकर, सुजस बावनी आदि भी लिखी।

दयालदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 'बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात' है जो 'दयानन्दसिंह की ख्यात' के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। इसी के आधार पर सर्वप्रथम कर्नल पी डी पोकेलेट ने 'गजेटियर ऑफ द बीकानेर स्टेट' सन् 1874 में लिखा था तथा बाद में प गौरीशंकर शोभा ने भी अपने ग्रंथ 'बीकानेर राज्य का इतिहास' में इसका भरपूर उपयोग किया।

दयालदास ने अपनी ख्यात में यह बतलाने का बराबर प्रयत्न किया - कि मुगल राजनीति में बीकानेर शासकों की भूमिका को अधिक से अधिक प्रभावशाली बतलाया जावे ताकि उस राजवंश के बड़ा महत्वपूर्ण समझा जावे। उसकी ख्यात में बीकानेर की राजकुमारियों का मुगल बादशाह व शाहजादों से विवाह होने का

कोई उल्लेख नहीं है। उसने यह भी बतलाने का प्रयत्न किया कि यद्यपि बीकानेर के शासक मुगल मनसबदार रहे लेकिन उन्होंने पेशकशी की रकम नहीं दी। इस प्रकार वह अंग्रेजों को यह दिखलाना चाहता था कि बीकानेर राज्य ने कभी किसी को खिराज नहीं दिया। उसने घटनाओं का तिथिक्रम भी सही नहीं दिया है। इसका कारण उसके द्वारा महत्वपूर्ण अभिलेखों की उपेक्षा करना हो सकता है। कहीं कहीं सुनी सुनाई बातें ही लिख दीं जो सही नहीं थीं। उसने मुगल बादशाहों द्वारा बीकानेर के शासकों को भेजे गये फारसी भाषा में लिखे फरमानों का राजस्थानी अनुवाद भी दिया है।

दयालदास एक राज्याश्रित इतिहासकार था और उसने बीकानेर नरेशों की उच्चता बतलाने में ही अपनी लेखनी का प्रयोग किया फिर भी उसके ग्रंथ राजस्थान के इतिहास लेखन के लिये स्रोत सामग्री की दृष्टि से बड़े उपयोगी हैं। डा. घनश्यामलाल देवडा के अनुसार, "यह तो स्वीकार करना ही होगा कि कम से कम दयालदास ने बीकानेर राज्य का एक क्रमबद्ध बृहत इतिहास तैयार कर दिया जिसका अभाव कई शताब्दियों तक खलता।"



राजस्थान के एकीकरण पश्चात् प्रकाशित महत्वपूर्ण इतिहास ग्रन्थ

दशरथ शर्मा—1 राजस्थान ध्रु द एजेज (प्रथम भाग)

2 चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय एव उनका युग -- 17

के सी जैन एसियेण्ट सिटिज इन राजस्थान

अदरिस वनर्जी—आर्कोलोजिकल हिस्ट्री आफ साऊथ ईस्टर्न राजस्थान

डी सी शुक्ला—अर्ली हिस्टरी ऑफ राजस्थान

दशरथ शर्मा—1 अर्ली चौहान डायनेस्टीज 2 पवार वग दपण

अनिता मुदन—ए स्टडी ऑफ चाहमान इस्त्रिपशन्स

जी सी राय चौधरी—हिस्ट्री ऑफ मेवाड अप टू 1303

एच डी साकलिया—आर्कोलॉजी इन राजस्थान

मार्क आरिल स्टेइन—एन आर्कोलोजिकल ट्रट एलाग द घग्घर—हाऊडा रिवर

एम एम आहलूवात्रिया—मुस्लिम एक्मपान्मन इन राजस्थान

रामवल्लभ सोमानी -1 पृथ्वीराज एण्ड हिज टाइम्स

2 महाराणा कुम्भा

3 जैन इस्त्रिपशन्स ऑफ राजस्थान

4 हिस्ट्री ऑफ मेवाड

5 लेटर मेवाड

जी डी शर्मा—राजपूत पोलिटी

के एम गुप्ता—1 मेवाड एण्ड द मराठा रिनेशन्स

2 सलेकशंस फ्रॉम वनेडा आर्काइव्ज

श्याम प्रसाद व्यास—राजस्थान के अभिलेखों का साम्प्रतिक अध्ययन

डी सी गामूली—हिस्ट्री आफ द परमारस

आर बी सिंह—हिस्ट्री ऑफ द चाहमान्स

वी एन मिश्रा—पेलियोलिथिक कलचर्स ऑफ वेस्टन राजस्थान

एस के गुप्ता—लेण्ड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ईस्टन राजस्थान

यू एन डे—मेवाड अण्डर महाराणा कुम्भा

चंद्र भूपण त्रिपाठी - लाइफ एण्ड टाइम्स ऑफ मिर्जा राजा जयसिंह

घनश्याम देवडा—1 राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था

2 व्यूरोक्रेमी इन राजस्थान

3 राजस्थान का साम्प्रतिक इतिहास

जी आर परिहार—मराठा मारवाड सम्बन्ध
आर एन प्रसाद—राजा मानसिंह ऑफ आमेर
वी एस भटनागर—सवाई जयसिंह

रतनलाल मिश्र—1 राजस्थान के दुर्ग

2 शेखावटी का इतिहास

मागीलाल मयक 1 जोधपुर राज्य का इतिहास

2 जैसलमेर का इतिहास

रामप्रसाद व्यास—1 महाराणा राजसिंह

2 रोल ऑफ नॉबिलिटी इन मारवाड

3 राजस्थान का वृहत इतिहास (प्राधुनिक)

गोपाल व्यास—मेवाड का सामाजिक एव आर्थिक जीवन

गोपीनाथ शर्मा—1 मेवाड मुगल सम्बन्ध

2 राजपूत स्टडीज

3 राजस्थान का इतिहास

श्री राम शर्मा—महाराणा राजसिंह एण्ड हिज टाईम्स

जदुनाथ सरकार—ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर

मीरा मिश्र—महाराजा अजीतसिंह एव उनका युग

वी एस भागव—1 मारवाड से मुगलो का सम्बन्ध

वेनी गुप्ता—1 मराठा पेनीट्रेशन इण्डर राजस्थान

2 रिलेशंस विद द स्टेट्स ऑफ कोटा एण्ड वृन्डी

एच सी टिककीवाल—जयपुर एण्ड द लेटर मुगल्स

आर के सक्सेमा मराठा रिलेशंस विद द मेजर

स्टेट्स ऑफ राजस्थान

पेमाराय—1 मध्यकालीन राजस्थान मे धार्मिक आंदोलन

2 अग्रेरियन मुवमेण्ट इन राजस्थान

पी सी चान्दावत—महाराजा सूरजमल और उनका युग

के आर कानूनगो—1 हिस्ट्री ऑफ जाट्स

2 स्टडीज इन राजपूत हिस्ट्री

मनोहरसिंह राणावत—भरतपुर महाराजा जवाहरसिंह जाट

जे के ओम्हा—मेवाड का इतिहास

प्रकाश व्यास 1 मेवाड राज्य का इतिहास

2 राजस्थान मे स्वाधीनता संग्राम

सुखवीरसिंह गहलोत—1 राजस्थान के इतिहास का तिथिक्रम

2 राजस्थान मे जागीरदारी उन्मूलन

3 कास्टस एण्ड ट्राइन्स इन राजस्थान

4 हरल लाइफ इन राजस्थान

5 राजस्थान के प्रमुख अभिलेख

जी सी शर्मा—एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टम ऑफ द राजपूतम
शिवदत्त दान वारहट—महाराजा त्रिजयसिंह एव उनका युग
राजकुमारी कौल—राजस्थान के राजघरानों की हिन्दी सेवा
निमल चन्द्र राय—महाराजा जसवतसिंह का जीवन व गमय
हुक्मसिंह भाटी—1 राजस्थान के मेडिटिया राठीड

2 राजस्थान के उयातकार व उनके ग्रथों का तिथिग्रम

एस सी मिश्रा—सिन्धिया होल्कर गायवलेरी इन राजस्थान
एण्ड्री व टोप्पफील्ड—पेन्टिग्त फ्राम राजस्थान
प्र पाल—द क्लासिकल ट्रेडिशन इन राजपूत पेन्टिगम
रामनाथ—आर्किटेक्चर ऑफ चित्तौडगढ
रावट एकेल्टन—राजस्थानी टेम्पल हैगिग्स
एम सी ब्रीच—राजपूत पेन्टीगस एट बूदी एण्ड कोटा
उपेन्द्रनाथ शर्मा—जाटों का नवीन इतिहास
जी एन शर्मा—1 सोशल लाइफ इन मेडिअवल राजस्थान

2 राजस्थान का मास्कृतिक इतिहास

राम पाण्डे—1 भरतपुर अष ४ 1826

2 रेल्वेज इन राजपूताना

3 अग्रेरियन मुवमेण्ट इन राजस्थान

4 पिपल्स मुवमेण्ट इन राजस्थान

महावीरसिंह गहलोत - 1 जगदेव परमार री वात

2 वीरमदे सोगनरा री वात

करणीसिंह—बीकानेर के राजघराने का केन्द्रीय मत्ता से सबध

गोविन्द अग्रवाल—1 चूरु मण्डल का शोधपूर्ण इतिहास

2 स्वामी गोपालदास

बालूराम शर्मा—उत्तरीसवी सदी के राजस्थान का सामाजिक एव आर्थिक जीवन

राजेन्द्र जोशी—उत्तरीसवी शताब्दी का अजमेर

वसन्त जोशी—उत्तरीसवी सदी का राजस्थान

निर्मला गुप्ता—राजस्थान का अ धुनिकीकरण

नीलम गहलोत—आधुनिक राजस्थान का आर्थिक इतिहास

ए सी बनर्जी—1 राजपूत स्टेट्स एण्ड ईस्ट इण्डिया कम्पनी

2 राजपूत स्टडीज

एम एल शर्मा—हिस्ट्री ऑफ जयपुर स्टेट

पद्मजा शर्मा—जोधपुर के महाराजा मानसिंह और उनका काल

राधेमोहन माधुर—राजपूत स्टेट्स एण्ड ईस्ट इण्डिया कम्पनी

वी के वशिष्ठ—राजपूताना एजेंसी—1832-1858

हर्मान गोण्ट्स—आट एण्ड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर

प्रमोदचन्द्र—बून्दी पेण्टीगज

एरिक डिकसन—किशनगढ पेण्टीगज

धूलसिंह—ए स्टडी ऑफ लंड रिफार्मस इन राजस्थान

एम एस जैन—आधुनिक राजस्थान का इतिहास

कृष्ण चैतन्य—राजस्थानी ट्रेडिन्स

हीरालाल माहेश्वरी—हिस्ट्री ऑफ राजस्थानी लिटरेचर

डी डी गोड—कस्टीटयुशनल डेवलपमेण्ट ऑफ ईस्टर्न राजपूताना स्टेट्स

वी एल पानगडिया—1 राजस्थान का इतिहास

2 राजस्थान मे स्वतंत्रता संग्राम

जगदीशसिंह गहलोत—1 राजस्थान के राजवंशों का इतिहास

2 राजस्थान का सामाजिक जीवन

3 स्वतंत्रता-पूर्व राजस्थान

4 दुर्गादास राठी

5 मेवाड़ का केन्द्रीय शक्तियों से सम्बन्ध

आर पी शास्त्री—भाला भालिसिंह

जबरसिंह—द ईस्ट इण्डिया कम्पनी एण्ड मारवाड

ओ पी कच्छवाहा—हिस्ट्री ऑफ फेमिनस इन राजस्थान

आर ए अग्रवाल—1 हिस्ट्री, आर्ट एण्ड अट्रिब्यूट्स ऑफ जैमलमेर

2 मारवाड मुरलस

पृथ्वीसिंह मेहता—हमारा राजस्थान

असीम कुमार राय - हिस्ट्री ऑफ जयपुर सिटी

जहूरखा मेहर—1 राजस्थान मे आजादी री आन्दोलन

2 टाल्वा निबन्ध

3 घर मजला घर कोसा

4 राजस्थानी संस्कृति रा चित्राम

5 राजस्थान मे स्वतंत्रता संघर्ष

पूणिमा नवीनलाल—1 राजस्थान अनुशीलन

2 राजस्थान मे स्वतंत्रता आन्दोलन

3 युगयुगीन राजस्थान

बाबुलाल गुप्ता—ट्रेड एण्ड कॉमर्स इन राजस्थान

सतोष यादव—उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी मे स्त्रियों की स्थिति

जी सी वर्मा—हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन राजस्थान

शंकरसहाय सक्सेना तथा पद्मजा शर्मा—बिजोलिया किसान आन्दोलन का इतिहास

रामनारायण चौधरी—बीसवीं सदी का राजस्थान

एस एम माथुर—स्ट्रगल फॉर रेस्पेन्सिबल गवर्नमेंट इन मारवाड

पी आर शाह - राज मारवाड ड्यूरिंग ब्रिटिश पेरामाउण्टेसी

निर्मला उपाध्याय द एडमिनिसट्रेशन ऑफ जोधपुर स्टेट
 हीरालाल शास्त्री—प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र
 शंकरमहाय सक्सेना—जो देश के लिए जिए
 गंगाप्रसाद कामथ धोलपुर का राजनतिक इतिहास
 सुमनेश जोशी—राजस्थान मे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी
 के वी एल गुप्ता—द इवोलयुशन ऑफ द एडमिनिसट्रेशन ऑफ द फामर भरतपुर
 स्टेट

लक्ष्मणसिंह राठी—1 पोलिटिकल एण्ड कस्टीटयुशन डवलपमेण्ट इन राजस्थान

2 पॉइन्स ऑन द थार

3 वीर दुर्गादाम राठी

4 जोहर ऑफ पधनी

5 द ग्लोरी ऑफ रणथम्भीर

वाई एस मेहता--एडमिनिसट्रेटिव रिफामस इन द स्टेटस ऑफ राजपूताना

देवीलाल पालीवाल—मेवाड एण्ड द ब्रिटिश

एच ई वानवर्ट--लाइफ ऑफ सर प्रतापसिंह
 रतनशाह—सांस्कृतिक राजस्थान

जगमोहनसिंह परिहार--सांस्कृतिक राजस्थान

कमला मालू--हिस्ट्री ऑफ फेमिनस इन राजपूताना

एच एस सक्सेना—चेजिग अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर इन सरल राजस्थान

मानती सक्सेना—इम्पेक्ट ऑफ द ब्रिटिश सोवरनटी आन इकोनोमिक कडिसन्स
 ऑफ राजस्थान

नाथूराम खडगावत—राजस्थानस रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857
 पी सी जन - ट्राइबल अग्रेरियन मुवमेण्ट

देवीदत्त शर्मा—मेवाड का धार्मिक, साहित्यिक एव सांस्कृतिक इतिहास

एल पी माथुर—रेजीस्टेंस मुवमेण्ट ऑफ ट्राइबल्स

नोलम कौशिक—राजस्थात क चुण्डावतो का इतिहास

वद्रीप्रसाद साकरिया—मुहण्णौत नणसी री ख्यात (चार भाग)

जयसिंह नीरज व वी एल शर्मा—राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा

आर सी अग्रवाल—आर्कोलोजिकल रिमेन्स इन वेस्टन इण्डिया

एच सी बत्रा—रिलेसन्स ऑफ जयपुर स्टेट विद ईस्ट इण्डिया कम्पनी

राजीव नयन प्रसाद—राजा मानसिंह आफ आमेर

पी एस चौधरी—राजस्थान विटवीन द टू वल्ड वारस

श्यामसिंह रत्नावत — राजपूत नोबिलिटी

हरफूलसिंह शर्मा — शेखावटी के ठिकानो का इतिहास एव योगदान

राघवे ब्रसिंह मनोहर - राजस्थान के खगारोत बछवाहो का इतिहास

देवीदत्त शर्मा — मेवाड का धार्मिक, साहित्यिक एव सांस्कृतिक इतिहास

विभ्रमसिंह राठी—महाराजा सर प्रतापसिंह

राजस्थान इतिहास लेखन के स्रोत ग्रन्थ

- डा रघुवीरसिंह—राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार और उनका कृतित्व
- डा हुक्मसिंह भाटी—राजस्थान के इतिहासकार
- डा कृष्णस्वरूप गुप्ता व डा गोपालबल्लभ व्यास—राजस्थान के इतिहास के स्रोत
- डा गोपीनाथ शर्मा—1 राजस्थान के इतिहास के स्रोत
2 विबलियोग्राफी ऑफ मेडिवियल राजस्थान
3 कविराजा श्यामलदास और उनका वीर विनोद
- डा मनोहरसिंह राणावत—इतिहासकार मुहम्मद नैरासी तथा उसके इतिहास ग्रन्थ
- डा घनश्याम देवडा—ख्यातकार दयालदास सिंढायच
- डा लु जी तैस्सीतौरी—ए डिस्क्रिप्टिव केटलॉग ऑफ वार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल क्रोनिकल्स
- डा राम पाठे—सोर्सेज ऑफ कलचरल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान
- श्रीकृष्णली खा—हिस्ट्री एण्ड हिस्टोरियनस ऑफ राजस्थान
- नारायणसिंह भाटी—राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रन्थों का सर्वेक्षण (तीन भाग)
- पी सरण—डिस्क्रिप्टिव केटलॉग ऑफ नानपर्सियन सोर्सेज ऑफ मेडिवियल इण्डियन हिस्ट्री (क्वॉरिंग राजस्थान एण्ड एडजेसेण्ट रिजन्स)
- जहूरखा मेहर—इतिहासकार जगदीशसिंह गहलोत व्यक्तित्व एवं कृतित्व
- हेबर रेजीनॉल्ड—नेरेटिव ऑफ ए जर्नी टु द अपर प्रोविन्सज ऑफ इण्डियन फ्रॉम केलकटा ५ वाम्बे
- जेम्स टॉड ट्रावल्स इन वेस्टन इण्डिया

राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार

कर्नल जेम्स टॉड—(ई सन् 1782-1835) -इंग्लैण्ड निवासी जेम्स टॉड भारत में सन् 1800 में पैदल सेना के लेफ्टिनेन्ट नियुक्त होकर आये। 1817 में वह मेवाड़, कोटा, बून्दी, मारवाड़, जैसलमेर, सिरौही व जयपुर रियासतों में गवर्नर जनरल का राजनैतिक प्रतिनिधि बनकर उदयपुर में नियुक्त हुए। लगभग 5 वर्षों तक यहाँ रहकर, वह अपने अधिकारियों द्वारा उनपर रियासतों का अत्याधिक पक्ष लेने का सन्देश करने पर, त्याग पत्र देकर वापस अपने देश चले गये। उन्होंने यहाँ की सभी रियासतों की यात्रा की तथा यहाँ के निवासियों के सम्पर्क से उन पर यहाँ की संस्कृति का काफी प्रभाव पड़ा तथा वह यहाँ के निवासियों के अनन्य हितों को बन गये। उन्होंने समय समय पर अंग्रेजों की स्वार्थी और आतंकात्मक शासन नीति का विरोध भी किया था। अपनी पुस्तक 'ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इण्डिया' में स्पष्ट लिखा था—'ब्रिटेन के संरक्षण में जो जातियाँ आ गई हैं उनको सजा देते समय दया का व्यवहार बहुत कम किया जाता है और न्याय का दण्ड अवश्य ही किसी न किसी का मार गिराता है जिससे हमारा शासन तलवार का शासन कहा जाता है। यही नहीं हमारी सरकार द्वारा राज्य तथा धर्म सम्बन्धी जो भी कानून बनाये जाते हैं वे इनकी (प्रजा की) दशा सुधारने के दृष्टि से नहीं बल्कि हमारे कोप को भरने के लिये बनाये जाते हैं। अपनी भारतीय प्रजा की गाँधी कमाई से लाखों स्वर्ण मुद्राएँ प्राप्त करके उसका नाममात्र भाग भी उनकी भलाई के लिए खर्च नहीं किया जाता है।' कम्पनी की सेवा से निवृत्त होकर टॉड इंग्लैण्ड लौट गये। वहाँ उन्होंने भारत रहते जो इतिहास विषयक सामग्री इकट्ठी की थी उसके आधार पर अनारस एण्ड एण्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान तथा 'ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इण्डिया' नामक ग्रंथ लिखकर प्रकाशित कराये। अपने द्वारा भारत से लाई गई मूर्तियों शिला लेखों, हस्तलिखित ग्रंथों, प्राचीन सिक्कों, दस्तावेजों आदि के 40 सन्दुकों में भरे संग्रह को लन्दन की रायल एशियाटिक सोसायटी को भेंट कर दिये।

कर्नल टॉड का ऐतिहासिक दृष्टिकोण बड़ा व्यापक था। वह राजपूतों के इतिहास, गौर्य और बलिदान के कायकलापों से काफी प्रभावित थे। यों उन्होंने राजपूतों के अत्यधिक अफीम प्रेम की निन्दा भी की है। यह कहा नहीं जा सकता कि क्यों उनमें राजपूतों के शौर्य और पराक्रम की ज्यादा ही प्रशंसा की जब कि वह यह भी जानते थे कि राजाओं के आश्रित कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की घोषी प्रशंसा ज्यादा ही की है। राजाओं में प्रचलित बहुविवाह, नशाखोरी, पारस्परिक मनोमालिन्य आदि दुव्यसनों के कारण उनकी सामाजिक, व आर्थिक

स्थिति को बिगड़ते देखकर भी वह उनके विरुद्ध कुछ नहीं लिख सके। राजपूतों को मुसलमानों के विरुद्ध बराबर युद्ध करते रहना बतलाकर और उन्हें धम युद्ध की सजा देकर उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक विद्वेष का प्रचार किया। इसी कारण हमारा इतिहास राजपूत युग, मुस्लिम युग, मराठा युग आदि के नाम से विभाजित हो गया। टॉड के अनुसार मध्यकालीन भारत में सभी मुस्लिम शासक थे और सभी गैर मुस्लिम शासित थे जब कि तब भी अधिकांश मुसलमान गरीब तथा तिरस्कृत थे। टॉड ने भारत में हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों को भिन्न भिन्न माना। सम्भव है यह सब कुछ इस कारण किया गया हो कि हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव लाया जावे ताकि ये लोग एक होकर नहीं रह सकें जैसा कि पश्चात्तवर्ती अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीति रही और जिसका परिणाम आज तक हम भोगते जा रहे हैं।

कर्नल टॉड के 'अनाल्स एण्ड एटोव्वीटीज ऑफ राजस्थान' ग्रंथ के प्रकाशन को यूरोप के प्राच्यविद्या विद्वानों ने बहुत सराहा। डा. रजुवीरसिंह के शब्दों में 'अंग्रेजी भाषा में अपने विषय का सर्वप्रथम ग्रंथ होने तथा साथ ही अपनी अोजपूर्ण भाषा तथा रोचक शैली के कारण यह ग्रंथ अत्यन्त लोकप्रिय हुआ। इस ग्रंथ में उल्लेखित तथा प्रतिपादित तथ्यों के विषय में विभिन्न विद्वानों, आलोचकों आदि ने कई प्रकार की टिप्पणियाँ लिखी और लिखते जा रहे हैं तथा अपने ग्रंथों में उस सामग्री का उपयोग करते आ रहे हैं।' यही अंग्रेजी भाषा में एक राजस्थान का इतिहास है जिसके कई संस्करण अब तक प्रकाशित होते हैं। यही इस ग्रंथ की विशिष्टता व लोक प्रियता सिद्ध करने को पर्याप्त है।

यह ग्रंथ न केवल राजनैतिक बल्कि सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक पन्तुओं को भी उजागर करता है। राजपूत समाज में स्त्रियों की स्थिति, बाल विवाह, विधवाओं, जौहर, सतियों आदि के विषय में भा. काफी लिखा है। राजस्थान में प्रचलित धर्म, देवो देवनाओं, धार्मिक त्योहारों, उत्सवों अन्ध विश्वासों, धार्मिक मान्यताओं, ब्राह्मणों व जैनियों का समाज और प्रशासन पर प्रभाव के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। उनका ग्रंथ भारत के धर्म, प्रजाति शास्त्र, एवं समाज शास्त्र के विकास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उनके ग्रंथ को पढ़कर विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों और इतिहासकारों ने अनेक देशभक्तिपूर्ण नाटक, उपन्यास, कहानियाँ काव्य व ग्रंथ लिखे। इस ग्रंथ में वर्णित वीरों व वीरांगनाओं की कीर्ति दूरस्थ प्रदेशों में फैल गई और उन्हें स्वतंत्रता की साधना के लिए प्रेरित करने लगी। बगला साहित्य की सभी साहित्यिक विधाओं में टॉड के राजस्थान की वीर गाथाओं पर अनेकों रचनाएँ मिलती हैं। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता सघर्ष के लिए यह ग्रंथ एक अमूल्य देन रहा है। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के विषय में यही कहा जाता रहा है कि 'टॉड द्वारा प्रशंसित स्वाधीनता सेनानी महाराणा प्रताप का एक स्वप्न

राजस्थान का एक सुसंगठित प्रात बनने पर ही साकार होगा ।'

इस प्रकार कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान का इतिहास लिखने वाला तथा राजस्थान के इतिहास की आधार शिला रखने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण इतिहासज्ञ थे । उन्होंने ससार के विद्वतजनों को बनलाया कि राजस्थान में इतिहास लेखन की ऐसी प्रमाणिक और अत्यधिक मात्रा में सामग्री है जितनी उन उन्नतशील होने का दम मरने वाले देशों में भी नहीं है । उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि कुछ लोग ग्राह्य मीचकर यह मान बैठे हैं कि 'हिन्दुओं के पास ऐतिहासिक ग्रंथों जैसी कोई वस्तु नहीं है लेकिन वे भुलावे में हैं ।'

ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया (पश्चिमी भारत की यात्रा) कर्नल टॉड की दूसरी महत्वपूर्ण कृति है जिसमें उन्होंने उदयपुर से माण्डवी तक की पश्चिमी भारत की यात्रा का विवरण दिया है । इस यात्रा से सम्बन्धित स्थानों, तीर्थों, मन्दिरों, गढ़ों, शासकों आदि के विषय में जानकारी दी गई है । आबू पहाड़ की सार में स्थापित फूलने वाली यही प्रथम पुस्तक है । चन्द्रावती के भग्नावशेषों का सवित्र विवरण इसी में है । कई शिलालेखों व अन्य महत्वपूर्ण सामग्री की भी जानकारी दी गई है ।

इस प्रकार कर्नल टॉड के इतिहास ग्रंथ राजस्थान के इतिहास पर प्रथम महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिनके आधार पर राजस्थान इतिहास लेखन आरम्भ हुआ और उनके आधार पर आज तक बराबर लेखन काय हो रहा है । यह उनकी महत्वपूर्ण व अमूल्य देन है ।

२ श्यामलदास लक्ष्मणलालिया (ई सन् 1836-1893)—ग्राट डफ, वनिघम, माक्स विलरस मॉलकाम, जेम्स टॉड आदि अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा विभिन्न इतिहास ग्रंथ लिखे जाते देखकर राजस्थान के नरेशों ने भी अपने अपने राज्य के इतिहास लिखाने का विचार किया । इस कारण मेवाड़ के महाराणा न 1871 में मेवाड़ का एक वृद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ लिखाने का काय श्यामलदास को सौंपा । इसके लिये एक लाख रुपये का प्रावधान रखा तथा श्यामलदास की सहायता के लिए अनेक सुयोग्य विद्वानों की नियुक्त किया जिनमें से एक गौरीशंकर हीराचन्द्र श्रोभा भी थे । काफी परिश्रम व लगन के साथ विविध प्रकार के मोतों से ऐतिहासिक सामग्री का सङ्कलन किया गया और 1884 तक (महाराणा मज्जरसिंह के स्वर्गवास तक) का मेवाड़ का इतिहास 'वीर विनोद' के शीर्षक से लिखा गया । इस इतिहास का मुद्रण मन् 1886 में आरम्भ हो गया था लेकिन ग्रंथ का उपमहार लिखा ही नहीं जा सका क्योंकि बाद के महाराणा फल्ह सिंह विभी कारण वश श्यामलदास से रुप्ट हो गये और मुद्रित ग्रंथ को राजसमल में बन्द करवा कर सील करवा दिया । इस कारण वीरविनोद की प्रतिया ई सन् 1945 तक एकाध इतिहासकार को ही प्राप्त हो सकी । गौरीशंकर हीराचन्द्र श्रोभा, महाराज बुमार टा रजुवीरसिंह, श्री जगदीशसिंह गहनोत आदि इतिहासकार ही

सन् 1945 से पूर्व इसका अध्ययन कर सके। अब तो इसके कई संस्करण प्रकाशित हो गये हैं। मूल ग्रन्थ 5 बड़ी जित्तों के 2685 पृष्ठों में था।

वीर विनोद मुख्यतः मेवाड़ का इतिहास है लेकिन इसमें जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, रीवाँ, बूंदी आदि राजपूताने की लगभग सभी रियासतों का भी संक्षिप्त वर्णन है। इसमें अनेक पट्टों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों, खरीतों आदि की नकलें दी गई हैं। पूर्ण ग्रन्थ नागरी लिपि में है लेकिन हिन्दी के साथ फारसी भाषा का ज्यादा ही प्रयोग हुआ है।

श्यामलदास ने वीर विनोद तैयार करने में फारसी इतिहासकारों रयातों के लेखकों और कर्नल टॉड की घटनाओं का वर्णन लिखने की पद्धति का अनुसरण किया था। मुहम्मद नैणसी की भाँति विभिन्न राज्यों का संक्षिप्त इतिहास भी मेवाड़ के इतिहास के साथ दिया। वाकीदास की भाँति किसी भी समय के इतिहास से सम्बन्धित व्यक्तियों और रीतिरिवाजों का भी वर्णन किया। अंग्रेजी गजेटियरों के समान मेवाड़ की सामाजिक दशा को भी बतलाया है। ग्रंथ को तैयार करते समय मेवाड़ राजघराने के पुरालेखागार का भरपूर उपयोग किया। उन्होंने टॉड के इतिहास की अनेकों भ्रान्तियों व भूलों को सुधारा। अपने संरक्षकों के शासन काल का इतिहास लिखने में यथासंभव पक्षपात नहीं किया। यों उन्होंने चारणों की ज्यादा ही प्रशंसा और ब्राह्मणों की निन्दा की है। स्वयं जागीरदार होने के कारण जागीरदारों के पक्ष में भी काफी लिखा। शायद इन्हीं कारणों से महाराणा ने इस ग्रन्थ का प्रसार रोक दिया।

उन्होंने अपने ग्रन्थ में रयातों व ख्यातकारों का कम उल्लेख किया लेकिन अंग्रेज लेखकों-कनिंघम, ऐडीसन हण्टर, मिल आदि के मतों की विवेचना करते हुए उनका उल्लेख अवश्य किया। सब पहलुओं पर गौर कर हम कह सकते हैं कि श्यामलदास ने सभी साधनों से इतिहास सामग्री प्राप्त करने का यथासंभव प्रयत्न किया। उन्होंने समीक्षात्मक विवेचन कम किया तथा ग्रंथ को ज्यादा ही विवरणात्मक बनाया लेकिन फिर भी उनका प्रयास अत्यन्त सराहनीय था। उनके ग्रंथ को आज भी देश विदेश में बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से पढ़ा जाता है। उन्होंने वीर विनोद जैसा बृहदकाय इतिहास लिखकर राजस्थान के इतिहासकारों का पथ प्रशस्त किया।

डा गोपीनाथ शर्मा के शब्दों में, 'यदि न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो टॉड का परिष्कृत स्वरूप और ओझा की विश्लेषणात्मक शक्ति का प्रारूप वीर विनोद में है।'

डॉ. गोरीशंकर हीराचन्द्र शर्मा (जन्म 1863-1947)
सिरोही के एक गाँव रोहीडा में जन्मे गरीब और ओझा के 1885 में

मेट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने के बाद 1888 में उदयपुर पहुँच कर वहाँ के इतिहास कार्यालय में कार्यालय मंत्री (प्रधान लिपिक) के रूप में काम आरम्भ किया। तब वहाँ श्यामलदास का वीर विनोद छप रहा था। वहाँ ऐतिहासिक सामग्री देखने का बहुत अच्छा अवसर उन्हें मिला तथा बाद में वीर विनोद की छपी प्रति भी मिल गई। वीर विनोद की छपी प्रतियाँ महाराणा के आदेश से गोदाम में सील कर दी गईं अतः अन्य समकालीन लेखक उनसे वंचित रह गये। बाद में श्रीभाजी विक्टोरिया हाल के पुस्तकालय व संग्रहालय खुलने पर उनके अध्यक्ष नियुक्त कर दिये गये। वहाँ रहते हुए उन्होंने प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रन्थ लिखकर पुरातत्व जगत में विशिष्ट ख्याति प्राप्त की। सन् 1907 में 'सोलकिया का प्राचीन इतिहास' तथा सन् 1908 में वह राजपूताना संग्रहालय में अध्यक्ष नियुक्त होकर अजमेर चले गये। वहाँ उन्होंने सबसे पहले सिरोही प्रदेश से सहायता प्राप्त कर अपनी जन्म भूमि 'सिरोही का इतिहास' 1911 में लिखा जिसकी छपाई का कुल व्यय सिरोही नरेश ने उठाया। सिरोही नरेश ने इतना करके भी कुछ बारणों से उस ग्रन्थ का प्रसार रोक दिया।

वह राजपूताना संग्रहालय के संग्रहालयाध्यक्ष पद रहते अब राजपूताने की रियासतों के इतिहास लिखने में लग गये। वीर विनोद जैसे बृहद इतिहास की प्रति उनके पास थी। अतः उन्होंने राजपूताने की रियासतों के इतिहास इस प्रकार लिखे—राजपूताने का प्राचीन इतिहास (1925), उदयपुर राज्य का इतिहास प्रथम भाग (1928) द्वितीय भाग (1932), डूंगरपुर राज्य का इतिहास (1936), बासवाडा राज्य का इतिहास (1936) बीकानेर राज्य का इतिहास (दो भाग 1937 व 1940) जोधपुर राज्य का इतिहास (दो भाग 1938 व 1941), प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास (1940)।

जोधपुर राज्य का इतिहास तीन भागों में छपना था लेकिन तीसरा भाग छप नहीं सका। जयपुर राज्य का इतिहास वह विचार करते भी लिख न सके। यो उन्होंने कनल जेम्स टॉड का जीवन चरित्र (1902), मध्यकालीन भारतीय संस्कृति (1928) पर भी पुस्तकें लिखीं। उन्होंने कई निबंध भी लिखे जो उनके स्वगवास के बाद सन् 1954 में तीन भागों में प्रकाशित हुए। ये निबंध इतिहास, पुरातत्व, मुर्तिकला आदि पर हैं।

उन्होंने इतिहास लेखन में सभी प्रकार की उपलब्ध आधार सामग्री का उपयोग किया। इतिहास विषयक प्रकाशित पुस्तकों का उन्होंने गहन अध्ययन किया था। डा. हुक्मसिंह भाटी के अनुसार 'उन्होंने प्रत्येक घटना के वर्णन में प्राप्त सभी आधार स्रोतों का उपयोग करते हुए अपनी सूझ बूझ से उसकी सत्यता को प्रमाणित करने का यथासम्भव प्रयास ही नहीं किया बल्कि सदा ही सामग्री का सुस्पष्ट उल्लेख पाद टिप्पणियों से दिया है। यो राजपूताने के इतिहास में आधार

स्रोतो का इस प्रकार पाद टिप्पण में उल्लेख करने की परम्परा ओझा ने ही डाली थी।”

ओझा का यह सौभाग्य था कि उन्होंने श्यामलदास के अधीन काम किया था तथा उन्हें वीर विनोद की एक प्रति प्राप्त हो गई थी। इसका भरपुर उपयोग उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथों में किया। विभिन्न रियासतों—डूंगरपुर, वासवाडा, प्रतापगढ़ सिरौही, बीकानेर आदि ने अपनी अपनी इतिहास सामग्री उन्हें उपलब्ध करा दी। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथों में सिरौही, उदयपुर व बीकानेर राज्यों के प्रति ज्यादा मोह दर्शाया है। उदयपुर महाराणा की सेवा में तो वे रह ही चके थे। बीकानेर के महाराजा गंगासिंह अपनी रियासत को प्रथम श्रेणी की रियासत घोषित करवाना चाहते थे अतः उन्होंने ओझा को आर्थिक सहायता देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी कारण उन्होंने बीकानेर की कई घटनाओं का सही सही निरूपण नहीं किया और बीकानेर राजवंश के चारित्रिक दोषों को छिपाने का प्रयास किया। पद्मलाल कल्ला ने डा ओझा की लीपा पोती इस प्रकार दर्शाई है, “जोधपुर का इतिहास लिखते हुए माननीय ओझाजी मुगल बादशाहों को दो हुई जोधपुर की राजकुमारियों का सविस्तार वर्णन करते हुए एक सच्चे इतिहासकार का वज्र कठोर नियम निब्राहते हैं पर जिस समय वे बीकानेर के इतिहास पर आते हैं उनकी विद्युत् लेखनी की धारा ही बदल जाती है। उनका सच्चे इतिहासकार का दुर्दमनीय साहस और स्पष्टवादिता हवा हो जाती है और फलस्वरूप उनका बीकानेर का इतिहास अपना वास्तविक रूप छोड़कर गहरे लिपे पुते ढग से हमारे सामने आता है।” ओझा ने महाराजा गंगासिंह पर ही 232 पृष्ठ लिख दिये जो स्पष्ट महाराजा गंगासिंह के प्रति पक्षपात बतलाता है। इसके विपरीत प्रथम श्रेणी की रियासत जोधपुर का इतिहास लिखते समय उस रियासत को बीकानेर से कुछ निम्न दिखलाने का ही प्रयत्न किया। जोधपुर राज्य के इतिहास को कुछ आतियों का निराकरण करने का प्रयत्न ही नहीं किया। जोधपुर के नरेशों की बुराईयों को कुछ ज्यादा ही उछाला है। इतना होते भी ओझा के ग्रंथ दूसरे इतिहास ग्रंथों की तुलना में बहुत ही प्रमाणिक और उपयोगी है। डा के आर काननगो के अनुसार, “ओझा वास्तव में राजपूत इतिहास के अनुसंधान के क्षेत्र में कविराजा श्यामलदास के सुयोग्य उत्तराधिकारी थे। लगभग एक दशक पश्चात्, अपने बहुमुक्त साहित्यिक योगदान के अलावा राजपूत इतिहास के अनुसंधान के क्षेत्र में अपने सभी पूर्ववर्ती इतिहासकारों से गुणात्मक एवं मूल्यात्मक रूप में आगे बढ़ते हुए पूण आयु एवं प्रसिद्धि प्राप्त कर परलोकवासी हुए।” वह प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने स्थानीय स्रोतों की परखा और इतिहास ग्रंथों में वैज्ञानिक ढंग से उनका उपयोग किया। उनकी कृतियों का अध्ययन किये बिना कोई भावी लेखक इतिहास ग्रंथ लिख नहीं सकता है। यही उनकी इतिहास लेखन को देन है।

४ जगदीशसिंह बाहलोल (ई सन् 1896-1958)— मण्डोर (जोधपुर के एक किसान परिवार में जन्मे जगदीशसिंह गहनोत्त को किसी महा विद्यालय में शिक्षा नहीं मिली लेकिन गहन इतिहास अध्ययन कर तथा इतिहास सम्बन्धी सामग्री का सक्लन कर उन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखे उनसे वह इतिहास क्षेत्र में काफी प्रसिद्धी पा गये। डा गौरीशंकर हीराचन्द शोभा ने सन् 1925 में उनके लिये लिखा था, "गहनोत्त जो परिश्रमी तथा अध्ययनशील व्यक्ति है तथा उनमें ऐतिहासिक सामग्री को मनोयोग पूर्वक परखने तथा सम्यक् रूप से सम्मिलित एवं प्रमत्त करने की पूर्ण योग्यता है।" उनके इतिहास ग्रंथों को पढ़कर सन् 1947 में डा रामानुज मुन्शी ने उन्हें लिखा था 'मैं आपके शोध कार्यों और उन पर आधारित ऐतिहासिक प्रयोगों की बड़ा महत्वपूर्ण समझता हूँ। मेरी मान्यता है कि आप राजपूतानों की रियासतों की पुरालेखा सामग्री का नवी प्रकार उपयोग कर रहे हैं।"

अपने प्रारम्भिक जीवन में वन निरीक्षक, रेन्वे गाड, कृषि फार्म आदि पर काम करते उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं। इनमें में प्रमुख पुस्तकें राजस्थान की वृषि वहावतें, मारवाड का सक्षिप्त वृत्तांत, मारवाड राज्य का इतिहास आदि हैं।

डा रघुवीरसिंह ने उनके द्वारा रचित 'मारवाड राज्य का इतिहास' के लिये लिखा है, "मारवाड के इतिहासिक वृत्तांत के अतिरिक्त वहा का भौगोलिक वर्णन और कई अन्य ऐसे विषयों का उसमें उल्लेख किया गया है जो वहा के अधिजी गजेटियरी में भी नहीं मिलता है। शासकों के साथ ही प्रजावग की वास्तविक स्थिति भी उससे ज्ञात हो सकती है। मारवाड के राजघराने के साथ ही राजस्थान तथा अन्य प्रदेशों के सब राजीव राज्यों के भी सक्षिप्त इतिहास दे दिये गये हैं। इस ग्रंथ के प्रकाशन के बाद जगदीशसिंह एक सशोधक इतिहासकार के रूप में मान्य होने लगा था।" डा जदुनाथ सरकार ने इस ग्रंथ को 'हिंदी माहित्य को एक अत्यन्त उपयोगी देन' बतलाया था। उनके अनुसार यह "बड़े सही ढंग से व मेहनत से लिखा ग्रन्थ है जिसमें काफी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सामाजिक व आर्थिक जानकारी दी गई है।" उनकी अपूर्व योग्यता को देखकर जोधपुर सरकार ने उन्हें फरवरी 1927 में जोधपुर राज्य के इतिहास व पुरातत्व कार्यालय में कोलेक्टर (प्रतिनिधियों का मिलान करने) पद पर नियुक्त किया। सन् 1928 में उनके मारवाड राज्य के इतिहास का दूसरी संस्करण प्रकाशित हुआ और कुछ ही समय में वह भी अप्राप्य हो गया। इतना विद्वतापूर्ण ग्रन्थ लिखने पर भी जब इतिहास कार्यालय में पदों की कटौती की गई तब उन्हें वहा से पदमुक्त कर जोधपुर राज्य के सचिवालय में टाईपिस्ट पद पर भेज दिया गया। इस नये पद पर वह 1930 से 1950 तक रहे और इन दो दशकों में उन्होंने राजपूतानों की सभी 19 रियासतों के अलावा अजमेर, मेरवाडा, दाता व पालनपुर के इतिहास लिखे। सन् 1937 में उनका राजपूतानों का इतिहास का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ। उन्होंने 500 वर्षों (वि स 1501 से 2000) का इतिहास सहायक पंचाग तैयार किया था।

जिसमें इस्वी सन्, बंगाली सन् हिजरी सन् व विक्रम सवत् की समानान्तर सारणिया दी है। उनके अन्य उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं, - राजस्थान का सामाजिक जीवन, मीरा-बाई की जीवनी और काव्य, राठीड दुर्गादास, मारवाड के रीतिरिवाज, भारतीय नरेश आदि। राजस्थानी भाषा के वह बड़े समर्थक थे। उन्होंने ही सबसे प्रथम १९२५ में यह मांग की थी कि राजस्थान की भाषा राजस्थानी होनी चाहिये और इसके प्रचार व प्रसार हेतु राजस्थानी साहित्य मन्त्रालय (अन्वय) स्थापित होनी चाहिये। उन्होंने कई राजस्थानी ग्रन्थों का सम्पादन किया यथा, ऊमर काव्य, राजस्थानी वातालायन, मारवाड के गाम गीत, राजपूत के सोरठे, वीर मायण मारवाडी कहावते, राजस्थानी ऐतिहासिक कहावते, आदि।

जोधपुर राज्य के मन्त्रिवालय में एक टाइपिस्ट के पद पर काम करते समय मन् 1937 में जब राजपूतानों का इतिहास का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ तब डा पी के गोड ने न्यू इंडियन एटीकवेरी में लिखा था, "इस ग्रन्थ को और इसके पूर्व की रचनाओं को देखकर यह कहने में कोई सकोच नहीं है कि ऐसा गहन अध्ययन पूर्ण ग्रन्थ जिसमें राजपूतों की अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर नूतन प्रकाश डाला गया है, लेखक को स्वतः ही गौरव प्रदान कर देता है।" मार्टिन रिब्यु, कलकत्ता में उम ग्रन्थ की समालोचना के कुछ अंश इस प्रकार हैं, "हम यह आशा करते हैं कि गहलोटजी अपने इतिहास लेखन कार्य को एक देशी राज्य के आपत्तिजनक क्षेत्र में बँटें, राजपूताने के उन इतिहासकारों मुहलोट नैणसी और कबिराजा बाकीदास की भाँति दुर्भाग्यशाली बने बिना जारी रखेंगे।" जोधपुर राज्य सरकार ने उनकी सेवाओं का सही उपयोग नहीं किया लेकिन प मदनमोहन मालवीय ने उचित ही लिखा था कि "जोधपुर राज्य के लिए यह एक पूर्ण सतोष एवं प्रतिमान गव की बात होनी चाहिए कि उस राज्य का एक सपूत इतना प्रतिदि प्राप्त इतिहासवेत्ता है।"

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उन्होंने प्रियामलदास, गौरीशंकर हीराचन्द श्रीभा आदि की भाँति राजाओं की पृष्ठभूमि में इतिहास लिखा लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में वही इतिहासकारों का दृष्टिकोण रहा। एक रियासत में साधारण पद पर रहते निसन्देह राजाओं के विरोध में विशेष कुछ नहीं लिख सके। तब के स्वतंत्रता सेनानियों भी तो उत्तरदाई सरकार की स्थापना राजाओं की छत्रछाया में ही स्थापित करने की मांग करते थे। तब भी (1925 में) उनका यह लिखना समय के अनुसार ही था कि "राजनैतिक कारणों से जो मातृभूमि के भक्त छोटी छोटी बातों पर दोषी बनाकर जेल में डाल दिया जाते हैं और वे शांतचित्त से इन जेलघरों को तपोभूमि ही मानते हैं। सच्चे सेवक अपने धर्म, जाति और देश के लिए कठिन से कठिन यातनाएँ सहने के लिए तैयार रहते हैं।" "राजनैतिक जागृति को देखकर सरकारी अधिकारियों को अपनी नीति की समालोचना होने का भय लगा और फलस्वरूप मारवाड प्रेस एक्ट 1923 जारी हुआ। इस प्रेस एक्ट में इतने बड़े नियम रखे गये कि जिसका ब्रिटिश भारत के प्रेस एक्ट से मुकाबला नहीं हो सकता है। समझ में

नहीं आता कि इस दफा को रख कर मारवाड के प्रेस व सामाचार पत्रों का क्या गला घोंटा गया ? मावजनिक पत्रों के अभाव में मारवाड बहुत कुछ पिछड़ गया है क्योंकि किमी देश व जाति की उन्नति प्रेस व सामाचार पत्रों पर ही निर्भर रहती है।”

‘राजस्थान के सामाजिक जीवन में’ राजाओं के लिये लिखा था, “अंग्रेजों के अधीन होने के बाद से इन नरेशों की शिक्षा व प्रशिक्षण इस प्रकार से दिया जाने लगा है कि वे सभी कार्यों को लिये अंग्रेजी सरकार के ही आश्रित रहते हैं। प्रजा का कम ध्यान दिया जाता है। ऐसी शिक्षा के प्रभाव से ही भावी शासकों और जनता के बीच एक दीवार खड़ी हो गयी है।’ जागीरदारों के लिये लिखा था, ‘वे निरकुश होकर अपनी प्रजा पर अत्याचार करने में कभी नहीं चकते हैं। राज कर्मचारियों के विषय में बतलाया कि ‘अधिकांश राज्यों में घूसखोरी अपेक्षाही, पक्षपान आदि का दबदबा है।’ किसानों से उन्हें पूरी सहानुभूति थी, क्योंकि ‘वे किसान पीठियों से सड़न बेगार, पचासो अजीबों गरीब लागों (कर), भारी लगान और मनमाने राजनैतिक जुल्मों की चक्की में पिसते जा रहे हैं। अछूत जातियों पर होने वाले अत्याचारों को देख कर लिखा था, ‘इन हरिजनों की दशा रियासतों में बड़ी शोचनीय है। जो सामाजिक अत्याचार इन पर होते हैं उनका वणन यहां नहीं किया जावे तो उचित ही होगा। इतना लिखना जरूरी है कि इतनी बड़ी सत्ता के लोगों की ओर किसी भी राज्य का ध्यान नहीं गया है।’ स्पष्ट है कि लेखक ने राज्य सेवा से रहने भी सामान्य जनता की दाम्त्विक स्थिति बतलाने में कोई सकोच नहीं किया है। उन्होंने इतिहास स्वात सुखाय लिखा, किसी राजा के आदेश या ईशारे से नहीं लिखा, उनका उद्देश्य ‘एक’ ऐसा ग्रन्थ जनता की सेवा में रखने का रहा है कि इसमें कोई ऐसी बात छूटने न पाये जा इतिहास, भुगोल अथवा सामाजिक विषय से सम्बन्ध रखती हो। ग्रन्थ को सब माध्याग्न्य व लिये उपयोगी बनाने हेतु इसकी भाषा सरल व सुबोव रखी है और इतिहास की घटनाएँ ऐसी शर्तों से दी गई हैं जो सब के लिए शिक्षाप्रद व रोचक हो। यदि इससे योग्यतर इतिहासवेत्ताओं में जाग्रति हुई तो हम अपना परिश्रम सफ़ल नमस्करोगे। जिस-दह हम इसे मर्वाणपूर्ण इतिहास किसी रूप में नहीं कह सकते हैं और न यह पूज्य श्रीभाजी महाराज के स्मारक ग्रन्थ का मुकाबला कर सकता है परंतु यद्यपि चंद्रमा सप्ताह को प्रकाश देता है और उगका उजाला दीपक से अधिन होता है तथापि उससे घर के दीपक का महत्व कम नहीं होना क्योंकि घर की सब चीजें देखने के लिए दीपक ही काम आता है। इसी प्रकार हमारा यह इतिहास भी राजस्थान के इतिहास प्रेमियों को दीपक का काम देगा।’ (राजपूताना वः इतिहास भाग प्रथम, भूमिका पृ 30-31) इस उद्देश्य की पूर्ति में उन्होंने इतिहास ग्रन्थ लिखे। नापरी प्राचारिणी पत्रिका काशी ने इनके ग्रन्थ राजपूताना की इतिहास की समालोचना करने लिखा था, ‘अभी तक हमारे देश के विभिन्न विद्वान इतिहास लेखकों से समूचे

राजपूताने का कोई प्रमाणिक इतिहास प्रकाशित नहीं किया था। श्री गहलोत ने इस कमी को पूरा करने का उद्योग करके राजपूताना के निवासियों तथा इतिहास प्रेमी जनता का बड़ा उपकार किया है। बम्बई के बाम्बे क्रान्तिकल पत्र ने तब विचार प्रकट किये कि "उन्होंने हिन्दी में राजपूताना का इतिहास लिखा है जिसने उनकी ख्याति में चार चाद और लगा दिये हैं और जिसकी देश व विदेश के प्रख्यात विद्वानों ने मुवक्तकठ से प्रशंसा की है।

श्री जगदीश सिंह गहलोत को किसी राज्य से किसी प्रकार का सरक्षण नहीं मिला। एक माध्याह्न किसान परिवार का होने से उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी फिर भी अपने अध्ययन हेतु अपार इतिहास सामग्री एकत्रित की। दजनों क्यातों, प्रशस्तियों, वचनिकाओं, बहियों व अप्राप्य ग्रंथों की प्रतिलिपियां उन्होंने स्वयं तैयार की या करवाईं। वीर विनोद तारीख तुड़फए राजपूताना वकालत राजपूतानाह, आदि की प्रतिलिपियां आज भी उनके संग्रह में उपलब्ध हैं। उन्होंने सड़को चित्रों का संग्रह किया था तथा अपने स्वगवास तक 1146 कॉपर प्लैक तैयार करवाये थे। गनिज पुस्तकालय में 2738 इतिहास ग्रंथ छोड़ गये। वह पत्र लिखने के बड़े प्रेमी थे। तत्कालीन सभी इतिहासकारों व लेखकों डॉ गोरी शंकर हीराचन्द ओझा, डा पी के गौड़, डा राधाकुमुद मुर्जी, श्री हरविलास शारदा, डा सूयकांत, श्री सूयकरण पारीख, श्री नगोत्तम स्वामी, श्री हरिनारायण पुरोहित, डा वासुदेव अग्रवाल आदि उनके अभिन्न मित्रों में थे और उनसे बराबर पत्र व्यवहार करते रहते थे। यह आश्चर्य है कि सचिवालय में टाईपिस्ट (अंग्रेजी) का काम करते रहने के बाद के समय इतना काम कैसे करते थे। शायद इसी कारण वह इतना लिखने के बाद भी अर्थाभाव के कारण उनका प्रकाशन नहीं करा सके।

भारत सरकार के महानिदेशक ने उसकी इतिहास के प्रति रुचि देखकर उन्हें 1941 में अहीछाना (उत्तर प्रदेश) में उत्खनन का प्रशिक्षण दिया था तथा 27 मार्च 1941 को जोधपुर सरकार को लिखा था, 'श्री गहलोत ने उत्खनन के आधुनिक तरीके सीखने में सभी अवसरों का उपयोग किया है और इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास व पुरातत्व के ज्ञान की वृद्धि की है। मुझे विश्वास है कि जोधपुर रियासत उनकी सेवाओं का उपयोग करेगी।' जोधपुर रियासत ने फिर भी उन्हें टाईपिस्ट ही बने रहने दिया। मन् 1951 में जब राजस्थान के संग्रहालय एवं पुरातत्व विभाग के कमचारियों का चयन हुआ तब उनका 1927 से की गई सेवाओं को आका गया और उन्हें वरिष्ठतम संग्रहालयाध्यक्ष (क्युरेटर) का पद दिया गया और बाद में वह जोधपुर-वीकानेर डिवीजन के अधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए। श्री गहलोत का सचिवालय के टाईपिस्ट पद से पुरातत्व विभाग में जाना विभाग वालों को बहुत अखरा। वहाँ वह परदेशी समझे गये और उस समय (1951) से जो सघष उन्हें विभागाध्यक्ष से करना पडा, वह अत्र

लिखना व्यर्थ है। उनके स्वर्गवास (1958) के दो वर्ष बाद, उनके उत्तराधिकारियों को उनकी ग्रेजुएटी, प्रावधानी निधि आदि की रकम मिली। यदि वह रकम उन्हें अपने जीवकाल में मिल जाती तो संभव था कि राजपूताने के इतिहास के लगभग 1500 पृष्ठ भी छप कर प्रकाशित हो जाते। अस्तु सन् 1951 से 1958 तक वह अपना कोई ग्रन्थ प्रकाशित नहीं करा सके। श्री जगदीशसिंह गहलोत का यह दुर्भाग्य था। उनकी जीवनकाल की अंतिम कृति (1948) 'राजस्थान का दिग्दर्शन' थी जिसमें राजस्थान की समस्त रियासतों का संक्षेप में सचित्र विवरण था। उसमें राजस्थान के स्वतंत्रता आन्दोलनों का विवरण भी था। उन्होंने 1949 से 1958 के बीच कठिनाईयों में अपने ग्रन्थों को संशोधित व परिवर्द्धित अवश्य कर दिया। उनके स्वर्गवास के बाद उनमें से कुछ ग्रन्थ प्रकाशित भी हो गये हैं और कुछ प्रकाशनाधीन हैं। प्रकाशनाधीन में मुख्य 'राजपूताने का इतिहास (चौथा व पाचवा भाग) तथा 'इतिहास सहायक निम्न पत्रक (वि स 1501 से 1701 तथा 1901—2000 वि सवत) है। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा सूर्यकांत ने उनके लिये उचित ही लिखा था 'जन्म से राजस्थानी होने से उनके लिये राजस्थान के इतिहास में अध्ययन व साधन करने से बढ़कर और कोई विषय हो ही नहीं सकता था।'



से कम एक लाख वर्ष ई पूव तक का अनुमान किया जा सकता है। इस युग को प्रागैतिहासिक कहा जाता है। प्रागैतिहास (प्राक् इतिहास) शब्द का प्रयोग, मानव के उस आदि काल के इतिहास के अर्थ में किया जाता है, जब मानव ने अपनी पार्श्विक वृत्तियों का परित्याग किया और सभ्यता के क्षेत्र में पदापण किया।

प्रागैतिहास जानने के लिये पुरातत्व पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए तत्कालीन प्रयुक्त पाषाण—उपकरणों, मृद्भाटों, जीवाश्मों, तर कंकाल आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भूविज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, नृविज्ञान तथा रसायन विज्ञान विषयक प्रविधियों आदि पर निर्भर रहना पड़ता है।

उपरोक्त विधि से अध्ययन करने से पता चला है कि राजस्थान का इतिहास लाखों वर्ष पूव से सम्बन्धित है। यहाँ का दक्षिण-पूर्वी भाग, न केवल भारत बल्कि ससार का प्राचीनतम क्षेत्र है जैसा कि यहाँ की चट्टानों से ज्ञात होता है। यहाँ का पश्चिमी व उत्तर-पूर्वी भाग इतना प्राचीन नहीं है। पश्चिमी राजस्थान तो उत्तर-पूर्वी भाग से भी बाद का है। वह अशत समुद्र के गर्भ में था जैसा की इस क्षेत्र के जीवाश्मों से प्रमाणित होता है। इस काल में मध्यप्रदेश से पंजाब को जाने के लिये समुद्री रास्ता नमदा घाटी व कच्छ होकर था। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन व ऊँची पर्वतमाला थी। यह निश्चित नहीं है कि पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र से समुद्र कब हटा लेकिन इसको हटने में हजारों वर्ष लगे होंगे। समुद्र के हटने पर वहाँ पर कई बड़ी बड़ी भँसे रह गई जो काफी समय बाद सूखी। इसी कारण से यहाँ नमक व खड़ी के काफी भंडार हैं।

राजस्थान में हजारों वर्षों तक पहाड़ों से बहकर आने वाली नदियाँ अपने साथ रेत और मिट्टी लाकर यहाँ मदान बनाती रहीं और उहीं के फलस्वरूप यहाँ उपजाऊ मैदान बन गये। लगभग एक लाख वर्ष पूव हमारा कोई पूवज यहाँ के जंगली जानवरों की भाँति यहाँ के किसी जंगल में आया। वह जंगली जानवरों की भाँति ही नगा रहता था और जंगली कन्दमूल खाकर अपना पेट भरता था। जंगली जानवरों के बीच उसका रहना उसके लिए सुखद नहीं था। हिंसक जानवरों से वह लुक छिपकर पेड़ों पर या कदराओं रहता था। अपनी रक्षा के उपाय वह दिनरात सोचता रहता था। इसी के फलस्वरूप वह कठोर पत्थर से भड़े और भोडे हथियार और औजार बना पाया। इनसे वह न केवल हिंसक पशुओं से अपना बचाव कर सका बल्कि शिकार भी करने लगा। शिकार से मारे गये पशुओं से अपना पेट भरने लगा।

— राजस्थान की प्रागैतिहासिक संस्कृति को जानने लिये यहाँ के विभिन्न स्थलों की वैज्ञानिक आधार पर पिछले 40 वर्षों में उत्खनन किया गया। इन स्थलों से

प्राप्त उपकरणों के आधार पर पुरातत्ववेत्ताओं ने मानव द्वारा बनाये जाने वाले पाषाण उपकरणों के उस काल को पुरापाषाण काल नाम दिया है। यह वह पाषाणकालीन प्रारम्भिक अवस्था है जिसमें मानव ने पाषाण उपकरण बनाने प्रारम्भ कर दिये थे। इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार से है—

प्रारम्भिक पाषाण काल — इसका समय लगभग एक लाख वर्ष पूर्व से पिछले 50 हजार वर्ष तक का माना जाता है। इस काल में मानव हण्ड एक्स (हस्त कुठार), क्लीवर (विदारणी) तथा चोपर (गडासा) आदि का प्रयोग करता था। हस्त कुठार 10 से 20 से मी लम्बा नोकदार, एक ओर गोल और चौड़ा तथा दूसरी ओर नुकीली तथा तेज किनारे वाला होता था और कद मूल खोदने, पशु को काटने और खाल उतारने के काम लिया जाता था। क्लीवर (विदारणी) एक श्रयताकार 10 से मी से 20 से मी तक लम्बा और 5 से मी से 10 से मी तक चौड़ा और होता था जिसका एक किनारा कुल्हाड़ी की भाँति सीधा और तेज धारदार तथा दूसरा गोल, सीधा और त्रिकोण होती थी। चाँपर (गडासा) गोल होता था जिसके एक ओर अर्द्ध चन्द्राकार धार होती थी। इसका दूसरा किनारा गोल और मोटा तथा हाथ में पकड़ने के लिए हत्या होता था।

इस संस्कृति के प्रमाण अजमेर अतवर, चित्तौड़, जयपुर, जालोर, नागौर, भालावाड, टोक, पाली, भीलवाडा आदि जिलों की नदियों के किनारों पर मिले उपकरणों से प्राप्त हुए हैं। चम्बल और बनास नदियों व उनकी सहायक नदियों—वेडच, गम्भरी, बागा आदि के किनारों पर भी प्रागैतिहासिक उपकरण बहुत संख्या में मिले हैं। वैराट में कुछ प्राकृतिक गुफाओं तथा शैलाश्रयों में प्रारम्भिक पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल (दस हजार वर्ष पूर्व) तक की सामग्री मिली है। भरतपुर जिला के दर नामक स्थान से मानवाकृति, व्याघ्र, वारहसिंघा, सूकर आदि से चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। अधिकांश शैलाश्रयों का मुह दक्षिण-पूर्व की ओर होना था। इनकी दीवारों व छतों पर, अवकाश के समय मानव अपने मनोरंजन हेतु तथा यादगार हेतु अनेक चित्र अंकित करता रहता था। इन चित्रों के विषय प्रमुखतया शिकारवृत्ति से सम्बन्धित हैं। शैलचित्र सुदृश्य दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में चम्बल, पायती, परवन आदि नदियों के किनारों के शैलों में मिले हैं। ऐसे स्थान हैं—कोटा जिले में कपीलवारा, मोरसन, दर्रा, कयादेह, कालाजी की कुई, चटनेश्वर, कोटा नगर में जवाहर बुधा, भलवाड़ा जिले में माण्डल बुधा, चित्तौड़गढ़ जिला में चामली नाला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास की पहाड़ी, अजमेर में आना सागर के पाम की पहाड़ी सवाई माधोपुर में अमरेश्वर व शोलेश्वर, भालावाड जिले में वागोट के पास अमभारी नाला व भावू पवत। इन शैलचित्रों में लाल, पीले, हरे आदि रंगों का प्रयोग हुआ है। इस समय तक मानव यायावर था।

जगली कद मूल, फल, हरिण, शूकर, भेड बकरी आदि खाकर ही अपना पेट भरता था। इस काल के उपकरण वेडच क्षेत्र की नदियों के अलावा, गम्भीरी, बागाँ, व कादमाली से मिले हैं। वेडच नदी क्षेत्र के स्थल डोरोली, करणपुर, धीमडा, सरजना, बल्लभनगर गाडरीयावास, तुकरावा, घनेट व नगरी से 161, गम्भीरी नदी क्षेत्र से 242 उपकरण बागा नदी क्षेत्र के गाव हाजी खेडी, भूटीया, व्यावर व चम्पाखेडी से 118 कादमाली नदी क्षेत्र के निम्वाहेडा के पुल के पास 38 उपकरण मिले हैं। सभी उपकरण पत्थर के हैं और इनमें क्रोड कुठार, गडासे विदारणिया हस्त कुल्हाड़े, शल्क आदि मुख्य हैं।

मध्यकालीन पाषाण काल—यह युग प्रारम्भिक (पुरा) पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच की कड़ी माना जाता है। इस युग का आरम्भ 50000 वर्ष पूर्व के आसपास का माना जाता है। इस काल के उपकरण बागाँ नदी व कादमाली घाटी क्षेत्र में मिले हैं। बागा क्षेत्र के स्थल हाजी खेडी, भूटीया, व्यावर, व चम्पाखेडी हैं जहाँ से क्रोड शल्क, खुरचनिया व हस्त कुल्हाड़े मिले हैं। वेडच क्षेत्र में इस काल के नाममात्र के उपकरण मिले हैं। गम्भीरी नदी क्षेत्र में ऐसे कोई उपकरण नहीं मिले हैं। डा वी एन मिथा द्वारा किये गये सर्वेक्षणों से यह सिद्ध हो गया है कि कम से कम 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व तूणी नदी क्षेत्र में मानव रहता था तथा इस नदी में काफी पानी बहता था। क्योंकि तब यहाँ की आबहवा काफी नम थी। तब वर्षा भी ज्यादा तथा नियमित रूप से होती थी। शेखावाटी व गगानगर का क्षेत्र भी तब तक काफी हराभरा था। प्रारम्भिक पाषाणकाल व मध्यपाषाण काल के उपकरणों मुख्यतः हस्त कुल्हाडी, क्रोडा के अनुपात में व शल्को की बनावट में काफी विभिन्नता है।

नवपाषाण युग—नवपाषाण युग का आरम्भ लगभग 10,000 ई. पूर्व माना जाता है। इस काल में कृषि, पशुपालन, धुमकड वृत्ति के स्थान पर स्थायी निवास के साथ साथ बतन बनाने के लिए चाक का प्रयोग होने लगा। अब वह पशुओं के बालों और पौधों के रेशों के वस्त्र पहनने लगा था। घास, घूस, मिट्टी तथा बृक्षों की शाखाओं की सहायता से रहने को कोपडिया बनाना सीख लिया था। इस काल के अपर्याप्त पाषाण उपकरण तथा कुछ अस्थि उपकरण भी मिले हैं। इस काल की वेडच नदी घाटी के 26 स्थलों में 2912 हस्तकृतियाँ मिली हैं। इन उपकरणों में काम आने वाली मुख्य सामग्री चट्ट की 44-47 प्रतिशत व विल्लोर की 36-53 प्रतिशत है। चट्ट कई रंगों का है जिनमें मुख्य हल्का पीला, गहरा भूरा व चाकलेट भूरा है। विल्लोर चाकलेट भूरे रंग का है। हस्तकृतियों में मुख्यतः फलक व शल्क हैं।

राजस्थान के महस्थल में पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। जायल (जिला नागौर) एक बहुत ही समृद्ध स्थल था जहाँ से कई उपकरण मिले हैं। यहाँ

की भूमि के परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि यहाँ नदी बहती थी जिसकी धारा काफी तेज थी। यहाँ का जलवायु तब नम था जैसा कि चिकनी खड़ीया की बनावट से ज्ञात होता है। जायल से 60 कि मी पूर में स्थित डीडवाना में भी इस काल के उपकरण मिले हैं। प्रतिनूतकाल के उत्तर्गढ में भील का पानी बहुत ही खारा था लेकिन नूतन काल (ई पूव 10000 से ई पूव 3000) में भील में मीठा पानी भरा हुआ था। यहाँ के प्रारम्भिक काल के उपकरण चिकनी मिट्टी में गड़े मिले हैं। ये बहुत ही अच्छी ढगा में मिले हैं। ये अधिकांश विल्लोर या स्फटिक के बने हैं। यह पत्थर डीडवाना क्षेत्र की पहाड़ियों से मिलता है। डीडवाना के उपकरण अधिकांशतः बहुक्रीय हैं। कुछ हस्त कुडार, गडासे और खुरचनिया मिली हैं। ये उपकरण प्रारम्भिक पाषाण काल के हैं जबकि जायल के उपकरण बाद के प्रतीत होते हैं।

पश्चिमी राजस्थान का विस्तृत रजयुक्त प्रदेश कई मीलो तक फैला है तथापि लूनी सरिता शुष्क उत्तर प्रदेश अपने गर्भ में बालू के तले खाद, जमी हुई मिट्टी और वजरीकृत-करूर, चूर्ण धारण किये हुए है—यह मृच्छलिका पर आश्रित है। यह पत्थर कई परतों में होने के कारण सहज में टूट जाता है। प्रागतिहासिक युग में लूनी नदी इस भू भाग की जल प्रदान करती रही होगी जिस कारण वहाँ हरे जंगल होंगे। खाद्य सामग्री-मात्र संग्रह की अवस्था में आदिमानव ने इन वनवीथियों में भ्रमण करते हुए चकमक प्रस्तर के अशमीपकरणों द्वारा जीवन निर्वाह किया होगा।

पुरातन मानव के प्रयुक्त अशमीपकरण राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी भाग में भी मिलते हैं। इनका आकार छोटा है। ऐसे औजार प्रायः धारदार एवं नुकीले होते हैं। इस अपरपाषाण युग में मानव प्रारम्भिक पाषाण युग से भिन्न प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाया। इससे अनुमान होता है कि इस युग में दक्षिण-पूर्व एवं पश्चिमी राजस्थान के मानव की आवश्यकता प्रारम्भिक पाषाण से भिन्न प्रकार की थी। ये पाषाणस्त्र बहुधा उन पशुओं को काटने, उनका चमड़ा छीलने एवं उनमें छेद करने के काम आते थे जिनको मानव शिकार करके लाता था। ये पाषाणस्त्र जीवन-सुरक्षा हेतु शस्त्र का काम भी देते थे। भालो और बाणों के दोनों और की तेजधार को देखकर यह मत पुष्ट होता है। इस प्रकार के अशमीपकरण सहस्रों को सख्या में पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी तथा पश्चिमी राजस्थान में उपलब्ध हुये हैं।

आद्यतिहासिक काल

बाणोर—यह भीलवाड़ा जिला में एक कस्बा है जो भीलवाड़ा नगर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर कोठारी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ 1967 से 1970 के बीच उत्खनन कार्य हुआ था और तब यहाँ काफी मात्रा में आद्यतिहासिक महत्व की सामग्री मिली थी।

सबप्रथम यहा पर 1 67 मीटर गहरी 3×2 मीटर भूमि पर खुदाई करके भावी काय की स्मरणा निर्धारित की गई थी। तदनन्तर 20×8 मीटर क्षेत्र में काय बड़े पैमाने पर प्रारम्भ किया गया था। ग्रामों के चर्चों में 20×6 मीटर व 20×10 मीटर क्षेत्रों में खुदाई कार्य सम्पन्न किया गया था व खुदाई के आधार पर यहा आदि मानव की सभ्यता के तीन विभिन्न युग प्रस्तुत हुये। सबसे नीचे की परतों से लड्डु पापाणास्त्र तथा मृत पशुओं के अवशेष ही प्रकाश में आये। इससे यह सिद्ध हुआ कि आदिमानव इस युग में भोजन संग्रह की अवस्था में था और भोजन उत्पादन करना नहीं जानता था। वह श्राधेत एव कन्दमूल एकत्र कर अपना जीवन निर्वाह करता था। इतना होते हुए उस समय का मानव पर्यरा के योग से पटी भूमि पर रहा करता था। मृत शरीर का ढाँचा जो वहा से प्राप्त हुआ वह पश्चिम-पूर्व दिशा में लेटा मिला। इससे अनुमान लगाया जाता है कि आदि मानव उस समय मरणोपरान्त जलाया नहीं जाता था वरन् अपने घर में ही दफनाया जाता था और दफनाते समय उसे वे उत्तर-दक्षिण न लिटाकर पश्चिम पूर्व लिटाते थे। रेडियो कार्बन विधि से इस स्तर को ईसा पूर्व 4480, 3815 व 3285 तक का बताया गया है। इस स्तर में मिट्टी का ढेर 50 से लेकर 80 से भी का है।

दूसरे स्तर में 30 से 50 से भी मिट्टी का ढेर खोद गया। इस स्तर से लड्डु पापाणास्त्र तथा पशु अवशेष कम होने प्रारम्भ हुए और ताम्बास्त्र तथा मृदभाण्ड प्रकाश में आने प्रारम्भ हुये। यहा के मृदभाण्ड हाथ के बने है तथा उन पर कुरेदी हुई रेखाये हैं। मानव के मृत शरीर पूर्व-पश्चिम दिशा में लेटे मिले है। मृत शरीर के साथ पर्याप्त सख्या में मृदभाण्डों के अवशेष, घातु अस्त्र, आभूषण तथा भोजन सामग्री भी प्राप्त हुई। न युग में मानव समाज की सुविधाओं का उपभोग करता होगा, ऐसा आभास अवशेषों से प्राप्त होता है। यद्यपि इस युग के लोग भी प्रस्तर के उपकरण बनाते थे और पशुओं का शिकार एव कन्दमूल फल एकत्र किया करते थे पर वे मिट्टी के बतन भी बनाने लग गये थे। वे ताम्रोपकरण के प्रयोग के साथ साथ सम्भवत कृषि व पशुपालन के आधार पर भोजनोत्पादन भी करने लग गये थे। प्राप्त अवशेषों के आधार पर वे अपने पूर्वजों के समान अपने शवों का घरों में ही पूर्व-पश्चिम दिशा में गाडते थे। तथा उनके साथ काफी बर्तन खाद्य पदार्थ व उपकरण रखते थे। दो रेडियो कार्बन तिथियाँ इस स्तर के अवशेषों के परीक्षण के आधार पर मिली है और वे ईसा पूर्व 2765 और 500 के बीच की है।

तीसरा युग स्तर विभाजन के आधार पर बागौर के टोले के मध्य में 35 से 75 मिट्टी के टीलो की खुदाई से ज्ञान हुआ। इसका समय सम्भवत ईसा पूर्व 500 से लेकर ईसा सन् की चौथी शदी तक का है।

इस स्तर से जो भी लाहास्य प्राप्त हुए तथा मृदभाण्ड मिले वे हाथ के बने न

होकर कुम्हार के चाक द्वारा बने हैं। चाक पर बने बर्तन अच्छी तरह पके होने के साथ साथ हल्के तथा सुदृढ हैं। उन पर प्रायः चिकनी मिट्टी का लेप नहीं है। रंग द्वारा उन पर कोई चित्रकारी नहीं है पर कहीं कहीं रेखाये खींचकर अथवा मिट्टी द्वारा अलंकरण किया गया है। इस काल के पात्रों में हमें खम्भाकार हाडिया, चौड़े मुह एव चपटी पेंदी वाले प्याले, सकरे मुह वाले गोल घड़े तथा भिन्न प्रकार के शराबक प्राप्त हुये हैं। यहाँ से 7 लोहे के उपकरण मिले हैं जिनमें दो बाणाय विशेष महत्व के हैं। मनुष्य द्वारा लोहे का ज्ञान प्राप्त कर लेने के कारण समाज में पत्थर के उपकरणों का उपयोग बहुत कम हो गया था। इसी प्रकार अर्थ व्यवस्था में मनुष्य द्वारा भोजन उत्पादन स्वयं कर लेने की क्षमता ने मानव को मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग सिखा दिया। पत्थर के जो भी उपकरण मानव ने इस युग में बनाये वे लघु थे तथा कई प्रकार के होने के कारण बागोर स्थान के लघु पाषाणोपकरण उद्योग का एक अत्यन्त विकसित केन्द्र होने का साक्ष्य है। ऐसे उपकरण यहाँ से लाखों की संख्या में प्राप्त किये गये हैं। ये उपकरण मुख्यतया चर्ट एव स्फटिक के बने हैं। तथा बड़ी कुशलता से बनाये गये थे। बहुत बड़ी संख्या में लघुपाषाणोपकरणों की यहाँ से प्राप्ति इस बात का द्योतक है कि मानव यहाँ अन्य क्षेत्रों की तरह आखेट के लिये आया था व अपनी आवश्यकता के उपकरण बनाता तथा अनावश्यक सामग्री वहाँ पर छोड़ कर चला गया। ऐसा उसने मेवाड के कई स्थानों पर किया। आभूषणों में शीशे, हड्डी व पत्थर की मणियाँ मिलीं। आवास गृहों में पत्थरों के साथ ईंटों का प्रयोग होता था ऐसे अवशेष प्राप्त हुये हैं। मृत शरीर इस युग में पूव-पश्चिम में स्थान पाकर उत्तर-दक्षिण दिशा में स्थान पाने लगा। कावन तिथियाँ जो भी इस स्तर की ज्ञात हुई हैं वे एक बड़े युग की सस्कृति की साक्ष्य हैं। वह युग जैसा कि लिखा गया है ईसा पूर्व प्रारम्भिक शतियों तक यहाँ पर निवास करने वाले मानव के काय कलापो की ओर इंगित करता है।

बागोर से प्राप्त पाषाण उपकरणों को लघुपाषाणोपकरण कहते हैं क्योंकि प्राचीन पाषाणकालीन उपकरणों की तुलना में ये उपकरण अत्यन्त छोटे आकार के हैं। इनकी लम्बाई सामान्यतः एक सेन्टीमीटर से लेकर चार सेन्टीमीटर तक है। इन उपकरणों में कई एक ज्यामितीय आकृतियों के हैं जो मुख्यतया आखेट के काम आते थे। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि यहाँ का जीवन मुख्यतया आखेट पर निर्भर था। ये उपकरण प्रचुरमात्रा में घरो में ही मिले हैं अतः यह निश्चित है कि प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकता के उपकरण स्वयं बनाता था।

बागोर उत्तर पाषाणकालीन सस्कृति का एक मात्र निवास स्थल नहीं है। बागोर से कुछ किलोमीटर पूर्व की ओर कोठारी नदी के ही किनारे सूरता का खेडा नामक गाँव के पास ऐसा दूसरा स्थल तथा लगभग 60 ऐसे और स्थान मिले

है जो उत्तर पापाण कालीन सस्कृति के औद्योगिक स्थान थे। ये स्थान उदयपुर, चित्तौडगढ, भीलवाडा, अजमेर, टोक, भालावाड, कोटा आदि जिलो मे फैले हुए हैं।

इस सस्कृति के निर्माता आज के भीलो के पूर्वज होंगे यह अनुमान किया जा सकता है।

बाणेश्वर—यह स्थान नीम के थाना (जयपुर जिला) से 15 कि मी दूर तथा जयपुर से लगभग 150 कि मी दूर है। यहां की सस्कृत पाठशाला के उत्तर मे टीलो से ताम्रयुगीन लगभग 2000 उपकरण-कुल्हाडे आदि मिले है। ऐसे कुल्हाडे अब तक भारत मे कही भी प्राप्त नहीं हुये है। यहां कई गैरिक मृदभाण्ड भी मिले हैं। ताम्र उपकरणो मे तीर, वाणाग्र, चूडिया, छल्ले, वल्लम, दड, फलक, काटे, छेनिया, मणके आदि मिले है। भारत मे पहली बार इतनी बडी सख्या मे प्रागैतिहासिक काल के उपकरण, गैरिक मृदभाण्डो के साथ, यही मिले है। ऐसे वाणाग्र, काटे, पत्तियां आदि प्राय सिन्धु क्षेत्र के स्थलो से प्राप्त हुई हैं।

यहां से प्राप्त अधिकांश वाणाग्र विभिन्न स्वरूप के है। ये पांच से साढ़े छ से मी तक के है। यह लकडी के डे मे लगाए जाते थे तथा शिकार करने के काम आते थे। कुछ वाणाग्र घुमावदार है जो पक्षियो के मुड का शिकार करने मे प्रयोग किये जाते होंगे। किसी वाणाग्र मे छेद नहीं है जैसा कि बागीर के वाणाग्रो मे मिलता है।

यहां सूक्ष्म पापाण उपकरण भी मिले है। जिमसे ज्ञात होता है कि यहां के लोग तब तक पशुओ के शिकार से ही पेट भरते थे। सभवत पडोस की खेतडी आदि की ताम्र खानो से ताम्र का उपयोग करने लग गये थे। यहां से कई भालो के पतले पलक मिले हैं। लगभग 50 मछली पकडने से काटे भी मिले हैं। गणेश्वर से 60 फरसे भी मिले है जो लगभग एक किलो वजन के है, इन पर एक से छ तक बिन्दुओ मे पहचान के निशान बने हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गणेश्वर से निकलने वाली काटली नदी नोहर, सोधी व भाद्ररा के पास दृष्टवती नदी से मिलती थी। गणेश्वर से 60 कि मी दूर खेतडी की खानो से ही ताम्र निकलता था और लगभग 2700 ई पूर्व मे यहां के लोग ताम्र उपकरण बनाने मे सिद्धहस्त हो गये थे। इन ताम्र उपकरणो मे 47 % शुद्ध तांबा है। ये उपकरण हडप्पा की ओर से आये लोगो के नहीं थे। वास्तविकता यह है कि यहां के लोगो द्वारा उधर को सभवत इन उपकरणो का अन्यत्र निर्यात किया जाता था। ये उपकरण प किस्तान, पजाब व हरियाणा क्षेत्रो मे भेजे गये थे जहां से वे अब उत्खनन से प्राप्त हुये है।

राजस्थान के अन्य भागो मे भी यहीं से ताम्र उपकरण भेजे गये थे। खुराडा (तहसील परवतसर, जिला नागोर) मे सन् 1934 मे उत्खनन से प्राप्त 103 उपकरण

जो लगभग 2000 ई पूव के है, भी यही से गये प्रतीत होते है। इन उपकरणों में से 10 अभी भी जोधपुर संग्रहालय में देखे जा सकते है। यहाँ से मिले नालीदार प्याला ईरान से मिले प्याले के समान ही है। अतः यहाँ से ताम्र वस्तुये विदेशों को भी भेजा जाना सिद्ध होता है।

गणेश्वर व जोधपुरा (जिला जयपुर) से मिले गरिक भाण्ड एक समान है। यो इन्हे लाल लेपवाले रेखांकित बतन, जा कालीवगा, सोथी, सीसवाल आदि के बतनों के समान है, ई पूर्व 2 00 से 1180 तक के माने जाते है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि ये प्रारम्भ में ई पूव 2500 से 2200 के बीच वहाँ बने लग गये थे और यहाँ के लोग तब उत्तर पूव की ओर गये तब वहाँ भी लेते गये। गरिक भाण्ड वाले लोग सिन्धु घाटी के पूव हड़प्पा या हडप्पा युग के लोग नहीं थे बल्कि गणेश्वर खेतड़ी क्षेत्र के थे। वे ताम्र उपकरण साखी, काटली आदि नदियों के रास्ते से देश के पूर्वी व पश्चिमी भागों में भेजते थे।

इस प्रकार गणेश्वर के उत्खनन व खोज से पूव हड़प्पा ताम्र कला की ई पूव 2800 में विकसित होने का पता चलता है। इसे गणेश्वर-जोधपुरा संस्कृति कह सकते है। संभव है कि ऐसे और कई स्थल खेतड़ी क्षेत्र में उत्खनन पर मिल जावे।

जोधपुरा (जिला जयपुर)—आर्यों को संस्कृति का विस्तार राजस्थान में और कहा हुआ यह देखने के लिये जयपुर से 98 किलोमीटर तथा वाराणसी से 15 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुरा नामक स्थान पर राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की गई। यहाँ पर गरिक रंग के पात्र, टीले के सबसे नीचे स्तर से, जिनमें वैठकदार तश्तरियाँ मुख्य हैं, अद्विकृत गडें मिले उनके साथ ही आकारहीन ताम्रखण्ड भी यहाँ से प्राप्त हुये हैं। साथ ही साथ यहाँ के तीसरे स्तर से चित्रित स्लेटी रंग के पात्र भी मिले। इन पात्रों में कटारों तथा पानी पीने के पात्रों के अवशेषों के साथ-साथ तश्तरियों के भी अवशेष हैं। स्लेटी रंग के पात्रों पर काली रेखाओं से चित्रण वही कही वहुत ही सुंदर है और वे कलापूर्ण भी हैं। इन पात्रों के साथ यहाँ से लोहे की बनी वस्तुओं की भी प्राप्ति हुई है। इस स्तर की उपलब्धियाँ, जो विशेषतया उत्खनीय हैं, वे बिना रंगे काले और लाल पात्र, गेरू के रंग के पात्रों और चित्रित स्लेटी रंग के पात्रों के युगों में बीच के युग के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। यहाँ के काले व लाल रंग के पात्रों में विशेषतया उत्खनीय है तश्तरी व प्याले। यहाँ के पात्र नोह में प्राप्त पात्रों के समान हैं। उनका स्वरूप आहाड से प्राप्त काले व लाल पात्रों में सवधा भिन्न है। इस स्तर से प्राप्त काले व लाल पात्र तथा काली चमक के पात्र पूरी तरह से पके हैं।

चित्रित मनेटी पात्र अंदर तथा बाहर को नाना प्रकार की कला के आधार पर

हस्तिनापुर तथा नोह से प्राप्त पात्रों से सहज में ही होड़ करते हैं। इन पात्रों में मुख्यतया तश्तरिया, प्याले व कटोरे हैं।

जोधपुरा की विशेषता एक और भी है। काले व लाल पात्र इस स्तर से भी चित्रित स्लेटी पात्रों के साथ प्राप्त होते हैं। अन्य वस्तुओं में जो इस स्तर से प्राप्त हुये हैं—लोहे के अस्त्र, मृण्मय घटाकार मणके, हड्डी की तीले, हड्डी के बड़े छेदवाले पदार्थ तथा पत्थर के मणके। यहां के दो अन्य स्तरों से ऐतिहासिककालीन संस्कृति की भांकी मिलती है।

चौथे स्तर से सम्बंधित युग के निवासी उत्तरी चमकदार पालिशवाले पात्रों के साथ साथ बिना चिकनाहट के लाल पात्रों का प्रयोग करते थे। उनके प्रयोग के पात्रों में प्याले, कटोरे तथा धड़े मुख्यतया उल्लेखनीय थे। महत्वपूर्ण पुरावशेषों में जो इस स्तर से प्राप्त हुये हैं उनमें उल्लेखनीय लोहे के बने तीरों के अग्रभाग तथा लोहे की कीलें शख निर्मित चुड़ियों के टुकड़े हाथ के बने कुबड़े बेल की आकृतियों तथा पाषाण निर्मित मणके हैं।

यहां के पांचवे अर्थात् अंतिम स्तर से शुग व कुपाणकालीन पात्रों की प्राप्ति हुई है। इससे सिद्ध है कि इस स्थान पर शुग व कुपाण काल में आबादी थी। इस युग में लाल रंग के पात्र आण्डवल की तरह चाक के द्वारा बनाये जाते थे। पात्र मध्यम आकार के होते थे पर वे पतले होते थे। पात्रों पर चिकनाहट की जाती थी। वे खुरदरे न होकर फिमलाहट को स्थान देते थे। साधारण आकार के पात्र जिनमें ढक्कनदार व बिना ढक्कन के प्याले व कटोरे तथा टोटीदार छोटे छोटे पात्र सम्मिलित थे, यहां से प्राप्त हुये हैं। ऐसे पात्रों के टुकड़े भी प्राप्त हुये हैं जिनपर निरत्न एवं स्वास्तिक चिह्न भी बने हैं। इस युग के महत्वपूर्ण पुरावशेषों में लौहास्त्र, मृण्मय घटाकार मणके, पाषाण के मणके और एक ताम्रमुद्रा उल्लेखनीय है। यहां से लोह भट्टिया मिली हैं जो लोह उपकरण बनाने के काम आती थी। इन भट्टियों में उपलो का प्रयोग होता था। जोधपुरा में मानव आवास के चिह्न फर्श और ईंटों की दीवार के रूप में मिले हैं। मकान की छतों पर खपरेलो का प्रयोग होता था। छप्पर छाने का भी रिवाज था। यहाँ से मिली वस्तुओं से यहां का कालक्रम ई. पू. 2500 से ई. स. 200 तक का ज्ञात होता है।

कालीबंगा—जहां तक पता चला है सिन्ध, पंजाब व राजस्थान की प्रारम्भिक सभ्यतायें नगरीय सभ्यतायें थीं। सिन्ध में मोहनजोदड़ो, चण्डुदड़ो, अमरी, कोट डिजी, पंजाब (पाकिस्तान) में हड़प्पा, पंजाब (भारत) में रूपड़, गुजरात में रोजडी व देसलपुर की भांति राजस्थान के गंगानगर जिला के कार्लीबंगा में भी उत्खनन में नगर का ही पता चला है। इसका उत्खनन ब्रजवासी लाल व बी के थापड़ द्वारा सन् 1961 में आठ वर्षों तक किया गया।

उत्तरी राजस्थान के इस क्षेत्र में वैदिक सरस्वती एवं दृपद्वती नदियाँ कभी बहा करती थीं। सरस्वती वैदिक काल में बड़ी पवित्र नदी मानी जाती थी। यह नदी हिमालय की सिवालिक पहाड़ियों में निकलती थी। अब यह नदी घग्घर कहलाती है। वर्षा के बाद यह हनुमानगढ़, पीलीबंगा, सूरतगढ़ व अनूपगढ़ के धीरे-धीरे के मैदानों में सूखी रहती है। सर्वेक्षण के आधार पर इस क्षेत्र में कई हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज भी की गई थी। प्राचीन सरस्वती (जिसकी वर्तमान में 'घग्घर' कहा जाता है) के दक्षिणी तट पर स्थित कालीबंगा नामक स्थान पर केन्द्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा विधिवत खुदाई की गई। कालीबंगा हनुमानगढ़ नगर के पास है। उत्खनीत स्थल वर्तमान गाँव से पौन किलोमीटर दूर है। घग्घर नदी प्राचीन काल में यहाँ पर लगभग 5 मीटर गहरी बहती थी। अभी तो यह रेत से भरी दिखाई देती है। यहाँ पर किये गये उत्खनन द्वारा सिद्ध हुआ कि अनुमानतः आज से 4000 वर्ष पूर्व एक अत्यन्त सभ्य मानव जाति यहाँ विकसित हुई। कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं में नगर निर्माण योजना हेतु सुनिश्चित मेप का अनुसरण किया जाना प्रकाश में आया है। उस समय सड़कों व गलियों का निर्माण उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर हुआ करता था। उस समय प्रायः कच्चे ईंटों के मकान बनाये जाते थे। प्रत्येक घर के खुले चौक के अतिरिक्त चार या पाँच बड़े-बड़े कमरे होते थे। काम में आये हुए गन्दे पानी को बाहर निकालने के प्रयत्न हेतु पत्थर की ईंटों की नालियाँ एवं शोषण पान का प्रयोग होता था।

इस युग की सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में सादे तथा रंगीन मृत्तिका पात्र, खण्ड शस्त्रों के मान-चित्रित चपटे फल, ताम्बे के हथियार, आभूषण, कड़ी मिट्टी की आकृतियाँ, पुरूपाकृति को स्थान देने वाले खिलौने तथा पत्थर के बाट के अतिरिक्त खडिया-मिट्टी की बनी ऐसी चिन्हित मुद्रायें भी सम्मिलित हैं जिन पर आदर्श हड़प्पा लिपि में उपाख्यान (लेख) भी अंकित हैं। दुर्भाग्यवश जो लिखा मिलता है वह अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है।

कहीं-कहीं पशु आकृति, विविध नाट्य दृश्य, चिन्हित मोन पात्र व सक्के पेंदे के जल पीने के प्याले, चिकनालाल पृष्ठ भूमि पर कले रंग से चित्रित आकृतियुक्त मृद भण्डावशेष चपटे गोस छेद वाले गुटके व कड़ी मिट्टी के बने खिलौने की गाड़ियों के नमूने, चपटी तथा गोल दोहरी उभरी हुई बड़ी-मिट्टी के चिमटिये तथा बमकीले पत्थर के लम्बे फन, जो वास्तव में हड़प्पा की सभ्यता के प्रतीक हैं, इस प्राचीन स्थान से प्राप्त हुये हैं।

कालीबंगा के दो टीलों में जहाँ पर खुदाई हुई - एक जो पूर्व में है बहुत बड़ा और ऊँचा था। दूसरा उसकी अपेक्षा पर्याप्त छोटा था। यद्यपि दोनों में हड़प्पाकालीन सड़के, भवन तथा नालियों के साथ-साथ एक सुन्दर नगर-योजना के चिह्न

प्राप्त हुए हैं, पर पश्चिमी टीले की खुदाई के आधार पर एक बहुत बड़ा कच्ची मिट्टी का चबूतरा प्रकाश में आया है। इस चबूतरे से हडप्पा एव मोहन जोदड़ो से प्राप्त नगर की दीवार के अवशेष प्राप्त हुवे हैं। मोहनजोदड़ो और हडप्पा से हमें भवनो की निश्चित निर्माण विधि का पता नहीं चलता है पर कालीवगा से प्राप्त भवनो के अवशेषो से उस समय की स्थापत्य कला पर प्रकाश पडता है। कच्ची ईंटो से बने भवन पर मिट्टी का लेप ऊपर से किया जाता था। इनकी भूमि पके मृण्मय उपलो से पाटो जाकर मिट्टी से लीपी जाती थी और मृण्मय उपलो में लकड़ी व कोयलो का मेल होता था। ऐसे ढग से बनी भवनो की भूमि काफी दृढ होती थी। मृण्मय उपलो का प्रयोग सवत्र भवनो की भूमि सुदृढ बनाने में किया जाता था।

कालीवगा से भवनो की छतों के बनाने की विधि का भी अनुमान लगाया जा सकता है। यह हमें न मोहनजोदड़ो से पता चलता है न हडप्पा एव लोथल से ही किन्तु कालीवगा से हमें पता चलता है कि भवनो की छतें लकड़ी की बल्लियों से पाटी जाती थी। इन बल्लियों को कच्ची मिट्टी से अच्छी प्रकार से दवा देते थे।

छोटी वस्तुओं में जो अवशेषो के रूप में कालीवगा से प्राप्त हुये हैं, एक मृण्मय मानव सिर है जिसका मस्तक पीछे की ओर जाता हुआ है तथा जिसकी आंखे अण्डाकार हैं तथा जिसकी नाक सीधी नोकदार है। उसके नीचे के होठ मोटे तथा उसकी ठुडो सुदृढ है। ऐसी आकृति मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई है। पात्रो के कुछ टुकड़ो पर दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाने वाली, सिंधु नदी की घाटी में निवास करने वालो के द्वारा प्रयोग करने वाली लिपी में लेख है। मिट्टी के पात्रो में गले के चारो ओर एक चौड़ा काला घेरा है और उसमें लगातार घेरो तथा सजावट के अन्य प्रकारो का समावेश है। पात्रो में छोटे-बड़े कई प्रकार के गोलाकार पात्र मिले हैं। इनका किनारा उधर की ओर मुड़ा है। यहां पर जिस प्रकार के पात्र पाये गये हैं वे सिंध (पाकिस्तान) के कोटडीजी स्थान से भी प्राप्त हुए हैं। कोटडीजी की सभ्यता को विद्वानो ने पूर्व हडप्पाकालीन माना है। कालीवगा में की गई 1962-63 की खुदाई ने इस क्षेत्र में हडप्पाकालीन सस्कृति से पूर्व की सस्कृति की विद्वमानता को पुष्ट किया है। पांच भवन स्तर यहां से प्राप्त हुये हैं। छ प्रकार के मृदपात्र यहां से प्राप्त हुये हैं। जो निवामगृह प्रकाश में आये उनकी ईंटो का आकार $30 \times 20 \times 10$ से मीटर था। ये ईंटें बड़ी कुशलता से जमाई गई थी ताकि मकान सुदृढ रहे। कच्ची मिट्टी की ईंटो के साथ-साथ पक्की मिट्टी की ईंटो का भी प्रयोग मिला है। खाना पकाने के लिए चूल्हे किम प्रकार के प्रयोग होते थे यहां से ज्ञात हुआ है। चूल्हे और अगोठी की दीवारे कच्ची मिट्टी से पोती जाती थी और जिस ओर खुली होती थी उन पर दीवारें झुकी रहती थी। ई धन रखने के लिये ढरहो और अगीठियो का मुख सुदर ढग से खुला रहता था।

ये चूल्हे वतमान कालीन तदुरो के समान थे। तदुरोकी प्रथा पूर्वी राजस्थान

मे नहीं थी। यह पश्चिमी एशिया में सामान्य थी। इससे यहाँ के लोगों का ईरान व पश्चिमी एशिया से निकट सम्बन्ध होने का पता चलता है। रेडियो कार्बन तिथि जा कालीबंगा के ऊपरी स्तर से वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर प्राप्त हुई है वह 4070 ± 115 बी पी + 3980 ± 115 बी पी है। अन्य परीक्षणों से भी यह ज्ञात होता है कि कालीबंगा में हड़प्पा संस्कृति लगभग 200 वर्ष रही और यह 2000 ई पू के प्रारम्भ में समाप्त हो गई। पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति की प्राचीनता वैज्ञानिक ढंग से अद्यावधि नहीं जानी जा सकी है। अवशेषों के आधार पर संभवतः यह हड़प्पाकालीन युग से 100 वर्ष पूर्व पनपी तथा अस्तित्व में रही। स्टिवाइट पत्थर की ऐसी रेखांकि मुहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं जिन पर एक ओर पशु की आकृति बनी हुई है तथा दूसरी ओर बहुद्विध धारी पिण्ड है। कुछ मृदपात्रों के टुकड़ों पर स्फुट लेख हैं। प्राप्त मुहरों में से कुछ कच्ची मिट्टी की तथा कुछ पक्की मिट्टी की हैं। यहाँ से ऐसे मणके भी प्राप्त हुए हैं जो फायम कार्नीलियन तथा स्टिवाइट के बने हैं। मृण्मय कलाकृतियों में पशुओं तथा पक्षियों का भी अंकन है। यहाँ से बहुत बड़ी सभ्यता में चुड़िया भी मिली है। ये चुड़िया मिट्टी की तथा सीप की हैं। ताम्बे के औजारों के साथ ही यहाँ से तोलने के बाट विभिन्न प्रकार के पत्थरों के मिले हैं। मिट्टी तथा चर्ट पत्थर के बने खेलने के गुट्टे भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पुरातत्त्व विभाग ने कालीबंगा में पुरातात्विक अवशेषों के प्रदर्शन हेतु एक संग्रहालय अथवा स्थापित कर दिया है।

इस प्रकार कालीबंगा की सभ्यता सिन्धु सभ्यता के समान ही है लेकिन इसमें कुछ नई विशेषताएँ मिलती हैं। प्रथम विशेषता यहाँ दो प्रकार के आवासगृह मिलना है—पश्चिम की ओर गढ़ का मिलना है जो पूर्ववर्ती हड़प्पा पूर्व काल की बस्ती पर बना है। यह संयोग की बात है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व कालीबंगा में गढ़ पूर्ववर्ती बस्तियों पर ही बने हैं। दूसरे आवासगृह पूर्व की ओर है और निचली सतह पर है। गढ़ व निचली सतह के आवासगृहों को घेरने वाली चार दिवारी कच्ची ईंटों से बनी है। इस चार दिवारी की पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली 23 मीटर दीवार को खोला गया है। शहर की 5 उत्तर-दक्षिण व 3 पूर्व पश्चिम सड़कों तथा पूर्व-पश्चिम की कुछ गलियों को जाँचा गया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि यह नगर सुनियोजित ढंग से बनाया गया था। मकान मालिकों द्वारा सड़कों व गलियों में वर्तमान काल की भाँति कोई अतिक्रमण नहीं दिखाई देता है। सड़कों व गलियों के मोड़ों पर गाड़ियों से मकानों को हानि पहुँचाने से रोकने के लिये लकड़ी के पट्टे लगाये जाते थे। मकानों के बाहर चौरस चबुतरे बने थे ताकि मकान के बाहर बैठकर लोग गन्प सप्प कर सकें या मजदूर विश्राम ले सकें या उससे घोड़े, ऊँट आदि पर चढ़ सकें।

मकानों का गन्दा पानी बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों की नालियाँ बनी

हुई थी। इन नालियों का पानी गली में खुदे होदों में जाता था। प्रत्येक मकान दो या तीन ओर खुना था जमा अन्न चण्डीगढ में है। ज्यादातर मकान तीन ओर खुले थे। मकान चतुशाना पद्धति पर बने थे अन्न हुआ और प्रकाश काफी आता था। मकानों के चौक में एक ओर खुना भी होता था। शेष तीन ओर 6 या 7 कमरे बने होते थे। कई मकानों में छतों पर जाने के लिये मिट्टिया भी बनी है। मकान की छते समतल थी।

कालीबंगा का गढ चौकोर है। यह दो बराबर भागों में बंटा है। इसके चारों ओर चार दिवारी बनी है। दीवार की चौड़ाई 3 से 7 मीटर है। इसकी सुदृढता के लिये बुर्ज बनी है। इनको बनाने के लिये 40×20×10 सेण्टीमीटर और 30×15×7.5 सेण्टीमीटर की ईंटों का प्रयोग किया गया है। दक्षिणी किनारे पर 5,6 चबुतरे बने हैं जो ईंटों से बने हैं। प्रत्येक चबुतरे पर चढने के लिये सिढियाँ हैं। एक चबुतरे पर 1×1.25 मीटर का गोलाकार हवन कुण्ड है जिसमें कुछ हड्डियाँ मिली हैं। सम्भवतः यहाँ पूजा स्थल हो। पाम में ही एक कुम्रा व यज्ञवेदी है जिससे इसकी पुष्टी होती है। ऐसी ही यज्ञवेदियाँ लोथल, अमरी, हडप्पा, मोहनजोदडो आदि में भी मिली हैं।

कालीबंगा के लोग मासहारी व निरामिषाहारी थे। वे गेहूँ व बाजरा का प्रयोग करते हागे भले ही इनके अवशेष नहीं मिले हैं। पशुओं में गाय, भैंस, शूकर, वारासिंघा, हाथी, गधा, ऊँट आदि की हड्डियाँ मिली हैं।

वे मृतकों को गाडते थे। गढ के पश्चिम की ओर 300 मीटर चौकोर कब्रगाह मिली है। मृतक का सिर उत्तर की ओर रखकर गाडा जाता था। मृतक के सिर के चारों ओर घड़े, तस्तरियाँ, प्याले आदि रख दिये जाते थे। कुछ मृतकों के पास गहने भी रख दिये जाते थे। एक बच्चे के मस्तिष्क की खोपडी पर छ गोत्र छेद भी मिले हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि उसका कपाल शल्य नम किया गया था। ऐसे कपाल शल्य कम करने की प्रथा सभी देशों में 3000 ई पूव प्रचलित थी। उत्तरी गुजरात में लगनाज में भी ऐसी खोपडी मिली है। स्पष्ट है कि गुजरात, सिंध, पंजाब आदि में भी लगभग 5000 वष पूव कपाल शल्य कम की प्रथा चालू थी।

मोहनजोदडो की भाँति यहाँ, लिंग, योनो, मातृशक्ति आदि की मूर्तियाँ नहीं मिली हैं अतः यहाँ वह धार्मिक भावना नहीं थी। यहाँ के लोग कौन थे ? यह भी स्पष्ट नहीं है। क्या वे वेदकालीन आर्य थे ? स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता है जब तक कि मिन्धु त्रिपि को पढा नहीं जाता है जो सम्भवतः वे ईरान से आये आर्य थे। उन्होंने ही यहाँ सरस्वती नदी के किनारे बस कर वेदों की रचना की होगी। यही इस क्षेत्र की महत्ता है।

आहाड

आहाड उदयपुर नगर में बनाम नदी की एक शाखा आहाड नदी के किनारे बसा है। यहां के एक ऊँचे टीले, जिसे स्थानीय लोग धूलकोट कहते थे, का उत्खनन आर सी अग्रवाल ने कराया था। बाद में वहां वी एन मिश्रा व एच डी साकलिया ने प्रागैतिहासिक युग में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास और चम्बल नदियों को घाटियों में मास्कृतिक दशा को और अच्छी तरह जानने के लिये आहाड (1954-1962) तथा गिडूड (1959-60) में खुदाई कराई। इसमें हमें आहाड के अवशेष मृद्भाण्डों के आधार पर 'आहाड संस्कृति' में परिचित हुये। ये मृद्भाण्ड रंगे हुये काले और लाल है तथा अब 'आहाड-संस्कृति' की छाप लगाये हुये है। 'आहाड संस्कृति' का मुख्य केन्द्र दक्षिण-पूर्वी राजस्थान था। इन पात्रों का ऊपरी भाग काला तथा पैदा लाल है। यही नहीं काले भाग पर सफेद रंग से कलात्मक चित्र भीतर व बाहर पाये गये है। प्रारम्भिक युगों में आहाड निवासियों ने कई प्रकार के मृ पात्रों का निर्माण किया। वे गुण और परिणाम दोनों में बहुत है। वे समाज की पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। इस पात्र-निर्माण के क्षेत्र में रंगीन काले और लाल रंग के पात्रों ने अच्छा योग दिया। आहाड से कुछ ऐसे चमकदार लाल रंग की चिकने पात्र मिले है जिनके गदन तथा कर्ण अलकृत है। उन पर बटावदार काम होने के साथ साथ छेददार एवं अलकृत है। इनमें से कुछ बड़े होने के नाते अन्न सग्रह का कार्य देते थे।

इनके साथ ही जैसा कि आगे बतलाया गया है दो-तीन प्रकार के पात्र काले, चकतेदार सलेटी रंग के भूरे, तथा साधारण लाल पात्र भी मिले है। ये सब किसी न किसी प्रकार से अलकृत थे। कुछ पात्र केवल गले या कर्ण तक सजे थे तथा कुछ पेट तक, कुछ को बालू की सहायता से खुरदरा बना दिया गया था। वे सम्भवत खाना पकाने के काम के लिये होने के कारण भूमि में गाड़ दिये जाते थे। ये सब नीचे पतले तथा उपर मोटे बने थे। इनका ऊपर का भाग ही अधिक मिला है।

दो या तीन दूसरे प्रकार के मृदपात्रों की भी प्राप्ति आहाड से हुई है। एक वे है जो खुरपके है और जो उगली से ठनकाने से शब्द करते है। उनकी मजबूती ऐसी ही है जैसा कि पत्थर के पात्रों की। भूरे, सन्तरे व चाकलेट रंग में हल्की फिसलने वाली आभायुक्त ये पात्र देखने में बड़े चमकदार है। उन पर खुब पालिश लगी प्रतीत होती है। अब तक केवल छोटी थालिया या तश्तरियों के टुकड़े ही प्राप्त हुये है। ऊपर का घूमा भाग तथा गले के ऊपर का भाग जो यहां अवशेषों के रूप में प्राप्त हुआ है वह कभी कभी बँठकों के साथ भी मिला है। इन सबकी बँठक बड़ी कलापूण है। पतले भूरे रंग के बतन तथा काले लोहित वर्ण की भूमि पर अर्द्ध श्वेत रंग के आभायुक्त पात्र भी आहाड से पर्याप्त सख्या में प्राप्त हुए है। सम्भवत ये पात्र ईरान से भारत में आये थे क्योंकि इनकी प्राप्ति वहां उसी

युग की सामग्री के माथ हुई है। यही नहीं अथ इसी प्रकार की सामग्री इस सम्भावना की पुष्टी करती है।

इस शैली के चित्रित काले तथा लाल अथवा रंगभेद से काले, भूरे अथवा लाल काले पात्र कदाचित्त आहाडकालीन युग में मेज पर रखने वाले (डीलक्स पोटी) कहे जा सकते हैं। ऐसे मृदपात्रों में छोटे प्याले, कम गहरी थालिया तथा छोटे ऊँचे-सकड़े गदन के छोटे गोल पात्र सम्मिलित हैं। ये पात्र संभवतः खाने पीने के काम में आते थे क्योंकि उनके निर्माण में अंतिम रूप देते समय सावधानी बरती गई। उन पर बाहर और भीतर पालिश करके चिकनाया गया और विदुओं या टेढ़ी रेखाओं द्वारा चित्रित किया गया है। प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले पात्र भी आहाड तथा गिलुड से प्राप्त हुए हैं। इन पात्रों में बड़े सचयपात्र एवं रसोईघर के छोटे पात्र भी सम्मिलित हैं। रोटी सँकने के तवे भी उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। इन पात्रों में बड़े सचयपात्र एवं रसोईघर के छोटे पात्र भी सम्मिलित हैं। रोटी सँकने के तवे भी उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। पीसने के लिये काम में आने वाले चौरस सिलवट्टे बनास नदी के तट पर आहाड और गिलुड से प्रागतिहासिक युग के लोगों के दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि आहाड के उत्खनन से कोई खाद्यान नहीं प्राप्त हुए हैं तथापि इस प्रदेश के मुख्य वर्तमान आहार से अनुमान लगाया जाता है कि चावल, ज्वार, गेहूँ, मक्का, बाजरा, जौ, चना आदि प्रादेशिक खाद्यान उस समय भी बोये और खाये जाते होंगे। वे लोग मासाहारी भी थे। गाय, भूकरा भेड़, मछली, कछुवा, आदि खाते थे। भोजन पकाने के पात्र, सँकने के तवे, कढ़ाई, बड़े तथा छोटे चपटे नतीदार सतह की पाषाण सिल, गोलवट्टे (लोडे) और मूसल आदि की प्राप्ति यह सिद्ध करते हैं कि इस क्षेत्र में आद्यैतिहासिक काल में मानव ने आखेटक एवं खाद्य संग्रह की स्थिति को समाप्त कर अपना आहार स्वयं उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया था। आहाड से उत्खनन द्वारा पात्र, कढ़ाई तथा खाद्य सामग्री भरने के दैनिक उपयोग के घड़े आदि के साथ ही बिना हृदय के जल पीने के पात्र, छोटे कटोरे तथा बठकदार थालिया भी प्राप्त हुई हैं। सिंधुघाटी की सभ्यता के सूचक किसी भी स्थल से नहीं प्राप्त होने वाले ऐसे बिना दस्ते के छोटे जलपात्रों की प्राप्ति राजस्थान का, ईसा के लगभग 1400 वर्ष पूर्व ईरान से सबसे बतलाती है। डॉ. साकलिया के मतानुसार ऐसे पात्र ईरान के टेपेमियाल्क, हेर्षेहसार तथा शाहटेपे से प्राप्त होने के कारण संभवतः राजस्थान व ईरान का सांस्कृतिक संबंध इस प्राचीन युग में रहा हो। इसी प्रकार की समानता उस नालीदार टोटी के कटोरे में भी प्राप्त होती है जो नागौर जिले के परबतसर तहसील की खुरडी ग्राम से प्राप्त किया जाकर जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित है इसी प्रकार का कटोरा ईरान के टेरेगिया से भी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार लगभग 20 से 10 शताब्दी ई. पू. राजस्थान का ईरान से सांस्कृतिक सम्बंध रहा होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है।

तत्कालीन मानव समाज द्वारा प्रयुक्त अस्त्र शस्त्रों की कल्पना भी हमें ब्राहाड से प्राप्त हुई है। इन अस्त्रों में ताम्र-निर्मित शस्त्रास्त्र भी थे। संभवतः धरेलु तथा कृषि कार्यों के लिये ताम्र के चाकू के फन तथा हसिये प्रयोग होते थे। ब्राहाड में उत्खनन के परिणामस्वरूप खाई 'ए' में कई सामान्य चपटे उन्नतोदर धार के ताम्र कुठार तथा एक अलकृत भाण्ड के भीतर फल के नीचे से प्रकाश में आये हैं।

उन दिनों ब्राहाड निवासी सभ्य तथा धनी न होकर बहुत साधारण आर्थिक के थे। यह उस काल के स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त आभूषणों से ज्ञात होता है। ऐसे कुछ आभूषण खुदाई से प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आभूषणों में अवशेष अलकृत नक्काशीदार व पकी हुई मिट्टी के हैं। कुछ में सूक्ष्म रेखांकित और इन्द्रगोप मणियाँ प्रयुक्त होती थीं। पक्की मिट्टी के बलुंजाकार कर्णपूल भी उस समय स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त होते थे। तत्कालीन समाज में बच्चे ऐसे खिलौने से खेलते थे जो मिट्टी के बने थे तथा पशुओं की आकृति के थे। ऐसे खिलौनों से उस युग के पशुओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। प्राप्त खिलौनों में भेड़ें, हाथी, श्वानदि पशु हमें उस युग के पशुधन की ओर संकेत देते हैं।

ब्राहाड की खुदाई से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में ईसा-पूर्व के इस युग में मानव आवासगृह की शैली का पता चलता है। उत्खनन से प्रकाश में आये भवनों के खण्डहर तत्कालीन भवन निर्माण का स्पष्ट बोध कराते हैं। उन दिनों नीव में पत्थर की दीवार उठाकर मकान बनाते थे। यह खड़े पत्थर के टुकड़ों से बनी दीवार, नीव एवं अशत ऐसे भवन जिनका ऊपरी भाग पकी हुआ तथा कच्ची मिट्टी की ईंटों से बने हैं, खड़े करने के काम आती थी। दीवारों के मुख्य भाग श्रेष्ठतर खड़े हुए चौरम पत्थर से निर्मित होती थी जो अजीब ढंग से घाड़े-टेढ़े जमाये जाते थे। पत्थरों का दूसरा किनारा वेढील है। प्राप्त भवनों में सबसे छोटे आकार के घर $10 \times 10'$ या कुछ अधिक या बड़ों से बड़े $45 \times 15'$ नाप के पाये गये। मकानों के पुराने हो जाने पर उसी स्थान को समतल कर नये मकान बना लेते थे।

उन दिनों मिट्टी के भोपड़ों को भी बनाने में लोग नीव और दीवारों को रमणीय करने हेतु चमकीले विल्लोरी पत्थर के दान तथा चट के टुकड़े मिट्टी में मिला दिया करते थे। यह ध्या देने की बात है कि चमकीले विल्लोरी पत्थर के दानों का प्रयोग भवन निर्माण हेतु इतिहास प्रारम्भ होने से पूर्व के युग से चला आ रहा है और आज भी राजस्थान में प्रयोग में आ रहा है। नदी की इकट्टा की गई सुन्दर काली मिट्टी भी घरों का फल बनाने के काम आती थी। किन्तु मिट्टी के पात्र बनाने में लोग नदी की इकट्टी की गई सुन्दर बालू तथा भोडल (अभरक) का

प्रयोग करते थे। इन स्थान पर ऐसी मिट्टी बहुतायत से उपलब्ध होती है। घरों में वस्तु संग्रह करने के पात्रों के साथ साथ बटो-बडी भट्टियाँ या बड़े चूल्हे भी मिले हैं। 'साई 'डी' से प्रकाश में आई एक भट्टी या प्रनास में आया एक बड़ा चूल्हा तथा साथ ही उस पर रखकर पानों के बड़े पात्र के अवशेष दशक को सहज में ही उस स्थल का कभी एक बड़े परिवार के निवास का आभास देते हैं। सम्भवतः ऐसे बड़े एवं समुक्त परिवार का घाना उस युगमें एक स्थान पर ही बनता था।

जनजीवन की भाँकी से सवधित श्रम युद्ध फुटकर प्रमाण भी खुदाई से प्राप्त हुये हैं। यहाँ का मुख्य उद्योग ताम्बा गलाना और उसके उपकरण बनाना था। इसका प्रमाण यहाँ से लभु पापाण उपकरणों का न मिलना वरिन् 5 ताम्र कुल्हाडों व ताम्रास्त्रों का मिलना है। साथ ही एक घर में ताम्बा गलाने की भट्टी भी मिली है। आहाड के आसपास के क्षेत्रों में भी ताम्र की खदानें हैं ही। यहाँ ताम्बे का पूरक उद्योग होने से यह वस्ती ताम्बावती के नाम से प्रसिद्ध थी। बाद में यहाँ धूल का बड़ा टीला हा जान के कारण धूलकोट कहलाने लगा।

आहाड से प्राप्त पकी हुई मिट्टी ने इन घरों के पक्किबद्ध निर्मित शोषणगत दशकों की उन दिनों की शव विसर्जन संस्कार पद्धति का परिज्ञान कराते हैं। आहाड के एक टीने के उपरी भाग में ही उत्खनन से प्राप्त एक शोषणगत तथा पास में स्थान पाने वाले मिट्टी के घर यह सिद्ध करते हैं कि प्रागैतिहासिक युग में किस प्रकार शव विसर्जन किया करते थे। प्राप्त सामग्रियों से ज्ञात होता है कि शव को आभूषण सहित गाडते थे तथा शव का मस्तक उत्तर और पैर दक्षिण की ओर रखते थे।

रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर आहाड की संस्कृति ई पूर्व 1800 से 1200 की है। इस कालक्रम की पुष्टि इससे भी होती है कि आहाड से प्राप्त छेददार मृण्मय मणियाँ आकार और प्रकार में ठीक वैसी ही हैं जैसी कि मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं और उनका भी काल लगभग यही आका गया है।

गिलुड —मेवाड क्षेत्र की दूसरी खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा गिलुड स्थान पर की गई थी। गिलुड उदयपुर से उत्तर-पूर्व में 45 मील दूरी पर स्थित है।

यहाँ पर दो बड़े टोले बनास नदी के दाहिने तट से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनमें से एक 14 मीटर ऊँचा तथा दूसरा 8 मीटर ऊँचा है। दोनों टोलों की खुदाई से जो अवशेष मिले वे ताम्रयुग के परिचायक हैं। 'पूर्वी टोले की खुदाई से प्राप्त अवशेषों से पता चला कि वहाँ पर आबादी ताम्रयुग से लेकर ऐतिहासिक युग तक रही पर पश्चिमी टीला ताम्र-मृदपात्रयुग के पश्चात् आबाद न रह सका।

यहाँ की खुदाई से चार युगस्तर-विभाजन किया जा सकता है। इनमें से एक भवन अवशेष 100×80 फुट का प्रकाश में आया। इसमें चार समानान्तर-उत्तर-दक्षिण जाने वाली दीवारें मिली। ये दीवारें दक्षिणी किनारे पर पूर्व पश्चिम दीवार से जुड़ी हुई मिली। जो दीवारें प्रकाश में आई वे आकार में 13×5 1/3 फुट की पाई गई और कच्ची मिट्टी की ईंटों की बनी पायी गई। समानान्तर दीवारों के बीच का स्थान बालू से भरा गया था किन्तु अंदर एवं बाहर की दीवारों पर थोड़े चूने में गारा मिलाकर लेप लगा दिया था।

यहाँ से एक कच्ची मिट्टी का भवन, जिसमें एक चूल्हा था, मिला। इसमें एक स्थान पर जली ईंटे भी मिली।

पक्की ईंटों से बनी एक दीवार के अवशेष से जो 36'×1'10" के आकार की है और जिस पर मिट्टी, बालू तथा चूने का लेप है हमें उस स्थान पर कभी एक बड़ी आवादी के निवास का अनुमान होता है। यहाँ से प्राप्त ईंटे आकार में 14"×6"×4" को होने से हमें उस स्थान पर ताम्र पाषाण युग में विशेष महत्व की जानकारी होती है।

यहाँ से प्राप्त भवन जो कच्ची मिट्टी की ईंटों के बने मिले हैं, बाँस की खपच्चियों से लाल मिट्टी से पाटे जाते थे। इन भवनों में जो चूल्हे मिले हैं वे पोते हुए हैं। उनके साथ लगातार चूल्हे हैं। कुछ चूल्हों की लम्बाई 9 फुट चौड़ाई 6 फुट और गहराई 2 फुट है। इनकी एक कतार में लाने के लिये 1/2 इंच का सफेद मिट्टी का प्लास्टर किया गया है। सफेद मिट्टी में बालू के साथ साथ वनस्पति से प्राप्त राख मिला दी जाती थी। गिलूड की सभ्यता आहाड से मिलती हुई होते हुए भी ताम्र पाषाण युग की उस संस्कृति की परिचायक है जिसकी विशेषता उन बड़े भग्नावशेषों में निहित है जो कच्ची मिट्टी, बिना पकी तथा पकी ईंटों से निर्मित किये गये थे। गिलूड से प्राप्त मृदभाण्ड आहाड की तरह पाँच प्रकार के हैं। चित्रित काले और लाल बतनों के टुकड़ों के अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बतन के टुकड़े (1) सारे (2) काले (3) पालिशदार भूरे (सलेटी) (4) लाल और (5) कुछ काले, चिकने लाल और लाल भूमि पर सफेद रंग की स्थान देते हुए रंगीन कारीगरी को स्थान देने वाले (बहुरंगी) पात्र हैं। अर्द्धश्वेत पर काले तथा लाल पर काले रंग को स्थान देने वाले पात्र ऊपरी स्तर से तथा शेष नीचे के स्तरों से गिलूड से प्राप्त हुए हैं।

यद्यपि यहाँ से प्याले एवं तश्तरियाँ कलात्मक नमूनों को अंदर बाहर दोनों ओर स्थान देते हुए प्राप्त हुई हैं पर लाल रंग में और लाल पर काले रंग में बँठकदार तश्तरी, ऊँचे गलेदार पानी का पात्र आदि यहाँ की विशेषताएँ हैं।

यहाँ से प्राप्त मृण्मय कलाकृतियों में सीगदार बल, खेल के गुट्टे, जिनके शिर

पशुओं के से है, प्राप्त हुए हैं। ताम्र के अस्त्र अधिक प्राप्त होने से यहा से बहुत नम पापाणास्त्र प्राप्त हुये है।

रेडियो कार्बन तिथि जो बंज्ञानिक परीक्षण के आधार पर यहा के सदभ मे प्राप्त हुई है वह 1700 ई पूव और 1300 ई पूव के बीच की है। इस तिथि की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि नवदाटोली के समान यहा के ऊपरी स्तर से भी अदंश्वेत चिकने बतन जिन पर नर्तकी तथा चिस्तीदार पशु रेखांकित हैं, प्राप्त हुये है।

नोह—नोह भरतपुर-आगरा राजपथ पर स्थित एक गाव है। यह भरतपुर के पश्चिम मे लगभग चार मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक टीले पर खुदाई से पाच सांस्कृतिक युगो के अवशेष मिले हैं। आय किस प्रकार राजस्थान मे पूर्वी द्वार से प्रविष्ट हुए और उनकी सस्कृति किस प्रकार इस प्रदेश मे फैली, इनका आभाम यहा से प्राप्त अवशेषो से ज्ञात होता है।

यहा पर निचले स्तर से ऋग गेरू के रग के मृदपात्र (गैरिक मृदमाड) व सादे काले और लाल मिट्टी के पात्रो के अवशेष प्राप्त हुये हैं। पर यह ध्यान देने की बात है कि यहा के काले व लाल मृदपात्र आहाड से प्राप्त मृदपात्रो से सर्वथा भिन्न है। इनके साथ ही सलेटी रग पात्रो के अवशेष और गेरू के रग के पात्रो के अवशेष भी प्राप्त हुये। इसके बाद के स्तर से जिम युग की सस्कृति का आभास मिला वह चित्रित सलेटी रग के पात्रो की तथा काली चमकदार पात्रो (उत्तरी काले ओपदार मृदभाड) की सस्कृति थी। ऐसे मृदपात्रो के अवशेष हस्तिनापुर से भी प्राप्त हुये हैं। संभवत इनका प्रयोग मभ्रात वग द्वारा किया जाता था। इस स्तर से विशेष महत्व के अवशेषो मे चित्रित सलेटी रग के पात्रो मे एक ऐसे पात्र का अवशेष मिला जिसके ऊपर चिडिया की आकृति है। इसके अतिरिक्त हस्तिनापुर तथा वैशाली से प्राप्त मृण्मय तथा अय प्रकार की मशिया और मृण्मय गोलाकार ढक्कन के प्रकार की वस्तुये जिन पर कुरेदी हुई अस्पष्ट आकृतिया ह, भी यहा मे मिली हैं। काले और लाल पात्रो के अवशेष इस स्तर से भी पूव स्तर की तरह मिले।

इसके बाद के स्तर से काले और लाल पात्रो के अवशेष मिलना बंद हो गये और चित्रित सलेटी रग के पात्रो के अवशेषो के साथ साथ उत्तरी काले ओपदार मृदभाड प्राय मिलने प्रारम्भ हो गये। इस युग मे लोहे का प्रयोग होने से लोहे के वाणो के नोक के भाग प्राप्त हुये है। इस स्तर के कुछ भवनो के भग्नावशेष भी प्रकाश मे आये है।

इसके बाद के स्तर से कच्ची मिट्टी की ईंटो से बना एक महत्वपूर्ण परकोटा भी खुदाई से प्रकट हुआ। इसे ईसा की प्रथम शताब्दी पूव का माना जा सकता है।

इस स्तर से ही एक स्थान पर बड़ी बड़ी पक्की ईंटों से निर्मित एक दीवार प्रकट हुई है। यहाँ से केवल लाल रंग के साधारण वर्तनों के टुकड़े मिले हैं और पिछले स्तरों से प्राप्त पात्रों के अवशेष एक भी नहीं मिले।

इस स्तर की उल्लेखनीय उपलब्धियों में मथुरा के मित्र शासकों के ढाले हुये ताबे के सिक्के, मानव एवं पशु आकृतियों की मृण्मय कलाकृतियाँ मिली हैं। मृण्मय कलाकृतियों से वसुधरा तथा कामी-युगल का अकन उल्लेखनीय है। इस स्तर में चिकने चुनार पत्थर के कुछ टुकड़े प्राप्त हुये हैं जिन पर मौयकालीन पालिश है। इस स्तर से कुषाण कालीन पात्रों के साथ साथ एक ऐसा पात्र भी मिला है जिस पर ब्राह्मलिपि में चारों ओर लेख अङ्कित है। अंतिम स्तर से, जो 7 वीं शताब्दी के युग का परिचायक है, पाषाण फलकों के साथ साथ आदमबद बुद्ध या यक्ष की सुन्दर हथेली चित्तेदार लाल पत्थर में बनी प्राप्त हुई है। रेडियो कार्बन तिथि जो वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर यहाँ के सबसे नीचे के स्तर की दी गई है वह 1100 ई. पू. से 900 ई. पू. की है।

इस प्रकार गणेश्वर, जोधपुरा, कालीबंगा गिलुण्ड, आहाड व नोह में ताम्रपाषाण व ताम्रयुगीन सस्कृति (ई. पू. 2800 से ई. पू. 1200) प्रकाश में आई है। उपरोक्त उल्लेखित स्थलों में ताबे का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। इस युग में प्रचुर मात्रा में मिले अवशेष पुरातत्व के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अन्य ताम्रयुगीन स्थलों में चौथवाड़ी, नन्दलालपुरा व किरडोत (जिला जयपुर) मलाह (जिला भरतपुर) कुराडा (जिला नागौर), पिण्ड पाडलिया (जिला चित्तौड़) भाडल (जिला उदयपुर), सावणिया व पूगल (जिला बीकानेर) एलाना (जिला जालौर) बूढा पुंकर (जिला अजमेर) कौल महालो (जिला सवाई माधोपुर) से भी कई ताम्र उपकरणों के भंडार प्राप्त हुए हैं। किरडोत से ताम्रयुगीन 58 चूडियाँ प्राप्त हुई हैं। मलाह से काफी सख्या में ताम्र हारपुन, तलवारे आदि मिली हैं। हारपुन से बड़ी मछली, गेडे आदि का शिकार किया जाता था। कुराडा से अन्य ताम्र सामग्रियों के साथ प्रणालयुक्त अर्धपात्र मिला है जो पश्चिमी राजस्थान तथा पश्चिमी एशिया विशेषतः ईरान से परस्परिक सम्बन्धों को बतलाता है।

ताम्रयुगीन सभ्यता के बाद में लोह युगीन सस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। इस युग में मानव लोहे का प्रयोग करने लग गया था। यह मानव विकास के तीन युगों पाषाण युग, ताम्र युग एवं लोह युग कि अंतिम कड़ी है। इस सस्कृति को आदि आर्यों की सस्कृति माना जाता है। भारत में ऋग्वेदिक काल में अयस (लोहे) का उल्लेख मिला है। इसका प्रयोग ई. पू. 2000 के बाद होने लग गया था। लोह के कारण यहाँ के इतिहास में युगान्तरकारी परिवर्तन आया। अब मजबूत व तेज धार वाले अस्त्र शस्त्र बनने लग गये। लोहे के उपकरणों से खेती करने में सुविधा

हो गई। पर्याप्त धन धार्य होने के कारण अनेक सांस्कृतिक एवं दार्शनिक क्षेत्र में काफी परिवर्तन आया। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल नोह (भरतपुर जिला) जोधपुरा व वंराठ (जिला जयपुर) तथा सुनारी (जिला झुंझु), तारदानवाली का चैरा व चक्र 84 (जिला गगानगर) में स्थित है। नोह और जोधपुरा में ताम्र की वस्तुएं नहीं मिली हैं लेकिन वहां ताम्रयुगीन कृषिपत्रों मृदपात्र अवशेष मिले हैं।

इन लोह युगीन सांस्कृतिक स्थलों में मौय कालीन सभ्यता के भी कई अवशेष मिले हैं। जिनमें प्रमुख रूप में उत्तरी भारत के कृष्ण परिमार्जित मृदपात्र है। यों वंराठ मौयकाल में बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केन्द्र था वहां से ही अशोक के दो अभिलेख मिले हैं। वंराठ अभिलेख से ही ज्ञात होता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। यहां से अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि के अक्षर युक्त ईंट भी प्राप्त हुई हैं।

सुनारी—गणेश्वर से 25 कि मी दूर काटली नदी के दाहिने किनारे पर स्थित गांव सुनारी तहमील खेतडी, (जिला झुंझु) की खुदाई से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य अयस से लोहा बनाने की भट्टिया हैं तथा लोहे से उपकरण बनाने की भट्टिया हैं। ये भारत की प्राचीनतम भट्टिया मानी जाती हैं। यहां की पहली भट्टी खुली धमन भट्टी है। जिससे उपलो के द्वारा अयस से लोहा बनाया जाता था। दूसरे प्रकार की भट्टी से लोहे के उपकरण बनाये जाते थे। इनमें धोकनी लगाने का प्रावधान भी था ताकि भट्टी का तापक्रम नियंत्रित किया जा सके। यहां से लोहे के तीर तथा भाले के अग्रभाग काफी सख्या में प्राप्त हुए हैं। यहां से लोहे का एक कटोरा भी प्राप्त हुआ है। उस काल का ऐसा प्याला अब तक भारत भर में नहीं मिला है। कृष्ण परिमार्जित मृदपात्र भी मिले हैं। उपरी स्तर पर काफी सख्या में लोहे के हथियारों के साथ काली पोलिम वाले मृदपात्र भी मिले हैं। मृदपात्र मौयकाल के हैं।

इसके अलावा यहां से मिट्टी तथा पत्थर के मणके, शंख की चूडिया तथा मृणमूर्तिया भी मिली हैं। यहां के लोग चावल का प्रयोग करते थे। घाड़ों से रथ खिंचते थे। यहां के लोग साधारण मकान में रहते थे। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यहां की बस्ती वैदिक आर्यों ने बसाई थी तथा मौयकाल के बाद शुंग तथा कुषाणकाल (ई पूव दूसरी शताब्दी) से लेकर ईसा भी तीसरी शताब्दी तक फलती फूलती रही। कुषाणकाल में बाले रंग के मृदपात्र चाक द्वारा बनाये हुए मिले हैं। कई प्याले, सिकोरे तथा सकल्प से सभ्य वस्तु जलपात्र मिले हैं। मातृका की मृणमूर्तिया भी काफी सख्या में मिली हैं। एक बड़ी मृण (पौने पांच फुट ऊंची) भी यहां पर मिली है—जिसमें ध्यान का सग्रहण किया जाता था। इसमें यह ज्ञात होता है कि ये लोग कृषि काय में रुचि देने लग गये थे तथा यह क्षेत्र पर्याप्त समृद्ध

था। ये मृदपात्र बौद्ध धर्म की उपासना पद्धति में काम आते थे। मुनारी के निकट में भी ऐसे मृदपात्र मिले हैं। यहां के मौर्य कालीन स्तरो से भी लोहे के हथियार काफी मात्रा में मिले हैं। लोहे के तीरो के मिलने से यह अनुमान किया जाता है कि यहां कृषि के साथ साथ आखेट द्वारा भी भोजन प्राप्त किया जाता था।

तिलवाडा—यह स्थल वाडमेर जिला के वालोतरा नगर से 16 किलोमीटर पश्चिम में लूणी नदी के बायें किनारे, रेतीले क्षेत्र में बसा है। यहां 1966-67 में गांव के दक्षिण-पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर एक घोंरे की खुदाई की गई जहां 90 सेंटीमीटर नीचे पांच आवास स्थलों के अवशेष मिले। एक गोलाकार झूपे के अवशेष बतलाते हैं कि वह 3 मीटर व्यास का था और उसकी दीवारें मिट्टी से बनी थीं तथा उसकी छत तिनकों से छाई थी। इसके आगम में समतल चौरस पत्थरों का प्रयोग मिलता है। एक शिलबट्टा, मृदभाण्ड व अन्य कई बतन—हाण्डों आदि मिले हैं। चूल्हों में राख, जली हुई धुंधों के अलावा बतनी व सूक्ष्म उपकरणों के टुकड़े मिले हैं। मृदभाण्ड चाक से बने हैं जो काफी पकाये गये थे तथा सलेटी व लाल रंग के हैं। सलेटी रंग की हाण्डियां कई नाप की हैं तथा ऐसा प्रतीत होता है कि वे खाना पकाने के काम ली जाती थी क्योंकि उनके तले जले हुए हैं तथा इन पर अलकरण नहीं है। लाल पात्रों में थाली व लोटे हैं। यहां के लघु उपकरण स्थानीय सामग्री स्फटीक, विल्लोर, चर्ट आदि के बने हैं। सूक्ष्म उपकरणों में पत्तिये, तियक, तिरछे कुठित फलक, अपरिष्कृत फलक, त्रिकोण, वेधनी तथा कुछ चौकोर उपकरण मिले हैं। ये सूक्ष्म उपकरण काफी मेहनत से तैयार किये गये थे।

तिलवाडा की ऊपरी सतह में लोह के टुकड़े, काच की चूटियों के टुकड़ भी मिले हैं लेकिन कुछ नीचे से हड्डी के मणके, एक टुकड़ा सीप की चूड़ी का तथा कुछ लोहे के टुकड़ें भी प्राप्त हुए हैं।

यहां अग्निकुण्ड भी मिले हैं जिनमें मानव अस्थि भस्म प्राप्त हुई है। एक अस्थि अवशेष के साथ मृदपात्र भी प्राप्त हुए हैं। मृत पशुओं के अस्थि अवशेषों से ज्ञात होता है कि इस युग में गाय, बकरी, गीदड़ या कुत्ता, सूअर, चित्तीदार हरिण, नेवला आदि उस क्षेत्र में विचरण करते थे।

बागोर की अपेक्षा तिलवाडा में मानव बहुत बाद पहुंचा और यही कारण है कि यहां की संस्कृति सम्बन्धी अवशेष बहुत पुराने नहीं हैं। इस स्थान से थोड़ी दूर वोदरा नामक स्थान पर भी उत्खनन काय हुआ। यहां का टीला बहुत बड़ा तथा विस्तृत है। यहां पर खुदाई 16 × 5 मीटर भूमि पर की गई। बागोर की तरह यहां भी आदि मानव रहा करता था। ऐसा आभास यहां के रेतीले प्रदेश के विप्लेपण से चलता है। यहां रेतीले प्रदेश में नीचे ककर और चूने का पाया जाना

सिद्ध करता है कि यह स्थल कभी आग्राद रहा था पर उम समय में मानव अन्न उत्पादन की अवस्था से न रहा होगा। उस युग में लूनी नदी उम क्षेत्र में बहती होगी और आदि मानव उसके तट पर रहकर जीवन यापन किया करता होगा। लज्जु पाषाण शस्त्रों की ऊपरी रेतीले क्षेत्र में प्राग्नि आदि-मानव के कार्य-कलापों का परिचय देती है।

ऊपर की सतह से मृद्भाण्ड ज्यादा मिले हैं। लज्जुपाषाण कर्म है लेकिन नीचे की ओर सूक्ष्म उपकरण ज्यादा मिले हैं। अतः यहां से संस्कृतियों को दो कालों का अनुमान किया जाता है। प्रारम्भ में वर्तन कम थे और बाद में बतनों के उम दा प्रयोग होने लग गया था। स्पष्ट है कि यहां की संस्कृति पाषाण युग की नहीं थी यद्यपि यहां सूक्ष्म शल्क उपकरण मिले हैं जो बागौर में मिले उपकरणों जैसे ही हैं। यदि हम लोहे की व काच की चूड़ियों की ओर ध्यान न दें कि वे ज्यादा बाद के समय के लोगों की हैं जो कभी अस्थाई रूप से वहां आये हों लेकिन चाक से बने वर्तन-हाडी, लोटा थाली आदि, शिलबट्टा व झूपे वहां के निवासियों को उमकंड या केवल शिकारी होना नहीं बतलाते हैं।

डा बी एन मिश्रा इनका समय ई पूव 500 से ई सन् 200 बतलाते हैं। -

बैराठ (जिला जयपुर) — जयपुर नगर से उत्तर में 52 मील दूर स्थित बैराठ में दो बार खुदाई हुई। प्रथम बार खुदाई बीजक की पहाड़ी पर की गई। यहां पर किमी समय एरु शिलालेख था जो आजकल बलकला में एगिया-टिक सोसायटिक बंगाल के संग्रहालय में है। इस टीले पर ही की गई खुदाई ने अशोक तथा उमके पूर्व की संस्कृति पर अच्छा प्रकाश डाला है। यहां से खुदाई के आधार पर एक गोल बौद्ध मंदिर का ढांचा प्रकाश में आया। हीनयान धर्म में बुद्ध सबंधी अवशेष किस प्रकार मन्दिर के बीच में रखे जाते थे तथा उनकी परित्रमा के लिये प्रावधान किया जाता था, यह इस मंदिर की निर्माण विधि से पता चलता है। मूल मंदिर के चारों ओर गाल घेर में किस प्रकार लकड़ी के स्तम्भ लगे होंगे तथा इनके योग से उपर मण्डप बना होगा, सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है। लकड़ी के स्तम्भ अठपहलु थे और स्तम्भों के बीच में प्लान्टर के पत्तन स्थान पाते थे। खुदाई से प्राप्त चौड़ी पकी हुई ईंटों से जो भौय-युगीन संस्कृति की परिचायक हैं, हम उम युग की संस्कृति का अनुमान लगा सकते हैं। मंदिर के चारों ओर बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणियों के निवास गृह बौद्ध मठ के रूप में थे। उनके अवशेष अब तक देखने को मिलते हैं। सबसे अधिष्ठान सुरक्षित-मठ का वह भाग था जो पूर्व की ओर स्थित था। यहां पर छ से सान रोठरियों के भग्नावशेष देखने को अब भी मिलते हैं। इनमें प्रयुक्त मिट्टी की ईंट आकार में 20 इंच × 1.75 इंच है। इनकी माधारण मिट्टी के चूने में जाड़ा गया था। अवशेषों में जली लकड़ी के

अवशेष तथा मृद खपडेंल मिले । इन खपडेंलो से ही प्राय मठो की छत पाटी जाती थी ।

जो मृदपात्र इस स्थान की कोठरियो से प्रकाश मे आये उनमे नाना प्रकार के अलंकारिक पात्र थे । पात्रो मे प्रयुक्त अलंकरण मे पहिये पर त्रित्त, स्वस्तिक आदि थे । इनके अतिरिक्त वहा से लोहे की कीलें, अण्डाकार घेरदार पतली तहो वाले पत्थर के छोटे-छोटे फलक भी मिले है । उम समय ये सभवत तावीज के रूप मे प्रयोग किये जाते थे ।

मृदपात्रो के टुकडे जो यहा से प्राप्त हुये है वे है उत्तरी काली पालिशदार पात्रो के टुकडे । इनके साथ साधारण मोट बर्तनो के टुकडे भी प्राप्त हुये है । 36 आहत मुद्रायें तथा भारतीय-यूनानी सिक्के भी एक कपडे मे लिपटे यहा से प्राप्त हुये । कपडे का बज्ञानिक ढा का परीक्षण इस बात का साक्षी है कि उस समय का कपडा कंमा बनता था । मौर्ययुगीन मृण्मय कलाकृतिया यहा से प्राप्त हुई है । मृण्मय कलाकृतियो मे सफल धूपदान, धूप की बत्तियो को ग्रहण करने के लिये छेदधारी मृद वस्तुये, नतकी एव यक्षी की वह मृण्मय कलाकृति जिसमे युवती का बाँया हाथ बाई जघा के पीछे की ओर है तथा दाहिना जघा पर है, मिट्टी का वह वेसवेल जिम पर कटहरे का अकन है चिकने चमकदार सुन्दर भिक्षा पात्रो के कई अवशेष, मिट्टी की छाटो थालिया, पूजा का चौडा पात्र जिसको कोर पर एक छोटा दीपक का कटोरा लगा है आदि है ।

मिट्टी की वस्तुओ के अतिरिक्त यहा से बहुत बडी सख्या मे विभिन्न माप की कीले, दीवार पुण्ट करने की लोहे का छोटी छड, बडे आकार की लोहे की ऐसी पट्टिया जिनमे कीले उनके चोडे किनारो पर जडी हुई थी, लोहे की रेतो, धातु के फीतो की गठरी, केवल एक बाणाय, तावे की मुई भी प्राप्त हुये है ।

ऊपर लिखित वस्तुओ के प्राप्ति स्थान स थोडी दूर पर ही एक चिकना चुनार पत्थर का बट्टा भी मन्दिर की दक्षिण दिशा मे प्राप्त हुआ था । मन्दिर की उत्तरी दिशा की खाई से मिट्टी के घडे के ऊपरो किनारे का वह भाग प्राप्त हुआ जिमसे घडे पर साधारण छेद युक्त नक्काशी के साथ ब्राह्मी अक्षरो मे एक लख अंकित है । अमाग्यवश इस लख का शुद्ध रूप पढा नही जा सका है । इसी कारण उसका अर्थ भा ठीक से नही जाना जा सका है ।

यहा से प्राप्त सभी मृदपात्र साधारण चाक पर निर्मित है । इन पर न कोई लेप है और न कोई चिकनाहट या चमक है । इन पात्रो पर साधारण रेखायें तिरछी, वाकी, लम्बी-चौडी, ऊपर से नीचे तथा एक ओर से दूसरी ओर पात्रो के मध्य मे तथा पात्रो के ऊपरी कधो पर चित्रित होती है । इनके साथ साथ कुछ

पवित्र बौद्ध चिह्न—धमचक्र, त्रिरत्न, स्वस्तिक, कमलो का गुच्छा, हाथ की उगलियों से बनाया गया कुम्हार द्वारा श्रृंखला-बन्ध साचा अथवा असाधारण छेदयुक्त रेखाये भी पात्रों पर चित्रित है। ऐसे पात्र साधारणतया सलेटी मिट्टी के बने हैं।

सुन्दर हल्की मिट्टी के बने बहुत ही चमकदार पात्रों में कुछ थोड़े बड़े भिक्षापात्र हैं जिन पर किसी समय अलंकरण या और जिनकी ताम्बे की कीलों व तारों से उनके टूट जाने की प्रवस्था में जोड़कर सुरक्षित किया गया था। यहाँ की अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियों में यहाँ में प्राप्त 7 प्रकार की मिट्टी की ईंटे हैं। इनमें सबसे बड़ी 2'7 इंच × 1'4 इंच × 3 इंच की तथा सबसे छोटी 13.5 इंच × 9 इंच × 2 इंच की है। पञ्चदश के आकार की ईंटों का प्रयोग वैराठ के खुदाई की विशेषता है। इनका प्रयोग वैराठ के गोलाकार मंदिर में हुआ था। सिन्धु नदी की सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति से पूर्व ऐसी ईंटे बनी थीं और प्रयुक्त नहीं हुई थीं। ऐसा अब तक के किये गये उत्खनन कार्य से सिद्ध होता है।

यह ध्यान देने की बात है कि वैराठ में कोई भी महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ या मृण्मय कृतियाँ नहीं मिली हैं। यह स्पष्ट बतलाता है कि वैराठ की बौद्ध संस्कृति महायान धर्म सबधी न होकर हीनयान थी।

ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों की वस्तुओं में दीपक, गोरिया, छोटी बोटल मिट्टी की तथा पानी पीने व रखने के छोटे पात्र आदि मुख्य थे। मृदपात्रों पर कुरेदे कलात्मक खाँके भी हैं। यहाँ से मृण्मय मणिके भी प्राप्त हुये हैं।

वैराठ की दूसरी वार की खुदाई चार स्तर विभाजन बता सकी है। इस खुदाई से चार स्तर प्रकाश में आये और उनसे वैराठ की चार विभिन्न युगीन संस्कृतियों पर प्रकाश पड़ा। सबसे पहले यहाँ पर चित्रित सलेटी पात्र के प्रयोग करने वाले रहा करते थे। उसके बाद उत्तरी वाले पालिश वाले पात्रों के प्रयोग करने वाले यहाँ बसे। उनसे सम्बंधित छोटे छोटे अवशेष भी मिले। उसके पश्चात् ईसा की प्रारम्भिक युगीन संस्कृति का पता उस युग के पात्रों की प्राप्ति से हुआ। चौथे स्तर से मध्ययुगीन चमकीली वार्निश को स्थान देने वाले पात्रों के टुकड़े मिले।

यह ध्यान देने की बात है कि सबसे नीचे के स्तर से ही लोहे का प्रयोग वैराठ निवासी करने लग गये थे। यह हम यहाँ के प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है। वैराठ की खुदाईयों के आधार पर आय संस्कृति का केन्द्र होने के अतिरिक्त मध्य युगीन संस्कृति का केन्द्र भी रहा। यहाँ के प्राप्त अवशेषों से भी, जो यहाँ के प्रसिद्ध भवनों के रूप में अब तक विद्यमान हैं, पुष्ट होता है।

जगन्नाथी-दक्षिण पूर्व राजस्थान का नगरी स्थान चित्तौड़ के उत्तर में 13 किलो

मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर दो बार खुदाई हुई। सर्वप्रथम यहाँ पर सन् 1904 में खुदाई डॉ. भण्डारकर ने की थी। उन्होंने खुदाई दो स्थानों पर कराई थी। नगरी के परकोटे के अंदर स्तूप के टीले पर एक खुदाई की गई थी तथा दूसरी हाथी बाड़ा स्थान पर जो नगरी गाव से। किलोमीटर पूर्व है, की गई थी। नगरी प्राचीन माध्यमिका नगरी थी। इसका उल्लेख पातन्जलि के "महाभाष्य" में है। खुदाई के आधार पर यहाँ पर किसी समय शिवि-जनपद था। ऐसा प्रमाण यहाँ से प्राप्त शिवि जनपद के सिक्कों की प्राप्ति से हुआ है। यहाँ से प्राप्त आहत मुद्राये शिवि सिक्के, लेखाकित पापाण खण्ड, मृण्मय-कलाकृतिया तथा मूर्तिखण्ड इस स्थान की ऐतिहासिकता ई. पू. की तृतीय शताब्दी से लेकर सातवीं शताब्दी ई. तक प्रमाणित करते हैं।

यहाँ से गुप्तकाल के प्रारम्भ के कई मृण्मूर्तिखण्ड भी प्राप्त हुये हैं। टीले के मध्य में प्रारम्भिक गुप्तयुग का एक मंदिर, जिनमें शिव की मूर्ति भी थी, पाया गया था। यहाँ से ही गुप्तयुग के प्रारम्भ की मृण्मय कलाकृतिया प्राप्त हुयी हैं। ये कलाकृतिया अलंकारिक होने के साथ साथ गुप्तकला की पारिचायिक हैं। यही नहीं, यहाँ से लाल पालिशदार पात्रा भी, जो पश्चिमी भारत में अधिकतर मिलते हैं, प्राप्त हुये थे। यहाँ से क्षत्रप सिक्कों की भी प्राप्ति हुई थी।

नगरी में वैज्ञानिक ढग से दूसरी बार सन् 1962 में खुदाई केन्द्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा की गई। 5 मीटर गहरी खाई से तीन सांस्कृतिक स्तरों का ज्ञान हुआ। प्रथम दो स्तरों से साधारण सादे लाल व सलेटी रंग के पात्र गिरे पर यहाँ से चार चक्राकार कुएँ (रिंग बैल्स) तथा साधारण पत्थरों से बने कुछ प्रकारों के अवशेष मिले जो प्रायः नगर की रक्षाथ किसी समय निर्मित किये गये थे।

तृतीय सांस्कृतिक स्तर से बड़ कूपों के अवशेष लाल पालिशदार पात्रों के टुकड़े तथा सफ़ेद प्लास्टर की तरह की खडिया मिट्टी के पात्र मिले थे। इस खुदाई से प्राप्त अन्य सामग्रियों में आहत मुद्राये, शिवि जनपद के सिक्के जिन पर 'मध्यमिका' लिखा है तथा प्रारम्भिक क्षत्रप सिक्के, हड्डियों के नोक, मानव एवं पशु आकृतियों की मृण्मय कलाकृतिया, जो शुंग तथा गुप्तकालीन कला की परिचायिका हैं तथा मणके, अन्य मृण्मय वस्तुएँ जिनमें बच्चों के खिलौने तथा कचे आदि हैं, ताम्बे की सुरमा लगाने की शलाकाये तथा अगुठिया मुख्यतया उल्लेखनीय हैं। प्राप्त सामग्रियों से दूसरी बार की खुदाई से भी कोई वस्तु ई. पू. की चौथी शताब्दी से पूर्व की नहीं मिली यद्यपि लज्जु पापाणास्त्रा का प्राप्ति धरातल पर यत्र तत्र हुई है। दुग का आकार जो यहाँ पर प्राप्त है वह संभवतः गुप्त युग में बनाया गया था।

यह ध्यान रखने की बात है कि यद्यपि इस स्थान से खुदाई द्वारा तीसरी

शताब्दी ईसा पूर्व के अन्य पात्रों के टुकड़ों को मामग्री मिली पर उत्तरी काली पालिदार पात्रों के टुकड़े नहीं मिले ।

रेड-जयपुर के दक्षिण में 90 किलोमीटर की दूरी पर रेड गाव है । यह भूतपूर्व जयपुर राज्य की बोली तहसील के भरतना ठिकाने में किसी समय स्थित था । अब यह निवाई तहसील में है । यहां पर की गई खुदाई से ई पूर्व की तीसरी शताब्दी से लेकर ईसा की द्वितीय शताब्दी तक के अधिक अवशेष प्राप्त हुये, यद्यपि कुछ थोड़े अवशेषों से यहां पर पूर्व गुप्तकालीन संस्कृति का प्रचलन भी अनुमानित होता है । शोपण कूप जिनमें पकी मिट्टी के बड़े घेरे हैं एक पक्ति में यहां से बहुत बड़ी सख्या में प्राप्त हुए हैं । इस स्थान से 11.5 शोपण या घरदार कूप मिले थे । इनमें 5 से से लेकर 25 घेरे एक से दूसरे पर रखा है । हर घरा दो फुट दो इंच चौड़ा बीच में तथा लगभग 7 इंच ऊंचा है । इनकी मोटाई आधी इंच है । इनके अंदर टूटे प्याले, मणके, मृण्मय कलाकृतिया आदि पाये गये थे । कुछ घरों के अन्दर अनाज के दाने भी पाये गये थे । कुछ शोपण गर्तों के रूप में निवास गृहों में पाये गये थे । उनकी गहराई 17 इंच से लेकर 19 फुट 4 1/5 इंच पाई गई । यहां से तीन सहस्र से अधिक ग्राह्य मुद्रायें, मालव एव मित्र सिक्के आदि भी खुदाई के आधार पर प्राप्त हुये हैं । 14 मित्र सिक्कों के साथ यहां से 6 सेनापति सिक्के, सात वपु सिक्के, एव ढाटा अपोलोडोट्स का सिक्का, 189 राज्ञात ताम्र सिक्के, थोड़े इण्डोससेनियन सिक्के भी मिले थे । यहां से प्राप्त मृण्मय कलाकृतिया जो नाना रूपों की मातृकाओं की पशु आकृतियों के साथ हैं यहां की अमृत्य सामग्री में हैं । यहां से प्राप्त मणके तथा माहरे भी उल्लेखनीय हैं । यहां से प्राप्त एक सीसे की मुहर 'मालव जनपद - स' ब्राह्मी लिपि में अंकित है, इस क्षेत्र में किसी समय मालव जनपद होने का स्पष्ट प्रमाण उपस्थित करता है । यहां से बहुत बड़ी सख्या में लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं । अत प्राचीन काल में सम्भवत यहां पर कोई लोहे की वस्तु बनाने का कारखाना था ।

स्पष्ट छापेदार कलाचिन्हों की स्थान देने वाले पात्रों के टुकड़े घुमावदार हथ्या, अन्दर से खोखने ढक्कन, उठाने के लिये घुण्डी के पात्रों के ढक्कन, छोटी बोलतलनुमा सुराहिया, जिनमें पैदे से ऊपर कारीगरी की गई है । सा की प्रथम शताब्दी की संस्कृति के परिचायक हैं । रेड की खुदाई की विशेष उपलब्धि यहां से प्राप्त लगभग समानान्तर भित्ति है । ऐसी भित्तीया प्रागतिहासिक युगीन मोहनजोदड़ों से ही प्राप्त हुये थे । रेड से बहुत सख्या में विभिन्न धातुओं से निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं । ये ताम्बे, सीसे, चाँदी तथा सोने की हैं ।

यहां से प्राप्त पालिशदार रगीन मणिया जिन पर कलात्मक काम है तथा यहां से मिली हाथी दात, कासे आदि की वस्तुएं ये सिद्ध करती हैं कि रेड ईसा पूर्व की

तीसरी शताब्दी से लेकर ईसा की तीसरी शताब्दी तक एक बहुत ही सम्पन्न स्थान था। संभवतः उत्तरी-पश्चिमी भारत में रहने वाली मल्लोइ जाति के लोग सिन्दूर के आक्रमण के पश्चात् यहाँ जय वसे तब यहाँ सुख शांति का वतावरण पाकर अपनी सुख-सुविधा की सयस्त सामग्री जुटाकर अपनी संस्कृति को, जो मालव संस्कृतिवाद की जन्म देने वाली हुई और जो यहाँ भी समृद्ध हुई, पुष्ट करने में सहायक हुए।

नलियासर-जयपुर से 83 किलोमीटर पश्चिम में साभर झील से लगभग 3 मील दूर पर नलियासर गाँव है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा टीला है। जिस पर की गई खुदाई से ईसा पूर्व की तीसरी शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी ई के अवशेष प्राप्त हुये हैं। शाकम्हरी के चौहानों के विषय में साहित्य एवं शिलालेखों से ज्ञात होता है, पर इस खुदाई द्वारा चौहान युग से पूर्व पर अच्छा प्रकाश पड़ा है।

खुदाई से प्राप्त सामग्री में आहत मुद्रायें, उत्तर इण्डोससेनियन सिक्के, हुविष्क के सिक्के, इण्डोग्रीक सिक्के योयेयो के सिक्के (जिनमें छोटे सिक्के पर एक पक्ष पर बहुधा व तथा दूसरे पर गण अंकित हैं) गुप्तयुगीन चादी के सिक्कों के अतिरिक्त कई सोने तथा ताम्बे की वस्तुएँ हैं। इन वस्तुओं में सोने का एक गले के हार का लटकन है जिस पर पखदार शिर की खुदी आकृति है। सोने की अन्य वस्तुओं में सोने के पतरे से निर्मित मणका है जो सम्भवतः मन्त्र के रूप में कभी प्रयोग किया जाता था इसी प्रकार का बना एक हृदय के आकार की वह वस्तु है जिसके दोनों ओर सींग के रूप की एक आकृति है जो कि तुरही हो सकती है। यहाँ सोने से निर्मित खुदा हुआ सिंह शिर या कीर्तिमुख भी प्राप्त हुआ है। ताम्बे की वस्तुओं में यहाँ से घण्टिका, चम्मच, छोटे पात्र आदि प्राप्त हुये थे। फुटकर मिट्टी की बनी सामग्री में तोलने के बाट है। ये बहुधा चौकीर है। अन्य सामग्री में बड़े गेद, छोटे गेद, मिट्टी की छोटी तलवार, भुनभुने आदि हैं। शरीर का मूल दूर करने के भापे, गोल गोल मिट्टी के छोटे छोटे तवे के समान वस्तुएँ अलकरण युक्त ईटे, नालियों के गोल पाइप, पुजा हेतु छोटे कुण्ड या पात्र, मिट्टी के आभूषण (जिनमें पचमणिया विशेषतया उल्लेखनीय है) मणके मिट्टी, शीशे धातु एवं मणियों से निर्मित भी यहाँ से प्राप्त हुये हैं। शीशे की चूड़ियों के साथ पत्थर के बने सिल-वट्टे, हड्डी का बना पासा, कासे के बने बच्चा के कडे तथा उनकी अगूठिया व कासे की बनी घण्टे का हत्या विशेषतया उल्लेखनीय है। ऐतिहासिक सामग्री में यहाँ से प्राप्त 105 ताम्बे की मुद्रायें महत्वपूर्ण हैं। ये सिक्के कुपाणकालीन राजस्थान की स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री में वह लेखयुक्त छोटा फलक है जो इस प्रकार पढा गया है—

तत (तत) शसक काल(ति)

त सूर्य

(मव) ता राव
प्रिय ति
नीता ग

यद्यपि इस ग्रंथ के लेख को पढ़कर अथ निकालना असम्भव है लेकिन यह लेख ईसा की दूसरी शती से लेकर ईसा की चौथी शती का हो सकता है। यह लेख संस्कृत भाषा में है पर इसकी लिपि ब्राह्मी है।

यहां से एक कासे की मुहर भी मिली है। इस पर अर-ल (?) दस अक्षरों का है। सम्भवतः यह किसी का नाम है। यह ब्राह्मी लिपि में है और अक्षरों की बनावट के आधार पर ईसा की तीसरी शताब्दी की मानी जा सकती है। प्राप्त सामग्री के अध्ययन से पता चलता है कि साभर की संस्कृति ईसा पूर्व की तीसरी शताब्दी में जन्मी व विकसित हुई पर ईसा की छठी शती से पूर्व ही लुप्त हो गई।

नित्य प्रति प्रयोग की ताम्बे के पात्रों के अतिरिक्त यहां से असंख्य मृण्मय वस्तुएं तथा कलापूर्ण लाल तथा श्वेत मिट्टी पर उभरे हुये काम को स्थान देते हुये मृत्भाण्डों के टुकड़े भी मिले हैं। ऐसे बतनों के टुकड़े कुपाण तथा गुप्तयुगीन हैं। यहां से कलापूर्ण बतनों के टुकड़ों तथा मृण्मय कलाकृतियों की बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कुपाण एवं गुप्तकाल में साभर में अच्छे कलाकार रहते थे और यह कलात्मक मृत्पात्रों एवं मृण्मय कलाकृतियों के निर्माण में सिद्ध हस्त थे।

मृण्मय कलाकृतियां गोल होने के साथ-साथ उभरी कला को अपने में स्थान देती हैं। इनमें एक कृति शिव के मुकुट में डमरू तथा गले में सप माला धारण किये प्रस्तुत करती है। यह द्विबाहुधारी आकृति है।

एक कृति एक विचित्र देवी की है जो कि एक अद्भुत शिरोवेष्टन को स्थान देती है तथा जिसके बायें हाथ में एक पात्र है। हाथ से बनी अन्य कृतियों में एक पुरुषाकृति आसीन मुद्रा में है तथा दूसरी ऐसे तोदधारी मानव की है जो कि शिखा के साथ-साथ यज्ञोपवीत धारण किये है। एक कृति में महिषामुर का अवन है उसमें माला धारण किये या तो महिषामुर है या भस्म पर आम्बु यम है। उल्लेखनीय सामग्री में यक्षिणियों की आकृतियां, उमा महेश्वर, पात्रधारी कुवेर आदि हैं। इसी प्रकार की मानव तथा पशु आकृतियां बहुत बड़ी संख्या में यहां में प्राप्त हुई थीं। इनके अतिरिक्त यहां से बहुत से चौपट के पासे प्राप्त हुए हैं। वे मिट्टी तथा हड्डी के बने हैं।

लोहे की बनी वस्तुओं में यहां में लकड़ी के दो टुकड़ों को जोड़ने के ताँहे के टुकड़े, दमिया, लटकने वाले दीप, लोहार के प्रयोग के कई औजार आदि भी प्राप्त

हुए है। नित्य प्रति प्रयोग के मृद पात्रों में सुराही का वह भाग है जिस पर शिव की जटा से गंगा निकलती प्रदर्शित की गई है। कई पात्रों की टोटिया भुंकी हुई महिलाओं को घड़े धारण किये प्रदर्शित करती है। अन्य में मकरधिर, सिंह गिर वाराहधिर आदि है।

यही नहीं नलियासर (साभर) में कुपाण एष गुप्तकालीन भवनो के अवशेष भी प्राप्त हुये है। इन भवनो के प्र रूप को देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि ई पू की द्वितीय शताब्दी से लेकर नौवी शताब्दी तक किस प्रकार के घरों में लोग निवास किया करते थे। जयपुर राज्य के पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई से पूर्व भी साभर में लगभग सौ वर्ष पूर्व खुदाई की गई थी और तब छोटी छोटी वस्तुओं के साथ एक छोटी भुहर प्राप्त हुई थी जिस पर अंकित अक्षरों के अध्ययन से यह अनुमान लगाया गया था कि भुहर ई पूर्व की तीसरी शताब्दी की थी। इस अनुमान की पुष्टि आगे की गई क्योंकि इस स्थान से इसकी अन्य सामग्रियाँ भी प्राप्त हुई। इस प्रकार से साभर में ईसा पूर्व की तीसरी शताब्दी से लेकर चौहान युग तक यहाँ संस्कृति पनपी एवं विकास को प्राप्ति हुई। यह यहाँ पर हुई खुदाईयों से स्पष्ट हो गया।

नगर—(जिला टोक) (ई पूर्व ०० से ई सन् ५००) इसी संस्कृति का पोषक दूसरा नगर जो किसी समय मालव नगर कहलाता था और जो "नगर" नाम से भूतपूर्व जयपुर राज्य के उणियारे ठिकाने में स्थित था, खुदाई का आधार बना। यहाँ पर सौ वर्ष से अधिक पूर्व कालाईल महोदय को ६००० मालव सिक्के इस प्रकार पड़े मिले थे जैसे घोघे समुद्र के तट पर पड़े पाये जाते हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेष ई पू की प्रथम शताब्दी से लेकर ईसा की तीसरी शताब्दी तक के हैं। एक हजार से अधिक पात्रों के टुकड़े तथा लगभग ५०० अन्य छोटे छोटे अवशेष यहाँ से खुदाई द्वारा प्राप्त हुए थे। लगभग १००० मालव सिक्के तथा बहुत सी आहत मुद्रायें टीले के ऊपर से उत्खननकर्त्ता द्वारा बटोरे गये थे। यहाँ के मृद-भाण्डों के अवशेष अधिकतर लाल थे। कुछ थोड़े खण्ड स्लेटी रंग के भी पाये गये थे। यहाँ पर जो अन्न भरने के मटकों के टुकड़े प्राप्त हुये उसमें हमें यह ज्ञात होता है कि उस समय ऐसे पात्रों पर उगली से डिजाइन बनाये जाते थे। कुछ मटकों के अवशेष इस कथन की पुष्टि करते हैं कि उन पर फिसलाहट के साथ साथ अलकृत कलात्मक नमूने हैं। ऐसे अलकरण हाथ की उगलियों से बनाये गये थे। खाना पकाने के पात्रों में अधिकतर लाल रंग के पात्र ही हैं। इन पात्रों में एक मृदभाण्ड गोल पैदे का चौड़े मुख का मिला था जिसके बँठीदार घेरा था।

उत्खनित खईयों से जो मृदपात्रों के टुकड़े मिले वे असत्य होने के साथ नाना प्रकार के भी हैं। बड़े बड़े अन्य सग्रह-मटकों के टुकड़ों से लेकर छोटी छोटी हाडियों

के टुकड़े भी यहाँ से मिले । ये सुन्दर होने के साथ साथ बहुत ही उपयोगी भी थे । पूरे पात्र तो बहुत कम मित्रों पर पात्रों के टुकड़ों की सख्या तो इतनी थी कि एक ठेला भराया जा सकता था । जिस मिट्टी का प्रयोग पात्रों में किया गया वह सब लाल, गुलाबी व भूरी होने के साथ साथ पानी का मोखने वाली थी । सलेटी रंग के पात्र सम्भवत वे पात्र थे जो कम पके छोड़ दिये गये । बहुत से पात्रों पर पकाने से पूर्व चिकनाहट कर दी गई थी । चिकनाहट करने से पूर्व उन पर गुलाबी, हल्का लाल रंग गहरा लाल रंग गेरू के माध्यम से लगा दिया गया था । काली चिकनाहट काजत के प्रयोग से सम्भवत पाई गई थी ।

पात्रों के ढक्कन को उठाने की बुझी भी लगी है । छिड़काव के लिये छेददार पात्र तथा टोटीदार पात्र भी यहाँ से पर्याप्त सख्या में मिले हैं । पात्रों में धूपदान, हत्येदार सूराही, लोटे, टोटीदार तथा साधार बँठकीदार प्याले उल्लेखनीय हैं । ये सब पात्र सामग्री गुप्तकालीन हैं ।

उत्तर कुपाण व गुप्तकालीन पात्रों में एक हत्येदार तम्तरी तथा एक आकषक पून पत्तियों से अलंकृत पात्र है । इस समय के अन्न सग्रह पात्र मोटी बनावट के न होकर पतले हैं ।

यहाँ से पर्याप्त मात्रा में सफेद खडिया के बने उभरे अलंकृत पात्र प्राप्त हुये हैं । इस प्रकार की सफेद खडिया चमकदार चीनी के समान है । यहाँ के अलकरण की विशेषता निम्न प्रकार है —

- (अ) कुछ पर मानव एवं पशु आकृतिया हैं ।
- (ब) कुछ पर रेखा और रंगयुक्त चित्र हैं ।
- (स) कुछ पर छापो द्वारा आलेखन है ।
- (द) कुछ पर अन्दर कुरेदे हुये या खुदाई द्वारा किये आलेख हैं ।
- (इ) कुछ पर आलेख उभरे हुये हैं ।

(ज) श्रेणी में प्राप्त मृदपात्रों के अधशेष श्वेत खडिया और लाल रंग के पात्रों के हत्ये का है । इन पर कहीं वन्दर की आकृति है और कहीं स्त्री तथा पुरुष की आकृतिया भी बनी मिलती हैं ।

कुछ पात्रों में मकर का शिर धारण किये हुये टोटिया भी मिली है । सफेद खडिया के बने पात्रों में दो बटोरी के टुकड़ सुन्दर हमों की किसी लता से घिगा हुआ प्रदर्शित करते हैं । कुछ पर अगूर की पत्ति का आलेखन है ।

इन अवशेषों के साथ ही भवनों के भग्नावशेष पूर्ण ईंटें तथा ईंटों के टुकड़ों के रूप में भी यहाँ से प्राप्त हुये हैं । पूरी ईंटों आकार में 3इंच में 13.5 इंच × 9इंच

× 2 25 से 2 52 इंच की है। इस स्थान से कुछ स्लेटी पत्थर में बनी आकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं। इनमें एक ऐसी प्रतिमा का अवशेष मिला है जिसमें कमल पर किसी देवता का पैर रखा है। यहाँ से प्राप्त महिषासुरमर्दिनी का अकन भी सुन्दर है। एक छोटे फनक में मछली तथा दूसरे आलेखन खुदे हुए हैं। गोलाई में खुदा एक मुख शिर्वालिंग यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक गणेश का अकन भी खुदा हुआ स्लेट पत्थर पर मिला है। यह अकन बहुत ही सुन्दर है। इसमें गणेश के दो हाथ हैं, तथा तौंद निकली है तथा इनके दाहिने हाथ में पाशा है तथा बायें में मोदक है। एक अन्य अकन में एक देवी बैठी हुई है। देवी सम्भवतः दुर्गा है किन्तु उसका दाहिना हाथ ऊपर की ओर उठा है। एक खड़ी प्रतिमा लक्ष्मी की हाथ में कमल लिये हुये भी यहाँ से मिली है। स्लेट पत्थर में एक सुन्दर अकन तीन फणधारी नाग का है। मकराकृति को धारण करते हुये दूसरे स्लेट-पत्थर के कोने पर टूटे फलक में भी कला का अच्छा प्रदर्शन है। ये सब कलाकृतियाँ गुप्तोत्तर काल की हैं।

उत्खनन से कुछ लेख भी प्राप्त हुये थे। ये पात्रों पर बहुधा अंकित लेख प्राप्त हुये थे। ये लेख या तो किसी का नाम है या यो ही प्रदर्शन हेतु दिये गये हैं। ये प्रारम्भिक गुप्त लिपि में लिखे हैं — इनमें से एक है। क्षरोस, योग, "स", "अ" यदि पात्र खण्डित न होते तो उनके पूरे होने से अर्थ निकाला जा सकता था।

एक मृदपात्र पर "पशु" भी लिखा मिलता है। केवल दो मिट्टी की थालियों पर दो ऐसे लेख मिलते हैं जो सम्भवतः कुम्हारों के नाम थे। एक पर "डोमर" तथा दूसरे पर "मामे" लिखा मिलता है। इन सबकी लिपि गुप्त तथा गुप्तोत्तर कालीन ब्राह्मी हैं।

नगर से प्राप्त अथ सामग्री हैं — उपरिलिखित सामग्री के अतिरिक्त सीप की चूड़ियाँ, मणके, पत्थर की मूर्तियाँ, धातु (विभिन्न प्रकार), शीशे, हड्डि आदि की बनी वस्तुओं के अवशेष।

"नगर से प्राप्त अवशेषों में मुख्यतया सफेद प्लास्टर की तरह की मिट्टी की बनी मृण्मय कलाकृतियाँ तथा इसी मिट्टी के बने मृदपात्र हैं। इस श्वेत मिट्टी में कल तक ढग के पात्र तथा कलाकृतियों में उस समय में पर्याप्त सख्या में बने मृदपात्रों में साधारण तथा उभरे डिजाइनदार पात्र भी हैं। कुछ ऐसे कलापूर्ण हैं कि उनकी कला को देखते ही बनता है। ऐसे मृदपात्रों में कलापूर्ण चम्मच है जिन पर कई आकृतियाँ बनी हैं। कलापूर्ण कृतियों में पुरुष व पशु आकृति वाले पात्र, रेखा व रंग से चित्रों वाले पात्र तथा बेलदार डिजाईनों के पात्र, कुरेदी हुई डिजाईनों को पात्र तथा उभरे हुए डिजाइन वाले पात्र हैं।

श्वेत प्लास्टर के समान मिट्टी से बनी मृण्मय कलाकृतियों में कामदेव व रति

का अकन है। यह छोटा मानव मिर जो कि शोण-सतप्ल मुद्रा में दर्शाया गया है। तथा यक्षी की प्रतिमा खड़ी त्रिभग मुद्रा में। वायें हाथ को वदयावलम्बित मुद्रा में किये हुए तथा दाहिने हाथ से एक वृक्ष की डाल पकड़े हुये, (शालभञ्जिका), महिषासुर मर्दिनी आदि विशेषतया उल्लेखनीय है।

प्राप्त सामग्री से यह निश्चयत सिद्ध हो जाता है कि यह क्षेत्र भी रेड क्षेत्र के समान मालवो का एक प्रमुख क्षेत्र कभी रहा होगा। मालवो के पश्चात् भी यह क्षेत्र आबाद रहा और गुप्तकाल के पश्चात् तक सम्भवत यहा पर सांस्कृतिक चहल-पहल रही।

रगमहल (जिला गगानगर)—उत्तरी राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में सूरतगढ के निकट (5 कि मी) जिला श्री गगानगर में धग्घर के पेटे में कई टीले हैं। मुख्य टीला 250 मीटर का है जो लगभग 10 मीटर ऊंचा है। रगमहल में जो खुदाई की गई उसने भी ईसा के प्रारम्भिक युगों की संस्कृति पर अच्छा प्रकाश डाला है। इस क्षेत्र से तथा इसके आसपास तेस्सीतूरी की प्रारम्भिक गुप्तयुग की बड़ी मृण्य कलाकृतियां सन् 1918 में प्राप्त हुई थी। रगमहल के उत्तर पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान पर स्नेटी रग के मृदपात्रों की प्राप्ति ने यह आशा दिलाई थी कि रगमहल से आय सभ्यता के सूचक अवशेषों की संभवत प्राप्ति हो पर “रॉयल स्वैडिश एक्सपीडीशन” द्वारा डॉ. हज़ारिड के निदेशन में की गई खुदाई द्वारा यहा से ऐसे लाल पात्र मिले जिन पर काले रग के डिजाइन बने हुये हैं। यद्यपि कुछ पात्रों के टुकड़ों पर वही डिजाइन पाये गये जिनको देखकर पात्रों पर हड़प्पाकालीन डिजाइन के होने का भ्रम होता था पर छानबीन के पश्चात् उस क्षेत्र में एक नई संस्कृति होने की पुष्टि हुई। यह संस्कृति अपने लाल पात्रों पर काले रग से डिजाइनों के कारण तथा हड़प्पा में प्राप्त चित्रों की समता वाले अलकरणों के कारण तथा अन्य सामग्री के आधार पर रगमहल संस्कृति कहलाई। यहा की संस्कृति कुपाण कालीन एवं पूर्व गुप्तकालीन के समकक्ष कही जाय तो अत्युक्ति न होगी। यहा के पात्र क्षेत्रीय कारीगरी का अकन होने के कारण राजस्थान के बाहर की संस्कृति से अछूते रहे, यह ध्यान देने की बात है।

रगमहल से खुदाई के आधार पर प्राप्त सामग्री में घटाकार मृदपात्र अपनी विशेषता रखते हैं। इन पर चित्रित चिन्ह हैं। ये कलात्मक अलकरण लाल भूमि पर काले रग से बने हुये हैं। कुछ पात्रों पर ये मिट्टी में कुरेदे हुये भी हैं। ये उसी प्रकार के हैं जैसे हस्तिनापुर से प्राप्त हुये हैं और जिनको ईसवी सन् के प्रारम्भिक युगों का माना गया है। कुछ पात्र लाल रग से रगे पात्रों पर काले रग का पुट रखते हैं। ये भी ईसा की प्रारम्भिक शताब्दी के हैं।

यहा की अन्य उपलब्धियों में टोटीदार घड़े हैं। ये छोटे व बड़े दोनों प्रकार

के हैं। कुछ वैसे ही है जैसे भीटा से प्राप्त हुये हैं। कुछ का आकार वैसे ही है जैसा भमन थेरी से प्राप्त घडो का है। लाल पालिशदार वे पात्र भी जो छिड़काव मे प्रयोग किये जाते होंगे, इस स्थान से पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त हुये थे। इन पात्रो मे कुछ सतेटी रंग के भी है और तक्षशिला के सिरकप स्थान से प्राप्त पात्रो से सहज मे ही साम्य प्रस्तुत करते है। कुछ मृदपात्रो पर कपडो की छाप है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुम्हार ने पात्र बनाते समय कपडे को गीली मिट्टी पर रख दिया और कपडे को बुनने की छाप पात्र पर पड गई हो। दिन-प्रतिदिन के उपयोग के पात्रो मे खाना पकाने के बतन तथा कढाई आदि भी यहा से प्राप्त हुये है। अन्य पात्रो मे छोटे-बड़े प्याले, बटोरे तथा बतनो के ढक्कन हैं। इनके साथ ही दीपक, दीपदान, दीप-वैठकें तथा धूपदान भी यहा से प्राप्त हुये है।

रगमहल से 12 कि मी पूर्व मे बडा पाल के टीले से भी मूर्तियाँ मिली है। सूरतगढ के पश्चिम मे सरदारगढ मे भी चित्रित बतन मृदपात्र मिले है। सरदारगढ के दक्षिण पूर्व मे भैरापुर मे भी बतन मिले है।

यहा से प्राप्त पात्र छेददार साचे से बने तथा रोगनदार है। सम्भवत लाल रंग का प्रयोग अलकरण एव चरक देने के लिये पात्रो पर हुआ करता था।

कलाकृतियो मे मानव आकृतिया भी प्राप्त हुयी है। मृण्मय कलाकृतियो मे कतिपय पशु-आकृतिया है। इनके साथ ही कई बच्चों के खेलने की पहियेदार छोटी मिट्टी की गाडिया भी यहा से मिली है।

भीनमाल (जिला जालोर) राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा जालोर जिले मे स्थित भीनमाल स्थान पर सन 1954 मे खुदाई की गई थी पर टीले को ग्रामीणो द्वारा ईटो की प्राप्ति की धुन मे खोद दिये जाने के कारण भीनमाल के विषय मे कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश मे नही आ सके। साहित्य के आधार पर हम सब जानते हैं कि भीनमाल को श्रेय महाकवि माघ को जन्म देने का है पर हमको गुप्तोत्तर काल से पूव का भीनमाल का इतिहास नही ज्ञात है। खुदाई द्वारा प्राप्त मृदभाण्ड खण्डो से तथा क्षत्रप सिक्को की वहा से प्राप्ति से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ईसा की द्वितीय या प्रथम शताब्दी से यहा पर सांस्कृतिक जीवन पनपा। यह हमे यहा से बहुत बडी मख्या मे प्राप्त लाल रंगी भूमि पर काले रंग के चित्रण से स्पष्ट होता है। ऐसे पात्र रगमहल से भी प्राप्त हुये है। माघ के समय तक और उसके पश्चात भी यह स्थान सांस्कृतिक क्षेत्र बना रहा। इसका अनुमान यहा पर और यहा के आसपास स्थित भवनो के अध्ययन से भी होता है। यहा के मृदपात्रो पर विदेशी प्रभाव देखा गया है। इनमे यूनानी दुहली सुराही की प्राप्ति विशेष उल्लेखनीय है। यो भीनमाल को प्राचीन काल मे श्रीमाल भी कहते थे।

इस प्रकार राजस्थान के विभिन्न भागों में किये गये उत्खननों से प्रागैतिहासिक राजस्थान की काफी जानकारी मिली है। इससे स्पष्ट हो गया है कि राजस्थान के निवासी ससोर के अन्य सभ्य देशों के निवासियों की भाँति ही भाजन सग्रह की अवस्था से लेकर भोजन उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं तक निरन्तर प्रगति करते रहे। उपयोगी, अलंकारिक तथा ललित कलाओं के विकास में भी वे किसी से पीछे न रहे। यहाँ मानव सवप्रथम दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में आया और वह यहाँ ऐतिहासिक काल तक बराबर रहा। पश्चिमी राजस्थान व उत्तरी राजस्थान में दूमरी व तीमरी खेप में आये। उत्तरी राजस्थान में प्रथम तीन खेपों का पता नहीं चला है लेकिन उनकी नगर संस्कृति का अवश्य पता चला है। इसके समाप्त होने के बाद वे लोग आये जो काश्मिरीकरण करने थे तथा पशुपालन में भी रुचि लेते थे।

इस निबन्ध में संक्षेप में राजस्थान के प्रागैतिहास पर प्रकाश डाला गया है। अभी तक राजस्थान के प्रागैतिहासिक पुरातत्व का व्यवस्थित रूप से अध्ययन नहीं हुआ है ताकि उस युग का सुसंगत वर्णन किया जा सके। अभी भी प्रागैतिहास को और ज्यादा जानने के लिये विस्तृत उत्खनन की आवश्यकता है। अभी तक जो भी पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन हुआ है तथा यहाँ के उत्खनन कार्यों की रिपोर्टें व उनके सम्बन्ध में निबन्ध प्रकाशित हुए हैं, उनसे सुसंगत जानकारी नहीं मिली है। आवश्यकता है कि पश्चिमी, उत्तरी व दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के पुरातत्व पर विस्तार से अध्ययन हो तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित हो।



ऐतिहासिक राजस्थान

राजस्थान अथवा रायस्थान का शब्दिक अर्थ राजधानी है। इस अर्थ से यह शब्द बहुत पहले से प्रचलन में था। जोधपुर महाराजा भीमसिंह ने 1791 ई. में मराठों के विरुद्ध सम्मिलित कायवाही के उद्देश्य से जयपुर नरेश को लिखे पत्र में 'राजस्थाना' (राजधानियों) में एकता की इच्छा प्रकट की अतः इतना तो निश्चित है कि कर्नल जेम्स टॉड से बहुत पूर्व राजस्थान शब्द प्रचलित था। टॉड ने अपने ग्रन्थ 'एनाल्स एण्ड एण्टीक्वीटीज ऑफ राजस्थान' में सर्वप्रथम इस शब्द को प्रदेशवाची अर्थ दिया। वास्तव में राज + स्थान का अर्थ स्थानी का राजा अथवा 'श्रेष्ठ स्थान' है। इस प्रकार आरम्भ में राजस्थान शब्द का अर्थ राजा का स्थान था किन्तु आज उसका अर्थ स्थानी का राजा या श्रेष्ठ स्थान है। कर्नल जेम्स टॉड ने ही राजस्थान के घर-घर में लियोनीडाज और कण कण पर थर्मोपाली जैसे युद्ध होने की बात कही थी जो कीर्तिस्तम्भ व हवामहल की भाँति राजस्थान की पहचान बन गई।

शिलालेखों व प्राचीन ग्रन्थों में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के अनेक नाम मिलते हैं। यही समय-समय पर शासन करने वाली जातियों तथा भौगोलिक विशेषताओं के कारण यह नामकरण हुआ है। मरू व धन्व नाम रामायण व भागवत में जोधपुर सम्भाग के विभिन्न क्षेत्रों के लिये प्रयुक्त किये गये। 'जागल' बीकानेर प्रदेश का महाभारत कालीन नाम है। कालान्तर में 'जगलधर बादशाह' बीकानेर के नरेशों की उपाधि थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट-नगर थी और इसका क्षेत्र वर्तमान जयपुर अलवर व भरतपुर के कुछ भागों तक विस्तृत था। व्रज से सटे राजस्थान के वर्तमान क्षेत्र में ही प्राचीन शूरसेन स्थित था। बीकानेर-नागौर सीमांत क्षेत्र साल्व राज्य था। शिवि जनपद का स्थान चित्तौड़ के निकट था जबकि भादानक क्षेत्र भरतपुर-व्याना सीमा था। आधुनिक मेवाड़ को मेदपाट, प्राग्यवाट आदि नामों से जाना जाता था। सीकर से साभर तक का क्षेत्र अनतगोचर, साभर सवा लाख गावों के कारण सपादलक्ष कहलाता। जालौर का प्राचीन नाम जवालिपुर, मेड़ता का मेदान्तक, पाली का पल्लिकानगरी, मंडौर का माण्डव्यपुर, चित्तौड़ का चित्रकूट, जैसलमेर का माड नागौर का अर्हिछत्रपुर, आबू का अबुद।

राजस्थान की धरती पर मनुष्य का निवास आज से एक लाख वर्ष पूर्व से माना जाता है। बनास गभीरी, वेडच इत्यादि नदियों के किनारे मिले भौड़े घड़े हुए पत्थर के औजारों के बल पर विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि आरम्भिक

था। भरतपुर साभर तथा अजमेर से काफी बड़ी मात्रा में गुप्त राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्त कालीन स्थापत्य सम्पत्ती विशेषताओं से युक्त मन्दिर गोडवाड, मुकुन्दडा, भीममाल, मडोर, कामा, ओसिया, और वेदला आदि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित किये गये अतः राजस्थान का गुप्तों के आधीन होना निश्चित है। सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि चन्द्रगुप्त प्रथम के शासन काल से लेकर कुमारगुप्त के बाद तक राजस्थान में गहड़ युक्त गुप्त राज्य मुद्रा से शासन काय्य सम्पन्न होता रहा। गुप्त शासन की अर्द्ध डेढ़ सौ वर्ष के लगभग थी। मालव, योर्धय और शको के छोटे छोटे राज्यों को, समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त विजयवाहिनियों ने कुचल दिया। परवर्ती निबल गुप्त शासकों के समय राजस्थान पर हुए आक्रमण हुए। शक्ति कुमार के अटपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि गुहिल वंशी अल्लट के शासक का विवाह हरियादेवी नामक हुए राजकुमारी से हुआ था। पद्मनाभ द्वारा रचित काहडदे प्रबंध के अनुसार जालोर के शासक कान्हडदे के अधीन हुए, यादव, परमार गुहिल आदि थे। दसवीं शताब्दी के जैन विद्वान सोमदेव सूरी ने नीतिवाक्यामृत नामक ग्रन्थ में एक परम्परा का उल्लेख किया है जिसके अनुसार एक हुए शासक (सम्भावतः मिहिर-कुल) ने चित्रकूट पर विजय प्राप्त की थी। प्राचीन माध्यमिका अथवा वर्तमान चित्तोड का क्षेत्र चित्रकूट नाम से जाना जाता था इसका साक्ष्य गुहिल रायमल्ल का उदयपुर अभिलेख प्रस्तुत करता है जिसमें कहा गया है कि अरिमिह ने चित्रकूट (चित्तोड) की रक्षाथ प्राणोत्सग कर दिया। कोटा क्षेत्र का भीमचौरी अभिलेख भी राजस्थान पर हुए आक्रमण का प्रमाण देता है। इस अभिलेख के अनुसार ध्रुवस्वामी नामक व्यक्ति हुएों के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारा गया। राजस्थान के अनेक क्षेत्रों से हुएों की मुद्राएँ भी मिली हैं। हार्नेले नामक विद्वान ने मारवाड के किसी क्षेत्र से मिली हुई 175 मुद्राओं का परीक्षण कर उ हे हुए शासक तोरमण की मुद्राएँ बताया। रनियावास, खोह, अबनेरी, खेजरोली, लोसल (सीकर जिला), साभर, देसूरी, नागौर, जालोर, चौहटन मरदारगढ, पीपलाज, सायरा-रणकपुर माग, जूनाखेडा (भालावाड जिला) तथा मेवाड से भी हुएों के चादी और तांबे के सिक्के मिले हैं। अतः इतिहासकारों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात् राजस्थान के कुछ भागों पर हुएों की सत्ता स्थापित रही।

माण्डव्यपुर (मडोर) के प्रतिहारों का आरम्भ छठी शताब्दी का मध्य भाग माना जाता है। पौराणिक मायताओं के अनुसार माहू ऋषि ने मडोर की स्थापना की थी। वर्तमान जोधपुर से आठ किलोमीटर उत्तर में स्थित मडोर के प्रतिहार वंश की जानकारी के अधिक साधन उपलब्ध नहीं हैं। मडोर के प्रतिहार वंशी शासक वाडक का जोधपुर अभिलेख तथा उसके भाई क्वकुक के जोधपुर में 32 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित घटियाला (प्राचीन नाम रोहिसवप) से प्राप्त

पापाण युग के मानव ने राजस्थान की धरती पर अपने क्रिया-कलाप आरम्भ कर दिये थे । सिन्धु घाटी सभ्यता के समय राजस्थान में ममूद सभ्यता के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं । महाकाव्य काल की अनेक घटनाएँ जागन विराट-नगर (बैराठ), मरु-प्रन्त मरुकान्तार उलूक, अर्बूद, अहिछत्रपुर तथा अनेक अन्य राजस्थानी प्रदेशों से सम्बन्धित रही । आहड़, वागोर (भीलवाड़ा) रगमहल (गगानगर), रैड (जयपुर), साभर, नोह (भरतपुर) इत्यादि स्थानों में प्राप्त पुरातात्विक सामग्री के बल पर पुरातत्त्ववेत्ता यह स्वीकार करते हैं कि ईसा से बहुत पहले ही राजस्थान में सुविकसित सभ्यता विद्यमान थी ।

ईसा से लगभग छः सौ वर्ष पूर्व मत्स्य और शूरमेन जैसे महाजनपदों का उत्थान व पतन भी राजस्थान की भूमि पर ही हुआ । कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यावागमन दुष्कर था और प्रारम्भ से ही बड़ी बड़ी कौजे इस क्षेत्र की भोर मुह करने से कतराती थी । रेगिस्तान और पहाड़ों के कारण प्रारम्भ से ही इस धरती ने शरणागत की रक्षा की । यूनानी विजेता सिकन्दर से पराजित मालव, योध्य तथा शिवि जातियों ने राजस्थान में ही आश्रय लिया था । शिवि चित्तोड़ के समीप गिरी, मालव जयपुर के पास वागरखल और योध्य बीकानेर के निकट जोहियावाटी में आ कर उस गये । जयपुर के नजदीक 'बीजक पहाड़ी' पर ईटों से बना हुआ गोल मन्दिर, अशोक का भाब्रू अभिलेख, चित्तोड़ दुर्ग का निर्माता चन्द्रराव मोगी, वप्पा रावल का मौर्य शासक मान घोरी से चित्तोड़ छीनने, सम्प्रती परम्परा, मेजर एस्किकनी द्वारा राजस्थान की जातियों की सूची में मौर्य जाति को सम्मिलित करना आदि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो यह साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि चन्द्रगुप्त व अशोक के समय राजस्थान भी मौर्य साम्राज्य का ही अंग था । मौर्य वंश के शासन का अन्त कर पुष्यमित्र ने मगध में एक नये वंश की स्थापना की जो इतिहास में सुग वंश के नाम से प्रसिद्ध है । सुग शासन काल में माध्यमिका और साकेत पर यूनानी आक्रमण का उल्लेख प्रसिद्ध विद्वान पानजनी ने किया है । माध्यमिका वर्तमान चित्तोड़ के निकट स्थित नगर था । अधिकांश विद्वान पुष्यमित्र सुग के समय हुए इस आक्रमण का नेता टेमेद्रियस अथवा मनेन्डर को मानते हैं । नलियासागर, बैराठ तथा नगरी में यूनानियों के सिक्के मिले हैं जो यह साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि राजस्थान पर यूनानियों के आक्रमण हुए । कुषाणा और शक क्षत्रपों का प्रभाव भी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पर रहा । इसकी पुष्टि करते हैं वासवाडा चित्तोड़, साभर तथा पुष्कर से प्राप्त शका के सिक्के और गगानगर से मिली हुई कुषाणा की मुद्राएँ । सीराष्ट्र के शक शासक रुद्रदामा के 150 ई के जूनागढ़ अभिलेख में भी राजस्थान के कुछ भागों पर शक शासन की पुष्टि होती है । रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख ऐसा प्राचीनतम अभिलेख है जिसमें मरुदेश का वर्णन मिलता है ।

ईसा की चौथी शताब्दी के आरम्भ में राजस्थान गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित

था। भरतपुर साभर तथा अजमेर से काफी बड़ी मात्रा में गुप्त राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्त कालीन स्थापत्य सम्बन्धी विशेषताओं से युक्त मन्दिर गोडवाड, मुकुन्दडा, मीनमाल, मडोर, कामा, ओसिया, और वेदला आदि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित किये गये अतः राजस्थान का गुप्तों के आधीन होना निश्चित है। सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि चन्द्रगुप्त प्रथम के शासन काल से लेकर कुमारगुप्त के बाद तक राजस्थान में गुरुड युक्त गुप्त राज्य मुद्रा से शासन कार्य सम्पन्न होता रहा। गुप्त शासन की अवधि डेढ़ सौ वर्ष के लगभग थी। मालव, योर्षय और शको के छोटे छोटे राज्यों को समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त विजयवाहिनियों ने कुचल दिया। परवर्ती निबल गुप्त शासकों के समय राजस्थान पर हूण आक्रमण हुए। शक्ति कुमार के अटपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि गुहिल वशी अल्लट के शामक का विवाह हरियादेवी नामक हूण राजकुमारी से हुआ था। पद्मनाभ द्वारा रचित कान्हडदे प्रबंध के अनुसार जालोर के शामक कान्हडदे के अधीन हूण, यादव, परमार गुहिल आदि थे। दसवीं शताब्दी के जैन विद्वान सोमदेव सूरी ने नीतिवाक्यामृत नामक ग्रन्थ में एक परम्परा का उल्लेख किया है जिसके अनुसार एक हूण शासक (सम्भावतः मिहिर-कुल) ने चित्रकूट पर विजय प्राप्त की थी। प्राचीन माध्यमिका अथवा वर्तमान चित्तौड़ का क्षेत्र चित्रकूट नाम से जाना जाता था इसका साक्ष्य गुहिल रायमल का उदयपुर अभिलेख प्रस्तुत करता है जिसमें कहा गया है कि अरिमिह ने चित्रकूट (चित्तौड़) की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग कर दिया। कोटा क्षेत्र का भीमचौरी अभिलेख भी राजस्थान पर हूण आक्रमण का प्रमाण देता है। इस अभिलेख के अनुसार ध्रुवस्वामी नामक व्यक्ति हूणों के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारा गया। राजस्थान के अनेक क्षेत्रों से हूणों की मुद्राएँ भी मिली हैं। हानले नामक विद्वान ने मारवाड के किसी क्षेत्र से मिली हुई 175 मुद्राओं का परीक्षण कर उन्हें हूण शासक तोरमण की मुद्राएँ बताया। रनियावास, खोह, अबनेरी, खेजरोली, लोसल (सीकर जिला), साभर, देसूरी, नागोर, जालोर, चोहटन मरदारगढ, पीपलाज, सायरा-रणकपुर माग, जूनाखेडा (भालावाड जिला) तथा मेवाड से भी हूणों के चादी और ताँबे के सिक्के मिले हैं। अतः इतिहासकारों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात् राजस्थान के कुछ भागों पर हूणों की सत्ता स्थापित रही।

माण्डव्यपुर (मडोर) के प्रतिहारों का आरम्भ छठी शताब्दी का मध्य भाग माना जाता है। पौराणिक मायताओं के अनुसार माडू ऋषि ने मडोर की स्थापना की थी। वर्तमान जोधपुर से आठ किलोमीटर उत्तर में स्थित मडोर के प्रतिहार वंश की जानकारी के अधिक साधन उपलब्ध नहीं हैं। मडोर के प्रतिहार वंशी शासक बाउक का जोधपुर अभिलेख तथा उसके भाई कक्कुक के जोधपुर में 32 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित घटियाला (प्राचीन नाम रोहिंसूप) से प्राप्त

पाच अभिलेखों में अंकित तथ्यों के आधार पर डा दशरथ शर्मा, आर सी मजूमदार, दिनेशचन्द्र शुक्ल, वैजनाथ पुरी आदि ने इस वंश का इतिहास निर्मित करने के प्रयत्न किये हैं। बाउक का अभिलेख वि स 894 (837 ई) का है तथा घटियाला में प्राप्त कक्कुक के कुल पाच अभिलेखों में से तीन की तिथि वि स 918 (861 ई) है। बाउक व कक्कुक के अभिलेखों के आधार पर उनका आदि पूवज हरिश्चंद्र था जिमका समय इतिहासकारों ने छठी ईस्वी शताब्दी का मध्य भाग माना है। इतिहास में मडोर के प्रतिहार वंश के अतिरिक्त दो अन्य वंश भी प्रतिहार कहे जाते थे। इन तीनों राजवंशों में परस्पर क्या सम्बन्ध था? यह प्रश्न आज तक विवाद का विषय बना हुआ है। मडोर के अलावा जो दो अन्य वंश ज्ञात हैं उनमें से एक कन्नोज पर शासन करने वाला प्रतिहार वंश है जिसमें नागभट्ट, वसराज, मिहिरभोज व महेन्द्रपाल जैसे पराक्रमी नरेश हुए। इस वंश से सम्बन्धित अठ्ठिकांश साधनों में इस वंश को गुजर-प्रतिहार वंश कहा गया है। एक अन्य वंश दक्षिणी गुजरात स्थित लाट देश पर शासन करता था, नन्दिपुरी इसकी राजधानी थी। लाट के शासक दहू ने हप वद्धन से पराजित बल्लभी के ध्रुव भट्ट को शरण दी थी। लाट के शासक गुजर कहलाते थे। सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि मडोर, कन्नोज व लाट में शासन करने वाले राजवंशों में परस्पर रक्त सम्बन्ध था। इस मान्यता के समर्थन में निम्न तक दिये जाते हैं—

- (1) कन्नोज व मडोर के राजवंशों की वंशावलि में देखने से ज्ञात होता है कि दोनों के कई शासकों के एक जैसे नाम थे यथा नागभट्ट व कक्कुक।
- (2) माण्डव्यपुर व लाट दोनों राजवंशों में दहू नामक शासक हुए।
- (3) आर सी मजूमदार की मान्यता है कि मडोर तथा कन्नोज दोनों ही राजवंशों के लेखों में उन्होंने लक्ष्मण को अपना आदि पूवज बताया है। तीनों राजवंशों में सम्बन्ध स्थापित करने के लिये दिये गए तर्कों का विश्लेषण करने पर यह धारणा सत्य नहीं लगती क्योंकि—(अ) माण्डव्यपुर के शासकों ने अपने लेखों में स्वयं को सदैव प्रतिहार कहा है। वंशों भी उन्होंने अपने नाम के साथ गुजर नहीं जोड़ा। इसके ठीक विपरित लाट शासक सदैव ही गुजर कहे जाते थे, उन्होंने अभी भी स्वयं को प्रतिहार नहीं कहा। इन दोनों वंशों से पूर्णतया अलग कन्नोज के शासक गुजर प्रतिहार कहलाते थे। (ब) यद्यपि माण्डव्यपुर तथा कन्नोज के नामों के लेखों में श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण के उल्लेख मिलते हैं किन्तु जैसा कि डा दशरथ शर्मा ने स्पष्ट किया है कन्नोज के प्रतिहारों ने लक्ष्मण को अपना आदिपूवज बताया और उन्होंने स्वयं को मूयवशी, रघुवशी, रघुकुल चूडामणि आदि कहा। इनके विपरीत मडोर के प्रतिहारों ने लक्ष्मण या उल्लेख केवल इम-निय किया कि उन्होंने प्रतिहार का कार्य सम्पन्न कर इस कार्य को गौरव तथा प्रतिष्ठा

प्रदान की। साथ ही मडोर के प्रतिहारों ने मदैव ही हरिश्चन्द्र नामक ब्रह्मण को अपना आदिपूर्वज बताया।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि कन्नोज के प्रतिहार रुवशी क्षत्रिय थे। सम्भवतः प्रारम्भ में गुर्जर क्षेत्र से सम्बन्धित होने के कारण स्वयं को गुजर-प्रतिहार कहते थे। माण्डव्यपुर के प्रतिहार वंश का गुजर जाति अथवा क्षेत्र से कुछ भी सम्बन्ध नहीं था और वे क्षत्रिय नहीं बल्कि ब्राह्मण थे। लाट के शासकों ने स्वयं को कभी प्रतिहार नहीं कहा इसलिए वे गुर्जर जाति के ही थे। वास्तव में तीनों राजवंशों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं था।

मण्डोर का प्रतिहार वंश मूल रूप से ब्राह्मण वंश था क्योंकि जोधपुर अभिलेख और घटियाला अभिलेखों में इस वंश का आदि पूर्वज ब्राह्मण हरिश्चन्द्र नामक व्यक्ति बताया गया है। श्रैतेय ब्राह्मण में यज्ञ के समय विशेष काय करने वाले ब्राह्मणों को प्रतिहार कहा गया है। राजपूत काल में द्वारक्षक को प्रतिहार कहा जाता था। मडोर के प्रतिहार निश्चित रूप से प्रारम्भ में द्वारपाल का काय करते होंगे क्योंकि उन्होंने अपने लेखों में तक्षमण की केवल इस कारण प्रशंसा की है कि उसने द्वारपाल के काय को गौरव प्रदान किया। जोधपुर तथा घटियाला लेखों के अनुसार वाउक तथा कक्कुक हरिश्चन्द्र के बारहवें वंशज थे। इस कारण विद्वान् हरिश्चन्द्र का समय 550 ई के लगभग मानते हैं। अभिलेखों के अनुसार हरिश्चन्द्र के दो रानिया थी—एक ब्राह्मणी तथा दूसरी क्षत्राणी। भद्रा नामक क्षत्राणी के पुत्र क्षत्रिय प्रतिहार कहनाये। हरिश्चन्द्र के सम्बन्ध में अधिव जानकारी उपलब्ध न होने से यह कहना कठिन है कि वह स्वयं शासक था अथवा नहीं। उसे रोहिल्लधी की उपाधि अवश्य ही दी गई है। इस उपाधि का अर्थ अभी तक ज्ञात नहीं है। मजूमदार तथा रे इस उपाधि के आधार पर प्रतिहारों को विदेशी बताते हैं। डा दशरथ शर्मा के अनुसार रोहिल्लधी का अर्थ है योग की त्रिया में निपुण।

हरिश्चन्द्र के क्षत्राणी भद्रा से उत्पन्न चार पुत्र थे—भोगभट्ट, कक्क, रज्जिल व दह। अभिलेखों के अनुसार हरिश्चन्द्र के चारों पुत्रों ने अपनी शक्ति से माण्डव्यपुर पर अधिकार स्थापित कर लिया। मजूमदार की मान्यता है कि हरिश्चन्द्र के चारों पुत्रों ने चार पृथक् राज्य स्थापित किये तथा दह ने ही नदिपुर में इस वंश का शासन स्थापित किया। मजूमदार महोदय की धारणा स्वीकार करने योग्य नहीं है। यदि हरिश्चन्द्र के पुत्र ने सुदूर गुजरात तक साम्राज्य स्थापित किया होता तो इसका उल्लेख अभिलेखों में अवश्य ही किया गया होता जैसे कि सगव मडोर विजय का वर्णन किया गया है। हरिश्चन्द्र का उत्तराधिकारी उसका तीसरा पुत्र रज्जिल बना इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों बड़े पुत्रों की मृत्यु उसके जीवन काल में ही हो गई। रज्जिल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नरभट्ट बना जिसे पेल्ला पेल्ला की उपाधि प्राप्त थी। उसके सम्प्रदाय में विशेष कुछ भी जानकारी उपलब्ध

नहीं है। नरभट्ट का उत्तराधिकारी नागभट्ट था जिसने मेदातक अथवा वतमान मेडता को अपनी राजधानी बनाया। वह ह्य वद्धन का समकालीन था। प्रतिहार इतिहास का एक भी ऐसा साधन नहीं है जिसमें आभाम होता हो कि उमने ह्य की आधीनता मान ली थी। नागभट्ट के बड़े पुत्र तात ने अपने डाट भाई भोज के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया और मडोर स्थित आश्रम में स्वय ईश्वर आराधना में तल्लीन हो गया। मजूमदार की यह मान्यता निराधार है कि चीनी यात्री ह्यसाग की यात्रा के समय तात शासन कर रहा था। चीनी यात्री द्वारा उल्लिखित पी लो मा-लो की पहचान लगभग सभी विद्वान भीनमाल से करते हैं जहाँ उस समय चापवश का शासन था। भोज के उत्तराधिकारी क्रमश यशोवद्धन तथा चण्डुक बने किंतु घटियाला और जोधपुर अभिलेखों से इन तीनों शासकों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी नहीं मिलती। चण्डुक के पश्चात् सिलुक शासक बना जो इस वंश का अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण शासक सिद्ध हुआ। सिलुक का समय आठवीं शताब्दी ईस्वी का प्रारम्भ माना जाता है। जोधपुर अभिलेख के अनुसार उसने श्रावानी तथा वल्ल की सीमा निर्धारित की। उसने भट्टी देवराज को परास्त किया। डॉ. दशरथ शर्मा की मान्यता है कि सिलुक के पूर्वज जंसलमेर के भाटियों के अधीनस्थ थे। सिलुक ने देवराज को पराजित कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। अभिलेखों में उसे 'वल्ल मण्डल पालक' की उपाधि प्रदान की गई है। यद्यपि इस उपाधि का स्पष्ट अर्थ ज्ञात नहीं है किन्तु यह माना जाता है कि प्रतिहारों के पडास में स्थित वल्ल राज्य की सेनाओं द्वारा प्रतिहारों पर बार बार आक्रमण किये जाते थे। सिलुक ने वल्ल राज्य पर विजय प्राप्त की। मजूमदार की मान्यता है कि मालवा, लाट तथा मडोर के प्रतिहारों के सघ का नेतृत्व करने के कारण सिलुक ने 'वल्ल मण्डल पालक' की उपाधि धारण की थी। यह मत इस धारणा पर आधारित है कि तीनों राजवंशों में रक्त सम्बन्ध था।

जोधपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि सिलुक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। त्रेता नामक स्थान पर उसने एक जलाशय तथा सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया। सिलुक के शासन के अन्तिम वर्षों में सिंध के अरबों के आक्रमण हुए। अरब सेनापति जुनैद ने भीनमाल, जुर्ज व ममद पर आक्रमण किये। इनमें से मर्मद सिलुक के साम्राज्य के अन्तर्गत था। इस समय अरब आक्रमणों का सामना कन्नोज शाखा के नागभट्ट प्रथम द्वारा किया गया था। सिलुक के उत्तराधिकारी भोट, भिल्लादित्य, कक्क, वाहुक तथा कक्कुके इतिहास की विशेष जानकारी नहीं है। इतना निश्चित है कि वाद के राजाओं की कन्नोज के प्रतिहारों की आधीनता स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार मडोर के इस प्रतिहार वंश का स्वतंत्र राज्य समाप्त हो गया।

भारतीय इतिहास के प्राचीन काल का 700 ई से 1200 ई तक का युग

'परवर्ती प्राचीन काल' 'प्रारम्भिक मध्य युग' सामन्तीय युग' आदि नामों से भी सम्बोधित किया जाता है किन्तु अधिकांशतः इस युग को 'राजपूत काल' के नाम से जाना जाता है। इस युग में गुजरात में सोलंकी (चोलुक्य), मालवा में पल्लव (परमार), बुन्देलखण्ड में चंदेल, कन्नौज में गहड़वाल, दिल्ली में त्वर (तोमर), बंगाल में पाल तथा कर्नाट में राष्ट्रकूट वंश का शासन स्थापित था। राजस्थान में गुहिल, राठीड, कच्छवाह, भाटी, मालवी, गौड, प्रतिहार (परिहार), चौहान, पल्लव इत्यादि वंशों के राज्य स्थापित हुए। राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना के साथ ही विदेशी आक्रमणों की भड्डी लग गई तथा पूरे उत्तरांचल से इन आक्रमणों का सामना करने की परम्परा भी आरम्भ हो गई। इस दृष्टि से सब प्रथम जालोर और भीनमाल के प्रतिहारों ने उल्लेखनीय कार्य किया। 740 ई के लगभग भीनमाल पर सिन्धु के शरवो का आक्रमण हुआ। प्रतिहार नागभट्ट प्रथम ने अपने राज्य की तो सफलतापूर्वक रक्षा की ही साथ ही भडोच पर आक्रमण करने वाले शरवो को पराजित कर वहाँ अपने वंश की सत्ता स्थापित की। इस प्रतापी वंश में वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय जैसे पराक्रमी नरेश हुए। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज जीता और उसे अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के शासकों ने पूर्वी बंगाल (वर्तमान बंगला देश) तक अपनी धाक जमाई। पाल-प्रतिहार-राष्ट्रकूट वंशों के बीच पीढ़ियों तक चलने वाले त्रिकोणात्मक संघर्ष में सफलता प्राप्त कर इस वंश के राजाओं ने लगभग समस्त उत्तरी भारत पर अपने वंश का साम्राज्य स्थापित किया। मिहिरभोज ने अनेक शरव आक्रमणों को विफल किया। विलादुरी और सुलेमान सोदागर जैसे शरव इतिहासकारों ने लिखा कि भारत में प्रतिहार भोज शरवों का सबसे प्रबल शत्रु था।

प्रतिहारों का प्रतापशायी घोमा पडा तब तक चौहानों का उदय होने लगा। माभर आदिस्थान होने तथा साकम्भरी देवी का उपासक होने के कारण यह चौहान वंश सभरीम व साकम्भर नामों से भी प्रसिद्ध हुआ। चौहान अधिपत्य के समय साभर राज्य के आधीन सवा लाख गाव होने के कारण इस वंश को सपादलक्षी भ कहा गया। इस चौहान वंश में अजयराज अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ वीसलदेव तथा पृथ्वीराज तृतीय जैसे प्रतापी नरेश हुए। अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की। अर्णोराज ने अनासागर तालाब बनवाया और एक आक्रमणकारी मुस्लिम सेना को बुरी तरह पराजित किया तथा जयसिंह सिद्धराज व कुमारपाल जैसे चोलुक्य शासकों से युद्ध किये। विग्रहराज वीसलदेव ने अनेक नवीन विजयों द्वारा चौहान साम्राज्य की सीमाओं में वृद्धि की। वीसलदेव के दिल्ली शिवालिक अभिलेख तथा बिजोलिया अभिलेख यह साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि उसने तोमरों को युद्ध क्षेत्र में पराजित कर दिल्ली पर चौहानों का अधिकार जमाया और अपने वंश को अखिल भारतीय स्तर पर मान-प्रतिष्ठा दिनाई। वीसलदेव के दोनों अभिलेख पृथ्वीराज रामों द्वारा उत्पन्न इस परम्परा को असत्य सिद्ध करते हैं कि दिल्ली के

तोमर शानक अन्नगपाल ने अपने दोहित्र पृथ्वीराज को दिल्ली का राज्य माँपा था। अनेक मवल प्रमाणों से अब यह सिद्ध हो गया है कि न तो गमनापाल की पुत्री कमलादेवी पृथ्वीराज की माता थी और न पृथ्वीराज को अपने नाना से दिल्ली का राज्य ही प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कपूरदेवी था और वह त्रिचूरी के अचलराय की कन्या थी व पृथ्वीराज के ताऊ वीसलदेव न तोमरी को पराजित कर दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित किया था। पृथ्वीराज तृतीय चौहान 'राय पिथौरा' नाम से भी प्रसिद्ध था। उसने भदानको को पराजित कर उनके राज्य को चौहान साम्राज्य में मिलाया तथा सोलकियो चदेला व गहडवालो पर अपनी धाक जमाई। भारत विजय की महत्वकाक्षा से आश्रमण करने वाले मोहम्मद गौरी को 1191 ई. में तराइन के प्रथम युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध की एक महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि इसमें भारत के अनेक राजाओं से सम्मिलित होकर पृथ्वीराज के नेतृत्व में युद्ध किया था और इस एकता के परिणाम स्वरूप आश्रमणकारी को पराजित किया गया। दूसरी उल्लेखनीय बात पृथ्वीराज की यह भूल कि उसने भागते हुए शत्रु का पीछा कर उसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया जिससे अगले वर्ष 1192 ई. में पूण तयारी के साथ उसने पुन आक्रमण किया और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित कर दिल्ली पर अपना राज्य स्थापित कर लिया।

चौहानों के तीन अन्य प्रमुख राज्य जालोर, नाडोल और रणथम्भोर में स्थापित हुए। जालोर की शाखा स्वर्णगिरी पवतमाला में शासन करने के कारण सोनगरा कहलाई। कीर्तिपाल ने मेवाड के सामन्तसिंह को अपदस्थ किया, उसी ने सिवाना के परमारों को पराजित किया। कीर्तिपाल के बाद समरसिंह ने जालोर दुर्ग की प्राकार बनवाकर तथा अनेक भवनों का निर्माण कर यश अर्जित किया। उसके पुत्र उदयसिंह के आधीन नाडोल व साबौर तक फैला हुआ बहुत विशाल साम्राज्य था। मेवाड के गुहिलों, गुजरात के सोलकियो तथा मारवाड के परमारों पर उसने अपने वश की धाक जमाई। उदयसिंह के पुत्र चाचिगदेव ने भी साम्राज्य की सीमाओं में वृद्धि की। उसकी वहिन का विवाह मेवाड के राणा तेजसिंह से हुआ था। उसका पुत्र सामन्तसिंह व पौत्र काहडदेव क्रमशः उसके उत्तराधिकारी हुए। कान्हडदेव के समय जालोर पर अलाउद्दीन खिल्जी का आक्रमण हुआ।

साभर के सिंहराव या वाक्पतिराज के पुत्र लाखण को नाडोल शाखा का प्रवक्तक माना जाता है। इस शाखा में शोभित, बलिराज, विग्रहराज, महेंद्र, अणहिल्ल, बालाप्रसाद, जेंदुराज, पृथ्वीपाल, जाजलदेव, आशाराज, रत्नपाल, राज्य पाल, कटुदेव, सहजपाल, आल्हण, केल्हण, जेतसिंह तथा सामन्तसिंह नामक शासक हुए। अणहिल्ल नाडोलिया चौहान शाखा का महत्वपूर्ण शासक था। उसने गुजरात के भीमदेव द्वितीय को पराजित किया और साभर को भी जीता। उसका पुत्र केल्हण भी इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था।

रणथम्भोर शाखा में गोविन्दराज, वाहण प्रह्लादन, वीरनारायण, वाग्भट्ट जैत्रसिंह तथा हमीर नामक शासक हुए। हमीर ईश्वर का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नरेश था। उसने जलालुद्दीन तथा अलाउद्दीन खिल्जी-से युद्ध किये।

1192 ई. के द्वितीय तगइन युद्ध में विजय से मोहम्मद गौरी का दिल्ली पर अधिकार स्थापित हो गया। फिर दिल्ली के सुल्तानों द्वारा राजस्थान पर बार-बार आक्रमण किये गये। दिल्ली के निकट स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से राजस्थान सुल्तानों के लिये अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण क्षेत्र था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण किया। अलतमश ने 1230-34 ई. में भारी फौज बल से रणथम्भोर पर आक्रमण किया। बलबन ने मेवात पर आक्रमण किया। 1291 ई. में जलालुद्दीन खिल्जी ने रणथम्भोर पर असफल आक्रमण किया। दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिल्जी ने 1301 से 1311 ई. के बीच अपनी समस्त शक्ति राजस्थान पर आक्रमण में भाँक दी। शरणागत की रक्षा की परम्परा का पालन करते हुए रणथम्भोर के चौहान शासक हमीर ने अलाउद्दीन के दो वागी सरदारों को शरण दे दी। यद्यपि रणथम्भोर का सैनिक दृष्टि से महत्त्व था किन्तु जहाँ उसके पूर्ववर्ती सुल्तान असफल हुए उस अभेद्य समझे जाने वाले रणथम्भोर को जीतने की अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा इस आक्रमण का वास्तविक कारण थी। किन्तु हमीर द्वारा वागियों को शरण देना तात्कालिक कारण बना। जबरदस्त युद्ध हुआ। समस्त एशिया जीतने की लालसा रखने वाले अलाउद्दीन को काफी लम्बे समय तक असफल होना पड़ा। अन्त में 'घर का भेदी लूटा ढाक' वाली कहावत चरिताथ हुई। धन के लालच में पड़ कर किमी पड़यत्रकारी ने दुग के द्वार खोल दिये। सारे तथा जोहर हुए।

1302 ई. में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में समरसिंह के उत्तराधिकारी रतनसिंह पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का कारण रतनसिंह की रूपवती रानी को माना जाता रहा किन्तु आज पश्चिमी कथा की ऐतिहासिकता पर पुनः विचार की आवश्यकता है।

मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास की अनेक नायिकाओं के पारम्परिक विवरण विश्लेषण करने पर स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगते हैं। जयचंद गहड़वाल की माता सुदरीदेवी और पृथ्वीराज तृतीय चौहान की माता कमलादेवी को आज इतिहास में कही स्थान नहीं है और लगभग सभी विद्वान इन दोनों को 'पृथ्वीराज रासो' के लेखक की कल्पना मानते हैं। रणथम्भोर के चौहान हमीर की कथा देवलदेवी को भी श्री के एम. मुशी, डॉ. के. आर. कानूनगो तथा बाबू जगनलाल गुप्ता ने अनेक ठोस प्रमाणों के बल पर 'हमीर रासो तथा हमीर महाकाव्य' के लेखक की कल्पना की उपज प्रयाणित कर दिया है। सयोगिता एवं पश्चिमी की भी लगभग यही दशा है।

डा कानूनगो ने मन 1959 में कनकना विश्वविद्यालय में आर पी नोपारी भाषणमाला के अंतर्गत भाषण देते हुए पद्मिनी के अस्तित्व में सन्देह प्रकट किया और अनेक प्रमाण देकर उसे केवल मलिक मोहम्मद जयसी की कल्पना की उपज ठहराया। वैसे कानूनगो पद्मिनी के अस्तित्व में सन्देह करने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं। पद्मिनी की ऐतिहासिकता का न मानने का सूत्रपात यू.डी.के. प्रसिद्ध कवि सुयमन मिश्रण ने अपने 'वश भास्कर' में किया था। इनके पश्चात् पद्मिनी-कथा इतिहासकारों के आकषण का नेत्र धन गई। डॉ. दशरथ शर्मा ने लिखा है -

' Perhaps no other heroine of Rajasthan has attracted greater attention of poets and writers Rajasthanis and non Rajasthanis as well, than the far famed queen Padma of Chittor '

पद्मिनी कथा की ऐतिहासिकता के विषय में एक विवाद सा उठ खड़ा हुआ। तर्क-वितर्क के परिणाम स्वरूप दो स्पष्ट मान्यताएँ सामने आईं। खलजी वंश के इतिहास के लेखक डॉ. किशोरी शरणलाल ने पद्मिनी कथा में सन्देह उत्पन्न करने वाली धारणा को अनेक प्रमाणों और तर्कों द्वारा बल प्रदान किया। श्यामलदास, जी एच शोभा ईश्वरीप्रसाद, दशरथ शर्मा एवं जी एन शर्मा ने पद्मिनी कथा को सत्य माना है।

पद्मिनी कथा की ऐतिहासिकता में सन्देह का मूल कारण यह है कि अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण (1303 ई.) के 237 वर्ष पश्चात् तत्र के एक भी ग्रन्थ, लेख या किसी अन्य साधन में पद्मिनी कथा का उल्लेख तक नहीं किया गया है। यद्यपि इस लम्बी अवधि में मध्यकालीन इतिहास के अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ रचे गये जिनमें अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का उल्लेख तो है पर पद्मिनी-कथा तो दूर स्वयं पद्मिनी के नाम का उल्लेख तक किसी भी स्त्रोत में उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत विवरण में केवल यह उतारने का प्रयास किया गया है कि सबसे प्रथम जायसी ने पद्मिनी कथा की रचा। पद्मावत की ऐतिहासिकता सादृश्य है व वाद के सभी साधनों ने मूल कथा जायसी से ही प्राप्त की है अतः इसे प्रमाणिक इतिहास का अंग नहीं माना जाना चाहिये।

पद्मावत की रचना जायसी ने शेरशाह के शासन-काल में 1540 ई. में अवधि में की थी। पद्मावत की कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि मिहल के गधर्वसेन नामक शासक की पुत्री पद्मिनी का एक हीरामान नामक लोहा जो बोलता भी था चिकिता-विकाता चित्तौड़ के शासक रत्नसेन के पास पहुँचा व उसे पद्मिनी के गुणों व सौन्दर्य की सूचना दी। जोगी भैम ने रत्नसेन सिंहन पहुँचा, लगभग 12 वर्ष भटका व तत्पश्चात् पद्मिनी से विवाह कर वापस लौटा। राघवचैतन नामक एक ब्राह्मण ने रत्नसेन द्वारा अपमानित होकर निष्वासित किये जान पर अलाउद्दीन का पद्मिनी के

गुणो व सौन्दर्य से अवगत करा कर उसे प्राप्त करने को प्रेरित किया। अलाउद्दीन ने आक्रमण कर आठ वर्ष तक चित्तौड़ को घेरे रखा। हताश होकर अलाउद्दीन का दण्ड मे पश्चिमी का विन्ध देखना धोखे से रतनसेन का बन्दी बनाकर दिल्ली ले जाना, 1600 पालकियों में बैठ राजपूतो द्वारा दिल्ली से रतनसेन को छोड़ा जाना, गोरा-बादल की घोरता व चित्तौड़ पहुँच रतनसेन का कुम्भलगढ के शासक देवपाल पर आक्रमण कर मारा जाना आदि तथ्य पद्मावत की मूल कथा के आधार हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक विश्लेषण करने पर पद्मावत में अधिक सच्चाई दिखलाई नहीं पड़ती।

इतिहास में केवल सत्य घटनाओं का लेखा जोखा ही होता है जबकि पद्मावत में बोलने वाला तोता हीरामन भी मूल कथा की एक महत्वपूर्ण वडी है।

कुम्भलगढ अभिलेख से ज्ञात होता है कि अपने पिता समरसिंह के पश्चात् रतनसिंह ने 1359 वि स (1302 ई) में शासन आरम्भ किया। सभी फारसी तवारीखें 25 अगस्त 1303 अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय की निश्चित तिथि बताती हैं। इसी प्रकार रतन सिंह को शासन की एक या डेढ़ वर्ष की अवधि ही मिली थी। यदि हीरामन ने रतनसिंह को शासक बनते ही सूचित कर दिया और वह उसी क्षण पश्चिमी को प्राप्त करने के लिये रवाना हो गया होगा तब भी सीमित आवागमन के साधनों के कारण एक-दो वर्ष उसे चित्तौड़ से सिंहल पहुँचने व वापस आने में भी लगे होंगे। 12 वर्ष वह जोगी बना धूमता रहा। वापस आते ही यदि उसने राघव-चेतन को अपमानित कर दिया व उसकी प्रेरणा पर अलाउद्दीन ने उसी क्षण चित्तौड़ पर घावा बोल दिया तब भी आठ वर्ष तक उसे चित्तौड़ दुर्ग को घेरे रखना पडा। इस प्रकार कम से कम समय जोड़ने पर भी अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय का समय 1325 ई के आस पास ठहरता है जबकि स्वयं अलाउद्दीन की मृत्यु भी 1317 ई में निश्चित रूप से हो चुकी थी। साथ ही केवल एक- डेढ़ वर्ष ही शासन करने वाले रतनसिंह का 12 वर्ष सिंहल में भटकते रहने व आठ वर्ष अलाउद्दीन की सेना से घेरे रहने का वर्णन उपलब्ध करने वाला जायसी का पद्मावत निश्चित रूप से ऐतिहासिक नदी माना जा सकता है।

सिंहल के इतिहास से पता चलता है कि 14 वीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में चित्तौड़ के रतनसिंह का समकालीन सिंहल का शासक भुवनेकगुह या कीर्तिनिश्चक देव पराक्रमबाहू था। साथ ही सिंहल के समूचे इतिहास का अध्ययन करने पर भी वहा गन्धर्वसेन नामक किसी शासक का नाम नहीं मिलता अतः पद्मावत की पश्चिमी का पिता गन्धर्वसेन तो निश्चित रूप से एक काल्पनिक पात्र है।

जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर एक असफल व एक सफल, कुल दो आक्रमण किये थे किन्तु सभी मध्यकालीन फारसी तवारीखों में अलाउद्दीन ने केवल एक ही आक्रमण का उल्लेख किया गया है।

जायसी ने अलाउद्दीन द्वारा चितौड़ के घरे की अवधि आठ वष जनाई है जबकि सभी फारसी तवारीख इन घरे का समय छ माह से आठ माह के बीच बनाती है।

जायसी के पात्रों में निश्चित रूप में हीरामन, राघवसेन, कुम्भलगढ का देवपाल व गंधवमेन आदि चरित्र काल्पनिक हैं। जहां इतने काल्पनिक पात्र हैं वहां पद्मिनी भी यदि कल्पना ही हो तो अर्थात् आश्वय नहीं। अतः जायसी ने अलाउद्दीन के रत्नसिंह पर आक्रमण को आधार बनाकर एक विणुद्ध साहित्यिक कृति तैयार की है। पद्यावन की ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में यह कहावत ठीक बैठती है 'मुद्ई मुस्त और गराह चुस्त'। बेचारे जायसी ने स्वयं पद्यावत की कथा भी बेचारे अपनी कल्पना ही उपज मानते हुए मावजनिश रूप से घायला कर दी फिर भी आधुनिक विद्वान् उसे विणुद्ध इतिहास मानने पर तुले हुए हैं। जायसी ने इसे अपनी कल्पना ही उपज बताते हुए लिखा—

तन चितउर मन राजा किहा । हिय सिंहल, बुधि पद्मिनि चीहा ।
नागमती यह दुनिधा धन्वा । बाचा सोई न एहि चित बवा ॥
राघवदूत मोई सैतान् । माया अलाउडी सुलतान् ।
प्रेम कथा एहि भाति विचारहु । बूझ लेहु जो बूझ पारहु ॥

जायसी ने अपने रत्नसेन को चितौड़ के किसी चित्रमेन नामक शासक का उत्तराधिकारी पुत्र बनाया है। अलाउद्दीन ने आक्रमण के समय चितौड़ का शासक रत्नसिंह था व कुम्भलगढ लेख से निश्चित ज्ञात है कि वह समरसिंह का पुत्र था। चित्रसेन नामक शासक चितौड़ में हुआ ही नहीं अतः वह और सम्भवतः रत्नसेन भी जायसी के अथ काल्पनिक पात्रों की तरह ही होंगे। कम से कम जायसी को रत्नसिंह का न तो सही नाम ही ज्ञात था न उसके पिता की जानकारी ही थी।

अलाउद्दीन ममस्त सततनत काल के सभी सुलतानों में सर्वाधिक विशाल सेना का स्वामी था। 1600 पालकियों में बड़े अधिक से अधिक 6000 व्यक्तियों द्वारा अलाउद्दीन की शक्ति के केन्द्र दिल्ली, से अलाउद्दीन की महासेना का सफलतापूर्वक विरोध कर, रत्नसिंह को न केवल छुड़ाना बल्कि लडते भिडते चितौड़ पहुंचा देना कल्पना के अतिरिक्त और क्या हो सकता है।

अलाउद्दीन की गुप्तचर व्यवस्था की सभी विद्वान् भूरि-भूरि प्रशंसा करते नहीं सकते। चितौड़ में रवाना 1600 पालकियों में बड़े व्यक्तियों को दिल्ली पहुंचाने में काफी समय लगा होगा। इस बीच मार्ग में उठोने कई रातों विश्राम की बिताई। संकड़ों वाग शौच-स्नान से भी निवृत्त हुए होंगे फिर भी मध्यकाल के श्रेष्ठतम अलाउद्दीन के गुप्तचरों को इसका तनिक भी पता न चल सका। प्रसिद्ध है कि

साम्राज्य के कौने कौने से पत्ते हिलने तक की सूचनाएँ सुल्तान के पास पहुँचती थी। केवल इन सोलह सौ डोलियों की किमी गुह्रचर ने बिलकुल परवाह नहीं की शायद इसलिये कि सुल्तान इनके आगमन की बड़ी कौतुहल से प्रतीक्षा कर रहा था। फिर सोलह सौ पालकियाँ यदि पक्किमद खड़ी ही कर दी जाये तो पहली और अन्तिम के बीच एक-दो मीन की दूरी अवश्य रहेगी। इस परिस्थिति में वह बड़ी गूढ़ कितना विशाल होगा ?

पद्मावत में रत्नसेन का कुम्भलगढ के शासक देवपाल से युद्ध करना व घायल होकर मारे जाने का उल्लेख है। स्मरण रहे कुम्भलगढ की स्थापना महाराणा कुम्भा ने रत्नसिंह के मारे जाने के भी 156 वर्ष पश्चात् 1459 ई में की थी। अतः रत्नसेन का कुम्भलगढ के शासक देवपाल के हाथों घायल होकर मारा जाना कितना हास्यास्पद है।

सामान्यतया इतिहासकार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कोई स्पष्ट कारण न बता केवल पद्मिनी की प्राप्ति की इच्छा को ही इस आक्रमण का आधार बना लेते हैं। आक्रमण के किसी अन्य स्पष्ट कारण के अभाव में भी पद्मिनी के अस्तित्व को स्वीकारना उचित नहीं माना जा सकता था। वैसे अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान के काल्पनिक कारण ढूँढने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इस आक्रमण के निम्न लिखित कारण तो ज्ञात हैं ही—

अलाउद्दीन समस्त एशिया को जीतने का इच्छुक था। बाजी की मंत्रणा ने उसकी एशिया विजय योजना को भारत विजय योजना का रूप दे दिया था। अतः भारत के किसी भी क्षेत्र पर अलाउद्दीन के आक्रमण का कारण उसकी भारत विजय की महत्त्वकांक्षा ही थी।

समकालीन आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन से पता चलता है कि चित्तौड़ उस समय व्यापार का प्रमुख केन्द्र था। सिंध, मालवा, गुजरात, मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश सभी क्षेत्रों के व्यापारी अत्यन्त ही प्राचीन काल से माध्यमिका (चित्तौड़) के माग से व्यापार करते थे। अलाउद्दीन के राजस्व सुधार व बाजार नियंत्रण हेतु यत्न मिद्ध करते हैं कि उसमें आर्थिक सूक्ष्म थी। यदि चित्तौड़ के आर्थिक महत्त्व के कारण अलाउद्दीन ने आक्रमण किया हो तो आश्चर्य नहीं।

राजनैतिक दृष्टि से भी चित्तौड़-नियंत्रण महत्त्वपूर्ण था। उस समय अभेद्य दुर्ग सुरक्षा के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साधन थे। जिसके पास जितने अधिक सुदृढ़ दुर्ग होते उसकी स्थिति भी उसी अनुपात में सुरक्षित समझी जाती।

अलाउद्दीन के पूर्व दिल्ली सल्तनत के किसी भी शासक ने चित्तौड़ को न

(1540 ई) व छिन्ताई-चरित के बताये गये रचना काल (1526 ई) में बहुत थोड़ा अन्तर है। 'छिन्ताई-चरित' की तिथि 1526 ई मान लेने से भी पद्मिनी का अस्तित्व निश्चित रूप से प्रमाणित नहीं होगा क्योंकि यह मूल प्रश्न फिर भी अपनी जगह बना रहेगा कि अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण के 237 वर्ष पश्चात् तक के किसी साधन में पद्मिनी कथा का उल्लेख क्यों नहीं है। हा प्रश्न में 237 वर्ष के स्थान पर 223 वर्ष हो जायेंगे पर इससे प्रश्न की महत्ता में विशेष अन्तर न होगा। अतः छिन्ताई चरित की तथाकथित तिथि तो सदिग्ध है ही पर उसे स्वीकार कर लिये जाने पर भी पद्मिनी का अस्तित्व निश्चित रूप से सिद्ध नहीं होगा।

आरम्भ में प्रो हबीब तथा अन्य कई विद्वान तो अलाउद्दीन के दरवारी अमीर खुसरो की 'खाजेनुल फतुह' में भी पद्मिनी सम्बन्धी विवरण का उल्लेख बताने लगे थे। इस पुस्तक में एक स्थान पर खुसरो ने स्वयं को हुद हुद कहा है। लेखक गण हुद हुद की खोज में जुट गये और अन्ततः मालुम कर ही लिया। शेवा की रानी विलकिश की सूचना जिसने सुलेमान तक पहुँचाई वह हुद हुद नामक पक्षी था। इतनी जानकारी हो जाने पर सुलेमान को अलाउद्दीन व विलकिश को पद्मिनी बताकर पद्मिनी कथा को सत्य स्वीकार कर लिया गया। किन्तु स्वयं खुसरो के वर्णन में पद्मिनी तो दूर की बात विलकिश तक का उल्लेख भी नहीं है। डॉ कानूनगो ने एक फारसी के विद्वान वाहिदमिर्जा के हवाले से अन्ततः सत्य प्रकट किया कि अमीर खुसरो के वर्णन का चाहे कितना ही तोड़ा-मरोड़ा जाए उसमें पद्मिनी का उल्लेख वही नहीं मिलेगा।

जायसी के पचास वर्ष पश्चात् अबुल फजल की आईन-ए-अकबरी, फरिस्ता की तवारीख और कुछ समय पश्चात् हाजीउददीर की जफरूलवाली, फासीसी मन्तूची की स्टोरिया डो मोगोर तथा जेम्प टॉड की 'एनल्स एण्ड एन्टीक्वीटीज आफ राजस्थान' नामक पुस्तकों में पद्मिनी का कुछ वर्णन मिलता है। अबुल फजल ने पद्मिनी को एक विशेष गुणों वाली स्त्री बताया है। फरिस्ता ने 700 पालकियों सहित दिल्ली पहुँच कर रतनसिंह को बंदीगृह से छुड़ाने का श्रेय रतनसिंह की पुत्री को दिया है। हाजीउददीर ने जफरूलवाली में लिखा है कि रतनसिंह को बंदी बना कर अलाउद्दीन उसे दिल्ली नहीं ले गया बल्कि चित्तौड़ के पास ही कहीं कैद रखा। यहाँ से 500 पालकियों में पद्मिनी के साथ पहुँचने वाले योद्धाओं ने उसे आजाद करवाया। धुम्मकड मन्तूची जो गप्पे हाकने वाले के रूप में प्रसिद्ध है, पद्मिनी को जयमल की रानी बताता है। टॉड ने पद्मिनी को हमीर सख की पुत्री और राणा लखमसी के काका की पत्नी लिखा है। कितने असमजस और उहापोह में फसे हुए थे बेचारे इतिहास लेखक। राजस्थान के चारणों तथा भाटों में पद्मिनी के वर्णन सुन सुन कर बोखलाहट में जसा जचा वैसा ही लिख मारा। उपरोक्त सभी विवरणों में एकता का सूत्र केवल यह है कि सभी के मूल में जायसी का वर्णन किसी न किसी रूप में विद्यमान है।

जीता था। अलाउद्दीन इम सैनिक गौरव को प्रथम बार अर्जित करना चाहता था।

सूयमल मिश्रण ने 'वशभास्कर' में अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान के सबसे महत्वपूर्ण कारण का वर्णन किया है। जोधराज कृत हमीर रामो के आधार पर यह कहा गया है कि रणथम्भौर के हमीर के दो पुत्र अलाउद्दीन के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारे गये। तीसरे को जिमका नाम रतर्नामह था उसने चित्तौड़ के शासक के पास शरण हेतु भेज दिया। वरनी के विवरण से ज्ञात होता है कि हमीर का पुत्र जीवित था क्योंकि जिम मगोल नेता को शरण देने के कारण हमीर के वश का नाश हुआ था बन्दी रूप में अलाउद्दीन के समक्ष लाने पर उमने हमीर के पुत्र को शामक बनाने की इच्छा व्यक्त की थी। इस प्रकार निश्चित है कि चित्तौड़ आक्रमण का कारण ठीक वही था जो रणथम्भौर आक्रमण का था। जैसे रणथम्भौर आक्रमण का लक्ष्य देवलदेवी को मानने की आवश्यकता नहीं वैसे ही चित्तौड़ आक्रमण का लक्ष्य पद्मिनी नहीं थी।

अतः यह कहना कि अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण का कोई स्पष्ट कारण दिखलाई नहीं पड़ता और पद्मिनी ही आक्रमण का कारण रही होगी ऐतिहासिक नहीं माना जा सकता।

उल्लेखनीय है कि कानूनगो द्वारा पद्मिनी के अस्तित्व में सन्देह खड़ा करने से अब तक बचपि कानूनगो के तर्कों का खण्डन करने का प्रयत्न अवश्य किया गया है परन्तु पद्मिनी थी, इस कारण के समथन में अभी तक किसी विद्वान् द्वारा ठोस प्रमाण नहीं दिये गये हैं। हा कानूनगो की अलोचना करते हुए डॉ. दशरथ शर्मा ने नोपारणो स्मृति भाषण माला में व्याख्यान देते हुए यह बताने का प्रयास अवश्य किया कि जायसी से पूर्व भी साहित्य में पद्मिनी का उल्लेख मिलता है। उन्होंने 1526 ई में तोमर वंशी शासक सल्हदी के समय रचे 'छित्ताई-चरित' की उस हस्तलिखित प्रति में पद्मिनी का उल्लेख बताया है जो श्री अमरचन्द जी नाहटा के पास सुरक्षित है। इम सदभ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े किये जा सकते हैं जैसे, सल्हदी कौन से क्षेत्र का स्वतंत्र शासक था? दिल्ली व उसके समीपस्थ क्षेत्र से तो इमसे शताब्दियों पूर्व तोमर सत्ता समाप्त हो चुकी थी। 'छित्ताई-चरित' की तिथि किस आधार पर 526 ई मानी गई है? क्या इस बात के प्रमाण हैं कि इस तोमरवंशी शासक का समय 1526 ई ही था और 'छित्ताई-चरित' निश्चित रूप से उसी के समय लिखा गया था? क्या इसकी कुछ अन्य प्रतियाँ भी उपलब्ध हुई हैं? यदि हा, तो क्या उनमें भी अलाउद्दीन के आक्रमण तथा पद्मिनी का उल्लेख है? 1526 ई में भारतीय शासक बाबर के विरुद्ध जूझ रहे थे। ऐसे समय साहित्यिक रचनाएँ हुईं ही यह सम्भव दिखलाई नहीं पड़ता। अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता इसलिये है कि जायसी की पद्यावत के रचना काल

(1540 ई) व छिन्ताई-चरित के बताये गये रचना काल (1526 ई) में बहुत थोड़ा अन्तर है। 'छिन्ताई-चरित' की तिथि 1526 ई मान लेने से भी पद्मिनी का अस्तित्व निश्चित रूप से प्रमाणित नहीं होगा क्योंकि यह मूल प्रश्न फिर भी अपनी जगह बना रहेगा कि अलाउद्दीन के चित्तोड़ आक्रमण के 237 वर्ष पश्चात तक के किसी साधन में पद्मिनी कथा का उल्लेख क्यों नहीं है। हा प्रश्न में 237 वर्ष के स्थान पर 223 वर्ष हो जायेंगे पर इससे प्रश्न की महत्ता में विशेष अन्तर न होगा। अतः छिन्ताई चरित की तथाकथित तिथि तो सदिग्ध है ही पर उसे स्वीकार कर लिये जाने पर भी पद्मिनी का अस्तित्व निश्चित रूप से सिद्ध नहीं होगा।

आरम्भ में प्रो हबीब तथा अन्य कई विद्वान तो अलाउद्दीन के दरबारी अमीर खुसरो की 'खाजेनुल फतुह' में भी पद्मिनी सम्बन्धी विवरण का उल्लेख बताने लगे थे। इस पुस्तक में एक स्थान पर खुसरो ने स्वयं को हुद हुद कहा है। लेखक गण हुद हुद की खोज में जुट गये और अतत मालुम कर ही लिया। शेबा की रानी बिलकिश की सूचना जिमने सुलेमान तक पहुँचाई वह हुद हुद नामक पक्षी था। इतनी जानकारी हो जाने पर सुलेमान को अलाउद्दीन व बिलकिश को पद्मिनी बताकर पद्मिनी कथा को सत्य स्वीकार कर लिया गया। किन्तु स्वयं खुसरो के वणन में पद्मिनी तो दूर की बात बिलकिश तक का उल्लेख भी नहीं है। डॉ कानूनगो ने एक फारसी के विद्वान वाहिदमिर्जा के हवाले से अन्ततः सत्य प्रकट किया कि अमीर खुसरो के वणन को चाहे कितना ही तोड़ा-मरोड़ा जाए उसमें पद्मिनी का उल्लेख नहीं मिलेगा।

जायसी के पचास वर्ष पश्चात अबुल फजल की आईन-ए-अकबरी, फरिस्ता की तवारीख और कुछ समय पश्चात हाजीउददीर की जफरूलवाली, फ्रासीसी मनुची की स्टोरिया डो मोगोर तथा जेम्स टॉड की 'एनल्स एण्ड एन्टीक्वीटीज आफ राजस्थान' नामक पुस्तक में पद्मिनी का कुछ वणन मिलता है। अबुल फजल ने पद्मिनी को एक विशेष गुणों वाली स्त्री बताया है। फरिस्ता ने 700 पालकियों सहित दिल्ली पहुँच कर रतनसिंह को बन्दीगृह से छुड़ाने का श्रेय रतनसिंह की पुत्री को दिया है। हाजीउददीर ने जफरूलवाली में लिखा है कि रतनसिंह को बन्दी बना कर अलाउद्दीन उसे दिल्ली नहीं ले गया बल्कि चित्तोड़ के पास ही वहीं कैद रखा। यहाँ से 500 पालकियों में पद्मिनी के साथ पहुँचने वाले योद्धाओं ने उसे आजाद करवाया। धूमकड मनुची जो गप्पें हाकने वाले के रूप में प्रसिद्ध है, पद्मिनी को जयमल की रानी बताता है। टॉड ने पद्मिनी को हमीर सख की पुत्री और राणा लखमसी के काका की पत्नी लिखा है। कितने असमजस और उहा-पोह में फसे हुए थे वेचारे इतिहास लेखक। राजस्थान के चारणों तथा भाटों से पद्मिनी के वणन सुन सुन कर बोखलाहट में जैसा जचा वंसा ही लिख मारा। उपरोक्त सभी विवरणों में एकता का सूत्र केवल यह है कि सभी के मूल में जायसी का वणन किसी न किसी रूप में विद्यमान है।

आधुनिक काल के विद्वानों में ईश्वरी प्रमाद ने पद्मिनी कथा को ऐतिहासिक स्वीकार कर यह प्रश्न गड़ा किया कि यदि पद्मिनी कथा असत्य होती तो यह इतन वर्षों तक राजपूत परम्पराओं में सुरक्षित कैसे रह सकती थी ? एक अन्य विद्वान ने यह तर्क दिया कि पद्मिनी का अस्तित्व नहीं था तब उसके महल कहा से आए ? इन्हे वापस प्रश्न किया जा सकता है कि राजा भोज और गूँ तैली सम्बन्धी तथ्य अब तक प्रचलन में कब है ? पृथ्वीराज रासो की अनेक गप्पे शन शन इतिहासकारों ने कैसे स्वीकार की। पीढी दर पीढी मानव कठो में अठकेलिया करती हुई शुद्ध साहित्यिक बात इतिहास का रूप धारण कर लेती थी। डा कानूनगो ने ऐसे प्रश्नों का अत्यन्त ही विस्तृत तकसगत प्रणन प्रस्तुत किया है। एक बार पद्मिनी कथा स्वीकार करली गई तब चित्तोड में महलों की कमी कहा थी।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अलाउद्दीन के चित्तोड अभियान का कारण पद्मिनी नहीं थी। पद्मिनी का जन्म पद्मावत से हुआ। पद्मावत विशुद्ध साहित्यिक कृति है। साहित्य की बात धीरे धीरे इतिहास बन गई।

रणथम्भोर तथा चित्तोड के पश्चात् अलाउद्दीन ने जैसलमेर, सिवाणा और जालोर पर आक्रमण किये। 1308 ई में अलाउद्दीन के हमले के समय शीतलदेव सिवाणा का शासक था। अलाउद्दीन के एक सेनापति कमालुद्दीन 'भेडिया' ने सिवाणा दुर्ग का घेरा डाला। सीढिया इत्यादि लगा कर दुर्ग पर चढ़ने के प्रयत्न किये जाते तब ऊपर से गोफणों से पत्थर फेंके जाते, तीरों की बौछार की जाती तथा उकलता हुआ गम तेल फेंका जाता। कमालुद्दीन के सभी प्रयास विफल हो गये। कई महीना तक गढ़ को घेरने से भी सफलता नहीं मिली तब अलाउद्दीन स्वयं भारी फौज बल से सिवाणा पहुँचा। मारवाड के परगनों की विगत में नरामी ने इस हमले के सम्बन्ध में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात लिखी। चार किलोमीटर से गढ़ की छाटी में पहाड़ी क देखकर अलाउद्दीन ने यह वचन लिया कि गढ़ को जीते बिना वह अन्न जल भी ग्रहण नहीं करेगा। सुल्तान के वचन के पाननाथ सनिको ने पूरे उत्साह से प्रयत्न किया। किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। अन्न-जल के बिना सुल्तान की दशा बिाडने लगी। सेनापतियों ने सुल्तान को वचन से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से आटे का गढ़ बना कर उसे जीतने की योजना बनाई। गढ़ के सैनिकों को इस योजना की जानकारी मिलने पर वे क्रोधित हुए और शीतलदेव का भाई सोम चुने हुए वीरों के साथ गढ़ से बाहर निकला व वनावही दुर्ग की रक्षा अपने प्राणों की आहुति दे दी। आटे के गढ़ की बात की सच्चाई में तो सन्देह है किन्तु अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक 'खजाइन फ़तूह' में शीतलदेव के शीय की बहुत प्रशंसा की है। विशेषकर शीतलदेव का अप्रतिम बल और हाथी जैसा शरीर देख कर स्वयं सुल्तान आश्चर्य चकित हो गया। अनेक महीनों तक शत्रु सेना से घिरा रहने पर किले के कोठार खाली हो

गये तब दरवाजे खुले और साका करने की धारे हुए थोड़ा शाही सेना पर दूट पड़े । भीषण मार काट के बाद ही अलाउद्दीन की सेना सिवाणा जीत सकी ।

जालोर में सिवाणा से भी अधिक भीषण युद्ध हुआ । कई महीनों तक शाही सेना ने दुर्ग को घेरे रखा । पद्मनाभ ने 'कान्हडदे प्रब ध' में लिखा है कि सेजवाल विक्रम नामक व्यक्ति ने धन के लालच में पड़ कर नमक हरामी की । उसने दुर्ग के गुप्त द्वार का मार्ग शत्रु को बता दिया । परम्पराओं में यह घटना भी सुरक्षित है कि घर पहुँच कर विक्रम ने अपनी पत्नी को बताया कि उनको गरीबी के दिन अब समाप्त होने वाले हैं । पूरी बात सुनकर विक्रम की पत्नी अत्यन्त क्रोधित हुई और उसने हाथ में भोजन परोसने हेतु पकड़े हुए थाल के जोरदार प्रहार से विक्रम का सिर धड़ से अलग कर दिया । वह भाग कर कान्हडदे को अपने पति की कुटिलता की सूचना देने पहुँची किन्तु तब तक सुल्तान की सेना गढ़ में प्रवेश कर चुकी थी । हृदय विदारक युद्ध के पश्चात् ही अलाउद्दीन जालोर जीत सका ।

चित्तौड़ विजय के पश्चात् अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्जखा को वहाँ नियुक्त किया । कुछ समय पश्चात् मालदेव सोनगरे को वहाँ का सूबेदार बना दिया । 1326 ई में भीसोदा के सामंत हमीर ने बख्शीजी नामक चारणी के आशीर्वाद से मालदेव के पुत्र वनवीर मोनगरे को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया । हमीर से पूर्व चित्तौड़ के शासक 'रावल' कहे जाते थे किन्तु हमीर के समय से राणा और महाराणा कहे जाने लगे । पहले के शासक गुहिलोत्त थे किन्तु हमीर के समय से वे भीसोदिया कहलाने लगे । हमीर के पश्चात् खेता, लाखा, मोकल तथा कुम्भा चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठे । कुम्भा के समय चित्तौड़ राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ । कुम्भा ने वू दी, गागरोण, मडोर, सिराही माडल-गढ, विजोलिया, जहाजपुर, खाटू, गगराणा, चाटसू, इत्यादि पर मेवाडी आधिपत्य जमाया । उसने मालवा के सुल्तान को पराजित किया । गुजरात तथा मालवा के सुल्तानों की सम्मिलित सेनाओं से मफलतापूर्वक युद्ध कर चित्तौड़ के गौरव की रक्षा की । महाराणा कुम्भा का विशेष महत्त्व इसलिये माना जाना है कि एक योग्य सेनानायक और सफल विजेता होने के साथ ही वह कला साहित्य का संरक्षक, धार्मिक सहिष्णु और स्वयं उच्च कौटिल्य का विद्वान् था । उसके दरबार में राजस्थान के साथ ही मालवा तथा गुजरात के कलाकारों, साहित्यकारों और विद्वानों का जमघट लगा हुआ था । 'नाव भीतडा सू रव' सम्बन्धी कहावत कुम्भा के सर्भ में सत्य दिखलाई पड़ती है । मेवाड़ में स्थित कुल 84 किलो में से कुम्भलगढ सहित 3 का निर्माण कुम्भा द्वारा ही करवाया गया था । कीर्तिस्तम्भ, रणकपुर जन मन्दिर दिलवाडा मन्दिर, चित्तौड़ का कुम्भस्वामी मन्दिर, एकलिंगजी का भीरा मन्दिर इत्यादि युगो युगो तक कुम्भा की कीर्ति को साक्ष्य प्रस्तुत करते ही रहेंगे । कुम्भा स्वयं उच्चकौटिल्य का कवि, संगीतकार, नाटककार और विद्वान् था ।

आधुनिक काल के विद्वानों में ईश्वरी प्रसाद ने पद्मिनी कथा को ऐतिहासिक स्वीकार कर यह प्रश्न खड़ा किया कि यदि पद्मिनी कथा असत्य होती तो यह इन वर्षों तक राजपूत परम्पराओं में सुरक्षित कैसे रह सकती थी? एक अन्य विद्वान ने यह तर्क दिया कि पद्मिनी का अस्तित्व नहीं था तब उसके महल कहा से आए? इन्हें वापस प्रश्न किया जा सकता है कि राजा भोज और गयू तैली सम्बन्धी तथ्य अब तक प्रचलन में कैसे हैं? पृथ्वीराज रासो की अनेक गप्पे शनै शनै इतिहासकारों ने कैसे स्वीकार की। पीढ़ी दर पीढ़ी मानव ऋतों में अठकेलिया करती हुई शुद्ध साहित्यिक वान इतिहास का रूप धारण कर लेती थी। डा कानूनगो ने ऐसे प्रश्नों का अत्यन्त ही विस्तृत तकसगत उणन प्रस्तुत किया है। एक बार पद्मिनी कथा स्वीकार करली गई तब चित्तोड में महलों की कमी कहा थी।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अलाउद्दीन के चित्तोड अभिमान का कारण पद्मिनी नहीं थी। पद्मिनी का जन्म पद्मावत से हुआ। पद्मावत विशुद्ध साहित्यिक कृति है। साहित्य की बात धीरे धीरे इतिहास बन गई।

रणथम्भौर तथा चित्तोड के पश्चात् अलाउद्दीन ने जैसलमेर, सिवाणा और जालोर पर आक्रमण किये। 1308 ई में अलाउद्दीन के हमले के समय शीतलदेव सिवाणा का शासक था। अलाउद्दीन के एक सेनापति कमालुद्दीन 'भेडिया' ने सिवाणा दुर्ग का घेरा डाला। सीढिया इत्यादि लगा कर दुर्ग पर चढ़ने के प्रयत्न किये जाते तब ऊपर में गोफणों से पत्थर फेंके जाते, तीरों की बौछार की जाती तथा उकलता हुआ गम तेल फेंका जाता। कमालुद्दीन के सभी प्रयाम विफल हो गये। कई महीना तक गढ़ को घेरने से भी सफलता नहीं मिली तब अलाउद्दीन स्वयं भारी फौज बल से सिवाणा पहुँचा। माग्वाड के परगनों की विगत में नएनी ने इस हमले के सम्बन्ध में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात लिखी। चार किलोमीटर से गढ़ की छोटी सी पहाड़ी व दखकर अलाउद्दीन ने यह वचन लिया कि गढ़ को जीते त्रिना वह अन्न-जल भी ग्रहण नहीं करेगा। सुल्तान के वचन के पावनार्थ मैनिको ने पूरे उत्साह से प्रयत्न किया। किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। अन्न-जल व बिना सुल्तान की दशा बिाडने लगी। सेनापतियों ने सुल्तान को वचन से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से आटे का गढ़ बना कर उसे जीतने की योजना बनाई। गढ़ के सोनगरी को इस योजना की जानकारी मिलने पर व घोषित हुए और शीतलदेव का भाई सोम चुने हुए वीरों के साथ गढ़ से बाहर निकला व वनावही दुर्ग की रक्षाथ अपने प्राणों की आहुति दे दी। आटे के गढ़ की बात की सच्चाई में तो सन्देह है किन्तु अमीर खुसरौ ने अपनी पुस्तक 'खजाइन फ़ुतूह' में शीतलदेव के शौर्य को बहुत प्रशंसा की है। विशेषकर शीतलदेव का अप्रतिम बल और हाथी जसा शरीर देख कर स्वयं सुल्तान आश्चर्य चकित हो गया। अनेक महीनों तक शत्रु सेना से घिरा रहने पर किले के कोठार खाली हो

गये तब दरवाजे खुले और साका करने की धारे हुए योद्धा शाही सेना पर टूट पड़े । भीषण मार काट के बाद ही अलाउद्दीन की सेना सिवाणा जीत सकी ।

जालोर मे सिवाणा से भी अधिक भीषण युद्ध हुआ । कई महीनो तक शाही सेना ने दुग को घेरे रखा । पद्मनाभ ने 'काहूडे प्रवध' मे लिखा है कि सेजवाल विक्रम नामक व्यक्ति ने धन के लालच मे पड कर नमक हरामी की । उमने दुगं के गुप्त द्वार का मार्ग शत्रु को बता दिया । परम्पराओ मे यह घटना भी सुरक्षित है कि घर पहुच कर विक्रम ने अपनी पत्नी को बताया कि उनकी गरीबी के दिन अब समाप्त होने वाले हैं । पूरी बात सुनकर विक्रम की पत्नी अत्यन्त क्रोधित हुई और उसने हाथ मे भोजन परोसने हेतु पकडे हुए थाल के जोरदार प्रहार से विक्रम का सिर घड से अलग कर दिया । वह भाग कर काहूडे को अपने पति की कुटिलता की सूचना देने पहुची किंतु तब तक सुल्तान की सेना गढ मे प्रवेश कर चुकी थी । हृदय विदारक युद्ध के पश्चात ही अलाउद्दीन जालोर जीत सका ।

चित्तौड विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज़्रखा को वहा नियुक्त किया । कुछ समय पश्चात मालदेव सोनगरे को वहा का सूवेदार बना दिया । 1326 ई मे मीसोदा के सामंत हमीर ने वरबडीजी नामक चारणी के आशीर्वाद से मालदेव के पुत्र बनवीर मोनगरे को पराजित कर चित्तौड पर अधिकार कर लिया । हमीर से पूव चित्तौड के शासक 'रावल' कहे जाते थे किन्तु हमीर के समय से राणा और महाराणा कहे जाने लगे । पहले के शासक गुहिलोत थे किन्तु हमीर के समय से वे मीमोदिया कहलाने लगे । हमीर के पश्चात खेता, लाखा, मोकल तथा कुम्भा चित्तौड के सिंहासन पर बैठे । कुम्भा के समय चित्तौड राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ । कुम्भा ने बू दी, गागरोण, मडोर, सिराही, माडलगढ, विजोलिया, जहाजपुर, खादू, गगराणा, चाटसू, इत्यादि पर मेवाडी आधिपत्य जमाया । उमने मालवा के सुल्तान को पराजित किया । गुजरात तथा मालवा के सुल्तानो की सम्मिलित सेनाओ से सफलतापूर्वक युद्ध कर चित्तौड के गौरव की रक्षा की । महाराणा कुम्भा का विशेष महत्व इसलिये माना जाना है कि एक योग्य सेनानायक और सफल विजेता होने के साथ ही वह कला माहित्य का संरक्षक, धार्मिक सहिष्णु और स्वय उच्च कोटि का विद्वान था । उसके दरबार मे राजस्थान के साथ ही मालवा तथा गुजरात के कलाकारो, साहित्यकारो और विद्वानो का जमघट लगा हुआ था । 'नाव भीतडा सू रैवै' सम्बन्धी कहावत कुम्भा के सदा मे सत्य दिखलाई पडती है । मेवाड मे स्थित कुल 84 किलो मे से कुम्भलगढ सहित 3' का निर्माण कुम्भा द्वारा ही करवाया गया था । कीर्तिस्तम्भ, रणकपुर जन मन्दिर दिलवाडा मन्दिर, चित्तौड का कुम्भस्वामी मन्दिर, एकलिंगजी का मीरा मन्दिर इत्यादि युगो युगो तक कुम्भा की कीर्ति को साक्ष्य प्रस्तुत करते ही रहगे । कुम्भा स्वय उच्चकोटि का कवि, संगीतकार, नाटककार और विद्वान था ।

जयदेव रचित सगीत के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'गीतगाविन्द' की रसिक प्रिया' नामक टीका स्वयं कुम्भा द्वारा की गई। उसके सरक्षण में सगीत और स्थापत्य जैसे तकनीकी विषयों पर ग्रन्थ लिखे गये। कुम्भा का नाम केवल राजस्थान ही क्या समस्त भारत के प्रतिभासम्पन्न सम्राटों की श्रेष्ठिपत्ति में लिया जाता है।

कुम्भा के पश्चात् ऊदा, रायमल और सागा महाराणा बने। सागा की धाक समूचे उत्तरी भारत में जमी हुई थी। 17 मार्च 1527 को प्रातः साढ़े नौ बजे खानवा के मैदान में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और महाराणा सागा की सेनाओं के बीच भयंकर भिड़ंत हुई। अन्ततः तोपें तलवारों की तुलना में अधिक घातक सिद्ध हुईं अन्वयात् मुगल साम्राज्य के स्थान पर मेवाड़ी राज्य की स्थापना में अतिक्रमण नहीं रह गई थी। सागा के पश्चात् रतनसिंह विक्रमादित्य तथा बरणवीर के समय मेवाड़ पर आफत की काली पीली आधिया भड़काने लगी। आन्तरिक पडयंत्र, कलह और कुचक्रों का दौर चला। अन्ततः पत्ता धाय न स्वामी धर्म का निर्वाह कर अपने पुत्र का बलिदान कर उदयसिंह के प्राण बचाये। 1541 ई. में मीसोदिया सामन्तों के सहयोग से उदयसिंह ने मिहासन प्राप्त किया तथा अपनी व्यक्तिगत योग्यता से अव्यवस्था दूर कर प्रशासनिक ढांचे को सुसंगठित करने में सफलता प्राप्त की। उदयसिंह ने 1559 ई. में दक्षिण-पश्चिमी मेवाड़ में पहाड़ी शृंखलाओं के मध्य उदयपुर शहर की स्थापना की। आन्तरिक स्थिति सुधारने के प्रयत्नों में लगे हुए उदयसिंह ने अपनी चतुर्गई से शेरशाह के आक्रमण से तो चित्तौड़ को बचा लिया किंतु 1567 ई. में अकबर के आक्रमण के समय वह चित्तौड़ की रक्षा न कर सका। सामन्तों की मन्त्रणा के अनुसार उसे अनिच्छा से चित्तौड़ छोड़ कर पहाड़ों की शरण लेनी पड़ी। गढ़ की रक्षा में जयमल और पत्ता ने अभूतपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया। स्वयं अकबर उनकी वीरता में इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने इन शत्रु शूरमाओं को सम्मान देने हेतु उनकी प्रतिभाएं प्रागरा में प्रतिष्ठित करवाईं।

उदयसिंह के उत्तराधिकारी प्रताप का स्वतन्त्रता प्रेम राज तक गीतों में गाया जाता है और बाना में उसकी सराहना होती है। प्रताप ने समस्त राजसी बंधव की तुलना में स्वतन्त्रता को अधिक महत्वपूर्ण माना। हल्दीघाटी का युद्ध 21 जून 1576 को लड़ा गया। इस युद्ध का एव उल्लेखनीय तथ्य यह है कि महाराणा प्रताप की मैना में हरावल का नेतृत्व हकीमखा पठान ने किया जबकि मुगली सेना की कमान अमेर के राजा मानसिंह ने संभाली थी। युद्ध में दोनों पक्षा के लगभग 650 सैनिक मारे गये। प्रारम्भ में प्रताप की सेना का पलड़ा भारी रहा पर अन्त में मानसिंह विजयी हुआ। हल्दीघाटी के युद्ध में पराजय से प्रताप के सघष का अन्त नहीं हुआ। इसके पश्चात् प्रताप ने छापामार नीति अपनाई तथा मुगल चोरियों पर धावे बाले। 19 जनवरी 1597 में चावड में स्वर्गवास तक प्रताप

निरन्तर सघर्ष करता रहा तथा अनेक परम्परागत मेवाडी क्षेत्रों पर पुन अधिकार कर लिया था। प्रताप के उत्तराधिकारी अमरसिंह ने मेवाड़ की स्थिति में सुधार की ठान कर मुगलों से सन्धि करली। कालांतर में महाराणा जगतसिंह व राजसिंह ने मेवाड़ को पुन महिमाभिद्ध करने के प्रयास किये। बादमें आपसी कलह और मराठों के निरन्तर आक्रमणों व अत्याचारों के कारण मेवाड़ को भी अंग्रेजों से सन्धि बननी पड़ी।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय रियासतों में क्षेत्रफल की दृष्टि से हैदराबाद और कश्मीर के पश्चात् सबसे बड़ी मारवाड़ की रियासत का क्षेत्रफल 36016 वर्गमील था। राजस्थान के रजवाड़ों में शीर्ष, बलिदान, स्वामीभक्ति और वीरता की दृष्टि में मारवाड़ का इतिहास अत्यन्त ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो मारवाड़ की पुरानी राजधानी मण्डोर का इतिहास ठेठ माडू ऋषि से जुड़ा हुआ है किन्तु मारवाड़ में राठौड़ों का आगमन 13 वीं शताब्दी में माना जाता है। ख्यातों के अनुसार जयचंद गहड़वाल का वंशज राव सीहा सब प्रथम द्वारका जाते हुए मार्ग में पुष्कर में था, तब उसे पल्लीवाल ब्राह्मणों ने आमंत्रित कर पाली बुलाया। आज कल इस धारणा को अधिक मान्यता प्राप्त नहीं है। सीहा को गहड़वाल स्वीकार करने में कुछ बाधाएँ दिखलाई पड़ने लगी हैं। चाहे ह्यूडी का राष्ट्रकूट था, कर्नाट के राष्ट्रद्वों का वंशज था अथवा जयचंद गहड़वाल का वंशज, यह सभी इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि वह मारवाड़ में राठौड़ों का प्रथम पूज्य था। पल्लीवाल के निमंत्रण पर उनकी रक्षाथ सीहा सबप्रथम पाली पहुँचा, बाद में उसने खेड पर अपना आग्रिपत्य जमाया। सीहा की ग्धारहवी पीढी में राव चूण्डा ने मंडोर में राठौड़ राज्य की स्थापना की। मंडोर अधिकार के पश्चात् चूण्डा ने नागौर, फलोदी तथा सोजत जीता। चूण्डा के पुत्र रणमल ने मोकल तथा कुम्भा के समय चित्तौड़ में अनेक उल्लेखनीय कार्य किये। अन्ततः वह सीसोदिया-राठौड़ सामन्तों में प्रतिद्वन्द्विता के कारण एक पडयत्र का शिकार बन कर मारा गया। उसका पुत्र जोधा मारवाड़ के आरम्भिक नरेशों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। उसने न केवल मंडोर में राठौड़ शासन की पुन स्थापना ही कि बल्कि अनेक नवीन क्षेत्रों को जीतकर उन्हें अपने सम्प्रदियों को सोपा व मारवाड़ में सामन्त प्रथा का सूत्रपात किया। जोधपुर नगर की स्थापना व मारवाड़ की शक्ति और गौरव में वृद्धि की। नि सन्देह वह राठौड़ सत्ता का वास्तविक सस्थापक और राठौड़ साम्राज्य को एक निश्चित स्वरूप प्रदान करने वाला व्यक्ति था। डॉ दशरथ शर्मा का कहना है कि "Jodha can be regarded as the real founder of Rathore power in Rajasthan With him they became people with a settled and permanent territory to which they could call their 'Watan or homeland'"

जोध्या के पिता राव रणमल्ल चित्तौड़ में चूण्डा सीसोदिया व उसके सहयोगियों द्वारा रचित एक पडयत्र में मारे गये। जोध्या, कान्वल, वरजाग व अग्र राठीड जा चित्तौड़ दुग में नीचे ठहरे हुए थे रणमल्ल की हत्या का समाचार मिलते ही मंडोर की तरफ रवाना हो गए। रयातो में जोध्या के सहयोगियों की सख्या भिन्न भिन्न बताई गई है किंतु अधिकांश साधनों में कहा गया है कि इस समय जोध्या के साथ लगभग 700 व्यक्ति थे। रावत चूण्डा के नेतृत्व में चित्तौड़ की सेना ने जोध्या का पीछा किया। रेऊजी के अनुमार चित्तरोडी गाव के पास पीछा करती हुई सेना से जोध्या की प्रथम मुठभेड़ हुई। ओभाजी प्रथम लडाई कपासन नामक स्थान पर मानते हैं। मूथा नैणसी ने 'वात परगने जोधपुर री' में लिखा है कि चित्तौड़ से रवाना होने के पश्चात् पहली लडाई आठ-दस कोस पर हुई। कपासन चित्तौड़ से आठ कोस पर स्थित है अत ओभाजी का मत ही सत्य दिखलाई पड़ता है। कपासन में भीषण युद्ध हुआ जिसमें जोध्या के लगभग 200 सहयोगी मारे गये। रावत चूण्डा के साथ बहुत अधिक सैनिक थे अत अवसर मिलते ही राठीड सेना यहा से भाग निकली। सोमेश्वर के घाटे तक पहुचते-पहुचते चित्तरोडी सतखम्भा कनवज तथा केलवा नामक स्थानों पर मुठभेड़े हुई अत सोमेश्वर पहुचने पर जोध्या के साथ केवल 250 सैनिक, बचे। सोमेश्वर में वरजाग ने एक योजना प्रस्तुत की जिसके अनुसार सात योद्धाओं सहित जोध्या को मन्डोर की तरफ रवाना कर दिया व शेष लोग पीछा करने वाली सेना को रोकने हेतु डट गये। यद्यपि सोमेश्वर के युद्ध में लगभग दो सौ व्यक्ति मारे गए (चादराव, पृथ्वीराज, तेजसिंह, व चरडा आदि मारे गये) पर वे जोध्या को सकुशल मन्डोर पहुचाने में सफल हो गए।

मन्डोर में भी जोध्या सुरक्षित नहीं था उसके सभी महत्वपूर्ण सहयोगी काम आ चुके थे अत मन्डोर से आवश्यक सामाग्री और अपने सहयोगियों को साथ लेकर जगलू की तरफ निकल गया व वतमान वीकानेर के पास काहूनी नामक एक छोटे से गाव में पहुच गया। चित्तौड़ की सेना ने सोमेश्वर के पश्चात् बिना अधिक विरोध के मन्डोर पर अधिकार जमा लिया। अज्जा, एका, राघवदेव व हीगनू आदि मौसोदिया मामतो ने मन्डोर में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर चौकडी भेडता और मौजत आदि स्थानों पर अपनी सैनिक चौकिया स्थापित की और जोध्या को खोजने लगे।

इस प्रकार जोध्या के सामने अत्यन्त ही निराशाजनक परिस्थितिया थी। चित्तौड़ की सेना तो उसे ढूँढ ही रही थी मारवाड की राजनैतिक परिस्थिति भी उसके अनुकूल नहीं थी। उस समय वर्तमान मारवाड के विभिन्न क्षेत्रों पर स्वतंत्र शासक राज्य कर रहे थे जिनमें से अधिकांश चित्तौड़ के प्रति स्वामीभक्त थे। जैतारण में राव आस्थान के पुत्र सिधल के वंशज थे जो चित्तौड़ के राणाओं की आधीन मानते थे। सीवाणा में जैतमलोत शासन कर रहे थे जो राव सलखा के पुत्र जैतमल के वंशज थे, खेड और पोकरण राव मलिननाथ के वंशजों के आधीन

थे। नागोर में पुन खानजादा वश ने अपनी मत्ता स्थापित करली थी। अत जोरा को न केवल मीमोदियो से मन्डोर ही छीनना था बल्कि इन सभी स्वतंत्र शासकों को भी नतमस्तक करना था।

लगभग पन्द्रह वर्ष तक जोधा इधर उधर भटकता रहा और अपनी शक्ति में निरन्तर वृद्धि करता रहा। अत्यायो से ज्ञात होता है कि मन्डोर पर उसका प्रथम आक्रमण असफल रहा। कुछ समय पश्चात एक बुद्धिया से प्रेरणा प्राप्त कर उसने मन्डोर से दूर दूर के ठिकानों पर आक्रमण करना आरम्भ किया। उसके साथ काफी योद्धा एकत्रित हो गए किंतु अभी तक अच्छे अश्वों का अभाव था। सेतरावा के रावत लूणा के पास बहुत अश्व थे और उसकी पत्नी जोधा की मीसी थी। ठकराइन की सहायता से जोधा ने एक शक्तिशाली अश्व सेना तैयार की। इसी बीच जोधा वैगटी नामक गाव में सिद्ध पुरुष हडबू साखला से भी मिला। हडबूजी ने विश्वास दिलाया कि जोधा को इच्छित कार्य में सफलता मिलेगी। इसमें उसके उत्साह व मनोबल में वृद्धि हुई।

मन्डोर पर अधिकार करने की पूरी योजना तैयार कर जोधा ने अपने एक विश्वासपात्र सहयोगी काला मगलिया को मन्डोर दुर्ग में भेजा। मन्डोर में काला मगलिया का एक सम्बन्धी निवास करता था अत किसी को सन्देह न हुआ। वह जोधा को मन्डोर की आन्तरिक स्थिति और गतिविधियों की सूचना भेजने लगा। अन्त में एक निश्चित तिथि की रात्रि में मगलिया ने दुर्ग के द्वार खोल दिये। अर्द्ध रात्रि में जोधा ने अपनी सेना सहित दुर्ग में प्रवेश कर अज्जा, ऐका, हीगलू, राघवदेव, सहसमल और नवद आदि को मौत के घाट उतार कर मन्डोर पर अधिकार कर लिया।

मेवाड के इतिहास के साधनों में जोधा के मन्डोर अधिपत्य के सम्बन्ध में बताया गया है कि महाराणा कुम्भा की दादी हसावाई ने एक बार उससे कहा "रणमल ने मेवाड की बहुत सेवा की उसने चाच-मेरा को मारा, भाण्डू के सुल्तान से मेवाड की रक्षा की व उसके गौरव में वृद्धि की, इसके बदले उसे मृत्यु पुरस्कार में मिली और अब उसका पुत्र जोधा भी मारा फिर रहा है।"

कुम्भा ने स्पष्ट रूप में जोधा की सहायता करने में असमर्थता प्रकट की किंतु हसावाई ने कहा "वह जोधा को मन्डोर पर अधिकार करने लिए सूचित करदे। महाराणा इस कार्य को बुरा नहीं समझेंगे"। इस प्रकार उदयपुर के इतिहास के साधनों के अनुसार जोधा का मन्डोर अधिकार कुम्भा की स्वीकृति से ही सम्भव हो सका। किंतु उपलब्ध तथ्यों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने पर यह धारणा असत्य लगती है क्योंकि

(3) सम्भवत हसावाई और कुम्भा की जोधा को सहायता संबंधी वार्ता व

हसाबाई की प्राथना केवल महाराणा कुम्भा के गौरव की रक्षा करने के ध्येय से ही लिखे गये हैं। मारवाड की ख्याती में जोधा द्वारा सैनिक बल से मन्डोर जीतने का अत्यन्त ही विस्तृत विवरण उपलब्ध है। ऐतिहासिक दृष्टि से मारवाड के साधन अद्विक विषयसनीय हैं।

(2) यदि वास्तव में मंडोर पर अधिकार कुम्भा की स्वीकृति से किया जाता तो युद्ध न होता और अज्जा, ऐका, हीगलू और सहसमल जैसे सामंथरभी सीसोदिया सामन्तो को न मराया जाता। अतः मंडोर शक्ति से छीना गया था।

(3) राजपूत इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान डा. दशरथ शर्मा ने लिखा है 'राजपूत चरित्र की एक मूल विशेषता यह है कि वे सत्ता और भूमि के लिए प्राणोत्सर्ग कर देते हैं क्योंकि भूमि के लिए प्राणों का बलिदान स्वर्ग प्राप्ति के समान सम्भवा जाता था। इस चरित्र के महाराणा कुम्भा ने स्वेच्छा से अधिकारत्याग दिया यह कहना उचित नहीं लगता।'

(4) 1453 ई. में जोधा द्वारा मंडोर पर अधिकार के समय कुम्भा की स्थिति दयनीय थी और वह कठिनाइयों से घिरा हुआ था। उस पर मालवा और गुजरात की सेनाएं मंडरा रही थीं। ऐसे उचित समय में जोधा द्वारा मन्डोर पर अधिकार निश्चित रूप से उसकी दूरदृष्टिता और सूझ का पारिचायक है। यह भी स्पष्ट है कि जोधा द्वारा ऐसे उपयुक्त समय पर आक्रमण किया गया था जबकि मन्डोर के सीसोदिया सामन्तो को चित्तौड़ से सैनिक सहायता मिलने की कोई सम्भावना नहीं थी। ऐसे समय जबकि मालवा एवं गुजरात के विरुद्ध योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता थी कुम्भा अपने अज्जा, ऐका, हीगलू, सहसमल और नवद जैसे योद्धाओं को जोधा के हाथों, अपनी स्वीकृति से कैसे मरवा सकता था।

(5) मन्डोर विजय के पश्चात् जोधा ने मेवाड के सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण किए इसी समय गोडवाड के अनेक परम्परागत मेवाडी क्षेत्रों को मारवाड में मिलाया। यदि कुम्भा की इच्छा से ही जोधा को मन्डोर मिला होना तो वह मेवाडी क्षेत्रों पर आक्रमण कदापि न कर पाता।

(6) 1459 ई. में जोधा द्वारा एक सुरक्षित पहाड़ी पर सुदृढ दुर्ग की स्थापना भी मेवाडी आक्रमण की सम्भावना से ही की गई। यदि कुम्भा की स्वीकृति से मंडोर लिया जाता तो सुरक्षित स्थान ढूँढने की क्या आवश्यकता थी। 12 मई 1459 जोधा द्वारा बनवाये जाने के समय ध्याता के अनुमार दुर्ग का नाम 'गढ चित्तामण्णी' रखा गया। कुछ समय पश्चात् यह किला 'मयुरध्वज' नाम से प्रसिद्ध हुआ —

गढ ऊँचो चित्तौड आवू सू वाता करै ।
मोरध्वज री मोड किए सू कमती किसनिया ॥

इस नामकरण का कारण गढ का मयूर आकार था । आजकल यह किला मेहरान-गश नाम से प्रसिद्ध है । मेहर का अर्थ सूय है अतः मेहरानगढ का अर्थ हुआ सूर्यवशियो का किला डिगल में 'गढ मेहरान' अभेद्य व सुदृढ दुर्ग को कहा जाता है ।

(7) मारवाडी ख्यातो से ज्ञात होता है कि मन्डोर में जोधा की सफलता की सूचना मिलने पर महागणा कुम्भा अत्यन्त क्रुध हुआ व स्वयं एक सेना लेकर मारवाड की ओर बढ़ा । जोधपुर राज्य की ख्यात से ज्ञात होता है कि जब जोधा को इसकी सूचना मिली तो उसने बीस हजार सैनिकों की सेना तैयार की व पाच हजार बलगाड़ियों में सैनिक बिठाकर कुम्भा का सामना करने निकला । पाली के निकट पहुँच कर कुम्भा को ज्ञात हुआ कि मरने मारने पर उतारू राठौड सेना आ रही है जो वह वापस लौट गया । उस्ताहित राठौड सेना चित्तौड तक जा पहुँची । गुण जोधायण (पसाइत गाडण लिखित) के अनुसार जोधा ने चित्तौड दुर्ग के द्वार जला दिये ।

(8) मन्डोर पर अधिकार कर जोधा ने अपने बड़े भाई अखैराज को राज्य सौंपना चाहा । अखैराज ने इसे अस्वीकार करते हुए अपने रक्त से जोधा का तिलक कर उसे मन्डोर का राव घोषित किया । बदले में जोधा ने मेवाड से बगडी की जागीर छीनकर अखैराज को सौंपी । तब से मारवाड में यह परम्परा बन गई कि जोधपुर में जब भी कोई नया शासक बनता बगडी का स्वामी अपने रक्त से तिलक करता ।

स्पष्ट है कि मन्डोर में राठौड सत्ता की स्थापना दया, कृपा या कुम्भा के आशीर्वाद से नहीं बल्कि युद्ध और रक्त के बल पर हुई थी ।

मन्डोर विजय के पश्चात् जोधा ने चौकडी (पीपाड), कोसाणा, सोजत, जंतारण आदि पर आक्रमण कर इन क्षेत्रों को जीता । सोजत व जंतारण को पहली बार जोधा ने ही मारवाड में मिलिया ।

मारवाड को मेवाडी अधिपत्य में मुक्त कर जोधा ने उन व्यक्तियों को -पुरस्कृत करने का विचार किया जिन्होंने दुर्दिनों में उसकी सहायता की थी । इस इच्छा की पूर्ति के लिए नये प्रदेशों पर विजय आवश्यक थी । छापर-द्रोणमुख या मोहिलवाटी पर निश्चित रूप से जोधा ने विजय प्राप्त की थी । छापर का शासक अजीतसिंह मोहिल था । यद्यपि उसके साथ जोधा की राजाबाई नामक एक पुत्री का विवाह हुआ था किन्तु जोधा ने उसे पराजित कर अपने पुत्र बीदा को वहाँ का शासक बना दिया । अजीतसिंह के काका बछराज ने बहलोल लोदी के हिसार में

गवर्नर सारगखा की सहायता से मोहिलवाटी पर पुन अधिकाङ्ग करने की असफल चेष्टा की। बछराज व सारगखा की सम्मिलित नेताओं को परास्त कर जोधा न स्थाई रूप से छापर मे राठौड सत्ता की स्थापना कर दी। सारगखा पत्र जोधा की विजय का उल्लेख नरासी व दयालदाप ने तो किया ही हे साथ ही कयामखा रासो व श्रृ गारदेवी अभिलेख मे भी इसका उल्लेख मिलता है। यह विजय इसलिये महत्वपूर्ण है कि इससे जोधा के साम्राज्य की सीमा हीसार तक जा पहुची। तत्कालीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण सत्ता लोदी वंश के एक प्रभवशाली अमीर को पराजित करने से जोधा के मान व प्रतिष्ठा मे अभूतपूर्व वृद्धि हुई।

जोधा की अन्य विजयो का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है किन्तु नरासी ने चाड ढाढी के आधार पर लिखा है "जोधा ने जालार को जीता, कन्धवाहो व भाटियो को अपनी कन्गाए व्याहने के लिए बाध्य किया, बू दी से कर ग्रहण किया, घागेराव का गौरव नष्ट किया, गून्दोज की स्थापना की, सेतरावा को नतमस्तक किया। उसने राणा की भूमि को रीदा और अपने घोडो को पिछोला मे स्नान कराया।" यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि चाड के इस कथन मे कितना सत्याश है। यदि इसे पूण सत्य मान लिया जाय तब निश्चित रूप से समस्त वर्तमान राजस्थान पर जोधा का प्रभाव स्थापित था। किन्तु यह कथन बहुत बड़ा-चड़ा कर लिखा गया है।

महाराणा कुम्भा के पुत्र ऊदा ने पिता की हत्या के पश्चात जोधा को अजमेर व साभर इसलिये दिये कि जोधा उसे चित्तोड का स्वामी मान ले। ऊदा का विश्वास था कि जोधा की मान्यता मिल जाने से अन्य क्षेत्रो से विरोध की सम्भावना नहीं रहेगी। इसी कारण जोधा की स्वीकृति का मूल्य उसने अजमेर व साभर के रूप मे चुकाया। निसन्देह इस समय जोधा की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी व कुम्भा की मृत्यु के पश्चात सभी राजपूत शासको की तुलना मे वह सबसे अधिक शक्तिशाली, बडे साम्राज्य का स्वामी और नीति निपुण शासक था।

जोधा के शासन की एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण घटना उसकी साखली रानी नौरगदे से उत्पन्न पुत्र बीका द्वारा बीकानेर की स्थापना थी।

जोधा के शासन मे ही मारवाड मे सामन्त प्रथा की दृढ रूप से स्थापना हुई। उमने अपने सम्बन्धियो की सहायता से ही विशाल साम्राज्य निमित्त किया था। आवागमन के सीमित साधनो के कारण इतने विस्तृत साम्राज्य पर एक केन्द्र से शासन करना सम्भव न था। साथ ही कठिन परिस्थितियो मे सहायता करने वाले सहयोगियो को भी पुरस्ठन करना आवश्यक था। अत जोधा ने अपने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रा पर शासन करने हेतु अपने भाइया व पुत्रो की नियुक्तिया की।

प्लाई

चापा

डूंगा

माण्डत

कण

अधराज

पुत्र

सातल

चीका

चीदा

भारमल

दूदा

वरमसी

क्षेत्र

गापरडा + बनाड

भाद्राजूरण

साण्डराव

तूणावास

वगडी

फोकरण + फलोदी

वीकानेर

छापर द्रोणमुख

बोलाडा

मेडता

आसोप

जोधा धार्मिक प्रकृति का द्यवित था। अपने पिता रणमल के अवशेषों को गंगाजी पहुँचाने वाले च दान चारण को उमने एक गाव दान दिया था। उसने स्वयं प्रयाग व गया की तीर्थ यात्राएँ की थी व इन स्थानों पर लगने वाले करों को समाप्त करवाने हेतु प्रयत्न किये थे।

इस प्रकार जोधा न केवल राठीड सत्ता का धास्तविक सस्थापक ही था बल्कि उमने मारवाड की सीमाओं एष उमके गौरव में भी अभूतपूर्व वृद्धि की।

जोधा के पश्चात् सातल, सूजा, गागा तथा मालदेव सिंहासनाहूट हुए। मालदेव के समय (1532-1572 ई) मारवाड की सीमा और गौरव में वृद्धि हुई। जहर के चारों ओर 9 फीट चौड़े व 32 फीट ऊँचे परकोटे का निर्माण मालदेव द्वारा ही करवाया गया। परकोटे के बीच-बीच में सात जगो दरवाजे बनवाये। इनमें से पाँच दरवाजों के नाम मालदेव द्वारा विजित प्रदेशों के नाम के आधार पर रखे गये। किले पर खड़े होकर नागौर की दिशा में नागौरी गेट, मेडता की ओर मेडती गेट, तथा मिवाणा की ओर सिवाची गेट का निर्माण करवाया। शेष दो का नाम चंद्रमा व सूर्य के आधार पर चादपोल तथा सूरजपोल रखा। मालदेव की सैनिक शक्ति की इतनी घोस जमी हुई थी कि शेरशाह द्वारा पराजित मुगल बादशाह हुमायूँ मालदेव की शरण हेतु मारवाड की ओर आ पहुँचा। मालदेव द्वारा हुमायूँ को आश्रय देने सम्बन्धी समाचारों से क्रुद्ध शेरशाह को बीकानेर के कल्याणमल और मेडता के वीरम ने और अधिक भडकाया। शेरशाह ने मारवाड पर चढ़ाई कर दी। दोनों फौजे आमने सामने पड़ी थी तब ऐसा कुचक्र चलाया गया कि विश्वासघात की आशंका से मालदेव युद्ध क्षेत्र से निकल गया। स्वामीभक्ति का साक्ष्य प्रस्तुत करने

के उद्देश्य में जता का कृपा के नेतृत्व में मारवाड़ की सेना ने ऐसा युद्ध किया कि विजयी होने के पश्चात् भी शेरशाह को यह कहने के लिये विवश होना पड़ा 'मुट्टी पर याजरे के लिये दिल्ली की सल्तनत खी बैठता।' दिल्ली के मुल्तानो से भिडन्त के समान ही पारम्परिक चर्चाओं में मालदेव की 'रूठी रानी' ऊमादे भटियाणी तथा दामी भारमली से सम्बन्धित बातें विशेष उल्लेखनीय हैं। मालदेव का पुत्र चन्द्रसेन महाराणा प्रताप के समकक्ष स्वतन्त्रता का पुजारी। चन्द्रसेन जीवन भर सिवाणा के पहाड़ी क्षेत्र में अकबरी फौजों से भिडता रहा। सीहा में चन्द्रसेन तक 'राव' कहलाने वाले राठौड़ शासक उदयसिंह के समय 'राजा कहलाने लगे। उदयसिंह व गजसिंह ने मुगली मसबदार के रूप में दक्षिण भारत के युद्धों में बहुत यश अर्जित किया। गजसिंह के दोनों पुत्रों - अमरसिंह व जसवन्तसिंह-ने मारवाड़ के गौरव में वृद्धि की। अमरसिंह राजस्थान की आन-वान के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शाहजहा की बीमारी के समय मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवन्त सिंह ने दारा का समर्थन कर मालवा में धरमत नामक स्थान पर युद्ध किया। इस युद्ध में पराजित जसवन्तसिंह के साथ उसकी हाडी रानी द्वारा किये गये व्यवहार के अनेक किस्में आज तक मारवाड़ में प्रचलित हैं पर इनका कोई ठोस ऐतिहासिक आधार नहीं है। काबुल में जसवन्तसिंह ने मुगल सेनापति के रूप में पठान विद्रोहियों को दबाया। 28 नवम्बर 1678 को जमरूद में जसवन्तसिंह के स्वगवास के पश्चात् औरगजेब के कुचक्र में बालक राजकुमार अजीतसिंह और मारवाड़ राज्य की रक्षा स्वामीभक्त दुर्गादास ने अपनी व्यक्तिगत सूझ, वीरता और त्याग की भावना से की। आज तक मारवाड़ में दुर्गादास की स्वामीभक्ति के उदाहरण दिये जाते हैं। परवर्ती मुगली की निर्बलता के समय अजीतसिंह ने दिल्ली की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अजीतसिंह के उत्तराधिकारी अभयसिंह ने अहमदाबाद पर आक्रमण कर सरबुल-दखा को पराजित किया। अभयसिंह के भाई बख्तसिंह ने मराठों से जबरदस्त युद्ध किया। अभयसिंह के पुत्र रामसिंह तथा बख्तसिंह के बीच हुए उत्तराधिकारी युद्ध के कारण मारवाड़ में मराठों का प्रवेश हुआ। विजयसिंह के समय मराठा आतंक छाया रहा। मानसिंह के समय (1803-1843) स्वामी भक्तों को पुरस्कार मिले तो विरोधियों को विष पान करना पड़ा। मानसिंह स्वयं उच्च कोटि का कवि और विद्वानों का आश्रयदाता था। उदयपुर की राजकुमारी वृष्णाकुवरी से विवाह के प्रश्न पर जोधपुर जयपुर युद्ध, सामन्तीय पहयत्र, मीरता पिण्डारी के द्वारा लूट चसोट आदि कारणों से बाध्य होकर मानसिंह को अंग्रेजों से सन्धि करनी पड़ी।

आमेर के पच्छवाहों के आदि स्थान सम्बन्धी समस्या का अभी तक पूरा सामाधान तो नहीं हो सका है किन्तु सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि 12वीं शताब्दी में हुनहराय ग्वातियर से दौमा पहुँचा और उसने बटगूजरो को हराया। एक बार दौमा में पंर जम जाने पर उसने अपने समुगल पश (घोहन)

की सहायता से मीरानो को परास्त कर माची (आज का रामगढ़), खोह, भोटवाडा और गटोर पर विजय प्राप्त करली। उसके वंशज काकिलदेव ने मीरानो से आमेर छीन कर उसे राजधानी बनाया। ख्यातो मे इस वंश के मालसी, जिलदेव, रामदेव, कुतल, जणमी, उदयकरण, नृसिंह और चन्द्रसेन के नामो के उल्लेख मिलते हैं। चन्द्रसेन के पुत्र पृथ्वीराज ने महाराणा सागा के साथ खानवा मे बाबर से युद्ध किया था। पृथ्वीराज का विवाह बीकानेर के राव लूणकण की पुत्री बालाबाई से हुआ। पृथ्वीराज की विशेष कृपापात्र बालाबाई के प्रभाव से उसने अपने छोटे पुत्र पूरणमल को उत्तराधिकारी मनोनित कर दिया। 1533 ई मे पृथ्वीराज के ज्येष्ठ पुत्र भीमदेव ने पूरणमल को पराजित कर आमेर पर अधिकार कर लिया। गृह-कलह से उत्पन्न अव्यवस्था के कारण आमेर मे अफगानो मुगलो द्वारा हस्तक्षेप की सभावना बढ गई। भीमदेव का उत्तराधिकारी रतनसिंह अयोग्य था। अपनी एश्वयशाली प्रवृत्ति के कारण वह शेरशाह के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना न कर सका। फलत उसे अधीनता अंगीकार करनी पडा। अव्यवस्था का लाभ उठाकर रतनसिंह के काका सागा ने आमेर की काफी भूमि पर अधिकार कर मागानेर की स्थापना की। सागा के बाद उसके भाई भारमल ने सागा के काय दो और आगे बढ़ाया। भारमल के भडकाने पर आसकरण ने अपने भाई रतनसिंह को जहर दे दिया। 1547 ई मे सामतो का समथन प्राप्त कर भारमल ने आसकरण को गद्दी से उतारा और खुद आमेर का स्वामी बन गया। पचास वष की अवैध उम्र का भारमल राजनीतिक दाव पेच मे माहिर। चारो ओर मडराती मुसीबतो से जुटकारे के प्रयत्नो मे वह खजाजा साहब की जियारत हेतु आये हुए अकबर से मिला। मुगली राज की नींव पक्की करने के लिये अकबर का भी शक्तिशाली व विश्वासपात्र सहयोगियो की आवश्यकता थी। दोनो मे सम्बन्ध स्थापित हुआ जो उस समय दोनो के लिये ममान हितकर था। बाद मे अकबर का विश्वासपात्र बनकर भारमल न अनेक महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न किये। 1574 ई मे मृत्यु के समय भारमल का मनसब बढ़ते बढ़ते पचहजारी तक पहुच गया था। भारमल का उत्तराधिकारी भगवतदास बहुत योग्य सिद्ध हुआ। सात वष तक उसने कुशलता पूर्वक पजाब की सूबेदारी सभाली। 1589 मे भगवतदास का देहावसान होने पर मानसिंह ने आमेर की बागडोर सभाली। मानसिंह ने, आरम्भ मे अपने दादा भारमल के समय (1562-1574) अपने पिता भगवतदास के समय (1574-89) और फिर स्वयं आमेर के शासक के रूप मे लगभग 67 महत्वपूर्ण युद्धो में भाग लिया। उसने बगाल, बिहार और उडीसा मे मुगली साख जमाई और कई महत्वपूर्ण काय किये। मध्य कालीन एशिया के सर्वाधिक गौरवशाली शासक अकबर के योग्य सेनापति और नी रत्नो मे प्रमुख मानसिंह ने मुगल साम्राज्य की बहुमूल्य सेवा की। दुरसा, होलराय, अबूल फजल और तानसेन जसे कवियो-कलाकारो की सगत का प्रभाव मानसिंह पर भी पडा। कहा जाता है कि

एक फकीर कवि गग के पास जाकर रोने धोने लगा अन्त में गग ने एक हजार रुपये की हुडी मानसिंह के नाम की लिख कर फकीर को दे दी। मानसिंह ने सहर्ष हुडी सिकार कर कवि गग के पास उलाहना पहुँचाया कि बेचारे फकीर का दरिद्र दूर ही करना था तब इतनी छोटी राशि की हुडी क्योंकर भेजी। यह भी कहा जाता है कि मानसिंह के विश्वासपात्र कवि हापोजी के पास निज के एक सौ हाथी थे।

मानसिंह के पश्चात् भावसिंह आमेर का शासक बना। वह जहागीर का विशेष कृपा पात्र था किन्तु नशे की लत के कारण अधिक जीवित न रह सका। उसके पश्चात् मिर्जा राजा जयसिंह ने मराठों पर शाही नियंत्रण हेतु अनेक प्रयत्न किये किन्तु उस पर शिवाजी को आगरा से निकलने में महायत्न करने का आरोप लगा। बरहानपुर में मिर्जा राजा की मृत्यु के पश्चात् विशनसिंह आमेर का शासक बना। काबुल में उनकी मृत्यु होने पर सवाई जयसिंह उत्तराधिकारी बना। सूम्-बूम् तथा शूरमाई में अपने पूज्य जयसिंह से भी सवाया। दक्षिण के युद्ध में योग्यता बताने पर मालवा की सुबेदारी का अधिकार बना। सवाई जयसिंह का प्रताप शौर्य इतना बढ़ा चढ़ा था कि बादशाह मुअज्जम ने आमेर को खालसा घोषित किया। जयसिंह ने सैनिक बल से आमेर पर पुनः अधिकार कर लिया। समकालिन राजपूत नरेशों में जयसिंह की धाक थी। उसी के प्रयत्नों से 1734 ई. में भीलवाड़ा के पास गुलावपुरा से डेढ़ मील पर स्थित हुरडा नामक स्थान पर उदयपुर जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ इत्यादि के शासक मराठों के विरुद्ध संयुक्त प्रयत्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए थे। कला-साहित्य के संरक्षक जयसिंह ने 18 नवम्बर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना की। आमेर का दीवान-ए-खास, विजनाथजी मन्दिर, आनन्दकृष्णजी का मन्दिर, अयोध्या मथुरा और काशी में धर्मशालाएँ, जयपुर दिल्ली, उज्जैन व बनारस की वेधशालाएँ (जतर मतर) आज भी जयसिंह का यशगान करने के लिये विद्यमान हैं। उसके दरबार में देश-विदेश के साहित्यकारों, शिल्पियों, ज्योतिषियों, भगोल शास्त्रियों आदि का जमघट लगा हुआ था।

1743 ई. में सवाई जयसिंह के स्वर्गवास के साथ ही उसके बड़े पुत्र ईश्वरीसिंह और मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र माधोसिंह के बीच उत्तराधिकार का बखेड़ा छड़ा हुआ। इस गृह कलह ने जयपुर के उज्ज्वल इतिहास पर कालिख मल दी। जबरदस्त बर्बादी हुई। इस अवस्था का लाभ मराठों ने उठाया। प्रजा को भी अनेक अत्याचार सहन करने पड़े। ईश्वरीसिंह-माधोसिंह तो एक के बाद एक शासक बन गये किन्तु मानसिंह तथा सवाई जयसिंह के प्रयत्नों से विकसित राज्य को विपदाओं की छाई में घबेल दिया। प्रतापसिंह ने तुगा के युद्ध में मराठों से जोरदार टक्कर ली। हवा महल के रूप में जयपुर के स्थापत्य में सुन्दरतम अलंकरण जड़ा। कला-साहित्य की उन्नति के लिये भी प्रतापसिंह ने अनेक प्रयत्न किये। 1803 ई. में प्रतापसिंह के स्वर्गवास के पश्चात् उनमें उत्तराधिकारी जगतसिंह को अंग्रेजों का आश्रय लेने के लिये बाध्य होना पड़ा।

दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हाडोती क्षेत्र में स्थित कोटा वू दी के राज्यों ने भी राजस्थान के इतिहास को गौरवान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाडा चौहानों में पूव वहा मीणो का आधिपत्य था। वू दा मीणा के कारण वून्दी नाम पडा। भसरोडगढ के समीप ववावदे के नाडौल चौहान देवसिंह ने सब प्रथम 1242 ई के लगभग इम क्षेत्र में हाडा चौहानों का प्रभाव जमाया। मीणो से वून्दी, गजमल गौड से खटकड, मनुहरदास गोहिल से पाटन जसकरण दहिया से करवर व गंगोली तथा लाखेरी क्षेत्र जीत कर देवसिंह ने हाडा राज्य की नींव डाली। कनल जेम्स टॉड ने देवसिंह के एक चमत्कारी घोड़े तथा उसकी आन-वान वा आश्रय चकित कर देने वाला वर्णन किया है। टॉड के अनुसार देवसिंह ने दिल्ली के सुल्तानों से भी सघप किया। देव हाडा के समय चम्बल नदी वून्दी की सीमा थी। देव का उत्तराधिकारी ममरसिंह भी अपने पिता के स्तर का योद्धा था। नवीन क्षेत्र विजय करने के लिये उसने चम्बल नदी को पार कर अखेलगढ व मुकन्दरानाल के भीतों को पराजित कर इम क्षेत्र की देखभाल का कार्य अपने पुत्र जैतसिंह को सौंपा। कोटिया भील के नाम के कारण इस क्षेत्र का कोटा नामकरण हुआ। इसके पश्चात् कोटा की जागीर वू दी शासक के छोटे भाई को दी जाने लगी। सुरजन हाडा, शत्रु साल और रतन के समय वून्दी का निरन्तर विकास हुआ। कभी हाडे बनावटी दुर्ग की रक्षार्थ बट मरे तो कभी वून्दी राव युद्ध क्षेत्र से महाराणा कुम्भा की पगडी ले भागे। इसी प्रकार की शौर्य और बलिदान की कथाओं से वून्दी का इतिहास भरा पडा। 1624 ई में राव रतन के छोटे भाई माधोसिंह के समय कोटा एक स्वतंत्र राज्य बन गया। महाराव किशोरसिंह ने दक्षिण में मुगल साम्राज्य के विस्तार के समय महत्वपूर्ण कार्य किये। धरमत के युद्ध में भी कोटा राव ने उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान कीं। कानान्तर में कोटा-वून्दी में परस्पर विरोध तथा झगडे में दोनों राज्यों को हानि हुई। निरन्तर मराठों के आक्रमणों, उनके अत्याचारों और युद्धों के कारण हाडोती के इन राज्यों को भी अंग्रेजों का आश्रय लेना पडा।

जोधपुर शहर और दुर्ग के सस्थापक राव वीका के पुत्र वीका ने स्वयं की व्यक्तिगत योग्यता से जागल प्रदेश में एक नये राज्य की स्थापना की। वीका के नाम पर इस नवीन राज्य का नाम वीकानेर हुआ। यह भी कहा जाता है कि इस क्षेत्र के जाट नेता नरा और वीका के नामों को संयुक्त कर वीकानेर नामकरण किया गया। वीका ने पूगल के भाटियों, जागलू के साखलो, सिंघाणा के जोहियों, हिमार के पठानों व बलीचों को पराजित कर सिरसा, भटिंडा, भटनेर, नोहर तथा नागौर तक अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। 1504 ई में वीका के स्वर्गवास के समय वीकानेर चालीस हजार वर्गमील के क्षेत्र में विस्तृत था। इसमें लगभग तीन हजार गाव सम्मिलित थे। वीका का उत्तराधिकारी नरा बना किन्तु 13 जनवरी 1505 ई में अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई और उसका छोटा भाई लूणकरण शासक बना। लूणकरण योग्य शासक सिद्ध हुआ। उसने रुद्रवा और चायलवाड

जीते और जैसलमेर पर आक्रमण कर राव जैतसी को बुरी तरह पराजित किया। 21 मार्च 1526 को भाटी व जाहियों के घात से वह नारनोल के नवाब से युद्ध के समय मारा गया। लूणकरण दानी, प्रजा हित चाहने वाला व गुणजनों का सम्मान करने वाला शासक था। बीठू सूजा ने 'राव जैतमी रो छ'द' में उसे कल-युग का कण कह कर सम्बोधित किया। बीठू सूजा के वंशज से ज्ञात होता है कि लूणकरण के उत्तराधिकारी जैतसी ने मुगल शहजादे कामरान को पराजित किया। नये प्रदेश जीतने की लालसा से कामरान ने भटनेर (हनुमानगढ़) जीत कर बीकानेर पर आक्रमण किया। जैतमी ने श्रेष्ठ रण कौशल का प्रदर्शन किया। भोजराज रूनावन को बीकानेर की रक्षा का भार सौंप कर उसने चुने हुए वीरों के साथ शहजादे की सेना पर धावा बोल दिया। अचानक हुए आक्रमण से मुगल सेना हड़बड़ा कर भागने लगी। मुगलों से युद्ध के कारण थकी मादी जैतसी की सेना कुछ समय पश्चात मारवाड़ के राव मालदेव के आक्रमण का प्रहार न भेन सकी। जैतमी युद्ध में मारा गया। उसके पुत्र कल्याणमल ने शेरशाह के पास पहुंच कर उसे मालदेव पर चढाई करने के लिये उकसाया। इस आक्रमण के समय कल्याणमल ने अपना पैतृक राज्य पुन प्राप्त कर लिया। बाद में कल्याणमल ने अकबर से सम्पर्क स्थापित किया। कल्याणमल का पुत्र रायसिंह बीकानेर का सर्वाधिक योग्य शासक सिद्ध हुआ। मुगली मसबदार के रूप में उसने नागौर तथा जोधपुर राज्य का कायभार भी सभाला। काबुल, बलोचिस्तान और दक्षिण भारत में रायसिंह ने अद्भुत वीरता और साहस का प्रदर्शन किया। राजस्थान में सिरोही, जालोर, मेवाड़ और सिवाराणा के युद्धों में भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीकानेर का दुर्ग रायसिंह ने ही निर्मित करवाया तथा कई बवियों को लाख पसाव व क्रोड पसाव (विशेष सम्मान व पुरस्कार) प्रदान किये। इस शूरवीर का स्वर्गवास दक्षिण में बुरहानपुर में 1612 ई में हुआ। रायसिंह के भाई पृथ्वीराज ने 'बेलि किसन हकमणी री' की रचना की। रायसिंह के पुत्रों-सूरसिंह-दलपतसिंह में मनोमालि य रहता था। जहांगीर ने आरम्भ में दलपत के टीका किया लेकिन बादमें नाराज हो गया तब बीकानेर के सरदारों ने ही उसे कैद करवा दिया और सूरसिंह बीकानेर का शासक बना। सूरसिंह के उत्तराधिकारी कर्णसिंह (1631-1669) ने अटक नदी के पार जाने से मना करने वाले नरेशों का नेतृत्व किया और 'जय जगलधर बादशाह' कहलाया। उसके बाद अर्णसिंह (1669 (1698) शासन बना। वह विद्या अनुगामी था और विद्वानों को उचित मान सम्मान देकर उमन यश अर्जित किया। अर्णसिंह ने दक्षिण में बीजापुर, गोलकुण्डा और मराठा के विरुद्ध युद्ध में योग्यता सिद्ध कर 'माही मुगतिव' का सम्मान प्राप्त किया। अर्णसिंह के पश्चात स्वर्णसिंह सुजानसिंह व जोरानरसिंह शासन बने। सुजानसिंह के समय बीकानेर पर जोधपुर के अर्जोतसिंह और नागौर के बखतसिंह के आक्रमण हुए। जोरानरसिंह के समय मारवाड़ के अभयसिंह का आक्रमण हुआ पर इस समय सवाई जयसिंह ने बीकानेर की सहायता की। बाद में राज्य

प्राप्ति हेतु पडयत्र व कुचत्र, भाटियो द्वारा लूट, जनानी द्योढी का राजनीति म अनुचित हस्तक्षेप और इसी प्रकार के आन्तरिक कलह का दौर आरम्भ हो गया। यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान के अधिकांश राज्यों ने मराठों की लूट व अत्याचारों से आतंकित होकर पेरामाउण्ट पावर का आश्रय लिया था किन्तु बीकानेर को आन्तरिक कलह और पडयत्रों से ग्रस्त होने पर अंग्रेजों से सन्धिया करनी पड़ी।

राजस्थान में जाटों के प्रमुख राज्य भरतपुर की स्थापना ब्रिज के योग्य पुत्र चूडामण द्वारा की गई। सूरजमल के समय भरतपुर का बहुत विकास हुआ। सूरजमल का प्रभाव इतना बढ़ गया कि उसने पंजाब के जाटों के सहयोग से दिल्ली पर आक्रमण की योजना बनाई। उसके उत्तराधिकारी ने होल्कर को हराया और धोलपुर पर अधिकार स्थापित किया। 1805 ई में जाट शूरमाओं ने एक बार तो अंग्रेजों के छत्के टुड़ा दिये। राजस्थान के अधिकांश रजवाड़ों ने अंग्रेजों की मित्रता स्वीकार करली तब 1826 में भरतपुर ने भी अंग्रेजों से हाथ मिला लिया।

- उपरोक्त राज्यों के साथ ही सिरोही, डूंगरपुर, जैसलमेर, अलवर, वामवाडा, शेखावाटी, भालावाड, करौली तथा शाहपुरा ने भी राजस्थान के इतिहास को गौरवशाली बनाने में योग दिया। टॉड ने लिखा है कि राजस्थान के प्रत्येक स्थान पर धर्मोपाली जैसे युद्ध और लियोनीडाज के समान योद्ध हुए।

- इस प्रकार मध्यकाल में राजस्थान आग-बान वाला क्षेत्र रहा। यहाँ के शूरमाओं ने शीघ्र और बलिदान के नये नये कीर्तिमान स्थापित किए। आक्रमणकारी राजस्थान की ओर आने से बचते थे। इसलिए यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि ऐसी बलिदानी प्रकृति वाले राजस्थान ने अंग्रेजों का आश्रय क्यों लिया? इस प्रश्न का उत्तर तत्कालीन परिस्थितियों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है। अठारवी शताब्दी के अन्तिम छौर तथा उन्नीसवी के आरम्भिक वर्षों में राजस्थान में ऐसी उठक-पटक मची कि यहाँ के राजा-राणा हड़बड़ा कर अंग्रेजों की गोद में जा बैठे। औरजैव के पश्चात् मुगल शासक निबल होते गये। राजस्थान पर भी मुगलों की निबलना का प्रभाव पडा। सर यदुनाथ सरकार ने लिखा "समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायबघर बन गया जिम्के पिजरो के न तो - कहीं दरवाजे ही थे और न ही पहरेदार।" मराठों के निरन्तर आक्रमण और जुल्म बढ़ने लगे। उस समय यहाँ उत्तराधिकार के युद्ध बहुत अधिक हुए। कभी एक पक्ष मराठों को अपने समर्थन में बुला लाया तो कभी दूसरे पक्ष ने पिण्डारियों का आश्रय लिया। मराठों की लगातार लूट से अधिकांश रजवाड़ों के कोप रिक्त हो गये। राज्य कोप की रिक्तता ने सैनिक दुबलता को जन्म दिया। इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर सामंत भी स्वैच्छाचारी होने लगे। इस प्रकार की विपदाओं से घिरे राजाओं ने अंग्रेजों के आश्रय को घय भाग्य माना। 1818 ई तक अधिकांश रजवाड़ों के अंग्रेजों से करारनामे हो गये।

अंग्रेजों से सन्धिघटा होने पर विश्रुत खलित राजस्थान में एक बार तो व्यवस्था स्थापित हो गई। अगले चालीस वर्षों में लगभग सभी विपत्तियाँ दूर हो गईं। कुछ तो 1761 में तृतीय पानीपत युद्ध में अहमदशाह अब्दाली ने मराठा शक्ति का कुचल दिया और कुछ रही सही कसर अंग्रेजों ने निवाल दी। इस प्रकार कुचले जाने पर मराठों राजस्थान पर आक्रमण करने योग्य नहीं रह गये। उत्तराखिात के युद्ध भी समाप्त हो गये। अंग्रेज जिसके पक्षधर बनते उनका शासन पर अधिकार निश्चित। अंग्रेजों से सन्धिघटों के पूर्व रजवाड़ों के बीच छोटी छोटी चात्ता के लेकर होने वाले युद्ध भी रुक गये। सन्धिघटों के अनुसार अंग्रेजों के मित्रों के बीच सौहार्द बना रहना आवश्यक था। सामंती का प्रभाव भी घीसा पड़ गया। इस प्रकार सन्धिघटा से पूर्व की लगभग सभी समस्याओं का समाधान हो गया। अब प्रश्न यह सामंती कि यदि सन्धिघटों के इतने सुपरिणाम हुए तब राजस्थान में 1857 में अंग्रेजों विरोधी क्रांति की अग्नि क्यों प्रज्वलित हुई।

कठिन भौगोलिक दशाओं के कारण राजस्थान के लोग अन्य क्षेत्रों से घनग-थलग रहे और उनमें स्वतंत्र प्रवृत्ति का विकास हुआ। बाकीदास, सूपमल मिश्रण, महाराजा मानसिंह, आढा जवानजी, चारहूट दुर्गादत्तजी, आढा जादूरामजी, आसिया बुधजी, तिलोकदानजी, आढा चिमनजी, तिलोकदानजी, दध्याडिया गोपालदानजी, लालम नवलजी, शकरदार सामीर आदि साहित्यकारों ने अंग्रेजों का विरोध करने में अपनी कलम की कारीगरी दिखाई। इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं से जनता व राजाओं के मन में अंग्रेज विरोधी भावनाएँ उत्पन्न कर क्रांति का माग प्रशस्त किया। क्रांति जैसा महत्वपूर्ण कार्य साधारण जनता के सहयोग के अभाव में कभी सफलतापूर्वक सम्पन्न नहीं किया जा सकता। राजस्थान में 1857 की क्रांति से पूर्व यहाँ के लोगों के मन टटोलने से ज्ञात होता है कि आम आदमी ने भी अंग्रेजों सत्ता का विरोध करने के लिये कसर कम रखी थी। लोगों की मन की थाह उस समय प्रचलित अनेक अंग्रेज विरोधी लोक गीतों से मिलती है। लोग अंग्रेजों से इतनी घृणा करते थे कि उन्होंने डूंगरी-जवाहरजी जैसे डाँकों की लोक गीतों में केवल इसलिए प्रशंसा की कि उन दोनों ने अंग्रेजों की छावनी को लूटा था। बीकानेर के महाराजा रतनसिंह की गीतों में इसलिये प्रशंसा की गई कि उसने जवाहरसिंह का अंग्रेजों को सोपने से दृढ़तापूर्वक मना कर दिया। जोधपुर के तखतसिंह की आलोचना का कारण केवल यह था कि उसने डूंगरी का अंग्रेजों को सोप दिया। राजस्थान के लोग प्रारम्भ से ही परम्परावादी रहे। धर्म की खतरे का आभास हो जाने पर वे सर्वस्व न्योछावर करने के लिये तत्पर हो जाते। 1857 से पूर्व अंग्रेज, डच और फ्रांसिसियों ने राजस्थान सहित समस्त भारत में ईसाहित्य का प्रचार करना आरम्भ कर दिया था। अंग्रेजी स्कूलों, अस्पतालों और अनाथालयों की स्थापना होने लग गई थी। अकाल की चपेट में घिरे लोगों की सहायता के अर्थ वस्तु व आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर पादरियों ने धर्म परिवर्तन का जाल फैलाना आरम्भ कर दिया था। इस प्रकार ईसाहित्य के प्रचार

से ग्राम आदमी रुष्ट हो गया। सती प्रथा को समाप्त करने के प्रयत्नों का भी विपरीत प्रभाव पड़ा। परम्परागत रीति रिवाजों पर प्रहार से रूढ़ीवादी लोग अंग्रेज विरोधी बन गये। जनता के विरोध ने स्वतन्त्रता सेनानियों को आवश्यक प्रेरणा और बल प्रदान किया।

राजाओं के अंग्रेजों से मन्धियों के कारण मामलों की स्थिति विगड़ गई। मामलों के अनेक परम्परागत अधिकार समाप्त हो गये। सभी वर्गों के सामन्त अंग्रेजों शासन के विराधी थे और उसकी समाप्ति हेतु प्रयत्नशील थे। अउवा, आसोप, गूलर, आलणियावास, लाम्बिया बाटा, भीवालिया, राडावास, बाजावास, खेजडला सन्वर, रूपनगर, लासाणी तथा आसीद के ठाकुरों ने राजस्थान में 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के समय प्रमुख भूमिका निभाई थी। सामन्तों की भाँति कई राजा भी अंग्रेजों का विरोध करने लगे थे। अंग्रेजों से सन्धिया की तब उनके मन में पिण्डारियों, मराठों और सामन्तों का डर बँठा हुआ था। अंग्रेजों ने भी इन राजाओं को समझा-बुझा कर मन्धियों के लिये तैयार किया था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने मित्रता का चोला उतार फेंका और स्वामी की तरह व्यवहार करने लगे। दैनिक कार्यों में बढना हुआ हस्तक्षेप राजाओं को खटकने लगा। जोधपुर के महाराजा मानसिंह जैसे कई राजा अंग्रेजों से घृणा करने लगे। भरतपुर, कोटा, अलवर इत्यादि में उत्तराधिकार के झगड़ों में ब्रिटिश हस्तक्षेप भी राजाओं को बुरा लगा। अनेक राज्यों के परम्परागत क्षेत्रों को ब्रिटिश राज्य में मिलाया जाना भी राजाओं के विरोध का कारण बना। योग्य शासक यह भी समझ गये कि अंग्रेज उनके राज्य का आर्थिक शोषण कर रहे थे। अपनी जनता और सामन्तों के अंग्रेज विरोधी व्यवहार से भी शासकगण प्रेरित प्रोत्साहित हुए। तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि राजाओं के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा होते हुए भी उन्होंने 1857 की क्रांति में सक्रिय भाग नहीं लिया। इसका प्रथम कारण तो यह था कि राजाओं पर अंग्रेजों की जबरदस्त धाक जमी हुई थी। फिर राजा क्रांति की व्यापकता का अनुमान नहीं लगा सके। उन्हें इस बात का आभास तक नहीं था कि ममूचे तेश में क्रांति की आग लग चुकी है। क्रांति के नेताओं ने राजाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिये कुछ भी प्रयत्न नहीं किये। कारण कुछ भी रहे हों यह निश्चित है कि यदि सभी अपने फौज बल सहित आजादी की इस लड़ाई में सम्मिलित हो जाते तो अंग्रेजों की ऐसी दुर्गति होती कि उनके सामाचार लन्दन पहुँचाने वाला भी जीवित न बच पाता।

ब्रिटिश फौज के देशी सिपाहियों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जाता था उससे राजस्थान की छावणियों में स्थित देशी सैनिकों के मन में भी आग-सगी हुई थी। साधू-फकीर वेप में दिल्ली के सैनिक राजस्थान पहुँचे और गाय-सुधर की चर्चों वाले कारवसों की सूचना यहाँ के फौजियों को बीच पहुँचा दी। राजस्थान

की छावणियों में एक यह बात भी रग लाई कि फौजियों को जो आटा मलाई हाता है उसमें मनुष्य की हड्डिया पीस कर मिलाई जाती है।

इस प्रकार राजस्थान की जनता, मामत, राजा, साहित्यकार और देशी सैनिक सभी 1857 की क्रांति के समान भागीदार थे।

आबू में आराम करते हुए ए जी जी लारेम के पास 19 मई 1857 का मेमो की तान्ति के समाचार पहुंचे तो एक पत्र तो वह सबकपा गये। अपनी आर से सुरक्षा के उपायों पर विचार कर राजाओं को पत्र लिखे कि वे वागियों को अपनी सोमा में प्रवेश न करने दें।

घबराहट में ए जी जी साहब अजमेर की स्थिति पर विचार करने लगे। राज्य का सारा कोप और शस्त्र अजमेर में ही थे। राजस्थान में अंग्रेज सत्ता का केन्द्र अजमेर ही था अत यदि अजमेर में ही बखेडा हो गया तो कुछ भी उपाय न हो सकेगा। साहब की बोखलाहट का विशेष कारण यह था कि अजमेर की सुरक्षा के लिये पन्द्रहवीं नेटिव इन्फे ट्री की जो टुकडिया नियुक्त थी वे हाल ही में मेरठ से स्थान्तरित होकर अजमेर पहुंची थी। इस प्रकार एक तो राजस्थान में पहले ही अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना विद्यमान थी और और फिर मेरठ में तान्ति के ममाचार मिल गये तब बेचारे साहब का घबराना स्वभाविक ही था। हडबडाहट में साहब ने अजमेर की सुरक्षा के प्रथम उपाय के रूप में 15 वीं नेटिव इन्फे ट्री को दोनो टुकडियों को अजमेर से हटा कर नमीरावाद भेज दी जहां इम इन्फे ट्री के शेष सैनिक तैनात थे। इससे भी घबराहट दूर नहीं हुई तो छावनी में तापें लगवाकर अथ पनटनों के वफादार सैनिकों को मोर्चों पर नियुक्त कर दिया। साहब की अजमेर की सुरक्षा की गई व्यवस्था ने ब्रिटिश राज्य को आफत में डाल दिया। 15 वीं नेटिव इन्फे ट्री के सैनिक कोधित हो गये। बटनावरमिह नामक सैनिक ने अंग्रेज अफसर प्रिचाड के पाम जाकर पूछा कि "क्या यह सत्य है कि यहां यूरोपियनों को एक फौज बुलाई गई है।" 28 मई 1857 को मुशी भीर बाबर अली ने प्रिचाड को बताया कि सभी फौजी इस बात से क्रोध हैं कि उन्हें जो आटा दिया जाता है उसमें हड्डिया मिला दी जाती है। प्रिचाड कोई सत्तोपजनक उत्तर न दे सका किंतु उसने ब्रिगेडियर के पास रिपोर्ट भेज कर आवश्यक कायवाही का आश्वासन दिया। दुपहर दो बजे प्रिचाड भोजन करने के पश्चात हाथ साफ कर रहा था कि तोप टूटने की तेज आवाज से उसके कानों के पर्दे भना उठे। घर से बाहर देखने पर उसे जबरदस्त भगदड मची हुई दिखाई दी। पन्द्रहवीं नेटिव इन्फे ट्री के सैनिकों ने तोपखानों पर अधिकार कर लिया। पहले घुडसेना और बाद में अथ सैनिकों को तोपखाने की ओर बढने के आदेश दिये गये किंतु किसी ने इन आदेशों की अनुपालना नहीं की। तोपखाने में लगातार गोले दागे जा रहे थे। स्पेडिसवुड नामक एक मेजर तोपखाने की ओर बढ़ा किंतु चार बंदम बढ़ाते ही

एक दनदनाती गोली ने उसका भेजा बिखेर दिया। कर्नल न्यूवरी के भी टुकड़े कर दिये गये। छावनी के कनल सहित अनेक अग्रेज अफसर घायल हुए। घबराये हुए अग्रेज अफसर अत्यन्त ही कठिनाई से स्त्रियो व बच्चो को साथ लेकर छावनी से निकल सके। यह अदेशा था कि छावनी के विद्रोही सैनिक अजमेर की ओर बढ़े। अतः छावनी से भगोड़े अग्रेजो ने ब्यावर की राह पकडी। छावनी के विद्रोही इच्छानुसार क्रोध प्रकट करने लगे। चर्च और अग्रेज अफसरों के वगलो को आग लगा दी। माल असबाब बच्चे किया और कपडो व अन्य सामान को मैदान में एकत्रित कर दिया। छावनी को तहस नहस कर यह सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हुए। यहा यह तथ्य उल्लेखनीय है कि यह केवल असन्तुष्ट सैनिकों का बखेडा अथवा कोई आकस्मिक घटना नहीं थी बल्कि पूर्ण नियोजित विचार विमर्श के अनुसार अग्रेजी साम्राज्य को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से की गई क्रान्ति थी। सब प्रथम तो इस क्रान्ति में सभी धर्म सम्प्रदाय के लोग सम्मिलित थे। फिर यदि छावनी टूटने के पश्चात् यह सैनिक लूट के माल सहित अपने घर की ओर चले जाते तब तो बान अलग होती। किन्तु सब ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और भाग में लडते-भिडते दिल्ली पहुच गये। वहा पहुच कर दिल्ली का घेरा डाली हुई एक अग्रेज पलटन पर टूट पडे। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि यह क्रान्तिकारी भारत भूमि को अग्रेजी दासता से मुक्त करना चाहते थे। यह लोग दिल्ली के अग्रेज विरोधी बादशाह जफर की सहायताय दिल्ली पहुचे थे। एक बहुत बटकने वाली बात यह है कि अग्रेज तो अजमेर की सुरक्षा के लिये बहुत ही चिन्तित थे और नसीराबाद के क्रान्तिकारी सैनिकों ने अजमेर की ओर देखा तक नहीं। जाते समय यदि अजमेर पर घावा बोल देते तो राजस्थान में अग्रेजी शासन की कमर ही टूट जाती। उदयपुर में पालिटिकल एजेंट सावर्स ने लिखा कि दिल्ली के विद्रोहियों ने इन्हे दिल्ली पहुचने का निमन्त्रण दिया था। यही कारण है कि नसीराबाद के सैनिक अघ्रातिशिघ्र दिल्ली पहुचने के लिए आतुर थे। इनके दिल्ली पहुचने की आतुरता की जानकारी इस तथ्य से भी होती है कि शीघ्र दिल्ली पहुचने की धुन में अनेकों ने लूटे माल को भाग में ही फेंक दिया। भार कम कर जल्दी पहुचने के उद्देश्य से ही लूट का माल फेंका गया था।

नसीराबाद के पश्चात् नीमच में क्रान्ति की ज्वाला ने अग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाई। नीमच की छावनी नसीराबाद से 20 मील की दूरी पर स्थित थी। वहा मेरठ से समाचार पहुचने से पहले ही भयभीत कनल ओबार्ट को नसीराबाद में क्रान्ति की सूचना मिलने पर आतंकित हो गया। देशी सिपाईयो को एकत्र कर अनुनय विनय करने लगा। उसने बाईबल पर हाथ रख कर सौगंध खाई कि वह देशी सैनिकों पर पूर्ण विश्वास करता रहेगा फिर कुरान तथा गगाजल की शपथ दिलवाकर देशी सैनिकों से आश्वासन लिया कि वे ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार

वसे रहगे । 2 जून को घुड़गार मोहम्मद अली बेग ने जर्नल श्रीवाक के सम्मुख जाकर कहा 'अंग्रेजों ने मौग घ वच निभाई । क्या अवध में आप जरूरदस्ती नहीं धुसे । फिर केवल हिन्दुस्तानी ही मौग घ पर क्यों अट्टे रहें ?' उस समय तो अंग्रेज ने जमे जैसे लल्लु चप्पु कर मोहम्मद अली का हात बर दिया । किन्तु अंग्रेज दिन प्रात ही नसीरगढ़ की प्राति के गमाचार नीमच पहुँच गये । दिन के ग्यारह बजते बजते छावनी में भचाभच मच गई । मंगिहो न नोपमाने पर प्रधिवार जमाया श्रीर छावनी को आग लगा दी । अंधिा मंगिकों ने एक अग्रज गाजेट क बच्चे को आग में फेंक दिया । छावनी के लगभग चालीस अंग्रेज जान बचा कर मेवाड की ओर भागे । छावनी के बन्दियों को मुक्त कर, राजाना लूटा और छावनी को आग लगाने के पश्चात् इन देशी सैनिकों ने भगोड़े अंग्रेजों का पीछा किया । डूगला नामक गाव पहुँचने पर इन भागते हुए अंग्रेजों को कप्तान साहब और बल्लार सिंह के नेतृत्व में मेवाडी फौज का सरक्षण मिला तब इनकी जान बची ।

नीमच के फौजी सूवेदार गुरेमराम को बमाण्डर, सूवेदार सूदेरीसिंह को ब्रिगेडियर और जमादार दोस्त मोहम्मद को मेजर नियुक्त कर वण्ड-वाजों के साथ खाना हुए । चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़ और बनेडा के सरकारी बगलों को लूट कर आग लगाते हुए शाहपुरा, निम्बाहेडा होते हुए देवली पहुँचे । देवली में भी छावनी थी जहाँ के अंग्रेज तो पहले ही भाग गये और देशी सैनिक नीमच के इन सैनिकों के साथ मिल गये । यहाँ से यह लोग टोक पहुँचे जहाँ जनता ने इनका स्वागत किया । यही कोटा से आए हुए अनेक सैनिक भी इनके साथ हो लिये । टोक के नबाब के अनेक प्रयत्न करने पर भी वह असफल रहा और उसकी फौज के अनेक सैनिक भी नीमच के इन क्रांतिकारियों के साथ मिल गये । टोक से यह सम्मिलित सेना दिल्ली पहुँची और वहाँ अंग्रेजों से युद्ध करने वाली एक बड़ी सेना की सहायता में जुट गई ।

1836 ई में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन नामक एक फौज बनाई । मारवाड में 1857 की क्रांति का इस फौज में धनिष्ठ सम्बन्ध है । 18 अगस्त को जोधपुर लीजियन की एक डुकड़ी रीवा ठाकुर के बखेडे के समाधान हेतु आबू की जड़ों में बसे हुए गाव प्रनादरा पहुँची । 21 अगस्त को रात्रि को लगभग पचास फौजी प्रनादरा में माउन्ट आबू चढ़े । प्रात लगभग सवा तीन बजे कोहरे से छाई हुई धुँध के बीच यूरोपियन सौजरो की बंदियों तथा जोधपुर लीजियन के कप्तान हाल साहब के बगले पर गोल्या बरसने लगी । हाल साहब के बगले में ए जी जी का पुत्र ए लारेंस भी घायल हुआ ।

यद्यपि आबू में टुट-पुट वारदात ही हुई किन्तु इसकी सूचना जोधपुर लीजियन के प्रमुख वेन्द्र ऐरनपुरा पहुँचने पर तो गजब हो गया । 22 अगस्त को ऐरनपुरा में भी क्रांति का विगुल बज गया और उसी दिन आबू में गोलिया उरमाने वाले

सैनिक भी ऐरनपुरा आ पहुँचे । क्रोधित सैनिकों ने छावनी और स्टेशन को लूट लिया तथा महरवानसिंह को अपना जनरल नियुक्त कर अजमेर की तरफ रवाना हो गये । थोड़ी दूर जाने पर इन्हें समाचार मिला कि किलेदार अनाडसिंह के नेतृत्व में आई जोधपुर के महाराजा तख्तसिंह की एक फौज पाली में डेरा डाले हुए है । इस सूचना पर ऐरनपुरा के सैनिकों ने खेरवा का माग पकड़ा और अउवा के पास एक गाँव में पहुँच कर डेरा डाला ।

अउवा ठाकुर खुशालसिंह चापावत के महाराजा तख्तसिंह के अनवरत । ठाकुर अग्नेजो को भगडे का कारण मानकर उसे धृणा करता था । यह बात गाँव की चौपालो में आज तक प्रसिद्ध है कि खुशालसिंह दस सिर और चौपन हाथो वाली अपनी कुलदेवी मुगाली माता की मूर्ति के सम्मुख पूजा हेतु बैठा था तब उसे ऐरनपुरा के सैनिकों के आगमन की सूचना मिली । तुरन्त सामने जाकर ठाकुर इन सैनिकों को गढ़ में ले आया । ठाकुर के चाकरों ने समझा कि देवीमा का आदेश होने पर ही ठाकुर क्रांतिकारियों का स्वागत कर रहा है । आगे से आगे खुमर-पुसर होते-होते यह बात चौपालो तक पहुँच गई । आसोप के ठा. विशनसिंह और आलखिया-वाम ठा. अजीतसिंह भी अपनी-अपनी सेनाओं सहित अउवा आ पहुँचे । इनके अतिरिक्त लाम्बिया, वाटा, भीवालिया, राडावास तथा बाजावास के ठाकुर भी खुशालसिंह के समर्थक थे । खेजडला तथा मेवाड के सलूमवर, रूपनगर लासाणी तथा आसीद के ठिकानों की फौजे भी अउवा पहुँच गई । एक हजार सैनिक तथा छ सौ घुडमवार ऐरनपुरा से आए ही थे । सब मिलाकर छ हजार के लगभग सैनिक सट्या हो गई ।

किलेदार अनाडसिंह के नेतृत्व में आई हुई जोधपुर महाराजा की सेना के साथ ए.जी.जी. का खास मर्जीदान ले हीथकोट भी था । आरम्भ में छोटी-छोटी मुठ-भेड़ों के पश्चात् विथौरा नामक गाँव के निकट बड़ी लड़ाई हुई । अउवा ठाकुर तथा ऐरनपुरा के क्रांतिकारियों ने इतना भयकर युद्ध किया कि जोधपुर की सेना पस्त होने लगी । कुशलराज सिधवी तथा मेहता विजयसिंह युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए । कठिनाई से हीथकोट अपनी जान बचा सका । अनाडसिंह तथा उसके साथ दरवार की फौज के छोड़कर सैनिक मारे गये । शेष फौज के पैर उखड़ गए तथा युद्ध क्षेत्र से भाग गई । दरवार की फौज का सामान खुशालसिंह तथा उसके सहयोगियों ने लूट लिया ।

अनाडसिंह की मृत्यु और अपनी सेना की पराजय के समाचार से महाराजा तख्तसिंह बहुत दुःखी हुए । सुबह तथा साय दो बार दुःख में प्रतिदिन बजने वाली नौपत को केवल एक बार बजवा कर महाराजा ने अपना दुःख प्रकट किया । ए.जी.जी. लारेंस तो क्रांतिकारियों की सैनिक मफलता की सूचना से बावला हो उठा । उसने तुरन्त व्यावर से सेना साथ लेकर आउवा की ओर प्रस्थान

कर दिया। जोधपुर से पानिटिकल एजेन्ट केप्टिन मेक मैसन भी ए जी जी की सहायतार्थ पहुंचा। 18 सितम्बर, 1857 को पुन भयकर युद्ध छिड़ा। ए जी जी की मेना बुरी तरह पराजित हुई। अंग्रेजी सरकार पर जोरदार बलक यह लगा कि मेक मैसन कातिकारियों के हाथ पड़ गया। वेचारे मेक मैसन को मारकर उसकी लाश को अउवा गढ़ के मुख्य द्वार के सामने एक वृक्ष पर लटवा दी। हताश ए जी जी को अजमेर लौटना पड़ा। वेचारे मेक मैसन के व्यथ ही जान गवाई। जनता के भय से महाराजा उसकी मृत्यु के शोक में नौपत बजवाना भी बन्द न करा सके।

अउवा के आजादी के आगीवानों का सम्पर्क दिल्ली से था और मारवाड़ की जनता की सद्भावना उनसे साथ थी। गत दो वर्षों से खुशालसिंह का सहयोगी सिमरपसिंह मारवाड़-मेवाड़ के जमींदारों में एकता स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील था। एकजुट होकर मारवाड़-मेवाड़ से अंग्रेजों का सफाया करने की ठान रखी थी।

10 अक्टूबर को जोधपुर लीजियन के फौजी और खुशालसिंह के कई सहयोगी ठाकुरों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली की ओर प्रस्थान करने का कारण यह था कि यह लोग बहादुरशाह जफर का फरमान प्राप्त कर उसकी सैनिक सहायता से मारवाड़ तथा मेवाड़ को अंग्रेजी आधिपत्य से मुक्त करवाना चाहते थे। दिल्ली की ओर गृह करने वाली इस क्रान्तिकारी सेना में मरने मारने के लिए तत्पर नगभय चार हजार सैनिक थे। रेवाड़ी पर विजय के पश्चात् दिल्ली में अंग्रेजों की विजय से खिन्न चित्त इस सेना की 16 नवम्बर को नोरनोल में क्रिगेडियर गेरार्ड के नेतृत्व वाली एक विद्याल अंग्रेजी फौज से भिड़त हुई। जोधपुर लीजियन की पराजय से मारवाड़-मेवाड़ से अंग्रेजी प्रभाव समाप्त करने की लालसा की इति थी हो गई।

सब स्थानों की ओर से पूर्णतया आस्वस्थ हो जाने पर जब जनवरी 1958 में चम्बई से नई कुमभ भी आ गई तब अंग्रेजों ने पुन अउवा की तरफ मुह बरतना गाहस किया। फनल होम्स की कमान में चम्बई की पलटन और 12वीं नेटिव इन्फेन्ट्री ने अउवा की घेराबंदी की। जोधपुर महाराजा की फौज भी इस ब्रिटिश मेना की सहायता कर रही थी। 20 जनवरी को घमासान युद्ध हुआ। चार दिन तक दोनों पक्षा की तोपें घाग उगेलती रही। उस समय अउवा की रक्षा के लिए दुग में बहुत कम सैनिक ही थे। 23 जन की रात्रि को आकाश वादना से ढक गया। निरन्तर वर्षा होने लगी। कामदार तथा सहयोगियों के अधिक आग्रह करने पर आजादी का यह दीवाना खुशालसिंह गोना-चारी के बीच में निवृत्त कर, सैनिक सहायता की आशा से मेवाड़ पंहुच गया। जेप मोगा ने दुग की रक्षा जबरदस्त युद्ध किया किंतु अंग्रेजों की कई गुना विगत सना और जगो तोपघाना निगापक

मिद्ध हुए। 24 जनवरी को दूगं पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। फिर तो अंग्रेजों ने वहां यातनाओं का ताडव ही कर दिया।

वाद में अंग्रेजों ने खुशालसिंह पर मुकदमा चलाने का दिखावा भी किया किंतु मजा देने का साहम न जुटा सकने पर अन्त में बरी कर दिया। 25 जुलाई, 1864 को आजादी के लिये अलख जगाने वाले इम शूरमा का उदयपुर में स्वगवास हुआ। युगो युगो के लिये इस स्वतन्त्रता सेनानी के कृतित्व की छाप राजस्थानी जन मानस में अंकित रहेगी।

कोटा में 1857 की क्रांति का महत्व अपेक्षाकृत इसलिए अधिक माना जाता है कि लगभग छ महीनों तक कोटा पर क्रांतिकारियों का अधिकार रहा। सारी जनता क्रांति समर्थक बन गई। मारकाट भी अधिक हुई। सितम्बर में बाहशाह जफर कैंद हो गया और लाल किले पर अंग्रेजों का अधिपत्य स्थापित हो गया तब भी कोटा के क्रांतिकारी केवल अपने बल पर अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। 1838 ई में कोटा महाराव के खच से निर्मित कोटा कर्जट नामक ब्रिटिश सेना के देशी सिपाही मेरठ, नसीराबाद, नीमच इत्यादि में क्रांति के ममाचारों से व्याकुल हो गए। ऐसे में 'पायगा पलटन' के रिसालदार मेहराबखा के हस्ताक्षरों वाली एक अपील फौजियों के पास पहुंची। इसमें चरबी वाले कारतूसों तथा आठ में मिली हुई हड्डियों के उल्लेख के पश्चात् देश से अंग्रेज अधिपत्य को समाप्त करने में सहयोगी बनने का निवेदन किया गया था। 15 अक्टूबर को प्रात फौज ने बगावत कर दी। दो तोपों तथा दो घोमलों (ऊट पर लादी जाने वाली छोटी तोप) सहित लगभग तीन हजार सैनिकों ने मेहराबखा के नेतृत्व में एजेन्सी हाऊस को घेर लिया। बगले में आग लगाकर कुछ सैनिक लकड़ों की सीढी लगाकर ऊपर के कमरे में पहुंचे जहां कोटा का पार्लिमेंटल एजेन्ट मेजर बटन और उसके दो युवा पुत्र छुपे हुए थे। क्रोधित सैनिकों ने तीनों के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। एजेन्सी हाऊस पर इम हमले के समय दो अंग्रेज डॉक्टर भी मौत के घाट उतार दिए गए। मेजर बटन का सिर काट कर समस्त कोटा शहर में घुमाया गया। छ माह तक मेहराबखा और जयदयाल के नेतृत्व में फौज ने इच्छानुसार शासन चलाया। अंग्रेजों के अनेक पिठुओं को तोपों के मुह पर बाधकर उड़ा दिया गया।

अंग्रेजों के विरुद्ध कार्यवाही के पश्चात् क्रांतिकारी असमजस में पड़ गये। म्नालियर में सम्भलगढ़ के शासक गोविन्दराव विठ्ठल को सहायता के लिए जो पत्र भेजा उसने वह पत्र अंग्रेजों को सौंप दिया। कोटा महाराव किले के भीतर दुबके हुए थे। इस कठिन परिस्थिति में कौन सहायता करे? मार्च 1858 में बम्बई से आई हुई विशाल ब्रिटिश सेना के साथ कर्नल रॉबट कोटा पहुंचा। महाराव की स्वामी भक्त सेना, करौली के शासक की फौज तथा गोटेपुर शासक की फौज भी इस

ब्रिटिश सेना के साथ मिल गई। जगह-जगह घमामान युद्ध हुए। अनेक लोग मारे गए। कई दिनों तक मामना करने के पश्चात् आतिकारी सेना पराजित हुई। नेताओं पर अंग्रेजों ने जबरदस्त अत्याचार किए। मेहराबखान और जयदयाल पर मुकदमों के दिखावे के पश्चात् भारत के गवर्नर जनरल की इच्छानुसार उन्हें उसी एजेन्सी हाऊस में फाँसी पर चढ़ाया गया जहाँ उन्होंने मेजर वटन और उसके पुत्रों को मारा था। एक बार क्रांति पर नियन्त्रण हो जाने पर तो अंग्रेजों ने अत्याचारों को सारी सीमाएँ पार कर ली।

नवाब के मामू आलमखा के नेतृत्व में टोंक की फौज ने भी बगावत कर दी। नवाब की स्वामी-भक्त सेना से लड़ता हुआ आलमखा तो मारा गया किन्तु टोंक के लगभग छः सौ क्रांतिकारी सैनिक लड़ते-भड़ते बहादुरशाह जफर की सहायता में दिल्ली पहुँचे। भरतपुर, धौलपुर, अलवर, मेवाड़ तथा जयपुर सभी स्थानों पर 1857 में कुछ न कुछ क्रांतिकारी घटनाएँ अवश्य ही हुईं। उस समय अंग्रेजों के प्रबल विरोधी के रूप में राजस्थान की प्रसिद्धी समस्त भारत में फैल गई। तात्या टोपे जैसा अंग्रेजों का शत्रु राजस्थान को अपने लिए उपयुक्त शरण-स्थल मानकर अलीपुर में चार्ल्स नेपियर से पराजित होने के पश्चात् राजस्थान आ पहुँचा।

इस प्रकार 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के कौन-कौने में ज्वालाएँ धधकने लगीं। जैसे-जैसे अंग्रेजों ने इस आग को बुझा तो दिया किन्तु फिर भी इससे वह धुनी चेतन हो गई जिसकी राख मल कर अजु नलाल सेठी, गोपालसिंह खरवा, विजयसिंह पथिक और जारावरसिंह वारहठ जैसे क्रांतिकारियों ने पुनः आजादी का अन्ध जगाया। असफल होकर भी प्रथम स्वाधीनता संग्राम आगे आने वाले आजादी के मतवालों के लिए एक प्रेरणा पुंज बन गया।

प्रथम स्वाधीनता संग्राम के पश्चात् राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का तीन अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है—राजनतिक चेतना और क्रांतिकारी हलचल 1885 ई. से 1924, जन आन्दोलन तथा राजनतिक संस्थाओं की स्थापना 1924 से 1938 और प्रजामण्डल स्वायत शासन की भाग 1938 से 1949 तक।

राजस्थान में राजा, ब्रिटिश शासन तथा जमींदार नीनों की घोर थी और रेश, सबक डाक, तार, छापाखाने इत्यादि का अभाव था। अतः मीथे ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्रों की तुलना में राजस्थान में स्वतंत्रता आन्दोलनों का श्री गणेश अधिक देरी से हुआ। स्वदेशी आन्दोलन को आरम्भ करने का श्रेय स्वामी दयानन्द सरस्वती को प्राप्त है। स्वामीजी की मायता थी कि एक अच्छे से अच्छा विदेशी शासन भी अव्यवस्थित देशी शासन की तुलना में कहीं अधिक हानिकारक होता है। स्वामीजी के विचारों से प्रेरणा प्राप्त कर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने दामोदर राठी से विचार विमर्श कर 'व्यावर में कृष्ण मिल्स' की स्थापना की। 'कृष्ण मिल्स'

का खजाना क्रान्तिकारी कार्यों के लिये मदद खुला रहता था। 'कृष्णा मिल्स' का प्राण अजादी के आगीवानों की गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र बन गया।

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई प्रतिवर्ष इसके सम्मेलन होने लगे। गवर्नमेंट कालेज के कुछ छात्रों ने अजमेर में कांग्रेस समिति का गठन किया कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन में भाग लेने हेतु सर्वप्रथम अजमेर के गोपीनाथ माधुर और किशनलाल इलाहाबाद पहुँचे। शनैः शनैः अजमेर में मेरवाड़ा तथा अन्य राज्यों में भी कांग्रेस का प्रभाव बढ़ने लगा। इससे जन जागृति और राजनैतिक चेतना जागृत हुई।

स्वामीदयानन्द के ही एक शिष्य गोविन्द गुरु ने डूंगरपुर, बासवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही और ईडर के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों के मध्य अजादी का अलख जगाया। पूरे पच्चीस वर्ष (1883-1908) तक गोविन्द गुरु ने अपनी 'सप सभा' के माध्यम से भीलों में जागृति के निरन्तर प्रयास किये।

राजस्थान में राष्ट्रीय अखबार पढ़ने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। अजमेर के 'राजस्थान टाइम्स' और उसके हिन्दी संस्करण के साथ ही सिमरथदान चरण के सम्पादन में 1889 में 'राजस्थान समाचार' तथा 'देश हितैषी' 'परोपकारक' 'जगहितकारक' तथा 'राजपूताना गजट' जैसे अखबारों के कारण नवीन दृष्टिकोण विकसित होने लगा। 'कमयोगिन' 'अमृत बाजार पत्रिका' 'काल केसरी' तथा 'जमीदार जैसे राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने शोषण व अत्याचारों का भडा फोड़ कर लोगों में नव चेतना का संचार किया।

1905 के रूस-जापान युद्ध में एशिया के जापानी वीरों ने यूरोप के रूसी दल को बुरी तरह पराजित किया। जापान की इस विजय ने भारतवासियों में एक नये उत्साह और स्रष्टि का संचार कर दिया। 1905 में बंगाल के विभाजन और देश के अग्रगण्य लोगों के घटनाक्रम ने भी राजस्थानियों को प्रभावित किया।

क्रान्तिकारी हलचल के समय राजस्थान में भिन्न भिन्न स्थानों पर तीन अलग अलग क्रान्तिकारी दल सक्रिय थे। प्रथम दल अजु नलात सेठी के नेतृत्व में जयपुर, दूसरे दल के केसरीसिंह वारहठ बोटा में और तीसरे दल के गोपालसिंह खरवा व अर्जुन लाल सेठी ने अजमेर को अपनी गतिविधियों का केन्द्र बनाया। अजु नलाल सेठी राम विहारी बोस के निकट सहयोगी थे। सेठीजी ने जयपुर में बड़ मान विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय में देश के कौने कौने से नव-युवक क्रान्ति का पाठ पढ़ने के लिये पहुँचते। बड़मान विद्यालय के विष्णुदत्त ने अपने चार शिष्यों-मोतीचंद, मारणकचंद, जयचंद और जोरावरसिंह—सहित क्रान्तिकारी गतिविधियों हेतु धन एकत्रित करने के प्रयोजन से आरा (पटना) जिते

मे नीमेज गाव के उपामरे मे 20 माच 1913 को डाका डाला । उपासरे का महत् सारा गया । इम सम्बन्ध मे मातीचद पकडा गया अर उम फासी हुई । इस घटना से पूर्व 23 दिसबर 1912 को दिल्ली मे वायसराय लाडें हाडिंग पर वम्ब भी जोरावरसिंह ने ही फका था । उम दिन वायसराय व भाग्य अन्द्रे ये कि वक् को चपेट मे आने के पश्चात भी वह बच गया । उपासरे पर डाके, महन्त की हत्या और वायसराय की हत्या के प्रयत्न के अपराध मे जोरावरसिंह को फासी की सजा दी गई किन्तु वह पकडा नही जा सका । सत्ताईम वष तक छुपते फिरने के पश्चात 1939 मे उसका स्वगवास हुआ । जोरावरसिंह जमे आजादी के दीवानो युग युगो तक राजस्थानियो के प्रेरणा पुज बने रहेगे ।

कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी केमरोसिंह वारहठ ने महाराणा फतहसिंह का वायसराय कजन के सयय 1903 मे आयोजित दिल्ली दरवार मे सम्मिलित होने से रोकने के लिये 'चेतावनी के चू गटिये' लिख कर भेजे । राजस्थान बगाल और पजाव के क्रांतिकारियो से केसरोसिंह का सम्पर्क था । उस समय कई क्रांतिकारियो को जेलो मे यातनाए दी जा रही थी व अनेको को फासी पर लटका दिया गया । केसरोसिंह इन क्रांतिकारियो के परिवारो की सहायता करने के लिये धन एकत्रित करना चाहता था इम उद्देश्य से कोटा के महत् की हत्या की गई । केमरोसिंह, लाहेरी, रामकरण व हीरालाल जालोरी को इस सम्बन्ध मे बदी बनाया गया । हीरालाल को सात वर्ष तथा शेष तीनों को बीस-बस वर्ष की सजा हुई । कुछ समय पश्चात केसरोसिंह को बिहार को हजारी वाग जेल भेज दिया गया । केसरोसिंह का पूरा परिवार ही क्रांतिकारी था । भाई जोरावरसिंह ने आरा डकैती व वायसराय पर बम फेकने का कार्य किया और बेटा प्रतापसिंह, बम बनाते हुए पकडा जाकर वरेली जेल भेजा गया । जेल मे इतनी अधिक यातनाए दी गई की प्रतापसिंह की जेल मे ही मृत्यु हो गई ।

रासबिहारी बोस व सचिद्रनाथ सान्याल से प्रेरणा प्राप्त कर खरवा (अजमेर) राव गोपालसिंह व वारहठ केसरोसिंह ने राजस्थान मे 'वीर भारत सभा' नामक एक गुप्त सस्था की स्थापना की । 1909-10 मे रासबिहारी बोस ने भूपसिंह नामक एक युवक को अजमेर की तरफ भेजा । बुलदशहर के मासागढ गाव के गुजर युवक भूपसिंह ने विजयसिंह पथिक के नाम राजस्थान के आन्दोलना का नेतृत्व किया । भूपसिंह को अन्य स्थानो के क्रांतिकारियो के लिये शस्त्र एकत्रित करने और राजस्थान की गतिविधियो को तेजी पकडने के उद्देश्य से यहा भेजा गया था । वह खरवा राव गोपालसिंह से मिला व दोनो ने सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई । दिसम्बर 1914 मे भारत भर के क्रांतिकारी बनारस मे एकत्रित हुए तथा पजाव से क्रांति के सूत्रपात का निश्चय किया । राजस्थान मे गोपालसिंह खरवा व दामोदरदास राठी को ब्यावर, भूपसिंह को अजमेर और नसीराबाद पर कब्जा करने

का आदेश दिया था। 21 फरवरी को गोपालसिंह व भूपसिंह दो हजार सशस्त्र सैनिकों सहित खरवा रेलवे स्टेशन के निकट जा पहुँचे। स्टेशन के निकट छुप कर पूर्व निश्चित इशारे की प्रतीक्षा करने लगे। सकेत यह निश्चित किया गया था कि दिल्ली-अहमदाबाद रेलगाड़ी के स्टेशन से रवाना होने के पश्चात् एक बम का धमाका होगा। गाड़ी निकल गई किन्तु बम का धमाका नहीं हुआ क्योंकि पजाब में 19 फरवरी को ही क्रान्ति की योजना का पता चल गया था। अंग्रेज सरकार ने क्रान्ति की कलई खुलने पर उसे विफल करने के आवश्यक कदम उठा लिये। पजाब के कई क्रान्तिकारी पकड़े गये और अन्य शस्त्रागारों पर हमले के समय पहले ही घात लगाकर बैठे हुए ब्रिटिश सैनिकों की गोली के निशान बने। क्रान्ति के भडाफोड होने की सूचना गोपालसिंह-भूपसिंह को मिलते ही उन्होंने अपने सैनिकों को इधर उधर भेज दिया। इस घटना के कुछ दिन पश्चात् ही अजमेर पुलिस ने गोपालसिंह-भूपसिंह को बन्दी बनाकर मारवाड़-मेवाड़ की सीमा पर स्थित टाडगढ़ दुर्ग में कैद कर दिया। किसी प्रकार भूपसिंह टाडगढ़ से निकल भागा और मेवाड़ के पहाड़ों में जा पहुँचा। वह काफी समय तक पहाड़ों में भटकता फिरा। इस समय उसने डाढ़ी बढ़ा कर अपना नाम विजयसिंह पथिक रख लिया। गोपालसिंह भी टाडगढ़ से तो निकल भागा किन्तु कुछ समय पश्चात् किशनगढ़ राज्य में पुनः पकड़ा जा कर शाहजहापुर जेल में भेज दिया गया।

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही महात्मा गाँधी के नेतृत्व में भारतीय राजनीति ने करवट बदली। क्रान्ति का स्थान सत्याग्रह ने ले लिया। इस समय राजस्थान में भी एक के बाद एक सत्याग्रह होने लगे। मेवाड़ के बिजोलिया ठिकाने के किसानों ने साधु सीताराम के नेतृत्व में आन्दोलन किया। जमींदार के अत्याचारों के कारण आन्दोलन शिथिल होने लगा तब विजयसिंह पथिक बिजोलिया जा पहुँचा और किसानों को पुनः सक्रिय करने के प्रयत्न में जुट गया। इस समय नव-युवक माणिक्यलाल वर्मा भी ठिकाने की नोकरी को छोड़कर मारकर साधु सीताराम दास और विजयसिंह पथिक के भाग की ओर चल पड़ा। बिजोलिया आन्दोलन के समाचार गणेश शंकर विद्यार्थी के 'प्रताप', प्रयाग के 'अभ्युदय', कलकत्ता के 'भारत-मित्र' और पूना से प्रकाशित होने वाले लोकमान्य तिलक के 'मराठा' जैसे राष्ट्रीय प्रखबारों में धूम मचाने लगे। महात्मा गाँधी, तिलक, मालवीय और जमनालाल जैसे महत्त्वपूर्ण नेताओं का ध्यान बिजोलिया आन्दोलन की ओर आकर्षित होने लगा। इस आन्दोलन की गूँज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में भी सुनाई दी। समस्त भारत में किसानों का इस प्रकार का यह प्रथम आन्दोलन था।

बिजोलिया आन्दोलन ने किसानों में आत्म विश्वास फूँक दिया। मेवाड़ के प्रयाग कई ठिकानों में भी कृपक लाग, बाग और वेंठ-वेगार का विरोध करने लगे। बेगू ठिकाने में जोरदार आन्दोलन हुआ। 13 जुलाई 1923 को राज्य की फौज ने

वेगू ठिकाने के गोविन्दपुरा नामक गाव मे घेरा टालनर आग लगा दी। भागते हुए किसानो पर बन्दको से गालिया दागी गईं। लगभग दा सौ किमान मारे गए और अनेक घायल हुए। बल प्रयाग आर दमनकारी नीति से वेगू का किसान आन्दोलन कुचल दिया गया किन्तु लोगो के मन मे प्रज्वलित - असन्तोष - की अग्नि शांत नहीं हुई। विजोलिया और वेगू के किसानो के बलिदान रग लाए और उनसे प्रेरणा प्राप्त कर बूंदी के किमानो ने भी लाग, वाग बैठ वेगार देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। राज्य ने दमन चक्र चलाया और आन्दोलन के नेता ननुराम शर्मा को बंदी बनाकर चार बप के कारावास की सजा दे दी। दमनकारी नीति से आन्दोलन को दबाया नहीं जा सका तब 1923 मे गोलिया बरसी जिसमे नानकराम नील की मृत्यु हो गई। 'राजस्थान सेवा सघ' ने हस्तक्षेप किया तब करसो की आधी माग स्वीकार हुई तब आन्दोलन धीमा पडा। 1920-21 मे स्थापित 'राजस्थान सेवा सघ के विजयसिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, मणिवय लाल वर्मा, हरी भाई किकर शोभालाल गुप्ता, लादूराम जोशी, प्रेमचंद, भोल, भाडसिंह, नेनुराम शमा इत्यादि के प्रयत्न ने सेवा सघ की अच्छी साख जम गई और, रजवाडो के शासक उससे चमकने लगे।

1921 मे अहमदाबाद मे कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। इसमे भाग लेने वाले प्रतिनिधियो ने वापस लौटने पर अपने अपने क्षेत्रो मे सगठना कीस्थापना की। जोधपुर मे 1921 मे जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा इत्यादि ने 'मारवाड हितकारीणी सभा' की स्थापना की। सभा ने जानबरो की निकासी पर रोक लगाने के लिये आन्दोलन आरम्भ किया और मांग स्वीकार हो जाने पर सुख देव प्रमाद को पदच्युत करने की माग कर दी। इस पर सरकार ने कठोर नीति अपनाई और सभा के अनेक सदस्या को मारवाड के बाहर निकाल दिया। 1927 मे जयनारायण व्यास ने ब्यावर से 'तरुण राजस्थान' अखबार निकाला और उसमे राज्य की आपाधापी और जागीरी जुल्मो की पोल खोली। 'अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद' के 17 दिसम्बर 1927 के वम्बई अधिवेशन मे भाग लेकर वापस लौटने पर जयनारायण व्यास ने 'मारवाड प्रजा परिषद' की स्थापना की किन्तु राज्य ने इसका अधिवेशन नहीं होने दिया। जयनारायण व्यास आनंदराज सुराणा, भकरलाल सराफ आदि को पकड कर मागोर मे मुकदमे चलाए और सजा सुनाई। कारावास से उटने पर जयनारायण व्यास ने ब्यावर मे चादकरण शारदा की अध्यक्षता मे 'मारवाड प्रजा परिषद' का अधिवेशन किया जिसमे कस्तूरबा गात्री मुख्य अतिथि थी। 1931 से 1939 तक मारवाड यूथ लीग, मारवाड प्रजा मडल, नागरिक रक्षा समिति तथा बाल भारत सभा के द्वारा अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, छगनराज चौपानीवाला मानमल जन रणछाडंडाम गट्टानी भवरलाल सराफ, पुम्पोत्तमप्रसाद नैयर इत्यादि आजादी के आगीवाना न मारवाड मे जा आन्दोलन आरम्भ किये। 1938 के हरिपुर अधिवेशन मे भारतीय

राष्ट्रीय कांग्रेस ने देशी राज्यों को भी अपने काय क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया। इससे भयभीत होकर देशी राज्यों की सरकारों ने अपने दृष्टिकोण में थोड़ी नरमी अपनायी और आरम्भ की। 1938 में 'लोक परिषद' की स्थापना हो गई जो महाराजा की छत्र छाया में स्वायत्त शासन की मांग करने लगी। जयनारायण व्यास के मारवाड़ में प्रवेश करने पर प्रतिवध लगा हुआ था वह हटा लिया। लोक परिषद की शाखाएँ मारवाड़ के परगनों में भी स्थापित हुईं और स्वायत्त शासन की मांग निरन्तर जोर पकड़ने लगी। अन्त में क्रोधित राज्य सरकार ने 8 मार्च 1940 को परिषद को अवैध घोषित कर जयनारायण व्यास, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, छगनराज चौपासनीवाला, अभयमल जैन, गणेशलाल आदि को पकड़ कर दूर दूर स्थित किलों में कैद कर दिया। इसके विरोध में 2 अप्रैल को मथुरादास माथुर के नेतृत्व में विशाल जलूस निकाला गया। इस जलूस पर पुलिस ने डंडे बरसाये। मथुरादास माथुर के बाद में रणछोडदास गढ़ानी कैद हुए। लोगों में उत्साह निरन्तर बढ़ने लगा जिसमें बाध होकर 26 जून 1940 को सरकार ने परिषद से समझौता किया और सभी नेता कारावास से छोड़ दिये गये। रोड चडावल और गूदोज में परिषद के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुए। अन्त में 26 मार्च 1942 को परिषद का डिक्टेटर नियुक्त होने पर जयनारायण व्यास ने आन्दोलन आरम्भ किया। व्यास की गिरफ्तारी के पश्चात् मथुरादास माथुर, चैनदास, राधाकृष्ण तात आदि डिक्टेटर बने और आन्दोलन निरन्तर तेज होने लगा। अनेक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया। जेल में भूख हड़ताल हुई। बालमुकुन्द विस्सा जेल के अत्याचारों और भूख से बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस समय देश में महात्मा गाँधी ने 'भारत छोड़ो' आन्दोलन चलाया। मारवाड़ का आन्दोलन भी गांधीजी के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के साथ मिल कर उसी का अंग बन गया। 17 अक्टूबर 1942 को स्टैडियम सिनेमा और 14 अप्रैल 1943 को सिवाची गेट के बाहर बम विस्फोट हुए। कई गतिविधियों के बाद 27 मई 1944 को समझौता हुआ। सभी राजनैतिक कैदी छोड़ दिये गये। 13 मार्च 1947 को डीडवाना के पाम डाबडा गाव में 'लोक परिषद' और 'किसान सभा' का संयुक्त अधिवेशन निश्चित हुआ। वहाँ अनेक किसान एकत्रित हुए। 'लोक परिषद' के नेताओं और किसानों के वहाँ पकड़ने पर जागीरदार के लोगों ने उन पर हमला किया। सरकारी आकड़ों के अनुसार छ और 'लोक परिषद' के अनुसार बत्तीस लोग मारे गये। 'लोक परिषद' के मथुरादास माथुर, द्वारकाप्रसाद पुरोहित, नृसिंह कच्छवाहा, बशीधर पुरोहित, राधाकृष्ण बोहरा तात, किशनलाल शाह इत्यादि घायल हुए। इस जुल्म की सब तरफ आलोचना हुई। इस बीच देश की राजनीति में अनेक घटनाएँ घटी और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। केन्द्र के दबाव पर जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मिली जुली सरकार बननी लगी। थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ 'जोधपुर राज्य के राजस्थान में विलय' का चर्चा चलती रही।

वीकानेर महाराजा गंगासिंह के समय दमन और देश निकालो जैसे मध्य-कालीन हथकण्डो का जोर था। समाप्ता, भाषणो और समाचार पत्रो पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए। थोड़ी सी राजनैतिरु हलचल होते ही दमनचक्र आरम्भ हो जाता। महात्मा गांधी की जय बोलने और खादी मण्डार खोलने तरु पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। शिक्षा और सामाजिक सुधार के उद्देश्य से स्वामी गोपालदास ने चुरु मे 1912 मे 'सर्वहितकरणी सभा' की स्थापना की। 1920 मे वीकानेर मे 'सर्व-विद्याप्रचरिणी सस्था' की स्थापना हुई। राज्य के गुप्तचर इन सस्थाओ पर भी नजर रखते थे। सत्यनारायण सराफ, खूवराम सराफ और उनके सहयोगिया के प्रयत्नो से दिल्ली के 'प्रिसली इण्डिया' रियासत' और अजमेर के 'त्याग भूमि' जैसे सामाचार पत्रो मे शासन की दमन और अत्याचारी नीति की आलोचना हुई। 1931 मे लन्दन मे गोलमेज सम्मेलन के समय पर्चे वितरित किये गये जिनमे महाराजा की दमनकारी नीति और राज्याधिकारियो के अत्याचारो का विवरण था। इस सम्मेलन मे महाराजा गंगासिंह स्वय उपस्थित थे। लन्दन से चुरु होकर वीकानेर लौटने पर महाराजा ने दमनचक्र चलाया। सत्यनारायण, खूवराम, स्वामी गोपालदास, चदनमल, बट्टीप्रसाद इत्यादि को गिरफ्तार किया गया। उन पर मुकदमो के दिखावे के पश्चात कठोर करावाम की सजाएं सुनाई गई। इस दमनकारी नीति के कारण वीकानेर मे अगले कई वर्षो तक राजनीतिक हलचल मे शिथिलता आ गई। प्रजामंडल का आन्दोलन भी वीकानेर मे, काफी देरी से 1940 मे आरम्भ हुआ। अन्त मे प्रजामंडल ने 29 जुलाई 1942 को स्वायत्त शासन हेतु आन्दोलन की तिथि घोषित की। घोषित तिथि से पूव हो आ दोलन को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने प्रजामंडल के अध्यक्ष रघुवर दयाल गोयल को वीकानेर राज्य की सीमा के बाहर निकालने का आदेश दे दिया। 26 अगस्त 1944 को रघुवर दयाल ने निर्याजा का उत्लघन कर वीकानेर मे प्रवेश कर लिया। रघुवरदयाल और उनके दो सहयोगी गंगादास कौशिक और दाऊनाल गिरफ्तार किये गये। लोगो ने सरकार की दमनकारी नीति के विरुद्ध 'विरोध दिवस' मनाया। 'प्रजा परिषद' के नेतृत्व मे स्वायत्त शासन की माग का आन्दोलन तेजी पकडने लगा। 'नेताजी दिवस' तथा 'आजादी दिवस' पूरे उत्साह से मनाये गये। सरकार ने पुन दमनकारी नीति का आश्रय लिया। 1946 मे प्रेस अत्रिनियम लागू किया। जमीदारो ने भी अनेक अत्याचार किये। रतनगढ तहमील के गाव कागद तथा दूधवाखारा मे वृषको पर व्यथ ही अत्याचार किये गये। राजगढ, रायसीनगर व दूधवाखारा मे बड पमाने पर किसान आन्दोलन हुए। रायसीनगर मे किसान नेता बोरबलसिंह पुतिस की गोलियो का निशाना बन कर अमर हुआ। वीकानेर मे मधाराम, केदारनाथ, रघुवर-दयाल, हनुमानसिंह और कुम्भाराम आय इत्यादि ने किसानो का नेतृत्व किया। अन्तत 31 अगस्त 1946 को महाराजा सादूलसिंह ने घोषणा की कि जल्दी ही

उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी जायेगी। 18 मार्च 1948 को साझा सरकार चनी। जिनने सदस्य 'प्रजा परिषद' के लिये गये ठीक उतने ही महाराजा की ओर से मनोनित किये गये। कुछ समय तक महत्वपूर्ण विषयों पर दोनों पक्षों में खींचतान होती रही। 30 मार्च 1949 को वीरानेर राज्य का राजस्थान में विलय हो गया।

गोविंद गुरु के पश्चात् मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के भीलों में जागृति के प्रयत्न किये। 1932 से 1938 के मध्य नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिये उपक्रम किये गये। 1938 में मणिक्यलाल वर्मा और उनके सहयोगियों ने 'प्रजा मण्डल' की स्थापना कर 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' आरम्भ किया। डेढ़ वरसे और पकड़ धकड़ हुई। 26 जनवरी 1940 को उत्साहपूर्वक 'आजादी दिवस' मनाया गया। 'प्रजा मण्डल' के 1941 के अधिवेशन में आचार्य कृपलानी मुख्य अतिथि बने। इस अवसर पर खादी की प्रदर्शनी का उद्घाटन श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने किया। यह अधिवेशन बहुत सफल रहा जिसमें कायकर्त्ताओं के उत्साह में अभूत पूर्व वृद्धि हुई। 1942 में 'प्रजा मंडल' ने महाराणा से अंग्रेजों से स्वधी विच्छेद कर जिम्मेदार हुकमत स्थापित करने की मांग की। मणिक्यलाल वर्मा, मोहनलाल सुखाडिया और बलवर्तमिह मेहता सहित पन्द्रह लोगों को गिरफ्तार किया गया। आन्दोलन का प्रभाव नाथद्वारा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, छोटी सादड़ी और अनेक अन्य मेवाड़ी क्षेत्रों में भी पहुंच गया। आन्दोलन का स्वरूप निरन्तर व्यापक होने लगा। अन्त में 1944 में राजनैतिक विद्वानों को छोड़ा गया। 1944 में मणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में 'प्रजा मंडल' की बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित लिया गया कि नगर परिषद और व्यवस्थापिका का गठन शीघ्र किया जाए। 1945 में 'प्रजा मंडल' पर लगा हुआ प्रतिबन्ध हटा लिया। 1946 में उदयपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 'अखिल भारतीय देशी राज परिषद' का अधिवेशन हुआ। इससे उत्तरदायी शासन की मांग को अधिक बल मिला व स्थानीय कार्यकर्त्ताओं में नवीन प्रेरणा का संचार हुआ। मार्च 1947 में उदयपुर के प्राइम मिनिस्टर राघवाचार्य ने शासन में थोड़े बहुत सुधार करने की घोषणा की किन्तु यह केवल लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास ही था। जो कुछ दिखावटी सुधार किये गये उनसे महाराणा के निरंकुश शासन के स्वरूप में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। 'प्रजा मंडल' ने इन सुधारों को अस्वीकार कर इनका विरोध किया। 1947 में दण्ड स्वतंत्र हुआ। इसके पश्चात् राजस्थान के राजवर्गों का सघ जना जिममें सम्मिलित होने पर उदयपुर को इस सघ की राजधानी बनाया गया। मणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में इस सघ का मंत्री मंडल बना। ग्यारह माह पश्चात् इस सघ का राजस्थान में विलयीकरण हो गया।

जसलमेर रेगिस्तान के मध्य स्थित एव पिछड़ी हुई रियासत। यहां पर

सर्वप्रथम रघुनाथसिंह मेहता ने जसलमेर रावल की निरकुशता के विरुद्ध आवाज उठाई। रावल को यह सहन नहीं हुआ और रघुनाथसिंह को गिरफ्तार कर लिया। जीवनलाल कोठारी ने जन जागृति का प्रयास किया तो वह भी पकड़ लिया गया। सागरमल गोपा और गारायणदास भाटी ने भी निरकुशलता के विरुद्ध आवाज उठाई। सागरमल गोपा को जसलमेर से बाहर निकाल दिया गया। नागपुर प्रवाम के समय उसने समाचार पत्रों में जसलमेर शासक की निरकुशता तथा अत्याचारों का पर्दाफाश किया। 1939 में शिवशंकर ने जसलमेर में 'प्रजा परिषद्' की स्थापना की किन्तु उसे भी जसलमेर छोड़ना पड़ा। मार्च 1951 में सागरमल गोपा के पिता का स्वगवास हो गया। सागरमल गोपा को जोधपुर स्थित रेजीडेण्ट ने आशवासन दिया था कि उसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है तथा वह निःसंकोच अपने निवास स्थान जसलमेर जा सकता है। जसलमेर जाकर जब लगभग दो माह पश्चात् वह वापस लौट रहा था तब रवाना होने से पूर्व अचानक ही गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार को भय था कि बाहर जाने पर फिर पहले की तरह ही विरोध प्रचार में लग जाएगा। जेल में ही उस पर मुकदमा चलाया गया। रियासत के विरुद्ध आंदोलन के अपराध का दोषी मानकर 10 जून 1942 को उसे राजद्रोह की धारा के अंतर्गत 6 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुना दी गई। उसने अपनी डायरी में लिखा कि उसे जेल में प्रतिदिन पीटा जाता था और उसकी नाक व गुदा में मिच डाली जाती थी। उसने गुप्त रूप से जयनारायण व्यास तथा जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखे और उन्होंने रेजीडेण्ट से जाच करने का अनुरोध किया। रेजीडेण्ट ने जसलमेर जाने का वायज नहीं बनाया तब यकायक गोपा पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया गया। लगभग बीस घंटे तक तड़फने के पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई।

5 अप्रैल 1931 को जयपुर शहर में 'मोतीलाल दिवस' मनाया गया। इससे क्रोध होकर जयपुर सरकार ने गुलाबचंद चौधरी, कुंदनलाल और किशोरसिंह का बन्दी बनाकर कठोर कारावास की सजाएं ठोक दीं। अगले छह सात वर्ष तक राजनैतिक गतिविधियां शिथिल पड़ गईं। 1937 में उत्तरदायी शासन के उद्देश्य से जयपुर 'प्रजा मंडल' की स्थापना की गई। 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में इसका अधिवेशन हुआ। उस समय जमनालाल बजाज के जयपुर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इस प्रतिबंध की अवहेलना कर के अधिवेशन में भाग लेने हेतु पहुंचे थे इसलिये पकड़ लिये गये। हीरालाल शास्त्री, चिरजीलाल अग्रवाल, कपूरचंद पाटनी तथा हरिश्चंद्र शर्मा ने भी सजाएं भुगती। सत्याग्रह बहुत तेजी पकड़ रहा था किन्तु गांधीजी ने सत्याग्रह समाप्त करने की मंत्रणा दे दी। समझौता होकर 'प्रजा मंडल' को मान्यता मिल गई। नेतागण जेल से रिहा कर दिये गये। 'प्रजा मंडल' की जड़ें धीरे धीरे जमने लगीं। 1940 में पुलिस ने 'प्रजा मंडल' के कार्यालय पर धावा बोलकर कागजात जब्त कर लिये। जयपुर में 'प्रगति

शीन 'प्रजा मडल' और 'आजाद मोर्चा' नाम से नये दल भी बने तथा राज्य की निर-कुशता का विरोध हुआ। 1945 में जयपुर दरवार ने कुछ मुजारों की घोषणा कर उत्तरदायी शासन की दिशा में कदम उठाया। आरम्भ में देवीशकर तिवारी और बाद में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय मंत्री मडल बने। राजस्थान में विलय तक लोकप्रिय मंत्री मडल निरन्तर सक्रिय रहे।

1918 में कोटा में स्थापित 'प्रजा प्रतिनिधि सभा' ने विदेशी माल का बहिष्कार कर देशी वस्त्रों, खादी के वस्त्रों और टोपी का आह्वान किया। 1926 में कोटा में 'हाडोती प्रजा मडल' का निर्माण हुआ। बाद में इसका नाम 'कोटा राज्य प्रजा मडल' रख दिया गया। 1939 में अभिन्नहरि के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन के लिये आन्दोलन हुआ। 1942 में देश में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के समय कोटा में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिये हड़तालें हुईं, जलूस निकाले गये। पुलिस ने दमन चक्र चलाया। अभिन्नहरि और उनके साथी गिरफ्तार कर लिये गये। पुलिस ने लोगों पर डंडे बरसाये। अन्त में लोगों का आक्रोश भड़का उत्तेजित भीड़ ने कोटा नगर के दरवाजों व कोनवाली पर अधिकार कर लिया। मरकारों के भवन पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। पुलिस को बैरको में बन्द कर दिया। जनता ने तीन दिन तक शासन को अपने हाथ में ले लिया। बाद में महाराज ने आश्वासन दिया कि जनता का दमन नहीं किया जाएगा तब शासन वापस लौपा। 1945 में भी कोटा के कार्यकर्ताओं को शांति भंग करने सम्बन्धी काले कानून का शिकार होना पड़ा। राजस्थान में विलय तक कोटा में राजनैतिक गतिविधियाँ निरन्तर हाती रही। कोटा में राजनैतिक जागृति का श्रेय नयनूराम शर्मा, अभिन्नहरि, इन्द्रदत्त स्वामीन, नाथूलाल जैन, राजेन्द्रकुमार, विमलकुमार, कजोलिया, तनमुखलाल मिश्र आदि को है।

ऐश्वर्यपूर्वक जीवन बीताना अनवर के महाराजा की पहली पसन्द। स्पष्ट है महाराजा के अति खर्चातु स्वभाव का भुगतान तो राज्य की प्रजा को ही करना था। किसानों पर नये से नये कर लगाये जाते। अनवर के बनसूर तथा गाजी का थाना के किसानों ने भूमि बन्दोबस्त के नाम पर लगने वाले करों का विरोध किया और रेजीडेण्ट के पास शिकायत भी की। कुपको द्वारा रेजीडेण्ट के पास शिकायत करने से महाराजा जयदेवसिंह बहुत ही क्रोधित हो गया। 14 मई 1925 को भू-राजस्व के नाम पर होने वाली लूट के सबब में विचार विमर्श के लिए किसान अनवर की बनसूर तहसील के नीमूचाना नामक गाँव में एकत्रित हुए। यथायक बहा राज्य की सशस्त्र सेना पहुँची और निहत्थे किसानों को घेर कर उन पर गोलियों की बौछार कर दी। इस समय 353 घर जला दिये। 95 व्यक्तियों की इस गोलीबाण्ड में मृत्यु हो गई और 250 लोग घायल हुए। महात्मा गांधी ने इस दमनचक्र और नृशस हत्याकाण्ड को 'यग इण्डिया' में 'दोहरी डायरशाही' की सजा दी और इस बाण्ड

को जलिया वाला बाग से भी अधिक वीभत्स बताया। लगभग सभी प्रमुख भारतीय समाचार पत्रों ने इस काण्ड की निंदा की। 1932 में मेवातियों ने राज्य की शिक्षा नीति और अनुचित करों का विरोध किया। अल्प समय में ही मेवातियों के आन्दोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। उन पर नियंत्रण स्थापित करना अलवर राज्य की शक्ति के बाहर हो गया। अन्त में राज्य ने अंग्रेजों से सैनिक सहायता का निवेदन किया। ब्रिटिश सेना की सहायता से अत्यन्त ही कठिनाई से इस आन्दोलन को दबाया जा सका। इस घटना के पश्चात् अलवर में ब्रिबिग सरकार का दबदबा जम गया और महाराजा केवल अंग्रेजों की कठपुतली मात्र रह गया। 1938 में प्रजामण्डल की स्थापना हुई। लक्ष्मणस्वरूप त्रिपाठी तथा हरनारायण शर्मा को सजाएँ हुईं। अनेक गतिविधियों के पश्चात् 1940 में प्रजामण्डल को मायता मिली। उत्तरदायी शासन की मांग निरन्तर जोर पकड़ने लगी। 1946 में शोभाराम, कुजविहारी और हरनारायण इत्यादि गिरफ्तार हुए। अन्त में 16 मार्च 1948 को अलवर 'मत्स्य सभ' में सम्मिलित हो गया। अलवर का ही शोभाराम इस सभ का प्राइम मिनिस्टर बना। बाद में समूचे 'मत्स्य सभ' का ही राजस्थान में विलय हो गया।

सिरोही राज्य के कुछ लोगों ने वम्बई में प्रजा मण्डल की स्थापना कर वहीं से राज्य की निरकुशता का विरोध तथा उत्तरदायी शासन की मांग करना आरम्भ कर दिया। इन लोगों में गोकल भाई भट्ट, भीमशंकर शर्मा, टकचंद, सिधो, वद्विशंकर त्रिवेदी, भवतमल आदि प्रमुख थे। 22 जनवरी 1939 को सिरोही नगर में राज-नैतिक सभा करने के कारण गोकलभाई भट्ट तथा छह अन्य लोगों को बंदी बना लिया गया। जनता द्वारा निरन्तर पाँच दिन तक गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रदर्शन करने पर विवश होकर राज्य सरकार ने पकड़े हुए लोगों को बिना शर्त रिहा कर दिया। उस समय सिरोही में प्रजा मण्डल की स्थापना हुई। नवम्बर 1939 में ही राज्य विरोधी गतिविधियों के कारण इसे अवैध घोषित कर दिया तथा इसके प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 1942 में भारत छोड़ो आ आन्दोलन के समय सिरोही में भी आन्दोलन हुआ। सिरोही के प्रमुख कार्यकर्ता गोकलभाई भट्ट राज-पूताना प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम सभापति थे। भारत में स्वतंत्र होने पर सिरोही राज्य भारतीय सभ में सम्मिलित हो गया तथा गोकलभाई भट्ट के नेतृत्व में वहाँ मन्त्री मण्डल का गठन किया गया। कुछ कारणों से सरदार पटेल ने सिरोही का प्रशासन 8 नवम्बर 1948 को भारत सरकार से लेकर 5 जनवरी 1950 को वम्बई सरकार को सुपुर्द कर दिया। इसके विरुद्ध केवल सिरोही ही नहीं बल्कि समस्त राजस्थान में आन्दोलन हुए। अतः 1 नवम्बर 1956 को सिरोही को पुनः राजस्थान में सम्मिलित कर दिया गया।

धोलपुर राज्य में प्रजा मण्डल की स्थापना 1936 में हुई। इसके अध्यक्ष

कृष्णदत्त पालीवाल व सचिव मूलचंद चुने गये। राज्य इस सस्था को सहन नहीं कर सका और इसकी सम्पत्ति को जब्त कर लिया। 1938 में प्रजा मंडल ने उत्तरदायी शासन की मांग की किन्तु इस और कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। 1947 में तासीमो नामक गांव में होने वाले राजनैतिक सम्मेलन के समय पुलिस की गोली से छत्रसिंह व पंचसिंह नामक दो नेता मारे गये। जनता ने संवैधानिक सुधारों के लिये ज़रूरत आन्दोलन चलाया। विवश होकर सरकार को सुधारों की योजना घोषित करनी पड़ी। मार्च 1948 में धोलपुर का विलय मत्स्य सभ में हो गया। 15 मई 1949 को मत्स्य सभ का राजस्थान में विलय हो गया।

भरतपुर में अत्यधिक लगान और राज्य की दमनकारी नीति के कारण प्रजा दुखी थी। 1928 में राज्य की बगड़ी आर्थिक दशा और प्रशासन में सुधारों के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त दिवान मेके जी की मनमानी और अत्याचारों के कारण आन्दोलन आरम्भ हुए। भरतपुर राज्य में 1938 में प्रजा मंडल की स्थापना की योजना बनी और लम्बे सभ के बाद 1941 में उसका पञ्जीयन हुआ तथा 'भरतपुर राज्य प्रजा परिषद' नाम रखा गया। 1942 में आन्दोलन के समय युगलशिर और चतुर्वेदी, आदित्येन्द्र आदि गिरफ्तार किये गये। उसी वर्ष राज्य में बाढ़ आ जाने के कारण आन्दोलन स्थगित कर प्रजा मंडल ने राज्य में समझौता कर लिया। 1947 में बेगार के विरोध में लोगों ने आन्दोलन किया। एकत्रित भीड़ पर घुड़सवारों को दौड़ाया गया जिससे काफी लोग घायल हुए। कुछ समय पश्चात् महाराजा के दौरे से लौटने पर लोगों ने पुनः सत्याग्रह किया। पुलिस ने एक मोटर गाड़ी (बस) सत्याग्रहियों पर चढ़ा दी जिससे अनेक लोग घायल हुए और रमेश स्वामी की मृत्यु हो गई। इस समय अनेक कायदाकर्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। देश के स्वतन्त्र होने के बाद दिसम्बर 1947 में महाराजा ने अंतरिम सरकार बना कर चार लोकप्रिय मंत्रियों को उसमें सम्मिलित किया। यहाँ साम्प्रदायिक दंग फल गये इसलिये केन्द्र सरकार ने यहाँ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धोलपुर और बरोली की रियासतों को मिला कर 'मत्स्य सभ' का निर्माण हुआ और 15 मई 1949 में इस सभ की चार रियासतों का राजस्थान में विलय हुआ।

बरोली राज्य में जन जागृति का सूत्रपात मदनसिंह, ओंकारसिंह चिरजीलाल शर्मा आदि द्वारा किया गया। 1939 में प्रजा मण्डल ही स्थापना हुई। सपोटरा नामक स्थान पर जागीरी जुल्मों के विरुद्ध आन्दोलन हुआ। पड़ोसी राज्यों ने 1946 में उत्तरदायी सरकार की मांग उठाई। जुलाई 1947 में महाराजा ने संवैधानिक सुधारों हेतु समिति बनाई। यह समिति सुधारों पर विचार विमर्श कर ही रही थी कि 1948 में राज्य को मत्स्य सभ में सम्मिलित कर लिया गया।

प्रतापगढ़ राज्य में उददपुर के सुधारवादी प्रयत्नों के प्रभाव में भीलो तथा

पिछड़ी जातियां में जागृति के प्रयास हुए । 1936 में ठाकर वप्पा ने यहां हरिजन पाठशाला स्थापित की । काना तर में 'त्रादी प्रचार ममा आदि द्वारा जन जागरण हुआ । अमृतलाल ने यहां 1946 में प्रजा मंडल की स्थापना की ।

किशनगढ़ राज्य अजमेर के निष्कट स्थित होने के कारण वहां जन जागृति के प्रयास काफी जल्दी होने लगे । कान्तिचन्द्र, पुरूषोत्तम लाल शर्मा, जमालशाह आदि किशनगढ़ में जन जागृति के अग्रदूत बने ।

टोक में अधिकतर दार्मिक आन्दोलन हुए किन्तु वहां के लावा ठिकाने के महेंद्रकुमार जैन ने राष्ट्रीय कायदमों में अत्यन्त ही उत्साह में भाग लिया ।

शाहपुरा में 1938 में प्रजा मंडल की स्थापना हुई । वेगार का विरोध, नगर परिषद की स्थापना आदि के प्रयत्न किये गए । 1942 के आन्दोलन के समय अनेक कायकर्ताओं को पकड़ कर अजमेर जेल भेजा गया । गोकल लाल अमावा, लादूराम व्यास, रमेशचंद्र, लक्ष्मीदत्त आदि इस क्षेत्र के प्रमुख जन नायक थे । इस राज्य में प्रगतिशील कदम अपेक्षाकृत जल्दी उठाये गये । 1948 में इस रियामत का राजस्थान में विलय हुआ ।

15 अगस्त 1947 को आजादी के आगीवाना के बलिदान रंग लाये और देश स्वतन्त्र हो गया । राजस्थान के रजवाड़ों में जबरदस्त हलचल मच गई । जितने मुंह उतनी बातें होने लगी । पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राष्ट्रीय नेताओं और कई रजवाड़ी लोक नेताओं के सद्प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप राजस्थान का एकीकरण 1 नवम्बर 1956 को सम्पन्न हुआ तथा राजस्थान का वर्तमान परिष्कृत स्वरूप निखर कर सामने आया ।



आधुनिक राजस्थान का निर्माण

परिचयात्मक

1 देशी राज्यों के भारतीय सघ में अधिमिलन, एकीकरण एवं लोकतांत्रिकीकरण की प्रक्रिया के विषय में प्राथमिक एवं प्रामाणिक जानकारी के स्रोत निम्नलिखित ग्रंथ हैं —

- (अ) भारत सरकार के राज्य मन्त्रालय का प्रकाशन ह्वाइट पेपर ऑन इंडियन स्टेट्स (इसका प्रथम संस्करण जुलाई 1948 में तथा द्वितीय संशोधित संस्करण मार्च, 1950 में प्रकाशित हुआ)
- (ब) वी पी मेनन, दि स्टोरी ऑफ द इंडियन स्टेट्स (इसके दो संस्करण मार्च और सितम्बर 1956 तथा तृतीय संस्करण 1961 में थोरियन्ट लॉगमैन्स, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित किया गया।
- (स) सुखवीरसिंह गहलोत, राजस्थान की एकीकरण, राजस्थानी भाषा में लिखा गया यह शोध-लेख श्री जगदीशसिंह गहलोत शोध संस्थान पत्रिका जोधपुर के 1985-86 के अंक 5-6 में प्रकाशित हुआ। इस आलेख में मानक ग्रन्थों तथा तत्कालीन समाचार पत्रों को अद्भुत करते हुए राजस्थान की विभिन्न रियासतों के एकीकरण से सम्बद्ध प्रामाणिक जानकारी प्रदान की गई है।

2 आधुनिक राजस्थान का निर्माण बीसवीं शताब्दी के पाँचवें दशक की महान् ऐतिहासिक घटना है, जिसके कारण राजपूताने की रियासतों में प्रचलित निरकुश सामन्तवादी प्रशासनिक व्यवस्था के प्रतिमानों का रूपान्तरण आधुनिक युग की लोकतांत्रिक प्रणाली में सम्भव हो सका।

3 स्वतंत्रता से पूर्व भारत दो भागों में विभक्त था — (अ) ब्रिटिश भारत और (ब) भारतीय राज्य अथवा नेटिव स्टेट्स। ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च शासक गवर्नर जनरल एवं वायसरॉय था और देशी राज्यों के शासक ब्रिटिश सरकार की परमोच्च शक्ति (Paramount Power) के अधीन थे, किन्तु वे अपनी रियासतों के आंतरिक प्रशासन में सम्प्रभु थे।

4 भारतीय रियासतों का वर्गीकरण भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर किया जाता रहा है। अतः उनकी संख्या में भी न्यूनाधिक अन्तर पाया जाता है। जैसे, भारत सरकार के प्रकाशन 'द इंडियन स्टेट्स' के अनुसार 1 जनवरी, 1928 को

देशी रियासतों की कुल सख्या 562 थी, इनमें से 119 के शासकों को तोपो द्वारा सलामी दी जाती थी तथा 441 राज्य अथवा ठिकाने तोपो द्वारा सलामी से वंचित थे। "दि इंडियन स्टेट्स कमेटी" (बटलर समिति) के प्रतिवेदन 1929 में भी नरेन्द्र मण्डल (चैम्बर आफ प्रिसेज) में प्रतिनिधित्व की योग्यता के आधार पर देशी राज्यों की सख्या 562 निश्चित की गई। ब्रिटिश सरकार ने 'मेमोरेण्डा ग्रान्द इंडियन स्टेट्स' में रियासतों की सख्या 601 बताई है परन्तु ब्रिटिश सरकार के अन्तिम गवर्नर जनरल एच वायसराय लाड माउटबेटन ने 25 जुलाई, 1947, को देशी राजाओं के शासकों तथा उनके प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भाषण देते हुए देशी राज्यों की सख्या लगभग 565 बतायी।

5 स्वतन्त्रता पूर्व राजस्थान में तोपो की सलामी की हकदार 19 रियासतें तथा तोपसलामी से वंचित ठिकानों की सख्या 3 थी। इनके नाम निम्नलिखित हैं— अलवर, भरतपुर, डौलपुर, करौली, बासवाडा, बू दी, डूंगरपुर, भालावाड, किशनगढ़, कोटा, मेवाड, प्रतापगढ़, शाहपुर, टोक, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, सिरोही, (19) और लावा, कुशलगढ़ तथा नीमराना (31)

परमोच्च शक्ति —

6 स्वतन्त्रता से पूर्व भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश परमोच्च शक्ति का नियंत्रण था, जिसका विकास ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रशासन (1757-1856) के कालखण्ड में हुआ। गवर्नर जनरल लाड डलहौजी (1848-56) को इस बात का शय है कि उससे अपने व्यपगत सिद्धान्त (डाक्ट्रिन आफ लैप्स) तथा पंजाब-विजय (1848-49) के साथ भारत में ब्रिटिश परमोच्च शक्ति की स्थापना अन्तिम रूप से कर दो।

7 1857 में ईस्ट इंडिया कम्पनी की राजसत्ता के विरुद्ध भारत में विप्लव प्रारम्भ हुआ। परिणामस्वरूप ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम, 1858 पास करके भारत की शासन सत्ता उसका भू-भाग तथा राजस्व ईस्ट इंडिया कम्पनी से लेकर ब्रिटिश राजमुकुट में हस्तान्तरित कर दिया। कम्पनी से क्राउन के हाथों में सत्ता के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में महारानी विक्टोरिया ने 1 नवम्बर, 1858 को शाही घोषणा की। इस घोषणा के साथ भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन की परमोच्च शक्ति विधित और तथ्यत स्थापित हो गई।

8 ब्रिटिश सरकार ने परमोच्च शक्ति की व्याख्या कभी नहीं की। सर विलियम ली वारनर (दि नेटिव स्टेट्स आफ इंडिया, 1910) के अनुसार— "ब्रिटिश क्राउन में परमोच्च शक्ति है, परन्तु उसके अधिकार क्षेत्र को बुद्धिमत्ता पूर्वक परिभाषाविहीन छोड़ दिया गया है।" बटलर समिति के प्रतिवेदन (1929) में लिखा गया "परमोच्च शक्ति को परमोच्च ही रहना चाहिए।"

9 बटलर समिति ने परमोच्च शक्ति को परिभाषित तो नहीं किया, परन्तु उसके कायकलापो को चार प्रमुख शीर्षको में विभक्त किया (अ) वैदेशिक सम्बन्ध, (ब) अन्तर-राज्यीय सम्बन्ध, (स) भारत की प्रतिरक्षा, और (द) राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप के अवसर। इस प्रकार देशी राजा स्वतन्त्र रूप से अन्तर राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकते थे। भारतीय राज्य अन्य भारतीय राज्यों के साथ न तो राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर सकते थे और न युद्ध अथवा शान्ति संधि कर सकते थे। प्रतिरक्षा के क्षेत्र में परमोच्च शक्ति दोना—ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी थी और आन्तरिक सुरक्षा से सम्बन्धित सभी विषयों पर उसको हस्तक्षेप करने तथा नीति निर्धारण का अधिकार था।

राजनीतिक विभाग की स्थापना—

10 1915 में देशी रियासतों तथा उनके शासकों से ब्रिटिश सरकार के सम्बन्धों के मामलों की देखरेख के लिए वायसराय के अधीन एक 'राजनीतिक विभाग' की स्थापना की गई। इस विभाग के प्रभाव के बारे में वी पी मेनन का कथन है—'राजनीतिक विभाग ने रियासतों में धीरे-धीरे शासन के अन्दर शासन की स्थिति ग्रहण करती थी।'

नरेन्द्र मण्डल की स्थापना—

11 राजाओं ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का दमन करने और प्रथम महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनका भारतीय राजनीति में निरन्तर, सम्पर्क सम्बन्ध बनाए रखने के सद्भ में ब्रिटिश सरकार ने 1921 में शाही उद्घोषणा द्वारा 'नरेन्द्र मण्डल' की स्थापना की। यह एक परामर्शात्मक तथा सलाहकार निकाय के समान था। वायसराय इसका अध्यक्ष होता था तथा नरेन्द्र मण्डल के सदस्य अपने-अपने-अपने एक-एक के लिए एक चामलर और एक प्रो वायस चामलर चुनते थे। नरेन्द्र मण्डल शीघ्र ही बहुसंख्यक राज्यों का वास्तविक प्रतिनिधि बन गया और नरेशों तथा राजनीतिक विभाग के बीच एक सम्पर्क कड़ी के रूप में भूमिका प्रस्तुत करने लगा।

कांग्रेस और देशी राज्य—

12 राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए तूफान को रोकने के लिए देशी राज्यों ने ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा—प्राचीर के रूप में कार्य किया, कांग्रेस के अखिल भारतीय सभ की स्थापना का विरोध किया और ब्रिटिश भारत से पृथक अपनी अलग राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने का सदैव प्रयास किया।

13 देशी भारत में राजनीतिक आन्दोलनों का मार्ग दर्शन करने एवं उनमें

समय स्थापित करने हेतु दिसम्बर 1927 में बम्बई में अ. भा. देशी राज्य लोक परिषद् की स्थापना की गई। प्रारम्भ में अ. भा. राष्ट्रीय कांग्रेस ने रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति अपनायी। अन्ततः 1938 में कांग्रेस ने हरिपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया कि कांग्रेस देशी राज्या में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना और नागरिक स्वतन्त्रताओं के संरक्षण की मांग का पूर्ण समर्थन करती है। उसने रियासतों में कांग्रेस समितियों और प्रजामण्डल की स्थापना का समर्थन किया।

राजस्थान में प्रजामण्डलों की स्थापना —

14 राजस्थान में राजनीतिक चेतना का विकास करने और विभिन्न रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए सघन करने के लिए प्रजामण्डलों की स्थापना की गई। 1934 में मारवाड़ प्रजामण्डल की स्थापना की गई। इससे पूर्व जयनारायण व्यास के नेतृत्व में मारवाड़ राज्य लोक परिषद् द्वारा जाधपुर राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना और नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संरक्षण के लिए सघन किया गया था। मारवाड़ प्रजामण्डल को अवध घोषित किए जाने पर जयनारायण व्यास ने मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद् की स्थापना की। बीकानेर राज्य में सर्वप्रथम 1936 में तथा पुनः जुलाई 1942 में प्रजामण्डल की स्थापना की गई। उदयपुर में 1938 में तथा जयपुर में सर्वप्रथम 1931 में (1937-38 में सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से पुनर्गठन) प्रजामण्डल की स्थापना की गई। जैसलमेर (1939), भरतपुर (1938), डूंगरपुर (1944), वामवाड़ा (1943), मिरोही (1939), बूंदी (1944), धौलपुर (1938), और करौली राज्य (1939) में प्रजामण्डलों की स्थापना की गई।

15 राजस्थान में प्रजामण्डल आंदोलनों के प्रमुख नेता सवथी जयनारायण व्यास, मधाराम वैद्य, रुबरदयाल गायल, कुम्भाराम आय, बलवर्तसिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, सेठ जमनालाल बजाज, हीराताल शास्त्री सागरमल गोपा, भीठालाल व्यास, मास्टर भोलानाथ, प. नयाराम शर्मा, प. अभिन्न हरि, ठाकुर देशराज, मास्टर आदित्येन्द्र, राजबहादुर, भोगीलाल पड्या, भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट, ब्रजसुन्दर शर्मा, ज्वाला प्रसाद जिजासु, चिरजीलाल शर्मा, रामनारायण चौधरी, गोकुल लाल असावा आदि थे।

16 आधुनिक राजस्थान के निर्माण में विभिन्न रियासतों के प्रजामण्डलों की भूमिका निर्णायक रही उन्होंने राजनीतिक चेतना का शखनाद किया, सामाजिक परिवर्तन एवं भूमि मुद्दों का मांग प्रस्तुत किया, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए सघन किए और रियासतों के शासकों पर भारतीय सघ में विलय, एकीकरण तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए दबाव डाला। वस्तुतः प्रजामण्डलों के नेताओं ने राजस्थान के एकीकरण सम्बन्धी सरदार पटेल के महान् प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत विभाजन और स्वतन्त्रता —

17 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन अपने जीवन के चरम उत्कर्ष पर पहुँच गया। अन्त ब्रिटेन की श्रमिक सरकार के प्रधानमन्त्री एटली ने भारत की संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन ने 16 मई, 1946 को अपने प्रस्तावों की घोषणा की।

18 कैबिनेट मिशन की योजना के अनुरूप 2 सितम्बर 1945 को अन्तरिम सरकार का निर्माण हुआ जिसमें गवर्नर जनरल तथा वायसराम लाड वैंवल ने पं. जवाहरलाल नेहरू को अपनी कार्यकारिणी में उप प्रधान तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृहमंत्री मनोनीत किया। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसम्बर, 1946 को हुआ।

19 भारतीय राज्यों के सम्बन्ध में कैबिनेट मिशन ने कहा कि परमोच्च शक्ति का हस्तांतरण नूतन भारत सरकार को नहीं होगा, किन्तु इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रस्तावित भारतीय संघ में शामिल होने वाली रियासतों को वैदेशिक सम्बन्ध, प्रतिरक्षा और संचार के अलावा अन्य विषयों के प्रशासन में स्वतन्त्रता होगी। संविधान सभा में देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या 93 निश्चित की गई। संविधान सभा में प्रतिनिधियों के चयन एवं प्रतिनिधित्व सम्बन्धी समस्या के समाधान के लिए नरेन्द्र मण्डल देशी राज्यों की एक समझौता-वार्ता समिति नियुक्त करेगा जो संविधान सभा द्वारा नियुक्त समझौता-वार्ता समिति से बातचीत करेगी।

20 नरेन्द्रमण्डल ने जून 1946 में तथा संविधान सभा ने दिसम्बर 1946 में 'समझौता वार्ता समिति (Negotiating Committee)' की नियुक्ति की। दोनों समितियों में अप्रैल 1947 में संविधान सभा में देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या (93) के वितरण और चयन के विषय में समझौता हो गया।

21 प्रान्तों के अनिवार्य समूहन सम्बन्धी कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों पर कांग्रेस और मुस्लिमलीग में मतभेद होने के कारण लीग ने 29 जुलाई, 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकृत कर दिया और इस गतिरोध ने भारत विभाजन का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया।

22 अन्ततः कांग्रेस और लीग ने 3 जून, 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश संसद ने "भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, जुलाई 1947" पास किया जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतन्त्र डोमिनियनों की स्थापना का प्रावधान किया गया। स्वतन्त्रता अधिनियम में कहा गया कि भारतीय रियासतों के नए डोमि-

नियमों में से किमी एक में अधिमिलन (विलय) पर प्रतिबन्ध नहीं होगा। अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश परमोच्च शक्ति का हस्तान्तरण भारत अथवा पाकिस्तान को नहीं किया, किन्तु इस का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया।

अधिमिलन में बाधाएँ

23 तत्कालीन भारतीय राजनीतिक घटनाक्रम के सन्दर्भ में देशी राज्यों के भारत-संघ में अधिमिलन और एकीकरण के मार्ग में अनेक समस्याएँ-बाधाएँ थीं। उदाहरणार्थ (i) 29 जनवरी, 1947 को बम्बई में देशी राज्यों के शासकों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें प्रस्ताव पास किया गया कि प्रत्येक राज्य स्वयं निश्चित करेगा कि भारतीय संघ में शामिल हो या न हो। संघ उनकी सीमाओं में और उनके समिधान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न कोई हस्तक्षेप उत्तराधिकारी नियुक्त करने में ही किया जा सकता है। (ii) 13 जून 1947 को लाड माउन्टबेटन ने रियासतों के मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए दलीय नेताओं की बैठक बुलाई, उसमें मुस्लिम लीग के नेता श्री जिन्ना का तर्क था कि परमोच्च शक्ति का हस्तान्तरण नये डोमिनियनों को नहीं किया गया। अतः तकनीकी रूप में देशी राज्य 15 अगस्त, 1947 को स्वतन्त्र हो गए। उन्हें पाकिस्तान या भारत में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प. नेहरू का प्रत्युत्तर था कि कोई भी रियासत पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, किन्तु कैबिनेट मिशन के जापान में अनुसार वह स्वतन्त्र रहने का दावा नहीं कर सकती। (iii) काठियावाड़, राजस्थान, पंजाब, दक्षिण उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ की रियासतों ने क्षेत्रीय संघों के निर्माण का विचार किया। कांग्रेस ने इस योजना का विरोध किया, क्योंकि क्षेत्रीय संघों का विचार भारतीय राष्ट्रवाद तथा एकता के विरुद्ध था। (iv) राजनीतिक विभाग के प्रधान सर वॉनरेड कोरफील्ड ने भी भारतीय डोमिनियन सरकार के लिए बाधाएँ पैदा करने के अनेक प्रयास किए। कहा जाता है कि उसने रियासतों से संबंधित अभिलेखों को नष्ट करने की स्वीकृति ब्रिटिश सरकार में प्राप्त करली थी। (v) हैदराबाद राज्य के निजाम ने 12 जून, 1947 को स्वतन्त्र रहने की घोषणा की और लीग के प्रमुख पत्र 'डॉन' ने निजाम के इस निर्णय का हादिक स्वागत किया। 11 जून, 1947 को ट्रावनकोर ने स्वतन्त्र रहने की घोषणा की। जूनागढ़ के नवाब ने 15 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान में अधिमिलन की घोषणा की।

अधिमिलन के लिए भारत सरकार के प्रयास

24 अ. भा. कांग्रेस समिति ने 15 जून, 1947 को प्रस्ताव पास किया कि किसी भी भारतीय रियासत द्वारा स्वयं को स्वतन्त्र घोषित करने का अधिकार नहीं है। प. नेहरू ने कहा—“भारत सरकार ने कुछ अनर्निहित परमोच्च शक्ति है जो नमाप्त नहीं हो सकती। भारत-संघ की परमोच्च शक्ति का एक मात्र

विकल्प यह है कि रियासतो में मिल जाना चाहिए और सघीय विधान मण्डल तथा सघीय कायपालिका में समान रूप में भाग लेना चाहिए।”

25 27 जून 1947 को भारत सरकार के अन्तर्गत 'रियासती विभाग' खोला गया। सरदार पटेल को इसका प्रभारी मन्त्री और वी पी मेनन को सचिव नियुक्त किया गया। यह प्रस्तावित हुआ कि तीन विषयो ब्रदेशिक सम्बन्ध, प्रतिरक्षा और संचार के सन्दर्भ में रियासतो को सघ में अधिमिलन के लिए कहा जाए।

26 5 जुलाई, 1947 को सरदार पटेल ने कहा—'अगर आप भारत की डोमिनियन में शामिल होना चाहते हैं तो आप ऐसा 15 अगस्त से पहले करें। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा करना प्रत्येक देशी राज्य के हित में होगा और प्रत्येक होसियार तथा विवेक सम्पन्न राज्य सरकार भारत डोमिनियन में सम्मिलित होना चाहेगी। इस अधिमिलन का आधार ऐसा होगा कि आपको आन्तरिक मामलो में काफी स्वतन्त्रता रहेगी। और साथ ही सुरक्षा, संचार और बदेशिक मामलो में आप चिन्ता मुक्त हो जाएंगे।”

27 25 जुलाई 1947 को लार्ड माउन्टबेटन ने प्रथम तथा अन्तिम बार नरेशों के सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा "सैद्धांतिक रूप से देशी राज्य अपना भविष्य निर्धारण के लिए स्वतन्त्र है। उन्हें ब्रिटिश राजा के प्रति उनके सब दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है, पर तु कुछ भौगोलिक बाध्यताएँ हैं जिनसे मुँह नहीं मोड़ा जा सकता है। लगभग 565 रियासतो में से अधिमत्त भारत के डोमिनियन से भौगोलिक दृष्टि से अपरिहाय रूप से जुड़ी हुई हैं।” माउन्टबेटन ने राजाओं से कहा कि अधिमिलन के लिए 15 अगस्त अन्तिम तारीख निर्धारित की गई है, जिससे पहले ही उन्हें अधिमिलन के लिए सहमति देनी चाहिए। वास्तव में लार्ड माउन्टबेटन ने राजाओं पर भारत सघ में अधिमिलन के लिए सराहनीय राजनीतिक एवं नृत्नीतिक दबाव डाला।

आधुनिक राजस्थान का निर्माण

28 रियासती विभाग का अधिमिलन लेखपत्र को 31 जुलाई 1947 को अन्तिम रूप दिया गया। 15 अगस्त 1947 तक जूनागढ, मगरोल, मीनवादर, हैदराबाद और जम्मू काश्मीर को छोड़कर भारत से भौगोलिक समीपतावाली सभी रियासतो ने अधिमिलन लेखपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। माउन्टबेटन ने 15 अगस्त को सविधान सभा को सूचित किया—“संयुक्त राजनीतिक संरचना स्थापित हो चुकी है।”

29 आधुनिक राजस्थान का निर्माण तीन चरणों में हुआ। प्रथमचरण, भारतीय सघ में अधिमिलन, द्वितीय चरण, राजस्थान को 19 रियासतो तथा 3 ठिकाना का राजस्थान सघ में एकीकरण तथा तृतीय चरण का सबंध राजस्थान में लोकनायिक शासन व्यवस्था की स्थापना से है।

30 रियासतो के सविधान सभा में भाग लेने के प्रश्न पर नरेन्द्र मण्डन के चासलर भोपाल के नवाब ने असहयोगी तथा नवारात्मक भूमिका अभिनीत की। उनकी राष्ट्र विरोधी नीति का विरोध करते हुए माच 1947 में बी. गानेर के महाराजा शादुलमिह ने कहा—“हमें सविधान सभा में भाग लेना चाहिए।” उनके वक्तव्य ने न केवल नवाब भोपाल के नेतृत्व को चुनौती दी, बल्कि अप्रैल 1947 के अन्त तक राजस्थान की प्रमुख रियासतों ने सविधान सभा में अपने स्थान भी ग्रहण कर लिए।

अधिमिलन

31 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 के अन्तर्गत अन्य देशी राज्यों की भांति राजस्थान की रियासतों को भी भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी एक डोमिनियन में अधिमिलन का निणय करना था। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि जोधपुर नरेश ने नवाब भोपाल के साथ 6 अगस्त 1947 को जितना से भेंट की। जितना ने जोधपुर नरेश हनुवर्तसिंह को पाकिस्तान में सम्मिलित होने के बदले में उन्हें एक स्वतंत्र राज्य का स्तर प्रदान करने का वचन दिया।

8 अगस्त को राज्य विभाग के सचिव वी पी मेनन ने हनुवर्तसिंह को भेंट माउन्टेड से करवा दी। परिणामस्वरूप हनुवर्तसिंह का पाकिस्तान में विलय का विचार बदल गया और 11 अगस्त को उन्होंने नवाब भोपाल को सूचित किया कि वह भारत में अधिमिलन कर रहा है। 15 अगस्त तक राजपूताने की सभी रियासतों का अधिमिलन भारतीय संघ में हो गया।

एकीकरण

32 भारतीय संघ में अधिमिलन के पश्चात् दूसरा चरण राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का था। मेवाड़ के महाराणा भूपालसिंह, जयपुर के महाराजा मानसिंह, कोटा के महाराव भीमसिंह और डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने अपने अपने स्तर पर रियासतों के संघ बनाने के प्रयत्न किए, परन्तु वे अपने सामंतवादी अहम् और निरकुश व्यक्तिवाद के कारण संघ बनाने में असफल रहे।

33 राजस्थान में राज्यों के एकीकरण की प्रक्रिया को अनेक कारकों ने गति एवं दिशा प्रदान की। जैसे प्रजामण्डल आन्दोलनों का विभिन्न राज्यों पर एकीकरण हेतु दबाव डालना, अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद् (AISPC) का प्रजामण्डल आन्दोलनों का समर्थन एवं विभिन्न प्रजामण्डलों में समन्वय-सामंजस्य स्थापित करना, राज्यों के निरकुश, अनुत्तरदायी और सामंतवादी प्रशासन के प्रति जनता में अविश्वास की भावना और सरदार पटेल का प्रभावी राजनीतिक नेतृत्व तथा वी पी मेनन का राजनयिक कौशल।

34 सर्वप्रथम जयनारायण व्यास ने अपने पत्र 'तरुण राजस्थान' में 20

सितम्बर, 1929 के अंक में विभिन्न रियासतों के विलय से एक संयुक्त राजस्थान के निर्माण की संकल्पना प्रस्तुत की थी। अर्थात् देशी राज्य लोक परिषद् की राजपूताना प्रांतीय सभा ने सितम्बर 1946 में प्रस्ताव पाम किया कि राजस्थान की रियासतें पृथक्-पृथक् इकाई के रूप में भारतीय संघ में शामिल होने के योग्य नहीं हैं। अतः समस्त राजस्थान का विलय एक इकाई के रूप में भारत संघ में होना चाहिए। मार्च 1948 में पुनः प्रांतीय सभा की कार्यसमिति ने स्पष्ट रूप में घोषणा की "राजस्थान की राजनीतिक समस्या का सर्वोत्तम विकल्प बृहत् राजस्थान का निर्माण है। कांग्रेस के नेतृत्व एवं मागदशन में कायरेत विभिन्न रियासतों के प्रजा-मण्डल भी बृहत् राजस्थान के निर्माण के लिए प्रबल जनमत तैयार कर रहे थे।

राजस्थान के इतिहासकार जगदीशसिंह गहलोत ने 16 अप्रैल, 1947 को 'नवभारत' दिल्ली के विशेष सवाददाता को साक्षात्कार में बताया कि सिंध का थरपारकर (प्रमरकोट जिला), हिसार जिले के भिवानी और गुडगाव का कुछ क्षेत्र मालवा प्रान्त का कुछ भाग, इंडर, सिरोही, दासा, पालनपुर और राजस्थान की समस्त रियासतों को मिलाकर बृहत् राजस्थान का निर्माण करना चाहिए क्योंकि यह क्षेत्र संस्कृति, भाषा और भू-राजनीति की दृष्टि से बृहत् राजस्थान के अभिन्न अंग हैं।

उपर्युक्त कारणों के अलावा भारत विभाजन के कारण अलवर और भरतपुर में सांप्रदायिक हिंसा ने राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की।

राजस्थान के एकीकरण के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं —

मत्स्य संघ का निर्माण

35 देश के विभाजन के समय अलवर और भरतपुर में भीषण साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे। परिणामस्वरूप इन रियासतों में आंतरिक अशांति और प्रशासनिक अराजकता फैल गई। साम्प्रदायिक दंगों की स्थिति से निपटने तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने अलवर और भरतपुर का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया।

अलवर और भरतपुर से भौगोलिक समीपता रखने वाली धौलपुर और करौली छोटी-छोटी रियासतें थीं। ये चारों रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पृथक् अस्तित्व बनाये रखने योग्य नहीं थीं। अतः भारत सरकार ने 27 फरवरी, 1948 को चारों रियासतों के सामने एकीकरण द्वारा एक नए राज्य संघ के निर्माण का प्रस्ताव रखा। उनके द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर भारत सरकार ने प्रस्तावित राज्य का नाम मत्स्य संघ रखा।

मत्स्य संघ का उद्घाटन केन्द्रिय मंत्री एन वी गण्डगिरी ने 18

मार्च, 1948 को किया मत्स्य सघ के चारों घटक राज्यों का कुल क्षेत्रफल लगभग 12000 कि. मी. जनसंख्या 1.8 करोड़ और वार्षिक आय 2 करोड़ रुपये थी। सघ के राजप्रमुख महाराजा जोलपुर और उपराज्यप्रमुख महाराणा करौली बनाए गये। अलवर प्रजामण्डल के लोकप्रिय नेता शोभाराम कुमावत को मत्स्य सघ का प्रधान मंत्री मनोनीत किया गया।

संयुक्त राजस्थान का निर्माण

36 महाराव कोटा ने कोटा, बू दी और भालावाड के विलय द्वारा हाडीती सघ और महाराव डू गरपुर ने डू गरपुर, वासगाडा एव प्रतापगढ के विलय द्वारा 'वागड सघ' बनाने के असफल प्रयत्न किए। इसी मन्दभ में भारत सरकार के राज्य विभाग ने 3 मार्च, 1948 को कोटा, बू दी, भालावाड, टोक, डू गरपुर, वास-वाडा, प्रतापगढ, कुशलगढ, किशनगढ और शाहपुरा की रियासतों को मिलाकर संयुक्त राजस्थान के निर्माण का प्रस्ताव किया और औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन 25 मार्च, 1948 को किया। महाराव कोटा को राजप्रमुख और प्रो. गोकुललाल असावा को इस राज्य का प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया।

पुनर्गठित संयुक्त राजस्थान —

37 मार्च 1948 में महाराणा मेवाड और प्रजामण्डल में मतभेद होने के कारण मेवाड में राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो गया। मेवाड प्रजामण्डल पत्रिका ने 8 और 15 मार्च को सम्पादकीय लेखों में लिखा है कि मेवाड एक पृथक इकाई के रूप में विकास नहीं कर सकता। अतः जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए उसे संयुक्त राजस्थान में मिला जाना चाहिए। समय की मांग और मेवाड में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु आन्दोलन के दबाव के कारण उदयपुर ने संयुक्त राजस्थान में विलीन होने का निणय किया। फलस्वरूप 18 अप्रैल, 1948 को उदयपुर का संयुक्त राजस्थान में विलय हो गया। पुनर्गठित संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर थी और महाराणा उदयपुर को राजप्रमुख एव माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया।

वृहत् राजस्थान का इतिहास —

38 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने उदयपुर में घोषणा की कि, जोधपुर जयपुर और बीकानेर ने संयुक्त राजस्थान में शामिल होना स्वीकार कर लिया है। 30-मार्च को सरदार पटेल ने वृहत् राजस्थान का उद्घाटन किया। जयपुर को वृहत् राजस्थान की राजधानी बनाया गया तथा महाराणा उदयपुर को महाराज प्रमुख, जयपुर नरेश भार्गव सिंह को राजप्रमुख एव हीरालाल शास्त्री का प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया।

39 मत्स्य सघ का विलय 15 मई 1949 को बृहत राजस्थान में हुआ ।

40 जनवरी 1950 में सरदार पटेल ने सिरोही राज्य का विभाजन करके माउंट आबू और आबू तहसील के दक्षिण भाग का बम्बई राज्य में विलय कर दिया था और शेष सिरोही रियासत का राजस्थान में विलय कर दिया । सिरोही की जनता ने इस निणय का विरोध करते हुए आन्दोलन प्रारम्भ किया । एक नवम्बर, 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भूतपूर्व सिरोही राज्य का माउन्ट आबू आदि इलाका एव अजमेर-मेरवाडा राजस्थान में शामिल कर दिए गए ।

इस प्रकार 6 चरणों में आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ ।

छोकतन्त्रीकरण

41 वी पी मेनन ने अपने राजनीतिक कौशल तथा राजनयिक चातुर्य से राजस्थान के द्वितीय सघ अर्थात् पुनर्गठित संयुक्त राजस्थान के संविधान (दि कोवे-नेन्ट) की धारा 8 में यह प्रावधान कराया कि राजप्रमुख को एक नए अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने थे जिसके अनुसार उसे यह स्वीकार करना होगा कि वह भारतीय संविधान सभा द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा जो 'संयुक्त राज्य राजस्थान' पर लागू किया जावे । इस प्रकार अगस्त 1947 तक तीन विषयों (वैदेशिक सम्बन्ध, प्रतिरक्षा एवं संचार) को भारतीय सघ को सौंपने की शत समाप्त हो गई ।

42 बृहत्तर राजस्थान के संविधान में एक नया प्रावधान जोड़ा गया जिसके अनुसार राजप्रमुख को नए अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे जिसके अन्तर्गत भारत की संविधान सभा द्वारा सघीय और समवर्ती सूचियों को स्वीकार करना आवश्यक था ।

43 उपयुक्त दो प्रावधानों के अनुसार राजस्थान का भारतीय सघ में न केवल पूर्ण एकीकरण हो गया बल्कि राजस्थान को राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति का भी लोकतन्त्रीकरण हो गया ।

44 26 जनवरी 1950 को गणतन्त्रात्मक भारत के संविधान के त्रियान्वयन के साथ भूतपूर्व देशी राज्यों की जनता को वयस्क मताधिकार पर आधारित उत्तरदायी शासन की राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता प्राप्त हो गई । सभी नागरिकों को समान रूप से राजनीतिक, नागरिक एवं मौलिक आधार प्राप्त हो गए तथा देशी राज्यों की वंशगत सामन्तवादी निरकुश व्यवस्था का सदैव के लिए उन्मूलन हो गया ।

45 इस प्रकार राजस्थान के प्रजामण्डल के नेताओं-विशेषकर जय-

नारायण व्यास माणिक्यलाल उर्मा, हीराचान शास्त्री और इतिहासकार जगदीश सिंह महतोत के आधुनिक राजस्थान के निर्माण का राजनीतिक रूपन पूरा हुआ। देशी राज्यों के भारतीय सघ के अधिमिलन, एकीकरण और लोकतंत्रीकरण क सन्दर्भ में भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का सशक्त राजनीतिक नेतृत्व और प्रचार राष्ट्रभक्ति तथा राज्य विभाग में उनके वी पी मेनन का राजनयिक वीरता मदव स्मरणीय रहेगा।

प्रिवीपर्स

46 भारत सरकार द्वारा राजस्थान की विभिन्न रियासतों को स्वोद्धत किए गए प्रिवीपर्स की राशि का विवरण निम्नलिखित है

1 अलवर	5,20,000	2 भरतपुर	5,02,000
3 धौलपुर	2,64,000	4 बरोली	1,05,000
5 बासवाडा	1,26,000	6 बूंदी	2,81,000
7 डूंगरपुर	1,98,000	8 भालावाड	1,36,000
9 किशनगढ़	1,36,000	10 कोटा -	7,00,000
11 मेवाड	10,00,000	12 प्रतापगढ़	1,02,000
13 शाहपुरा	90,000	14 टोंक	2,78,000
15 जयपुर	18,00,000	16 जैसलमेर	1,80,000
17 बीकानेर	17,00,000	18 जोधपुर	17,50,000
19 लावा	12,500	20 कुशलगढ़	34,775
21 नीमराना	15,000	22 सिरौही	2,12,600

कुल योग 101,42,875

